खण्ड-291, अंक-3
मंगलवार, 26 श्रावण, शक संवत् 1893
(17 अगस्त, 1971 ई0)

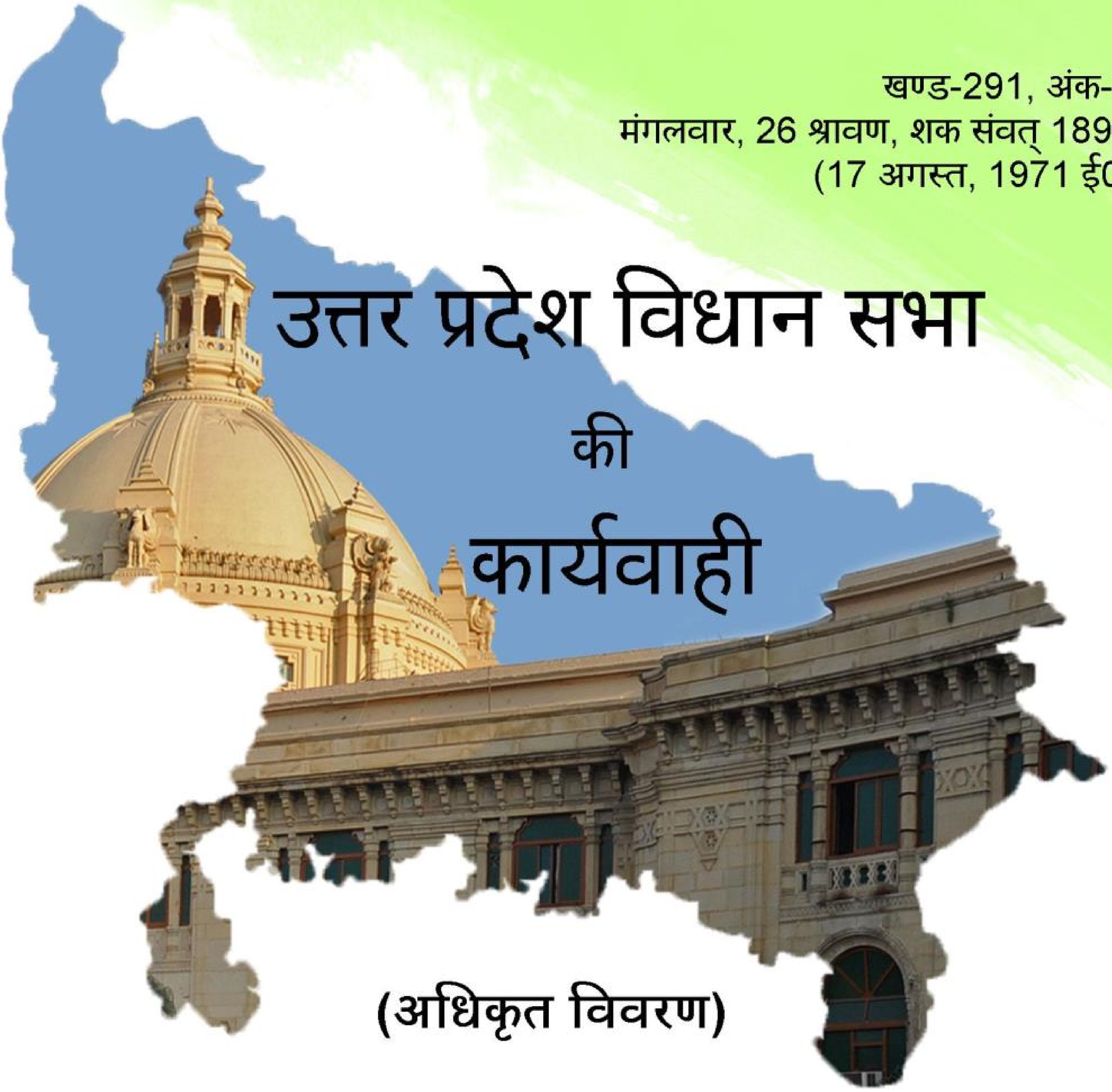

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 291 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९७२

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य	२९७–३०१
प्रश्नोत्तर	३०१–३२८
प्रश्नों के सम्बन्ध में शिकायत (जारी)	३२८–३२९
नियम ४९ के अन्तर्गत चर्चा के लिये प्रार्थना	३२९–३३०
दिल्ली में हुई सदस्यों की गिरफ्तारियों के सम्बन्ध में भेदभाव पूर्ण नीति बरतने के सम्बन्ध में विचारार्थ समय की मांग तथा शेख मुजीबुर्रहमान की जीवन-रक्षा से संबंधित पारित प्रस्ताव के संबंध में अग्रिम कार्यवाही की जानकारी	३३०–३३१
प्रश्नों के सम्बन्ध में शिकायत	३३१
मुख्य मंत्री की अस्वस्थता के सम्बन्ध में जानकारी	३३१
किसी प्रश्न पर छः से अधिक अनुपूरक प्रश्न न पूछने के निर्णय के अनुसार सदन में कार्यवाही न होने की सूचना	३३२
श्री सुखपाल पांडेय के प्रश्न संख्या ५ के सम्बन्ध में वक्तव्य की मांग ..	३३२–३३३
प्रश्नों के सम्बन्ध में शिकायतें	३३३
कानपुर जिले में बिजली कर्मचारियों की हड़ताल के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट कराने हेतु वक्तव्य की मांग	३३३–३३४
बाढ़ के सम्बन्ध में साप्ताहिक वक्तव्य के बारे में जानकारी	३३४
उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् का वार्षिक वित्तीय विवरण पत्र १९७१–७२ (सदन के पटल पर रखा गया)	३३४
उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) नियमावली, १९७१ (सदन के पटल पर रखी गयी)	३३४
उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) नियमावली, १९७१ (सदन के पटल पर रखी गयी)	३३५
उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था (तृतीय संशोधन) नियमावली, १९७१	३३५
उत्तर देश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, १९७१ (सदन के पटल पर रखी गयी)	३३५
कुमयूं तथा उत्तराखण्ड जमींदारी विनाश तथा भूमि-व्यवस्था (संशोधन) नियमावली, १९७१ (सदन के पटल पर रखी गयी)	३३५

विषय-सूची पृष्ठ संख्या

कुमायूं तथा उत्तराखण्ड जमींदारी विनाश तथा भूमि-व्यवस्था (द्वितीय संशोधन) नियमावली, १९७१ (सदन के पटल पर रखी गयी) .. ३३५

उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण (संशोधन) नियमावली, १९७० .. (सदन के पटल पर रखी गयी) ३३६

पत्रादि विलम्ब से सदन के पटल पर रखने के सम्बन्ध में आपत्ति .. ३३६

मध्यम आय वर्ग गृह-निर्माण योजना के अन्तर्गत ऋण वितरण (संशोधन) नियमावली, १९७० (सदन के पटल पर रखी गयी) ३३६

उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) नियमावली, १९७१ (सदन के पटल पर रखी गयी) ३३६

उत्तर प्रदेश विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियों) की (पंचम संशोधन) नियमावली, १९७१ (सदन के पटल पर रखी गयी) ३३६

वित्त (लेखा परीक्षा एवं बिक्री-कर) विभाग की अधिसूचना (सदन के पटल पर रखी गयी) ३३७

परिवहन मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना .. ३३७

माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश के लिये दो सदस्यों के निर्वाचन के सम्बन्ध में सूचना ३३८

आयुर्वेदिक कालेजों के तीन हजार छात्रों को कालेज से निकाल दिये जाने पर छात्रों में व्याप्त असन्तोष के सम्बन्ध में वक्तव्य ३३८–३४२

१९७१–७२ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान –अनुदान संख्या १८–शिक्षा (स्वीकृत) ३४२–३७२

अनुदान संख्या २८—सूचना निदेशालय (स्वीकृत) ३७२–४००

कार्य-स्थगन प्रस्ताव तथा नियम ५१ के अन्तर्गत सूचनाएं ४००–४०१

नत्थी ४०२

विधान परिषद्

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, १७ अगस्त, १९७१

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—३८५

अजबसिंह, श्री
अजीत प्रताप सिंह, श्री
अनन्तराम जायसवाल, श्री
अनवार अहमद, श्री
अनीसुर्रहमान शेरवानी, श्री
अब्दुल गफ्फार हाशमी, श्री
अब्दुल सलाम शाह, श्री
अभिमन्यु प्रसाद पांडेय, श्री
अमरनाथ दुबे, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेश कुमार, श्री
अशफाक अहमद, श्री
अहमदलूत खां, श्री
अहमदुल्ला खां, श्री
आबिद अली, श्री
आशाराम, श्री
आशासिंह, श्रीमती
इन्द्रजीत, श्री
इन्द्रमणी, श्री
इन्द्रलाल, श्री
इम्तियाज हुसैन, श्री
ईश्वर दयाल त्यागी, श्री
उदयनाथ, श्री
उदित नारायण शर्मा, श्री
उपेन्द्रनाथ दीक्षित, श्री
उमाकान्त बाजपेयी, श्री (उर्फ भैया जी)
उमादत्त शर्मा, श्री
उमानाथ सिंह, श्री
उमाशंकर शुक्ला, श्री
ऋषिपाल सिंह, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओम प्रकाश सिंह, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कन्हैयालाल बाल्मीकी, श्री
कन्हैयालाल सोनकर, श्री
करनसिंह, श्री
कलारानी मिश्र, श्रीमती
कल्पनाथ सिंह, श्री
कल्यानसिंह, श्री
काजी जलील अब्बासी, श्री
काजी मसूद, श्री
किशन लाल, श्री
कृपा दयाल, श्री
कृष्णकान्त अवस्थी, श्री
कृष्णचन्द्र शर्मा, श्री
कृष्णदत्त, श्री (उर्फ बालराज)
कृष्ण मग्न सिंह, श्री
कृष्णस्वरूप वैश्य, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केदारनाथ, श्री
केशव चन्द्र सिंह, श्री
केशोराम, श्री (जिला बरेली)
केशोराम, श्री (जिला बदायूं)
खचेड़ू सिंह मोहरिया, श्री
गंगा प्रसाद, श्री (जिला एटा)
गंगा प्रसाद, श्री (जिला गोंडा)

गंगा सिंह यादव, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गया प्रसाद, श्री
गायत्री देवी, श्रीमती
गिरजा शंकर तिवारी, श्री
गुलाब सिंह, श्री
गोपालदत्त ओझा, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोविन्द सिंह नेगी, श्री
गोस्वामी राधा कृष्ण, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रनारायन सिंह, श्री
चन्द्र प्रताप नारायण सिंह, कुंवर
चन्द्रभान शर्मा, श्री
चन्द्रभान गुप्त, श्री
चन्द्रमणि कान्त सिंह, 'जूखे' श्री
चन्द्र मोहन सिंह नेगी, श्री
चरणसिंह, राजा
चित्तर सिंह, श्री
चिरंजीलाल, श्री
चेतराम गगवार, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जंगबहादुर यादव, श्री
जंगबहादुर सिंह, श्री
जगदम्बा प्रसाद, श्री
जगदीश गांधी, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगदीश्वर दयाल, डाक्टर (उर्फ डा० मन्ना)
जगन नाथ खन्ना, श्री
जगन प्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगरनाथ, श्री
जयनारायण सिंह, श्री
जयराम यादव, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जितन्द्रपालसिंह, श्री
जे० एन० सिन्हा, श्री
ज्वाला प्रसाद कुरील, श्री
डी० पी० बोरा, श्री
डूंगर सिंह विष्ट, श्री
तिरमल सिंह, श्री
तज नरायन त्रिवेदी, श्री
तेजपाल सिंह कृष्ण, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजभान सिंह, कुंवर
त्रिलोकचन्द, श्री
त्रिवेणी राय, श्री
त्रिवेणी सहाय, श्री (जिला गोंडा)
दल सिंगार यादव, श्री
दीपनरायन बन, श्री
दीपनारायण मणि त्रिपाठी, श्री
दुर्जन, श्री
दुलारे लाल, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्र सिंह, कुंवर
धनुषधारी पांडय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मवीर, श्री
धर्मबीरसिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
धर्मवीरसिंह, श्री (जिला मेरठ)
धर्म सिंह, श्री
धूम प्रसाद, श्री
नगीना सिंह, श्री
नत्था राम रावत, श्री
नरेन्द्र सिंह भंडारी, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नसीम उद्दीन सिद्दीकी, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायण दास, श्री
नित्यानन्द स्वामी श्री
नेतराम सिंह, श्री
नैनसिंह, श्री
नैपाल सिंह, श्री
नौनिहाल सिंह, श्री
पन्नालाल गुप्त, श्री
परमाई लाल, श्री
पारसनाथ सिंह, श्री
पुरनचन्द, श्री
प्यारी देवी गुप्ता, श्रीमती
प्यारे लाल, श्री
प्रकाश नारायण गुप्ता, डाक्टर
प्रताप नारायण तिवारी, श्री
प्रभाकर त्रिपाठी, श्री
प्रेमचन्द्र शर्मा, श्री
प्रेमनारायण अहेरवार, श्री
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री
बंश गोपाल शुक्ल, श्री
बंशीधर, श्री
बंशीधर पांडेय, श्री
बंशीधर मिश्रा, श्री

बच्चा पाठक, श्री
बदनसिंह यादव, श्री
बद्री प्रसाद, श्री
बनारसी राय, श्री
बब्बन सिंह, श्री
बलवीर सिंह, श्री
बसन्तलाल , श्री (जिला जालौन)
बसन्तलाल, श्री (जिला लखनऊ)
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बांकेलाल, श्री
बिशन लाल यादव, श्री
बिहारीलाल, श्री
बेनीसिंह, श्री
बैजनाथ, श्री (जिला देवरिया)
बैजनाथ, श्री (जिला वाराणसी)
ब्रजराज सिंह, श्री
भगवत दयाल सिलोइया, डाक्टर
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री
भगवती सिंह विशारद, श्री
भगेलू सिंह, श्री
भगौती प्रसाद, श्री
भगौती सिंह, श्री
भानु प्रताप सिंह, श्री (जिला बरेली)
भाभी यादव, श्री
भारतसिंह चौहान, श्री
भीमा प्रसाद, श्री
मंगल उपाध्याय, श्री
मन्जूर अहमद, श्री
मदन मोहन मिश्रा, श्री
मनफलसिंह, श्री
मनोहरलाल, श्री
मलिखान सिंह, श्री
मसाली देवी, श्रीमती
महमूद अली खां, श्री
महमूद हसन खां, श्री
महराम सिंह, श्री
महातम प्रसाद तिवारी, श्री
महादेव प्रसाद, श्री
महाबीर सिंह, श्री (जिला सहारनपुर)
महावीर सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
महीरजध्वज सिंह, श्री (उर्फ बाबू भैया)
महीलाल, श्री
महेन्द्र सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
महेन्द्र सिंह, श्री (जिला मुरादाबाद)
महेश्वरदत्त सिंह, श्री
माखन लाल, श्री
माता प्रसाद, श्री
माधव प्रसाद त्रिपाठी, श्री
मानवती देवी, श्रीमती
मुन्शीलाल चमार, श्री
मुमताज मोहम्मद खां, श्री
मुल्तान सिंह, श्री
मुस्तफा कामिल किदवई, श्री
मुहम्मद नबी खां, श्री
मेहरबान सिंह, श्री
मैनेजर सिंह, श्री
मोतीलाल देहलवी, श्री
मोतीलाल यादव, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल कपूर, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहम्मद असरार अहमद, श्री
यादवेन्द्र सिंह, श्री (उर्फ लल्लन जी)
रघुनाथ सिंह, श्री (जिला आगरा)
रघुनाथ सिंह, श्री (जिला कानपुर)
रघुनाथ सिंह वर्मा, श्री
रघुवीर सिंह यादव, श्री
रणंजय सिंह, राजा
राजनाथ सिंह, श्री
राजपती देवी, श्रीमती
राजबहादुर चन्द, श्री
राजबिहारी सिंह, श्री
राज मंगल पाण्डेय, श्री
राजाराम, श्री
राजितराम पाण्डेय, श्री
राजेन्द्र किशोरी, श्रीमती
राजेन्द्र कुमार शर्मा, श्री
राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्र प्रताप सिंह, श्री
राजेश्वर सिंह, श्री
राम अवध, श्री
रामकरन यादव, श्री (जिला गाजीपुर)
रामकरन सिंह, श्री (जिला गोरखपुर)
रामकिंकर, श्री
राम कुंवरसिंह, श्री
राम कुमार दीक्षित, श्री
राम कुमार शास्त्री, श्री
राम कृष्ण द्विवेदी, श्री
राम गोपाल संड, श्री
रामचरण, श्री (जिला आगरा)

रामचरण त्रिपाठी, श्री (जिला इलाहाबाद)
रामजियावन, श्री
रामजी लाल सहायक, डाक्टर
राम दुलारे, श्री
रामदेव, श्री
रामधारी शास्त्री, श्री
रामनिहोर, श्री
राम निहोर राय, श्री
रामपति, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपाल सिंह, श्री
रामपाल सिंह यादव, चौधरी
रामपूजन पटेल, श्री
रामप्यारे, श्री
रामप्यारे शुक्ला, श्री
राम प्रसाद, श्री
राम प्रसाद देशमुख, श्री
राम बचन, श्री (जिला अजमगढ़, रानी की सराय)
रामबचन यादव, श्री (जिला आजमगढ़, फूलपुर)
राम बिलास पाण्डेय, श्री
राममूर्ति 'अंचल', श्री
राम रतन पाण्डेय, श्री
रामरतनप्रसाद, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन सिंह, श्री
राम लगन दूबे, श्री
रामलाल चतुर्वेदी, श्री
रामलाल भाई, श्री
रामशिरोमणि, श्री
रामसागर, श्री
रामसिंह, श्री
राम सिंह खन्ना, श्री
रामसूरत सिंह, श्री
राम सेवक, श्री
राम हर्ष मिश्र, श्री
राव अब्दुल रऊफ खां, श्री
रूपनाथ सिंह यादव, श्री
रूपराम, श्री
लक्ष्मणस्वरूप, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लालन शर्मा, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री
लालसा, श्री
लालसा प्रसाद, श्री
लालूराम, श्री
लीलाधर, श्री
वशिष्ठ नारायण शर्मा, श्री
वासुदेव, श्री
वासुदेव सिंह वैद्य, श्री
विक्रम सिंह, श्री
विजयकुमार त्रिपाठी, राजा
विजयपाल सिंह, श्री
विजयबहादुर सिंह, श्री
विजयशंकर सिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विशम्भर सिंह यादव, श्री
विश्रामदास, श्री
विश्वनाथ कपूर, श्री
वीर बहादुर सिंह, श्री
वीरेन्द्र कुमार, चौधरी
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्र स्वरूप भटनागर, श्री
शंकर प्रसाद जायसवाल, श्री
शकुन्तला देवी, श्रीमती
शचीन्द्र नाथ बख्शी, श्री
शफीक अहमद खां, श्री
शमीम आलम, श्री
शम्भू नाथ चौधरी, श्री
शम्भूनारायण सिंह, श्री
शान्ती चरन पिड़ारा, श्री
शान्ति देवी, श्रीमती
शान्ति प्रपन्न शर्मा, श्री
शिव कुमार, श्री (जिला शाहजहांपुर)
शिव कुमार पान्डेय, श्री (जिला सुल्तानपुर)
शिव कैलाश, श्री
शिवदास, श्री
शिवपाल सिंह, श्री
शिव प्रसाद पांडिया, श्री
शिवबचन, श्री
शिव महेन्द्रसिंह, कुंवर (उर्फ शेरसिंह)
शिवराज सिंह, श्री
शिवलाल, श्री
शिववक्ष सिंह राठौर, श्री
शिव शंकर, श्री
शिव शंकर सिंह, श्री
शिव सम्पत्ति शर्मा, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
शीतला प्रसाद सिंह, श्री
शुकरूलाल, श्री

शेर अली खां, श्री
शेरसिंह दानू, श्री
शेष नारायण शुक्ल, श्री
शौनाथ सिंह चौधरी, श्री
श्याम किशोर, डाक्टर
श्यामलाल कनौजिया, श्री
श्याम लाल रावत, श्री
श्याम सुन्दर लाल गुप्त, श्री (उर्फ छन्नू बाबू)
श्याम सूरत उपाध्याय, श्री
श्रीकृष्ण बाजपेयी, श्री
श्रीनिवास प्रसाद सिंह, राजा
श्रीराम सिंह, श्री
श्रीशचन्द्र, श्री
सईद मुर्तजा, श्री
सच्चिदानन्द, श्री
सजीवन लाल, श्री
सत्तार अहमद अंसारी, श्री
सन्तराम, श्री
सन्तूराम, श्री
सरदारसिंह, श्री
सरस्वती टम्टा, श्रीमती
सर्वसुख सिंह, श्री
सिया दुलारी, श्रीमती
सियाराम, श्री
सियाराम गंगवार, डाक्टर
सीताराम, डाक्टर
सुखबीर, श्री
सुखपाल पांडेय, श्री
सुखलाल कोरी, श्री
सुदामा प्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरेन्द्र विक्रम, श्री
सूबेदार प्रसाद, श्री
सूबेदार सिंह, श्री
सूरजलाल, श्री
सूर्यनाथ उपाध्याय, श्री
सेवाराम, श्री
सैयद मुर्तजा अली खां, नवाब
सोहन लाल धुसिया, श्री
सौभाग्यवती, श्रीमती
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री
हंस राज, श्री (उर्फ हंसा)
हबीब अहमद श्री
हबीबुर्रहमान, श्री
हमीदा हबीबउल्ला बेगम, श्रीमती
हरनरायण, श्री
हरबंश प्रसाद, श्री
हरिनाथ तिवारी, श्री
हरि प्रसाद शाही, डाक्टर
हरिवंश सहाय, श्री
हरिहर बख्श सिंह, राजा
हरीदत्त काण्डपाल, श्री
हरीसिंह विष्ट, श्री
हलीमुद्दीन राहत मौलाई, श्री
हिम्मत सिंह, श्री
हुकुम सिंह, श्री (जिला आगरा, पश्चिम)
हुकुम सिंह परिहार, श्री (जिला आगरा, फतेहाबाद)
होती लाल अग्रवाल, श्री

नोट:—श्री बलदेव सिंह आर्य, पंचायती राज मंत्री तथा श्री पुरुषोत्तमदास टन्डन, सूचना राज्य मंत्री भी उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

मंगलवार, १७ अगस्त, १९७१

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

जिला परिषद् प्रतापगढ़ की कन्या प्राइमरी पाठशालाओं की अध्यापिकाओं का सेवा मुक्त किया जाना

**१—श्री जयराम यादव (जिला प्रतापगढ़)—

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि जिला परिषद्, प्रतापगढ़ ने लगभग १०० अध्यापिकाओं को, जो परिषद् की कन्या प्राइमरी पाठशालाओं में २ वर्ष से २० वर्ष तक अध्यापन कार्य

कर चुकी हैं, ३० जुलाई, १९७१ से सेवा मुक्त करने सम्बन्धी नोटिस जारी किया है ? यदि हां, तो क्यों ?

शिक्षा मंत्री (डाक्टर रामजीलाल सहायक)—

जी हां। जिला परिषद्, प्रतापगढ़ ने ५१ अध्यापिकाओं की सेवायें ३० जुलाई, १९७१ से तथा ३१ अध्यापिकाओं की सेवायें १० अगस्त; १९७१ से समाप्त करने की नोटिस दी। किन्तु अब सभी की सेवा समाप्ति नोटिस की अवधि १० अगस्त, १९७१ तक बढ़ा दी गई है। उनमें से किसी का सेवाकाल २० वर्ष का नहीं है। ये अध्यापिकायें अयोग्य पाई गई हैं।

श्री जयराम यादव—

क्या शिक्षा मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो अध्यापिकायें निष्कासित की गयी हैं इनकी शैक्षिक योग्यता क्या है ?

डाक्टर रामजीलाल सहायक—

इस समय इतनी ही जानकारी है कि उनके पास प्रमाण-पत्र थे, किन्तु जब उनकी योग्यता की जांच की गयी, उनको इमला बोला गया तो उसमें २५–३० गलतियां तक आयीं। इसलिये उनको अयोग्य माना गया।

श्री जयराम यादव—

मैंने तो यह पूछा था कि उनकी शैक्षिक योग्यता क्या थी ?

डाक्टर रामजीलाल सहायक—

इसके लिये नोटिस चाहिये।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इन अध्यापिकाओं में अधिक से अधिक कितने सेवा-काल तक की हैं तथा इनकी अयोग्यता का पता किस तरह से मालूम हुआ ?

डाक्टर रामजीलाल सहायक—

मान्यवर, पिछले ३–४ वर्षों से लगातार यह लिखा जा रहा था कि जिला परिषद् अनट्रेन्ड अध्यापकों को न रखे, लेकिन उनका पालन नहीं हो रहा था और जिला परिषद् अपने मन से उनको रख रही थी। जब उन्होंने हमारे आदेशों पर कोई ध्यान नहीं दिया तो विभाग ने उनको हटाने का नोटिस दिया। मेरे पास यह सूचना नहीं है कि उनकी अलग-अलग सेवा कितनी है, लेकिन वे सभी १५ साल से कम सेवा काल की हैं।

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)—

क्या इनकी एजूकेशनल क्वालिफिकेशन मिनिमम मिडिल पास है और क्या वे सभी मिडिल पास हैं ?

डाक्टर रामजीलाल सहायक—

हां, योग्यता इसमें ८वें पास की है और प्रशिक्षण की भी है। उनके पास प्रमाण-पत्र ८वें दर्जे का था, लेकिन उनमें कुछ ऐसी भी थीं जो अपना नाम तक नहीं लिख पाती थीं। इसलिये उनकी जांच की गयी। एक बार नहीं, तीन-तीन बार जांच की गयी।

श्री रामकुमार शास्त्री (जिला बस्ती)—

यह इमला बोलने वाले और जांच करने वाले कौन अधिकारी थे ?

डाक्टर रामजीलाल सहायक—

विभागीय अधिकारी थे, जिलाधीश ही आजकल जिला परिषद् का कार्य देखते हैं, उन्होंने ही नियुक्त किया था।

श्री गंगा प्रसाद (जिला गोंडा)—

क्या योग्य अध्यापिकाओं का अभाव था, इसलिये उनको भर्ती किया गया था ?

डाक्टर रामजीलाल सहायक—

उनमें निम्नतम योग्यता भी नहीं पायी गयी।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

क्या मन्त्री जी बताएंगे कि जिन अध्यापिकाओं को निकाला गया है उन्हीं का इम्तहान लिया गया है या सभी महिला अध्यापिकाओं का इम्तहान लिया गया है ?

डाक्टर रामजीलाल सहायक—

मान्यवर, यह तो जिनको नोटिस दी गई, उन्हीं की जांच की गई इस बात के लिए कि उनको नोटिस देने पर यह देख लें कि क्या वे वास्तव में अयोग्य हैं और कई बार उन्हें यह मौका दिया गया, ३ बार मौका दिया गया और अब भी म निवेदन करना चाहता हूं कि कुछ अध्यापिकाएं ऐसी बची हैं, जिनको चौथा मौका दिया जा रहा है कि वे परीक्षा देकर अपनी योग्यता सिद्ध करें।

श्री जयराम यादव—

क्या शिक्षा मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इन अध्यापिकाओं की नियुक्ति के समय योग्यता की जांच-पड़ताल नहीं की गई थी ?

डाक्टर रामजी लाल सहायक—

इसके लिये तो सूचना की आवश्यकता है।

श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—

मंत्री जी ने तो सारे प्रदेश में इस प्रकार के आदेश भेजे होंगे कि परीक्षा ली जाए, यदि हां, तो क्या वह बता सकेंगे कि उन्होंने इस प्रकार के आदेश जो सारे प्रदेश में भेजे हैं उन पर क्या ऐक्शन लिया गया ?

डाक्टर रामजीलाल सहायक—

आदेश परीक्षा लेने का नहीं था, आदेश यह था कि जो अन्ट्रेन्ड हैं उनको ट्रेनिंग लेकर अपने को ट्रेन्ड कर लेना चाहिये, और जब कई बार के कहने पर यह नहीं हुआ तो यह हुआ कि ये अयोग्य हैं, उन्हें निकाल दिया जाए।

श्री शिवकुमार पान्डेय (जिला सुल्तानपुर)—

इन सम्बन्धित महिला अध्यापिकाओं की तो नियुक्ति डी० आई० ने की होगी, तो क्या उनके खिलाफ भी कोई कार्यवाही की गई या केवल महिला अध्यापिकाओं के ?

डाक्टर रामजीलाल सहायक—

जिला परिषद् के अध्यक्ष ने उनको रखा है और बावजूद सरकारी आदेश के कि अन्ट्रेन्ड अध्यापिकाओं को न रखा जाय, वे ऐसे रखते चले गये। ऐसा पुरुषों के भी केस में हुआ है।

श्री दीपनारायण मणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)---

ट्रेनिंग देने की एक निश्चित प्रणाली है। तो क्या इसको अलग करने के पूर्व उस प्रणाली का प्रयोग किया गया या नहीं? यदि नहीं तो बिना उसके वे कैसे निकाली जा रही हैं?

डाक्टर रामजीलाल सहायक---

जिला परिषदों के द्वारा जो प्रणाली निर्धारित है उसके द्वारा उन्होंने किया, यह शासन के पास तो नहीं आया।

प्रदेश में एक नये विश्वविद्यालय की स्थापना

**२---श्री विश्वनाथ कपूर (जिला फैजाबाद)---

क्या सरकार ने पूर्वी उत्तर प्रदेश में एक विश्वविद्यालय की स्थापना का निर्णय लिया है? यदि हां, तो क्या सरकार उसे पूर्वांचल के फैजाबाद मण्डल के मुख्यालय पर खोलने पर विचार करेगी?

डाक्टर रामजीलाल सहायक---

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री विश्वनाथ कपूर---

यह देखते हुए कि फैजाबाद मंडल प्रदेश का एक बहुत ही पिछड़ा हुआ मंडल है और चूंकि प्रदेश के हर मन्डल के हेडक्वार्टर पर विश्वविद्यालय हैं, फैजाबाद मंडल के मुख्यालय फैजाबाद में विश्वविद्यालय स्थापित करने में उनको क्या कठिनाई आ रही है? वह क्यों नहीं इस पर विचार करेंगे?

डाक्टर रामजीलाल सहायक---

मान्यवर, हर मंडल में विश्वविद्यालय हैं, ऐसी बात तो नहीं है। फैजाबाद पूर्वी जिलों में पिछड़ा हुआ है, लेकिन अब तक ऐसा निर्णय नहीं हुआ है जिसमें हम वहां पर विश्वविद्यालय स्थापित करें।

श्री जगदम्बा प्रसाद (जिला फैजाबाद)---

अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी जब यह मानते हैं कि फैजाबाद डिवीजन पिछड़ा हुआ डिवीजन है, तो क्या उसको देखते हुए विचार करेंगे कि वहां पर विश्वविद्यालय स्थापित कराया जाए? इस सम्बन्ध में क्या वह योजना बनाने की कृपा करेंगे?

डाक्टर रामजी लाल सहायक---

मान्यवर, कोई विश्वविद्यालय कायम करने से पहले बहुत सी बातें देखनी पड़ती हैं। हमें देखना पड़ता है कि शासन की वित्तीय स्थिति कैसी है, तब इसका कुछ कर सकेंगे। अभी फिलहाल कोई विचार नहीं है।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)---

मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि सरकार की जानकारी में यह बात आयी है कि वहां के विधायकों ने, लोक सभा के सदस्यों ने और दूसरे नागरिकों ने सरकार से इस प्रकार की कोई मांग की कि फैजाबाद में एक विश्वविद्यालय खोला जाय? अगर हां, तो सरकार ने उस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की?

डाक्टर रामजीलाल सहायक---

जी हां, वहां एक पूर्वी क्षेत्र विकास सम्मेलन अप्रैल, १९७० में हुआ था जिसमें हमारे विधायक गण, पार्लियामेंट के सदस्य, जिला परिषद् के चेयरमैन वगैरह इकट्ठा हुए। उन्होंने शिक्षा के बारे में तीन-चार सिफारिशें कीं। उनमें विश्वविद्यालय की मांग भी है।

श्री अनन्तराम जायसवाल--

इस बात को ध्यान में रखते हुए कि फैजाबाद कमिश्नरी का क्षेत्र प्रदेश के दूसरे क्षेत्रों से बहुत पिछड़ा है और पिछड़ रहा है, तो क्या माननीय मंत्री वहां एक नया विश्वविद्यालय खोलने पर विचार करेंगे और अगर यह सम्भव नहीं है तो साकेत डिग्री कालेज में विज्ञान और दूसरे विषयों के अध्यापन के प्रश्न पर विचार करेंगे ?

डाक्टर रामजीलाल सहायक--

मैंने पहले निवेदन किया कि नया विश्वविद्यालय खोलने के लिये बहुत सी बातें सोचनी पड़ेंगी। जहां तक प्रश्न का दूसरा पहलू है, यदि वह डिग्री कालेज हम से मांग करे तो फिर हम विचार करके निर्णय कर सकेंगे।

श्री शिवकुमार पांडेय--

क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि फैजाबाद मंडल में साकेत विश्वविद्यालय नाम की कोई समिति गठित है,उसके द्वारा माननीय मंत्री जी से मांग की गई है कि फैजाबाद मंडल में विश्वविद्यालय कायम होना चाहिए, उस मांग पर कोई विचार हुआ ?

डाक्टर रामजीलाल सहायक--

मैंने अभी निवेदन किया कि वहां पूर्वी क्षेत्र विकास सम्मेलन हुआ था। उसने शिक्षा के बारे में तीन-चार सिफारिशें की थीं। (व्यवधान) उसके बाद की बात तो मेरे पास नहीं है।

श्री वीरेन्द्र वर्मा--

क्या शिक्षा मंत्री महोदय बताएंगे कि क्या यह सही है कि बरेली में एक विश्वविद्यालय स्थापित करने का प्रश्न उनके विचाराधीन है क्योंकि वहां शिक्षा संस्थाओं और विद्यार्थियों की संख्या अधिक है ?

श्री अध्यक्ष--

मैं इस प्रश्न की इजाजत नहीं दे रहा हूं।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)--

बरेली के प्रति हम लोगों को काफी सहानुभूति है।

श्री अनन्तराम जायसवाल--

बरेली के बाद आगरा का प्रश्न आयेगा और आगरा के बाद बनारस का भी आयेगा।

श्री कृष्णानन्द राय--

क्या शिक्षा मंत्री बतायेंगे कि कोठारी कमीशन ने यह रिपोर्ट दी थी कि विश्वविद्यालयों की उत्तर प्रदेश में संख्या कम है, कम से कम प्रत्येक मंडल में एक विश्वविद्यालय की स्थापना जरूर होनी चाहिए। हमारे प्रदेश में केवल तीन मंडल रह गये हैं, रुहेलखंड, फैजाबाद और झांसी जहां कोई विश्वविद्यालय नहीं है, चूंकि कोठारी कमीशन ने सिफारिश की है और फैजाबाद के सारे मेम्बरों ने मांग की है, सरकार विचार करने की कृपा करेगी कि फैजाबाद में एक यूनिवर्सिटी खोल दी जाय ?

डाक्टर रामजीलाल सहायक--

इससे पूर्व भी इस तरह के जो प्रश्न आये थे मैंने निवेदन किया कि उन सब बातों को सोचना पड़ेगा तब निर्णय ले सकेंगे। कोठारी कमीशन ने सिफारिश की है लेकिन साथ में यह भी सिफारिश की है कि प्रदेशीय सरकार अपने साधनों के औचित्य को देखते हुए करेगी। अभी एक और विश्वविद्यालय पर्वतीय क्षेत्र में खोलने जा रहे हैं। ज्यों-ज्यों क्षेत्रीय मांग होंगी अपने साधनों को देखते हुए फिर प्रबन्ध करेंगे।

उप शिक्षा निदेशक (संस्कृत) के पद का सृजन

*३—श्री शिवानन्द नौटियाल (जिला गढ़वाल)—

क्या शिक्षा मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जिस तरह सन् १९७१-७२ के बजट में उर्दू की शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिये एक डिप्टी डाइरेक्टर का पद इस कार्य के लिये अलग किया जा रहा था? क्या इसी तरह से संस्कृत की शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिये कोई योजना शासन के विचाराधीन है? यदि हां, तो वह क्या योजना है और यदि नहीं, तो क्यों नहीं?

डाक्टर रामजीलाल सहायक—

जी हां। एक उप शिक्षा निदेशक (संस्कृत) का पद सृजन करने का प्रश्न विचाराधीन है। प्रश्न नहीं उठता है।

श्री शिवानन्द नौटियाल—

क्या दिनांक ७-९-७० को केन्द्रीय संस्कृत परिषद् की कार्यकारिणी की बैठक दिल्ली में हुई थी जिसमें इस प्रदेश के भूतपूर्व शिक्षा मंत्री चतुर्भुज शर्मा जी उपस्थित हुए थे और उसमें यह निर्णय किया गया था कि इस प्रदेश में संस्कृत के लिये अलग निदेशालय बना दिया जायगा और तत्कालीन शिक्षा मंत्री ने आश्वासन दिया था लिखित रूप में तो क्या उस योजना को अब हमारी सरकार ने मान लिया है। यदि मान लिया है तो उसके लिये पृथक निदेशालय बनाने के लिये कब तक यह सरकार निर्णय लेगी?

डाक्टर रामजीलाल सहायक—

यह बात सही है कि ७ सितम्बर, १९७० को दिल्ली में केन्द्रीय संस्कृत परिषद् की कार्यकारिणी में यह प्रश्न आया था और वहां पर जिन माननीय सदस्य का नाम लिया गया है वह वहां तत्कालीन शिक्षा मंत्री के नाते सम्मिलित हुए थे और यह कह आये थे कि वह इस पर विचार करेंगे। इसीलिये यह उत्तर दिया गया है कि यह प्रश्न विचाराधीन है।

श्री शिवानन्द नौटियाल—

शिक्षा मंत्री ने अपने उत्तर में जो प्रश्न विचाराधीन रखा है वह उप शिक्षा निदेशालय खोलने के सम्बन्ध में है जब कि यह तय हुआ था कि इसके लिये पृथक संस्कृत निदेशालय खोला जायगा? तो उस निर्णय का आदर करते हुए यह सरकार प्रदेश में अलग निदेशालय बनाने के लिये कब तक निर्णय लेगी?

डाक्टर रामजीलाल सहायक—

इस प्रश्न को शिक्षा निदेशक क पास उनकी संस्तुति के लिये भेजा गया है और वहां से जब संस्तुति मिल जायगी तभी हम कोई निर्णय ले सकेंगे।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी-गढ़वाल)—

क्या यह सही है कि संस्कृत विद्यालयों का अलग से निदेशालय न होने के कारण संस्कृत पाठशालाओं के अध्यापकों को अन्य अध्यापकों के समान शैक्षिक योग्यता होते हुए भी उनको वे सुविधायें नहीं दी जातीं?

डाक्टर रामजीलाल सहायक—

शिक्षा विभाग में कई स्तर के अध्यापक ऐसे हैं जिनमें असमानतायें हैं। वेतन आयोग का गठन हो गया है उसके सामने वे सब बातें हम भेज रहे हैं और ज्योंही वित्तीय साधन अनुमति देंगे हम उस पर विचार करेंगे। यह केवल संस्कृत निदेशालय का सवाल नहीं है बल्कि हमारी आर्थिक कठिनाइयां हैं।

श्री रामगोपाल संड (जिला इलाहाबाद)--

संस्कृत निदेशालय खोलने के सम्बन्ध में सरकार विचार कर रही है। तो कब तक यह निदेशालय खुलने के सम्बन्ध में निर्णय ले लिया जायगा और किस तिथि तक ?

डाक्टर रामजीलाल सहायक--

इसकी अभी कोई तिथि तय नहीं की गयी है।

श्री रामकुमार शास्त्री--

संस्कृत में शिक्षा के महत्व को देखते हुए जिस संस्तुति का इन्तजार सरकार कर रही है उसके आ जाने का कब तक अनुमान है ?

डाक्टर रामजीलाल सहायक--

माननीय सदस्यों की रुचि को दृष्टि में रखते हुए मैं यही कहूंगा कि पुनः इसके लिये पत्र भिजवा दिया जायगा कि निदेशक महोदय जल्दी ही अपनी रिपोर्ट भेजें।

श्री शिवानन्द नौटियाल--

अपनी उदार शिक्षा नीति के कारण जब कि उर्दू के लिये कोई भी विद्यालय नहीं है तो उसके लिये सरकार ने उप शिक्षा निदेशक की नियुक्ति की घोषणा कर दी और जब कि संस्कृत में दो-तीन पाठशालायें हैं व क तथा ख श्रेणी के ८० विद्यालय हैं --उसके महत्व को समझकर तथा प्राच्य भाषा की गरिमा को समझकर, जो शिक्षा नीति का मुख्य अंग है उसके महत्व को देखते हुए क्या सरकार आश्वासन देगी कि अविलम्ब रूप से पृथक निदेशालय इसके लिये वह बनायेगी ?

डाक्टर रामजीलाल सहायक--

मैंने निवेदन किया कि शिक्षा निदेशक की संस्तुति आ जाय हमारे पास, उसके बाद हम कोई निर्णय लेंगे।

पी० सी० एस० की आपातकालीन प्रतियोगितात्मक परीक्षा के लिये निर्धारित न्यूनतम योग्यता

**४--श्री अनन्तराम जायसवाल तथा श्री मोतीलाल देहलवी (जिला कानपुर)--

क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि क्या सरकार पी० सी० एस० इक्जीक्यूटिव की कोई आपातकालीन प्रतियोगितात्मक परीक्षा प्रदेशीय लोक सेवा आयोग के माध्यम से आयोजित करने जा रही है, जिसमें अभ्यर्थियों की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता द्वितीय श्रेणी का ग्रेजुएट होना आवश्यक है और क्या द्वितीय श्रेणी का यह प्रतिबन्ध रेगुलर परीक्षाओं द्वारा भर्ती पर भी लागू है ? यदि नहीं, तो इस प्रतिबन्ध के लगाने का क्या कारण है ?

नियोजन राज्य मंत्री (श्री ओमप्रकाश सिंह)--

जी हां। शासन को काफी संख्या में डिप्टी कलेक्टरों की शीघ्र आवश्यकता है जिसके कारण डिप्टी कलेक्टरों की भर्ती के लिए लोक सेवा आयोग की एक आपातकालीन प्रतियोगितात्मक परीक्षा का आयोजन करने के लिए लिखा गया है। इसके लिए अभ्यर्थियों की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता "द्वितीय श्रेणी का ग्रेजुएट अथवा द्वितीय श्रेणी का पोस्ट ग्रेजुएट" होना आवश्यक रक्खा गया है। इस प्रकार का प्रतिबन्ध रेगुलर परीक्षाओं द्वारा भर्ती पर लागू नहीं होता, किन्तु इस आपातकालीन परीक्षा के लिये १९५७ की आपातकालीन परीक्षा की भांति, द्वितीय श्रेणी का प्रतिबन्ध इसीलिए लगाया गया है कि अभ्यर्थियों की संख्या उतनी अधिक न हो जाए कि उनके चुनाव में अनावश्यक विलम्ब हो जिससे आपातकालीन परीक्षा करने के प्रयोजन में बाधा पड़े।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

मान्यवर, इस बात को ध्यान में रखते हुये कि आई० ए० एस० की परीक्षाओं में श्रेणी की कोई कैद न हो, खाली अभ्यर्थी को स्नातक होना जरूरी है। श्रेणी में आना किसी विद्यार्थी की योग्यता का सही सूचक नहीं है। तीसरे इस बात के इमकान को पूरी तरह से रूल आउट नहीं किया जा सकता है कि तीसरी श्रेणी के लोग उसमें कामयाब नहीं हो सकते हैं। तो मंत्री जी इस चीज को ध्यान में रखते हुये श्रेणी के प्रतिबन्ध को हटा देंगे ?

श्री ओमप्रकाश सिंह—

मान्यवर, जो प्रतिबन्ध लगाया गया है वह इसलिये लगाया गया है ताकि उसमें अधिक लोग न बैठ सकें। यदि तीसरी श्रेणी के लोग उसमें बैठ जायेंगे तो अभ्यर्थियों की संख्या बहुत अधिक हो जायेगी और दूसरी श्रेणी के लोग ही बैठेंगे तो यह संख्या कम रहेगी।

श्री मोतीलाल देहलवी—

माननीय मुख्य मंत्री जी इस बात को जानते हुये कि प्रतियोगितात्मक परीक्षाओं में चूंकि हरिजन और बैकवर्ड क्लास के लोग पढ़ाई-लिखाई में बहुत कमजोर होते हैं, सफल नहीं हो पाते हैं। तो यह सर्वविदित होते हुये भी कि ये लोग इस तरह से प्रतियोगितात्मक परीक्षाओं में सफल नहीं हो पाते, क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या इसीलिये यह प्रतिबन्ध लगाया गया है कि जिससे हरिजन और बैकवर्ड क्लास के लोग इस तरह की नौकरियों में न आ सकें ?

श्री ओमप्रकाश सिंह—

मान्यवर, यह तो माननीय सदस्य के अपने विचार हैं। सरकार का कोई विचार नहीं है।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

क्या माननीय मुख्य मंत्री जी इस बात को ध्यान में रखते हुये कि संविधान का आर्टिकल १४ इस बात की इजाजत नहीं देता कि दो व्यक्तियों के बीच में भेद किया जाय। उसमें यह है कि बी० ए० की किसी भी श्रेणी में उत्तीर्ण विद्यार्थी रेगुलर परीक्षाओं में बैठ सकता है। तो मेरा प्रश्न यह है कि जो आपने श्रेणी वाला प्रतिबन्ध लगाया है वह संविधान के आर्टिकिल १४ के अन्तर्गत आपकी यह भेदभावपूर्ण नीति होगी जिसे कि कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। अतः क्या माननीय मंत्री जी इस बात पर पुनर्विचार करेंगे ?

श्री ओमप्रकाश सिंह—

मान्यवर, संविधान का आर्टिकिल १४ इसमें नहीं आता है शासन किसी भी परीक्षा के लिये कोई भी सुनिश्चित नियंत्रण लगा सकता है।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

क्या माननीय मंत्रीजी यह बताने का कष्ट करेंगे कि अभी पी० एम० टी० टेस्ट में भी मेडिकल कालेज के प्रिंसिपल्स और दूसरे लोग यह चाहते थे कि उसमें द्वितीय श्रेणी की कैद लगा दी जाय या ४५ प्रतिशत मार्क्स लाया हुआ अभ्यर्थी ही उसके लिये निश्चित किया जाय और इसके लिये उनकी यह प्ली थी कि ताकि बैठने वालों की संख्या कम हो जाय। लेकिन सरकार ने इसे नहीं माना है। तो क्या इसी तरह से यहां भी इस प्रतिबन्ध को हटाने के प्रश्न पर सरकार विचार करेगी ?

श्री ओमप्रकाश सिंह—

माननीय सदस्य को यह जानकारी हुई कि पी० एम० टी० में ऐसा हुआ है तो हम उस पर भी विचार कर लेंगे।

श्री रामधारी शास्त्री (जिला देवरिया)—

क्या माननीय मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उनको कितने डिप्टी कलेक्टरों की जरूरत है जिसके लिये आपातकालीन परीक्षा ली जा रही है? क्या उनमें से कुछ जगहें ऐसी भी हैं जो बाई-प्रमोशन भरी जायेंगी?

श्री ओमप्रकाश सिंह—

यह जो इमरजेन्सी रेक्रूटमेंट है वह ५५ स्थानों के लिये होना है।

श्री रामधारी शास्त्री—

मान्यवर, मेरा प्रश्न था कि बाई-प्रमोशन भी डिप्टी कलेक्टरों के पदों में भर्ती का इरादा आपका है?

श्री ओमप्रकाश सिंह—

मान्यवर, वैसे तो १३० स्थान हैं उनमें से २५ प्रतिशत यानी ३३ आदमी प्रमोशन के जरिये से रखे जायेंगे। कुछ आई० ए० एस० वगैरह के स्थान भी रिक्त हुये हैं जिनकी कि कुल संख्या ११० हो गई है। इसमें ५५ स्थान रेगुलर वे से भरे जायेंगे और ५५ स्थान इमर्जेन्सी रेक्यूटमेंट के द्वारा भरे जायेंगे।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

यह जो पिछला रेगुलर इग्जामिनेशन हुआ है वह कितने अभ्यार्थियों की भर्ती के लिए हुआ था? आपने कहा कि ५५ के लिए होने जा रहा है तो पिछला रेगुलर एग्जामिनेशन कितने व्यक्तियों का लिया गया?

श्री ओमप्रकाश सिंह—

जैसी कि मेरे पास सूचना है ५५ स्थानों का रेगुलर हुआ।

एक सदस्य—

१३० स्थानों में रिजर्व शेड्यूल कास्ट के लिए कितने स्थान हैं?

श्री ओमप्रकाश सिंह—

शेड्यूल कास्ट्स के लिए तो १८ प्रतिशत कोटा फिक्स्ड है।

श्री हिम्मत सिंह (जिला बुलन्दशहर)—

इस बात को देखते हुए कि आपातकालीन प्रतियोगिता जो कर रहे हैं उसमें भी ५५ का कर रहे हैं और रेगुलर में भी ५५ हैं, तो फिर ये नाम क्यों रख रखे हैं, क्यों नहीं सब को छूट दे देते हैं इसमें?

श्री ओमप्रकाश सिंह—

आपातकालीन परीक्षा और रेगुलर परीक्षा में फर्क यह है कि रेगुलर में तो २१ साल से २५ साल के व्यक्ति लिये जाते हैं और ला ग्रेजुएट्स लिये जाते हैं, पर आपातकालीन स्थिति में अनुभवी लोगों को जो २५ साल से ४५ साल तक की आयु के हैं उनके लिए भी मौका दिया जा रहा है। तो उससे हमको अनुभवी व्यक्ति मिल सकते हैं, इसलिए आवश्यकता है फर्क करने की।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली १९५८ के नियम २९ (४) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

होटल क्लार्क अवध, लखनऊ के निर्माण हेतु सरकारी भूमि पट्टे पर देना

*१—श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)—

क्या सरकार बतायेगी कि लखनऊ शहर में महात्मा गांधी मार्ग पर होटल क्लार्क अवध को सरकारी भूमि सस्ते दर पर दी गई है ? यदि हां, तो क्यों ? यदि नहीं, तो दी गई भूमि का बाजार मूल्य और क्षेत्रफल क्या है और उसे कितने में दी गई है ?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री धर्मदत्त वैद्य)—

जी नहीं, सस्ते दर पर भूमि नहीं दी गई है। दी गई भूमि का क्षेत्रफल बीघा ४—१६—१०—४ (लगभग १,३१,३७४ वर्ग फीट) है उसका पट्टा चार लाख रुपया नजराना तथा २६,००० रुपये वार्षिक किराये पर ३० वर्ष की अवधि के लिये एक आधुनिक होटल निर्माण हेतु दिया गया है। ३० वर्ष को दो अनुवर्ती अवधियों के लिए ५० प्रतिशत तक वार्षिक किराये में वृद्धि करके पट्टे का नवीनीकरण भी किया जायेगा।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि यह भूमि कब दी गयी और उस समय के जिलाधीश, लखनऊ ने भूमि का मूल्यांकन कितना करके भेजा था ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—

यह २७ मई, १९७० को भूमि दी गयी तथा पट्टे की रजिस्ट्री की गई। इसका जो बाजार भाव है जिसका कि निर्णय एक समिति ने लिया था उसमें जो होटल के प्रबन्धक थे उन्होंने प्रार्थना-पत्र दिया था कि हमको यह भूमि ७९,४५० रुपया नजराना और ३,९७७ रुपया प्रतिवर्ष किराये पर दी जाय चूंकि आगरे में डिफेंस मिनिस्ट्री से हमने इसी मूल्य पर यह जमीन ली है। इस पर एक मीटिंग हुई और निर्णय हुआ कि इनको इस रेट पर यह जमीन दी जाय।

श्री अध्यक्ष—

जिला मजिस्ट्रेट ने क्या कीमत लगायी, यह भी बता दीजिये।

श्री धर्मदत्त वैद्य—

जिलाधीश ने क्या इसका मूल्यांकन किया, इसकी सूचना तो मेरे पास नहीं है।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि तत्कालीन स्वायत्त शासन मंत्री श्री रूपनाथ यादव ने इस सम्बन्ध में तत्कालीन मुख्य मंत्री को इस पट्टे के कैंसिल किये जाने की सिफारिश की थी ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—

ला-विभाग से परामर्श करने के बाद यह निश्चय लिया गया कि पट्टा कैंसिल नहीं किया जा सकता।

श्री नित्यानन्द स्वामी--

क्या माननीय मंत्री इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इस विषय में काफी सन्देह है कि किस प्रकार से भूमि दी गयी है, क्या इसकी जांच कराने की कृपा करेंगे ?

श्री धर्मदत्त वैद्य--

श्रीमन्, सन्देह का कोई प्रश्न नहीं उठता। जब यह निर्णय लिया गया कि किस मूल्य पर भूमि दी जाय तो मुख्य सचिव, स्वायत्त शासन सचिव, पर्यटन सचिव ने मीटिंग में निर्णय लिया और मंत्रिपरिषद् में पुनः रखा गया। मंत्रि परिषद् की स्वीकृति से पट्टा किया गया। अतः सन्देह का कोई कारण नहीं है।

श्री शम्भूनाथ चौधरी--

श्रीमन् यह नजूल की भूमि है और इसका नियम केवल नीलाम पर देने का है, फिर पट्टे पर कैसे दी गई ?

श्री धर्मदत्त वैद्य--

श्रीमन्, विशेष परिस्थिति में मंत्रि-परिषद् निर्णय ले सकता है कि भूमि पट्टे पर दी जाय या नीलाम की जाय।

श्री कन्हैयालाल (जिला मथुरा)--

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इस भूमि का पट्टा कब किया गया और उस समय कौन सज्जन मुख्य मंत्री तथा स्वायत्त शासन मंत्री थे ?

श्री धर्मदत्त वैद्य--

श्रीमन्, मैंने निवेदन किया कि इसका पट्टा २७ मई, १९७० को रजिस्ट्री किया गया और मुख्य मंत्री का नाम तो माननीय सदस्य जानते ही हैं।

श्री वीरेन्द्र वर्मा--

मान्यवर, मैं मंत्री जी का नाम पूछ रहा हूं।

श्री धर्मदत्त वैद्य--

मान्यवर, २७ मई, १९७० को जो स्वायत्तशासन मंत्री होंगे, माननीय मित्र जानते होंगे, वही होंगे।

श्री विश्वनाथ कपूर--

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि वह कौन-सी विशेष परिस्थिति थी जिसमें नीलाम का निर्णय नहीं लिया गया ?

श्री धर्मदत्त वैद्य--

श्रीमन्, लखनऊ में अच्छे होटल का बड़ा अभाव है और यहां काफी पर्यटक आते हैं, इसलिये अच्छे होटल की आवश्यकता है। और इसीलिये इसको बनाने के लिये निर्णय लिया गया।

श्री वीरेन्द्र वर्मा--

क्या यह सही है कि जिलाधिकारी ने इस भूमि का मूल्यांकन ७ लाख रुपये किया था और यह ४ लाख रुपये में दी गई है ? तो सरकार को इतना बड़ा नुकसान एक व्यक्ति को जमीन देने में हुआ है, उस पर पुनः विचार करने की कृपा करेंगे ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—

श्रीमन्, इसम सरकार को तो कोई नुकसान नहीं हुआ है। इसका ११० हजार रुपया वार्षिक किराया था उसको २६ हजार रुपया कर दिया गया है। इससे लाभ हुआ है और हानि का कोई प्रश्न नहीं उठता है।

श्री शंकरप्रसाद जायसवाल (जिला वाराणसी)—

श्रीमन् इस प्रश्न में लिखा है कि दी गई भूमि का क्षेत्रफल क्या है और उसका मूल्य क्या है। उसका जवाब मंत्री जी ने नहीं दिया है।

श्री धर्मदत्त वैद्य—

श्रीमन्, बाजार मूल्य निकट की जमीन से लगाया जाता है और इसके निकट की जो जमीन सिनेमा के लिये दी गई है उसका मूल्य ५ रुपये २५ पैसे प्रति फीट है जो इससे कम होता है। इसके मूल्य के आंकने का एक ही तरीका है।

मलेरिया विभाग, गोरखपुर के निलम्बित कर्मचारी को चार्जशीट न मिलना

*२—श्री राम गोपाल सण्ड, श्री निहाला सिंह तथा श्री अमरनाथ दूबे (जिला वाराणसी)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मलेरिया विभाग की यूनिट गोरखपुर (तार्थ) के कितने कर्मचारी निलम्बित हैं? क्या उन कर्मचारियों को अब तक चार्जशीट दी गई? यदि नहीं तो क्यों?

स्वास्थ्य राज्य मंत्री (श्री प्रेमचन्द्र शर्मा)—

तीन सम्बन्धित कर्मचारियों को चार्जशीट अब तक नहीं दी गई है क्योंकि इनके विरुद्ध जांच पूरी नहीं हुई है।

श्री राम गोपाल सण्ड—

मान्यवर, मंत्री जी ने बताया कि तीन कर्मचारी निलम्बित हैं तो वे कब से हैं और कब तक उनको चार्जशीट दे दी जायेगी?

श्री प्रेमचन्द्र शर्मा—

ये कर्मचारी नवम्बर, १९६९ से निलम्बित हैं और कुछ एक जून, १९७० से हैं।

श्री रामगोपाल संड—

मान्यवर, ऐसा लगता है कि इन कर्मचारियों के खिलाफ कोई चार्ज नहीं है। तो क्या मंत्री जी इस बात का आश्वासन देंगे कि दो हफ्ते में जांच पूरी करवा कर इनको चार्ज शीट दी जायेगी और उनको बहाल किया जायगा?

श्री प्रेमचन्द्र शर्मा—

माननीय सदस्यों ने जैसा कहा है, चार्ज बहुत गम्भीर हैं। डेढ़ लाख रुपये की डी० डी० टी० चुराई गई है। इसके अलावा भ्रष्टचार तथा गाड़ी के दुरुपयोग के भी चार्जेज हैं। अनैतिकता के भी चार्जेज हैं। इन सब बातों को डायरेक्टर ने देखा और कर्मचारियों को निलम्बित किया। उसके बाद सचिवालय में फाइल भेजी गयी। यहां और भी लोगों को दोषी पाया गया और उनको निलम्बित किया गया या हटाया गया। इस समय सी० आई० डी० की क्राइम ब्रांच इसकी जांच कर रही है। उसकी रिपोर्ट आने पर चार्जशीट दी जायगी?

श्री रामगोपाल संड---

जब डेढ़ लाख रुपये का गबन है तो चार्ज शीट जरूर दी जानी चाहिये थी। चार्जशीट दी जाती और निकाल दिया जाता तो मुझे कोई ऐतराज न होता। मैं किसी भ्रष्ट कमचारी का साथ नहीं देता। मेरा प्रश्न यही है कि ३ वर्ष से चार्जशीट क्यों नहीं दी गयी ?

श्री प्रेमचन्द्र शर्मा---

इसलिये नहीं दी गयी कि अभी सी० आई० डी० इसमें जांच कर रही है।

श्री रामकरन सिंह (जिला गोरखपुर)---

जब सारे कर्मचारियों का एक गैंग था तो फिर कुछ कर्मचारियों को तो निकाल दिया गया है और कुछ को केवल सस्पेंड ही क्यों किया गया है ?

श्री प्रेमचन्द्र शर्मा---

एक कर्मचारी जो अस्थायी था, उसको नोटिस देकर निकाल दिया गया। बाकी के खिलाफ बाकायदा कायवाही की जा रही है ?

श्री कल्पनाथ सिंह---

इनमें राजपत्रित कर्मचारी कितने हैं और उनके खिलाफ क्या-क्या कार्यवाही हो रही है ?

श्री प्रेमचन्द्र शर्मा---

उनमें से एक डाक्टर था, जो अस्थायी था, उसको निकाल दिया गया है। एक सर्वेलेंस इंस्पेक्टर था, २ हाउस विजिटर, एक असिस्टेंट यूनिट आफीसर था--इसकी ठीक जानकारी नहीं ह (अराजपत्रित) कदाचित् वह राजपत्रित था।

श्री गोविन्द सिंह नेगी---

जब इतने गम्भीर चार्जेज हैं तो फिर मामला पुलिस को देकर उन पर मुकदमा क्यों नहीं चलाया जाता है ?

श्री प्रेमचन्द्र शर्मा---

मामला पुलिस में दिया हुआ है। सी० आई० डी० क्राइम ब्रांच इसकी जांच कर रही है।

(उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली १९५८ के नियम ३८ (२) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न)

विकास खंड कसया, जिला देवरिया के ग्रामों में फर्जी नल कूपों की बोरिंग के पेमेंट की जांच

*१---श्री बांकेलाल (जिला देवरिया) तथा श्री रामधारी शास्त्री---

क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देवरिया जिले के कसया विकास खण्ड के अन्तगत भटवलिया, नुनियापट्टी, घबरहटा, खदही, मटिहनिया, सुमही, बुजहग आदि विद्यालयों में नलकूप अभी नहीं लगे हैं किन्तु उनकी बोरिंग आदि कागज में फर्जी तौर पर पूर्ण दिखा कर वित्तीय वर्ष १९७०-७१ में उनका पेमेंट कराया जा चुका ह ? यदि हां तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रही ह ?

सामुदायिक विकास राज्य मंत्री (श्री गोपीनाथ दीक्षित)—

देवरिया जिले के कसया विकास खण्ड के अन्तर्गत वर्ष १९७०–७१ में भटवलिया, नौनियापट्टी, घोरहरा, खदही, भटहनिया, सुमही बुजुर्ग, पचरूखिया, तथा चौरा खास गांव के विद्यालयों में नलकूपों के निर्माण हेतु बोरिंग का कार्य अभी तक पूरा नहीं हुआ है परन्तु यह सही है कि वित्तीय वर्ष १९७०–७१ में कुछ धन का भुगतान कराया जा चुका है। जिला नियोजन अधिकारी, देवरिया द्वारा मामले की जांच कराई जा रही है।

श्री रामधारी शास्त्री—

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि कुल कितना धन ७०–७१ में भुगतान किया गया है ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित—

११,२८१ रुपये का भुगतान किया गया है।

श्री रामधारी शास्त्री—

इन कामों के लिये कुल कितना धन खर्च होना था और जो यह भुगतान कर दिया गया वह क्यों किया गया जब कि अभी बोरिंग शुरू भी नहीं हुई है ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित—

इन योजना में २० हजार रुपया खर्च होना था। उसमें से जैसा मैंने अभी विवेदन किया ११,२८१ रुपये का भुगतान कर दिया गया है।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

बोरिंग शुरू किये बगैर ही यह भुगतान क्यों किया गया ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित—

मान्यवर, जो सूचना उपलब्ध है उसके अनुसार कार्य शुरू तो हो गया है, लेकिन अभी पूरा नहीं हुआ है।

श्री रामधारी शास्त्री—

क्या मंत्री जी को इस बात की जानकारी है कि किस फर्म को यह ११ हजार रुपये दिये गये और क्या यह भी बतायेंगे कि जब साढ़े ९ रुपये फुट के हिसाब से पाइप का दूसरे लोगों ने टेन्डर दिया था तो १५ रुपये के हिसाब से ठेका क्यों दिया गया ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित—

जिस फर्म को ठेका दिया गया उसका नाम मेसर्स प्रताप मशीन्स, देवरिया है, लेकिन टेन्डर इससे ज्यादा के आये थे इसकी सूचना नहीं है।

श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा)—

मंत्री जी ने कहा कि इसकी बोरिंग आदि फर्जी तौर से दिखायी गयी है। तो जिन लोगों ने फर्जी तौर से बोरिंग दिखायी उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित—

जिला नियोजन अधिकारी द्वारा जांच करायी जा रही है।

श्री बांके लाल--

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इस प्रकार की गलत भुगतान कराने के दोषी कौन-कौन अधिकारी हैं ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित--

जब जांच हो रही है तो अभी तक दोष किन का है यह बात तो आयी नहीं है।

श्री दीपनारायण मणि त्रिपाठी--

यह भुगतान जिला नियोजन अधिकारी और बी० डी० ओ० के द्वारा किया गया और दोनों का इसमें हाथ था और जांच करा रहे हैं जिला नियोजन अधिकारी से। तो क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके किसी और अधिकारी से जांच करायेंगे जिससे तथ्य सामने आ सके ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित--

यह कार्य जिस ब्लाक द्वारा हुआ और उस समय जो बी० डी० ओ० और दूसरे अधिकारी थे उनके सम्बन्ध में पूरी जांच अभी तक जिला नियोजन अधिकारी कर रहे थे और उनकी रिपोर्ट आ जाने के बाद यदि वह सन्तोषजनक नहीं होगी तो दूसरे अधिकारी से जांच कराने का प्रश्न पैदा होगा।

कुंवर चन्द्र प्रताप नारायण सिंह (जिला देवरिया)--

जिस फर्म ने यह सप्लाई किया था क्या मंत्री जी उस फर्म को ब्लैकलिस्ट करेंगे ? और यह जो पैसे का भुगतान किया गया तो उसका कम्प्लीशन सार्टिफिकेट किस अधिकारी ने दिया ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित--

बी० डी० ओ० ने कार्य पूरा होने का प्रमाण-पत्र दिया और जिस फर्म को रुपया दिया गया उसमें दोष किस का है यह रिपोर्ट आ जाने के बाद ही उसे ब्लैकलिस्ट करने का सवाल उठेगा।

श्री चेतराम गंगवार (जिला बरेली)--

जिस दोषी अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही का आश्वासन मंत्री जी ने दिया है क्या वह कार्य कर रहे हैं ? यदि हां, तो क्या उन्हें फौरन सस्पेंड करने के बाद इन्क्वायरी कराने का आदेश करेंगे ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित--

मैंने जैसा पहले निवेदन किया, पूरे मामले की जांच अभी हो रही है और जो बी० डी० ओ० प्रश्नगत समय में थे वह इस समय वहां कार्य नहीं कर रहे हैं।

श्री अनन्तराम जायसवाल--

मंत्री जी ने खुद स्वीकारा है कि काम पूरा नहीं हुआ और आपकी यह भी स्वीकारोक्ति है कि बी० डी० ओ० ने कम्प्लीशन सार्टिफिकेट दे दिया, तो आप को बी० डी० ओ० के खिलाफ कार्यवाही करने में क्या आपत्ति है ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित--

इस कार्य की सारी कार्यवाही की जांच हो रही है। जिन लोगों का दोष सिद्ध हो जायगा उनके विरुद्ध कार्यवाही की जायगी।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि जिस बी० डी० ओ० ने कम्प्लीशन सार्टिफिकेट दिया उनके खिलाफ कार्यवाही करने में आप को क्या आपत्ति रही ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित—

मैंने प्रारम्भ में ही प्रश्न के उत्तर में कह दिया कि मामले की जांच हो रही है। यह प्रश्न अभी नोटिस में आया है। जिस अधिकारी के विरुद्ध दोष पाया जायगा उसको अवश्य निलम्बित किया जायगा और दोष सिद्ध होने पर कठोर से कठोर कार्यवाही की जायगी।

श्री हिम्मत सिंह—

क्या मंत्री जी इस प्रकार की कार्यवाही को देखते हुये कि सारे के सारे इस प्रकार के निर्माण कार्यों में घपला होता है इस मामले को पुलिस के सिपुर्द क्यों नहीं कर देते जिससे आगे किसी को खराब कार्य करने का अवसर न मिले ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित—

यह आपका मामला मार्च का है। इस बीच प्रश्न के संबंध में जो सूचना हमारे पास आई उसमें फिर से जांच कराने की आवश्यकता समझी गई। अब उसकी जांच शीघ्र से शीघ्र करा कर दोषी अधिकारी और कर्मचारियों के खिलाफ निश्चय ही कार्यवाही की जायगी।

श्री शिवराज सिंह (जिला बदायूं)—

क्या माननीय मंत्री जी उस डी० पी० ओ० के खिलाफ कार्यवाही करेंगे जिन्होंने दोषी बी० डी० ओ० के खिलाफ कार्यवाही नहीं की ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित—

अवश्य करेंगे।

श्री रामधारी शास्त्री—

मैं यह जानना चाहता हूं कि इस २२ हजार में से ११ हजार बी० डी० ओ० ने गलत सार्टिफिकेट देकर ले लिया और उसकी ताईद उस जमाने के डी० पी० ओ० कर रहे हैं कि मामला दबा दिया जाय और फर्जी सार्टिफिकेट लिखा कर काम पूरा दिखा दिया जाय। तो मेरी सूचना को सही मान कर क्या मंत्री जी तुरन्त यहां से कोई आदमी भेज कर जांच करायेंगे और बी० डी० ओ० को मुअत्तल करेंगे ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित—

मैंने अपने उत्तर में कहा कि मामले की जांच की जा रही है और बी० डी० ओ० के खिलाफ यहां से अधिकारी भेज कर जांच करा ली जायगी।

श्री राजित राम पांडेय (जिला इलाहाबाद)—

मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि यह जो ११ हजार रुपये का गलत पेमेन्ट हो गया उस समय कौन मंत्री था और आज तक उस पर कार्यवाही क्यों नहीं हुई ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित—

यह मामला इस सरकार के जमाने का नहीं है।

तारांकित प्रश्न

स्वास्थ्य तथा चिकित्सा विभाग के निदेशक के पद पर योग्यता के आधार पर नियुक्ति

*१—श्री रामगोपाल सण्ड—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के स्वास्थ्य तथा चिकित्सा विभाग के निदेशक के पद पर अब कौन सज्जन हैं? क्या उनकी नियुक्ति करते समय सरकार ने वरिष्ठता सूची का ध्यान रखा था? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री प्रेमचन्द्र शर्मा—

डाक्टर डी० एन० शर्मा इस समय स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग के निदेशक के पद पर हैं। इस पद पर जब उनका चयन कुछ वर्ष पूर्व हुआ था तो उस समय योग्यता (Merit) तथा ज्येष्ठता दोनों का ही ध्यान रखा गया था।

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)—

दोनों सरकार के मालिक पांडेय जी ही हैं।

श्री राम गोपाल संड—

जब मंत्री जी उत्तर में कहते हैं कि उनकी ज्येष्ठता, वरिष्ठता और योग्यता के आधार पर रखा गया था, तो वह कौन से कारण थे कि उनको बीच में हटा दिया गया था?

श्री प्रेमचन्द्र शर्मा—

उनको कभी नहीं हटाया गया।

आयुर्वेदिक स्नातक को मेडिको लीगल अधिकार सम्बन्धी उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध शासन द्वारा स्टे आर्डर लेना

*२—श्री शिवानन्द नौटियाल—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि उच्च न्यायालय, इलाहाबाद ने जो यह निर्णय दिया है कि मिश्रित-कोर्स से पास जो आयुर्वेदिक के स्नातक हैं उनको भी मेडिको-लीगल अधिकार दिये जाने चाहिये? वह निर्णय किस तिथि से राज्य सरकार ने लागू किया है?

श्री प्रेमचन्द्र शर्मा—

इस मामले से सम्बन्धित सिविल मिसलेनियस रिट संख्या ३१५८ १९६८ में उच्च न्यायालय ने जो निर्णय दिया है उसके विरुद्ध शासन ने उच्च न्यायालय में स्पेशल अपील दायर कर रखी है। उक्त रिट में दिये गये निर्णय के सम्बन्ध में शासन ने उच्च न्यायालय से स्टे आर्डर भी प्राप्त कर लिया है।

*३—श्री शिवानन्द नौटियाल—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री कृपा करके उक्त निर्णय की †प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे?

श्री प्रेमचन्द्र शर्मा—

उपरोक्त रिट में दिये गये निर्णय की †प्रतिलिपि संलग्न है।

---

†छापी नहीं गयी।

श्री शिवानन्द नौटियाल--

क्या स्वास्थ्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जबकि मेडिकल जूडिसप्रूडेंस के अनुसार सिविल सर्जन ही एम० बी० बी० एस० और आयुर्वेदिक कालेजों के विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं तो क्या कारण है कि केवल एम० बी० बी० एस० को ही यह अधिकार दिये गये हैं और आयुर्वेदिक स्नातकों को उस अधिकार से वंचित रखा गया है ?

श्री प्रेमचन्द्र शर्मा--

इस सम्बन्ध में सरकार की ओर से उनको यह अधिकार देने के लिये एक कमेटी मुकर्रर की गई थी जिस में एल० आर०, आई० जी० पुलिस, और डायरेक्टर मेडिकल भी थे और उस कमेटी ने निर्णय किया कि अभी उन लोगों को वह कुशलता प्राप्त नहीं है कि उनको मेडिको लीगल राइट्स दिये जा सकें ।

श्री शिवानन्द नौटियाल--

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिस कमेटी का अभी उन्होंने जिक्र किया है उस कमेटी में कौन-कौन से अधिकारी आयुर्वेदिक साइड के थे और वह कितने थे ?

श्री प्रेमचन्द्र शर्मा--

उस कमेटी में डायरेक्टर आयुर्वेदिक भी थे ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी--

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि मेडिको लीगल प्रेक्टिस के लिये क्या-क्या शैक्षिक योग्यता रखी गई है ?

श्री प्रेमचन्द्र शर्मा--

उनको इसके लिये पर्याप्त अनुभव की आवश्यकता होती है ।

श्री नित्यानन्द स्वामी--

मंत्री जी योग्यता के बजाय अनुभव आधार बता रहे हैं । तो क्या इन आयुर्वेद के स्नातकों को किसी निश्चित अवधि के बाद इन अधिकारों को देने पर वह विचार करेंगे ?

स्वास्थ्य मंत्री (डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी)--

मेडिको लीगल, प्रेक्टिस के लिये जितने एम० बी० बी० एस० डाक्टर हैं उनकी अर्हता इसके लिये मानी जाती है । जहां तक आयुर्वेदिक शिक्षा का सवाल है ऐसा माना जाता है कि सर्जरी के या चीरफाड़ के काम के लिये उनको इस प्रकार की पूरी योग्यता का अनुभव नहीं होता, वह मुख्यत: फिजिशियन होते हैं और जो बीमार उनके पास जाते हैं उनका वह इलाज करते हैं। इस मान्यता के आधार पर ही मेडिको लीगल प्रेक्टिस के लिये आयुर्वेदिक स्नातकों को उपयुक्त नहीं समझा गया यद्यपि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जजमेंट उनके हक में दिया है और उस पर सरकार स्पेशल अपील में गई हुई है । लेकिन एक्सपर्ट कमेटी की राय वही है कि वह उसके योग्य नहीं हैं । और इसलिये यह राइट उनको नहीं दिया गया है ।

श्री नित्यानन्द स्वामी--

श्रीमन्, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । अब २ मंत्रियों के २ उत्तर हो गये । माननीय राज्य मंत्री जी ने कहा कि अनुभव के आधार पर दिया जाता है और माननीय मंत्री जी ने कहा कि योग्यता के आधार पर अधिकार दिया जाता है मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या दोनों मंत्रियों के बीच में परस्पर विरोध है और कौन-सा उत्तर सही है ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी--

जो कहा गया है, वे दोनों ही उत्तर सही हैं। इसके लिये एम० बी० बी० एस० तो एसेन्शियल क्वालिफिकेशन्स हैं बाकी अनुभव भी देखे जाते हैं। जो एम० बी० बी० एस० डाक्टर्स हैं उनको ट्रेनिंग के बाद देते हैं लेकिन उनमें भी हम चयन करके ही देते हैं।

श्री गोविन्द सिंह नेगी--

माना कि दोनों ही उत्तर सही हैं अनुभव के आधार पर और एम० बी० बी० एस० की डिग्री के आधार पर लेकिन जो एम० बी०बी०एस० डाक्टर हैं, उनको यह अधिकार पहले से ही प्राप्त थे ?

श्री प्रेम चन्द्र शर्मा--

जी हां, एम० बी० बी० एस० को मेडिको-लीगल अधिकार दिये जाते हैं लेकिन वह भी उनके हैं जिनका चयन हो जाता है, सब को नहीं। उनमें से कुछ ऐसे भी व्यक्ति हैं जिनको ये अधिकार नहीं हैं। जहां तक एम० बी० बी० एस० का अधिकार का प्रश्न है, क्वालिफिकेशन तो होना ही है लेकिन साथ में अनुभव भी देखा जाता है, इस काम को करने के लिये।

श्री अनन्तराम जायसवाल--

आयुर्वेदिक स्नातकों को जो शिक्षा दी जाती है, उसमें सर्जरी का कोर्स भी शामिल है लेकिन जो एम० बी० बी० एस० होते हैं, उनमें किसी को कोई कैद नहीं है, जैसे ही उन्होंने परीक्षा पास की, मेडिकल केसेज को देखने का अधिकार मिल जाता है, यह माननीय मंत्री जी को पता है या नहीं ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी--

हां, पता है और एम०बी०बी० एस० जो डाक्टर हैं, उनको यह अधिकार मिला हुआ है और आयुर्वेदिक जो स्नातक हैं इसके लिये मांग कर रहे हैं। वे इसलिये हाई कोर्ट तक गये हैं। लेकिन सर्जरी वगैरह का जितना ज्ञान होना चाहिये, वह उनको पर्याप्त नहीं समझते। इसी-लिये सरकार ने यह निर्णय लिया है कि यह अधिकार उन्हें न दिया जाय।

श्री दीपनारायण मणि त्रिपाठी--

श्रीमन्, आयुर्वेद की निश्चित प्रणाली है और उतनी ही सदस्य है जितनी एम० बी० बी० एस० की। तो शिक्षा में २ तरह की व्यवस्था नहीं कर रहे हैं, अगर ऐसा है तो उसके लिये नये ढंग से कोई निश्चित व्यवस्था कर दें जिससे उनको भी यह अधिकार मिल जाय ?

श्री प्रेमचन्द्र शर्मा--

श्रीमन्, प्रश्न स्पष्ट नहीं हो सकता है ?

श्री दीपनारायण मणि त्रिपाठी--

श्रीमन्, मैं यह कह रहा था कि आयुर्वेदिक एक निश्चित प्रणाली है। जो आयुर्वेदिक के स्नातक हैं और जो एम० बी० बी० एस० के स्नातक हैं, उनको अलग अलग २ तरह की शिक्षा दी जाती है। तो क्या सरकार इस बात पर पुनर्विचार करेगी कि जिससे जो आयुर्वेद के स्नातक हैं, उनको भी मेडिको लीगल अधिकार दिये जा सकें और कोई भेदभाव न रखा जाय ?

श्री अध्यक्ष--

मुझे तो अब भी इनका प्रश्न स्पष्ट नहीं है पर यदि माननीय मंत्री जी ने सुना हो तो उत्तर दे दें ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

जैसा सदन ने सुना, वैसे ही मैंने भी सुना। मेरा निवेदन है कि माननीय सदस्य के प्रश्न का मैं पहले ही उत्तर दे चुकी हूं। हमारी जो एक्सपर्ट कमेटी बैठी है, उसने इस चीज को नहीं माना। हमारे जो आयुर्वेदिक स्नातक हैं, जिनको केवल थोड़ी बहुत प्राइमरी मोडर्न एनीटोमी वगैरह की शिक्षा दी जाती है, यही योग्यता नहीं रखते हैं जैसी कि एम०बी०बी०एस० के स्नातकों को होती है जिससे वे जटिल केसेज को नहीं कर सकते हैं इसीलिये यह निर्णय हो चुका है कि उन्हें ये अधिकार न दिये जांय।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

चोटों का निरीक्षण और यहां तक कि पोस्ट मार्टम में भी उतना टकनीक नहीं है जितना माननीय मंत्रीजी मान रही हैं क्योंकि जो फ्रेश मेडिकल ग्रेजुयेट होते हैं, उनको इसका मौका मिल जाता है। यहां का जो वकील होता है, खाली किताबों को पढ़कर, रगड़ कर, इसका ज्ञान कर लेता है तो मैं समझता हूं कि इस चीज को ध्यान में रखकर क्या आप आयुर्वेदिक स्नातकों को यह मौका देंगे ?

श्री प्रेमचन्द्र शर्मा—

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस समय यह तमाम मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट के विचाराधीन है और इसमें गवर्नमेन्ट ने जवाबी अपील दायर की हुई है। उसके निर्णय का इन्तजार कर रहे हैं, फिर विचार करेंगे।

टी० बी० अस्पताल बस्ती की जीप का खराब होना

*४—श्री सुखपाल पांडेय (जिला बस्ती) तथा श्री राम करन सिंह—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जिले के टी०बी० अस्पताल में कितनी जीपें हैं जो जीप अस्पताल में हैं उनमें से क्या कोई जीप खराब है ? यदि हां, तो कितने दिनों से ? ३१ मार्च, १९७१ तक उसे ठीक करने की क्या-क्या कार्यवाही की गई ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

टी० बी० क्लीनिक, बस्ती में दो जीपें हैं। उनमें से एक २६-११-७० से खराब है। गाड़ी का एक पुर्जा जो खराब हो गया था वह प्रयत्न करने पर भी उपलब्ध नहीं हो सका। जब तक जीप ठीक नहीं हो जाती, तब तक एक अतिरिक्त जीप दे दी गई है।

मंत्री गन्ना सहकारी संघ, लिमिटेड लखनऊ के प्रस्ताव के आधार पर बभनान गन्ना समिति की सिंचाई योजना के सम्बन्ध में समिति का निर्माण

*५—श्री सुखपाल पांडेय तथा श्री राम करन सिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेंगी कि गन्ना सहकारी संघ लिमिटड, लखनऊ, उत्तर प्रदेश के प्रदेशीय कमेटी ने अपने प्रस्ताव संख्या ७ (२) दिनांक १८ नवम्बर, १९६८ द्वारा बभनान गन्ना समिति की सिंचाई योजना के ऋण से मुक्त कराने के लिये एक कमेटी का निर्माण करने का निश्चय किया था ? यदि हां, तो अब तक उक्त नव-निर्मित कमेटी द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

नोटः—तारांकित प्रश्न संख्या ३ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

कृषि मंत्री (डाक्टर सीताराम)—

जी हां। उप समिति ने अपनी रिपोर्ट तैयार करके इसे गन्ना आयुक्त एवं निबन्धक सहकारी गन्ना विकास समितियां राज्य सरकार एवं भारत सरकार के पास आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित कर दिया है।

*६—श्री राम गोपाल संड—

[७वें सोमवार में तारांकित प्रश्न संख्या ५ के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

कुमायूं एवं उत्तराखंड डिवीजन के अन्तर्गत विकास खंड द्वारा लघु सिचाई के ऋण पर छूट

*७—श्री इन्द्रलाल (जिला नैनीताल)—

क्या पंचायती राज मन्त्री कृपया बतायेंगे कि कुमायूं एवं उत्तराखण्ड डिवीजनों के अन्तर्गत विकास खन्ड द्वारा कृषकों को लघु सिंचाई के लिये दिये गये ऋण की उपयोगिता पर शासन द्वारा कितने परसेन्ट की छूट दी जाती है और कितने परसेन्ट वार्षिक इन्ट्रेस्ट ऋण पर लगाया गया है ?

डाक्टर सीताराम—

सूचना संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ४०२ पर)

हरदोई जिले में चेचक से मौत

*८—श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि हरदोई जिला व शहर में चेचक का भयानक प्रकोप है जिसके फलस्वरूप २ हजार मौतें हो चुकी हैं ? यदि हां, तो सरकार ने इसके रोकथाम के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

जी हां, शासन को यह जानकारी है कि हरदोई जिले में अक्तूबर, १९७० से १५ जून, १९७१ तक चेचक का प्रकोप रहा परन्तु यह प्रकोप हरदोई शहर में नहीं था। विभागीय सूचना के अनुसार १५ जून, १९७१ तक केवल १९६ मौतें हुई। चेचक के टीका लगाकर जो कि बीमारी को रोकने का एक मात्र उपाय है, बीमारी पर काबू पा लिया गया है और १६ जून, १९७१ के पश्चात् किसी नये व्यक्ति के बीमार होने की सूचना नहीं मिली है। कुल १,८०,५८१ टीके लगाये गये।

जिला परिषद् के भूतपूर्व अध्यक्षों की अनियमितता के विरुद्ध जिलाधिकारी शाहजहांपुर का पत्र

*९—श्री सुरेन्द्र विक्रम—

क्या सरकार को पता है कि जून, १९७० में जिलाधिकारी, शाहजहांपुर ने जिला परिषद् के भूतपूर्व अध्यक्षों द्वारा की गई अनियमितताओं और गबन किये जाने के विषय में सरकार को पत्र भेजा था ? यदि हां, तो उस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

सामुदायिक विकास मंत्री (श्री बल्देव सिंह आर्य)—

प्रश्नगत माह में जिलाधिकारी शाहजहांपर से कोई ऐसा पत्र शासन को प्राप्त नहीं हुआ था और न जिलाधिकारी ने भेजा ही था।

*१०–११—श्री नौनिहाल सिंह—

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया।]

नजूल प्लाटों के अनियमित रूप से किये गये पट्टे

*१२—श्री इन्द्रलाल—

विधान सभा की बैठक दिनांक ८ दिसम्बर, १९७० को नियम ३८ (२) के अन्तर्गत प्रश्न संख्या २० के उत्तर के क्रम में क्या स्वायत्त शासन मंत्री कृपया कलेक्टर नैनीताल की जांच रिपोर्ट दिनांक १८ फरवरी, १९७० ई० तथा दिनांक १० मार्च, १९७० ई० की प्रतियां सदन के पटल पर रखते हुए बतायेंगे कि इस मामले में सी० आई० डी० की जांच रिपोर्ट शासन को प्राप्त हो चुकी है ? यदि हां, तो सी० आई० डी० की रिपोर्ट के आधार पर शासन द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

*१३—श्री इन्द्रलाल—

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त ।]

फर्रुखाबाद जिले के विकास क्षेत्रों की जीपें

*१४—श्री महराम सिंह (जिला फर्रुखाबाद)—

क्या पंचायती राज मंत्री को जानकारी है कि फर्रुखाबाद जिले में कुछ ऐसे भी विकास क्षेत्र हैं जिनके पास एक वर्ष से अधिक से जीप गाड़ियां नहीं है ? यदि हां, तो यह कौन-कौन से विकास क्षेत्र हैं और सरकार उनमें गाड़ियां देने की व्यवस्था कब तक करेगी ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

जी नहीं । फर्रुखाबाद जिले में ऐसा कोई विकास क्षेत्र नहीं है जिसमें एक वर्ष या अधिक से जीप गाड़ियां न हों ।

लघु सिंचाई कार्यक्रम के अन्तर्गत फर्रुखाबाद जनपद में भूमि विकास बैंक, लखनऊ की शाखा द्वारा कृषकों को ऋण

*१५—श्री महराम सिंह—

क्या पंचायती राज मंत्री को जानकारी है कि फर्रुखाबाद जिले में कुछ ऐसे भी विकास क्षेत्र हैं जिनमें किसानों को सिंचाई की सुविधा देने के लिये तकावी बांटने के सम्बन्ध में जितना रुपया एलाट किया गया उतना जनवरी, १९७० से मार्च, १९७१ तक नहीं बांटा जा सका और रुपया लैप्स हो गया ? यदि हां, तो कौन-कौन से ऐसे विकास क्षेत्र हैं ?

डाक्टर सीताराम—

लघु सिंचाई कार्यक्रम के अन्तर्गत फर्रुखाबाद जनपद में शासन द्वारा किसानों को सिंचाई की सुविधा देने के लिये कोई भी तकावी जनवरी १९७० से मार्च, १९७१ की अवधि में नहीं दी गई है क्योंकि अक्तूबर, १९६७ से इन कार्यों के लिये उत्तर प्रदेश भूमि विकास बैंक, लखनऊ द्वारा उनकी शाखाओं के माध्यम से किसानों को ऋण दिया जा रहा है ।

उपरोक्त अवधि में बैंक द्वारा आवंटित धन में से भी कोई लैप्स नहीं हुआ है ।

कृषि विभाग द्वारा "उत्तर प्रदेश राज्य कृषि औद्योगिक निगम लिमिटेड, लखनऊ" की स्थापना

*१६—श्री राम गोपाल सण्ड—

क्या राज्य सरकार के कृषि विभाग ने प्रदेश में उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिये औद्योगिक निगम स्थापित किये हैं ? इनकी संख्या कितनी है तथा इनका उद्देश्य क्या है ?

डाक्टर सीताराम—

राज्य सरकार के कृषि विभाग ने प्रदेश में उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिये एक "उत्तर प्रदेश राज्य कृषि औद्योगिक निगम, लिमिटेड, लखनऊ" की स्थापना की है जिसका उद्देश्य विस्तृत रूप से मेमोरेण्डम आफ एसोसिएशन की धारा ३ में वर्णित है। मुख्य उद्देश्य निम्न प्रकार हैं—

(१) संयंत्र, मशीनरी, यंत्र, उपसाधन, औजार, सामग्री, पदार्थ, किसी भी प्रकार के मास अथवा वस्तुओं के निर्माण अथवा उत्पादन के लिये, जो कम्पनी के विचार में उत्तर प्रदेश के कृषि औद्योगिक विकास में सहायक सिद्ध हो सकते हों, कृषि उद्योगों, प्रायोजनाओं अथवा साहसिक कार्यों या कार्यक्रमों को सहायता देना, प्रोत्साहन, देना, स्थापित करना, विकसित करना अथवा कार्यविधि में बढ़ावा देना।

(२) उत्तर प्रदेश में कृषि उद्योगों और उनसे संबंधित कार्यों को (चाहे वे सरकारी हों या सहकारी हों या कम्पनियों और फर्मों द्वारा या सांविधिक संस्थाओं या व्यक्तियों द्वारा चलाये जा रहे हों) पूंजी व उधार तथा प्राविधिक सहायता प्रदान करना जिसके द्वारा उनके कारोबार में तथा उत्पादन में बढ़ोत्तरी तथा सुधार हो। इसके साथ ही साथ उनको प्राविधिक तथा प्रबन्धकीय सहायता प्रदान करना, जिसके द्वारा कम्पनियों या संगठनों इत्यादि को अपने अंश पूंजी के निपटारे या प्राप्त में, प्रबन्ध में, विपणन में और उत्पादन की प्राविधि में सुविधा मिले।

(३) इस प्रकार की विधियों को अपनाना, जिसके द्वारा उर्वरक, खाद, कीड़े, मकौड़े मारने की औषधियों तथा कृषि यंत्रों, मशीनरी एवं दुग्ध तथा कुक्कुट संबंधी यंत्रों के प्रयोग की महत्ता की जानकारी कराई जाय।

(४) ऐसे कार्यक्रमों का जो कम्पनी के हित में हो सकते हों, उनकी आवश्यकताओं, पूर्तियों और उत्पादन का नियमित रूप से सर्वेक्षण करना।

*१७—श्री रामलाल राही—

[८वें मंगलवार के लिये स्थगित।]

गन्ना विकास समिति हरगांव के गन्ना काश्तकारों से एन० एस० सी० फण्ड में कटौती

*१८—श्री रामलाल राही (जिला सीतापुर)—

क्या कृषि मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि गन्ना विकास समिति, हरगांव के गन्ना काश्तकारों से एन० एस० सी० फण्ड में कटौती की थी? यदि हां, तो यह कटौती कब से प्रारम्भ हुई और मार्च, १९७१ तक कुल कितना धन एन० एस० सी० फण्ड का केन यूनियन में जमा है?

डाक्टर सीताराम—

जी हां। यह कटौती वर्ष १९५५-५६ से आरंभ हुई तथा मार्च, १९७१ तक कुल ३,४४,३५३ रु० एन० एस० सी० एवं एन० डी० एस० सी० फण्ड का हरगांव गन्ना समिति में जमा है।

ग्रामीण जनशक्ति योजनान्तर्गत बलिया जिले में सड़कों का निर्माण

*१९—श्री शम्भूनाथ चौधरी—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि ग्रामीण जन शक्ति योजना के अन्तर्गत बलिया जिले में किन-किन सड़कों का निर्माण हुआ है?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

*२०—श्री शम्भूनाथ चौधरी—

क्या सरकार यह भी बतायेगी कि उपरोक्त निर्मित सड़कों में कौन-कौन सड़कें ऐसी हैं जिस पर मिट्टी के अलावा कंकड़ अथवा ईंटा डाला गया है ? और इनका लागत खर्च अलग-अलग इस निर्माण पर क्या है ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

नगली-किठौर, जिला मेरठ में हेल्थ सेन्टर तथा ट्रेनिंग मेडिकल सेन्टर

*२१—श्री मंजूर अहमद (जिला मेरठ)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगी कि क्या नगली-किठौर (मेरठ) में प्राइमरी हेल्थ सेंटर और ट्रेनिंग मेडिकल सेन्टर खोलना सरकार ने स्वीकार किया है ? यदि हां, तो अब तक उसका निर्माण कार्य शुरू न होने का क्या कारण है ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेई—

जी नहीं । भवन निर्माण का प्रश्न नहीं उठता ।

*२२—श्री मंजूर अहमद—

क्या यह सही है कि ग्राम सभा, नगली-किठौर ने ६ एकड़ जमीन उपरोक्त कार्य के लिये दान देना स्वीकार कर लिया है ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेई—

जी हां । शासन को कथित भूमि की आवश्यकता नहीं है ।

गोंडा जनपद के बीज गोदाम इन्चार्जों का स्थानान्तरण तथा उनका वेतन रोका जाना

*२३—श्री तेजबहादुर (जिला पीलीभीत)—

क्या कृषि मंत्री बतलाने का कष्ट करेंगे कि गोंडा जनपद स्थित बीज गोदाम इंचार्जों का स्थानान्तरण वर्ष १९७०-७१ में किया गया है ? उक्त स्थानान्तरण से प्रभावित ३६ गोदाम इंचार्जों का विगत लगभग ८-१० माह से वेतन भी रोक दिया गया है ?

डाक्टर सीताराम—

जी हां । सन् १९७०-७१ में गोंडा जनपद के गोदाम इंचार्जों के जो स्थानान्तरण हुए उससे ३४ इंचार्ज प्रभावित हुए । उनमें से २३ गोदाम इंचार्जों के वेतन का भुगतान हो चुका है एवं ११ इंचार्जों का लगभग ६ से ८ महीने तक से वेतन रुका है । इनमें से ८ निलम्बित हैं और ३ इंचार्जों का वेतन अन्य कारणों से रुका हुआ है ।

*२४—श्री तेजबहादुर—

यदि हां, तो क्या सरकार कारण को बताते हुए यह अवगत कराने का कष्ट करेगी कि कब तक उन प्रभावित इंचार्जों को रोके गये वेतन का भुगतान करायेगी ?

डाक्टर सीताराम--

८ गोदाम इंचार्ज, स्टाक की कमी, चार्ज न देने एव फरार हो जाने के कारण निलम्बित हैं। इनमें से ४ को निर्वाह भत्ता दिया जा रहा है एवं ४ इंचार्जों के फरार हो जाने के कारण उनको निर्वाह भत्ता नहीं दिया जा सका।

३ गोदाम इंचार्जों को अन्य अनियमितताओं, जैसे अनाधिकृत अवकाश पर जाने, चार्ज न देने एव स्टाक में कमी के कारण वेतन नहीं दिया जा सका है। इन ११ गोदाम इंचार्जों के विरुद्ध जो विभागीय कार्यवाही चल रही है उसकी समाप्ति पर उनके वेतन भुगतान के प्रश्न पर निर्णय लिया जायगा।

*२५--श्री रामकरन सिंह--

[७वें मंगलवार के लिये प्रश्न संख्या ३६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

जिला नैनीताल के हल्द्वानी, गोलापार, कुवरपुर, नवाड़खेड़ा की पेयजल योजना

*२६--श्री डूंगर सिंह विष्ट (जिला नैनीताल)--

क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नैनीताल जिले के हल्द्वानी, गोलापार, कुवरपुर, नवाड़खेड़ा पेय जल की कुल लागत कितनी है? यह किस वर्ष स्वीकृत हुई? इस समय इसमें कितना कार्य हो चुका है और कितना कार्य शेष रहा है?

श्री धर्मदत्त वैद्य--

इस योजना की अनुमानित लागत ११,८०,००० रु० है और इसे वर्ष १९६७-६८ में स्वीकृत किया गया था। अब तक इसमें ५७,९०० किलोमीटर पाइप लाइन डाली जा चुकी है और १८,२१२ किलो मीटर पाइप लाइन बिछानी बाकी है।

*२७--श्री डूंगर सिंह विष्ट--

[५वें शुक्रवार में तारांकित प्रश्न संख्या ४२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

*२८--श्री राम प्यारे--

[६ठवें बुधवार में तारांकित प्रश्न संख्या २६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

*२९--श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

[८वें मंगलवार के लिये स्थगित।]

*३०--श्री माधव प्रसाद त्रिबाठी--

[८वें मंगलवार के लिये प्रश्न संख्या ६७ के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

*३१--श्री नित्यानन्द स्वामी--

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त।]

अयोध्या में महिला अस्पताल न होना

*३२--श्री विश्वनाथ कपूर--

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि अयोध्या में महिलाओं के लिये कोई महिला अस्पताल न होने के कारण काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है? यदि हां, तो क्या महिला अस्पताल अयोध्या में खोलने पर विचार करेंगे?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

जी हां, अयोध्या में महिला अस्पताल की स्थापना का प्रस्ताव हुआ है। इसी तरह की अन्य मांगें प्रदेश की अन्य जगहों से आई हैं। इन सभी पर विचार किया जा रहा है। स्थानों का अंतिम निर्णय होने पर अस्पताल का कार्य आरंभ कर दिया जायगा।

*३३—सर्वश्री प्रियदर्शी जेटली, राज बहादुर चन्द, धर्मवीर सिंह, मंगल उपाध्याय, डी० पी० बोरा तथा त्रिवेणी सहाय—

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया।]

"सुधीर एन्ड कम्पनी" कानपुर द्वारा जिला परिषद्, गोरखपुर को टाट की सप्लाई

*३४—श्री बैजनाथ (जिला बरेली), श्री राजेश्वर सिंह तथा श्री पन्ना लाल गुप्त (जिला फतेहपुर)—

क्या सरकार को विदित है कि "सुधीर एन्ड कम्पनी" कानपुर ने जिला परिषद्, गोरखपुर को इस वर्ष १९७०-७१ टाट की पट्टी स्कूलों के लिये सप्लाई की है जिसका टेण्डर ३-१/२ लाख रुपये का था? उक्त कम्पनी ने आर० आर० केवल २ लाख रुपये का भेजा और अधिकारियों द्वारा भुगतान ३-१/२ लाख रुपये का किया गया है? यदि यह सत्य है तो इस अनियमितता के विरुद्ध सरकार ने क्या कोई कार्यवाही की है?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

वर्ष १९७०-७१ में सुधीर एन्ड कम्पनी, कानपुर को टाट की पट्टी सप्लाई हेतु ४९,९०० रुपये का आर्डर दिया गया था परन्तु उक्त फर्म ने ट्रक द्वारा केवल ६,३७७.२२ रु० मूल्य की टाट-पट्टी सप्लाई की और उसका भुगतान उस फर्म को कर दिया गया है।

(ख) किसी अनियमितता का प्रश्न ही नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश स्वायत्त शासन कर्मचारी महासंघ की मांगें

*३५—श्री कल्याण सिंह (जिला अलीगढ़)—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री कृपया बतायेंगे कि जुलाई, १९७१ के प्रथम सप्ताह में उत्तर प्रदेश स्वायत्त शासन कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष श्री रामअधार गुप्त ने महासंघ की मांगों के संबंध में तथा उपरोक्त कर्मचारियों में व्याप्त असंतोष से अवगत कराने हेतु सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, उत्तर प्रदेश से भेंट की? यदि हां, तो उक्त भेंट के अवसर पर कौनसा स्मृति-पत्र सचिव को प्रस्तुत किया? स्वायत्त शासन कर्मचारियों की मांगें क्या-क्या हैं तथा सरकार उन्हें कब तक पूरा करने के प्रश्न पर विचार कर रही है?

श्री धर्मदत्त वैद्य—

श्री राम आधार गुप्त, अध्यक्ष, स्वायत्त शासन कर्मचारी महासंघ द्वारा सचिव, स्वायत्त शासन से जुलाई, १९७१ के प्रथम सप्ताह में भेंट करने तथा उनको स्मृति-पत्र प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में कोई स्पष्ट प्रमाण उपलब्ध नहीं है तथापि स्वायत्त शासन कर्मचारी महासंघ के एक या दो प्रतिनिधि दिनांक १२ जुलाई, १९७१ को सचिव, स्वायत्त शासन से मिले थे तथा उन्होंने मुख्य मंत्री जी को संबोधित स्मृति-पत्र, दिनांक १२ जुलाई, १९७१ की प्रतिलिपि उन्हें दी थी। उक्त स्मृति-पत्र में सरकार द्वारा गठित वेतन आयोग में महासंघ के प्रतिनिधियों को भी लिये जाने व आयोग की सिफारिशें अनिवार्य रूप से लागू किये जाने, आयोग की रिपोर्ट आने तक समस्त कर्मचारियों को 50 रुपया अन्तरिम सहायता दिये जाने, राज्य सरकार के कर्मचारियों के समान वेतन व महंगाई भत्ता दिये जाने तथा एक वर्ष से अधिक कार्यरत कर्मचारियों को स्थायी किये जाने की मांगें की गई थीं। वेतन आयोग का गठन हो चुका है, आयोग की संस्तुतियां प्राप्त होने पर ही मांगों पर विचार संभव हो सकेगा।

*३६---श्री कल्याण सिंह---

क्या यह भी सच है कि उपरोक्त महासंघ के अध्यक्ष ने उक्त भेंट में स्पष्ट कर दिया है कि यदि कर्मचारियों द्वारा प्रस्तावित आन्दोलन की तिथि से पूर्व मांगें न स्वीकार की गईं तो कर्मचारी आन्दोलन प्रारम्भ कर देंगे ? यदि हां, तो सरकार को उपरोक्त मांगों को उक्त तिथि से पूर्व पूरा करने में क्या कठिनाइयां हैं ?

श्री धर्मदत्त वैद्य---

उपरोक्त स्थिति में प्रश्न नहीं उठता ।

*३७---श्री सन्तूराम---

[८वें मंगलवार के लिये स्थगित ।]

*३८---सर्वश्री मंगल उपाध्याय, श्री त्रिवेणी सहाय, श्री प्रियदर्शी जेटली, श्री भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री तेजपाल सिंह 'कृष्ण', श्री लाल बहादुर सिंह, श्री धर्मवीर सिंह, श्री सत्तार अहमद तथा डी० पी० बोरा---

[८वें मंगलवार के लिये स्थगित ।]

जनपद इलाहाबाद में जंघई--दुर्गागंज सड़क का निर्माण तथा वरना नदी पर पुल

*३९---श्री राजित राम पांडेय---

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनपद इलाहाबाद में स्थित जंघई-दुर्गागंज रोड का निर्माण आर० एम० पी० स्कीम में हो रहा है ? उसमें कुल कितना समय व्यय हो चुका है और निर्माण कार्य कब तक पूरा हो जायगा ?

श्री बलदेव सिंह आर्य---

जी नहीं ।

*४०---श्री राजित राम पांडेय---

क्या सरकार यह भी कृपया बतायेगी कि जंघई--दुर्गागंज रोड पर वरना नदी पर आर० एम० पी० स्कीम के अन्तर्गत पुल बनाने की योजना है ? यदि हां, तो उक्त पुल का निर्माणकार्य कब प्रारंभ होगा तथा निर्माण कार्य में कितनी लागत लगेगी ?

श्री बलदेव सिंह आर्य---

जी हां । इस रोड पर ६ वर्ष का समय व्यय हो चुका है तथा निर्माण कार्य वित्तीय वर्ष १९७१--७२ तक पूरा हो जाने की संभावना है ।

*४१---श्री मैनेजर सिंह---

[८वें मंगलवार के लिये स्थगित ।]

जिला इलाहाबाद में आयुर्वेदिक अस्पताल का खुलना

*४२---श्री बासुदेव सिंह वैद्य (जिला बहराइच)---

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या उन्होंने ३० मई, १९७१ को इलाहाबाद जिले के दौरे में सार्वजनिक सभा में आयुर्वेद विश्वविद्यालय खोलने की घोषणा की है ? यदि हां, तो क्या यह बताने की कृपा करेंगे कि यह विश्वविद्यालय कब तक खोलने की कृपा करेंगे ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी---

जी हां । यथाशीघ्र खोलने का प्रयास किया जायगा ।

अतारांकित प्रश्न

राज्य कृषि औद्योगिक विभाग द्वारा आमों का निर्यात न करना

१—श्री डूंगर सिंह बिष्ट—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कृषि औद्योगिक निगम ने वित्तीय वर्ष १९६९-७० में आम खरीदकर विदेशों को भेजा है ? यदि हां, तो कितने रुपये का आम खरीदा और कितने का बेचा ? क्या इस आम के व्यापार में लाभ हुआ ? यदि हां, तो कितना ?

डाक्टर सीताराम—

उत्तर प्रदेश राज्य कृषि औद्योगिक निगम ने वित्तीय वर्ष १९६९-७० में आम खरीदकर विदेशों को नहीं भेजा है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

मेरठ नगर की जलोत्सारण योजनान्तर्गत सीवर डालने का कार्य

२—श्री मोहन लाल कपूर (जिला मेरठ)—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मेरठ नगर में सीवर डालने का कितना कार्य पूरा हो गया है तथा यह कार्य कब तक पूर्ण हो जायेगा ?

श्री धर्मदत्त वैद्य—

मेरठ नगर की जलोत्सारण योजना प्रथम भाग, जिसकी अनुमानित लागत ४९.८६२ लाख रुपया है, के अन्तर्गत लगभग ७७ प्रतिशत कार्य पूरा किया जा चुका है और आशा है कि इस वित्तीय वर्ष में यह कार्य पूरा हो जायगा । योजना के द्वितीय भाग, जिसकी अनुमानित लागत ३५.७१० लाख रुपया है, के अन्तर्गत भी कार्य में कुछ प्रगति हो चुकी है ।

३—श्री मंजूर अहमद तथा श्री हुकुम सिंह परिहार—

[८वें मंगलवार के लिये स्थगित ।]

प्रश्नों के सम्बन्ध में शिकायत

श्री विश्वनाथ कपूर (जिला फैजाबाद)—

श्रीमन्, प्रश्नों के सम्बन्ध में मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । अतिरिक्त निबन्धक, सहकारी समितियों, ने उत्तर प्रदेश सहकारी संघ का निरीक्षण किया था उसमें भारी गोलमाल है । वह अल्पसूचित प्रश्न स्वीकार हो गया और ४ अगस्त को सहकारिता मंत्री के पास जवाब के लिये भेज दिया गया था । आपकी नियमावली में यह है कि अध्यक्ष की आज्ञा से वह मन्त्री के पास भेजा जायेगा और वे यथाशीघ्र तीन दिन में सूचना देंगे । वे जांच की स्थिति में हैं या नहीं, पर आपके आदेशों का उल्लंघन व अवहेलना वे कर रहे हैं । आप अल्पसूचित प्रश्न स्वीकार कर देते हैं लेकिन मन्त्री जी जवाब नहीं देते हैं । जब वे जवाब नहीं देते हैं तो यह अवमान का प्रश्न उठता है या नहीं ?

श्री अध्यक्ष—

उनको फैक्ट्स मालूम हो जायं ।

श्री विश्वनाथ कपूर—

कल लिखकर भी मैंने दिया । ४ अगस्त को भेजा है । सहकारिता मन्त्री जवाब नहीं दे रहे हैं । वे प्रश्न का उत्तर देंगे या नहीं देंगे ?

श्री अध्यक्ष--

इसका जवाब मेरे पास आया है और उन्होंने सजेस्ट भी किया है आन्सर में। मैं समझता हूं कि आपके पास आ जायगा।

श्री विश्वनाथ कपूर--

इसका जवाब कब तक मिल जायगा ?

श्री अध्यक्ष--

जल्दी भेज देंगे।

(व्यवधान)

नियम ४९ के अन्तर्गत चर्चा के लिये प्रार्थना

श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)--

माननीय शम्भूनाथ चौधरी के प्रश्न के उत्तर में यह बताया था कि जो होटल के लिये जमीन दी गई है उसके बराबर की भूमि की पांच रुपये २५ पैसे स्क्वायर फीट कीमत लगाई गई है जो इससे कम है। उन्होंने चार लाख रुपये जमीन की कीमत लगायी थी। लेकिन जैसा कि इन्होंने उत्तर में दिया है १,३१,३७४ वर्ग फीट जमीन होटल के लिये दी गई है। इस हिसाब से सात लाख रुपये उसकी कीमत बैठ जाती है। इन्होंने दी है ४ लाख रुपये में। तीन लाख रुपये का मुनाफा उस आदमी को पहुंचाया है। दूसरी बात इस सिलसिले में हम कहना चाहते हैं कि मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर शायद कैबिनेट ने भी डिसीजन नहीं लिया कि यह चार लाख रुपये न दिये जाएं। तीसरी बात इसका जिलाधिकारी ने क्या मूल्यांकन किया था, यह भी नहीं दिया। इसलिये मैं आपकी आज्ञा से नियम ४९ में इस प्रश्न को उठाना चाहता हूं कि इसके ऊपर चर्चा की आज्ञा प्रदान करें।

श्री अध्यक्ष--

अगर आप इसको लिखकर दे देंगे तो विचार करेंगे।

*श्री सुखपाल पांडेय (जिला बस्ती)--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा निवेदन करना चाहता हूं कि प्रश्न संख्या ५ में २५ लाख रुपये का मामला है। इसमें केन्द्रीय सरकार के एक भूतपूर्व मंत्री सम्बन्धित हैं। मैंने एक लाख रुपये से कम का मामला सदन में पेश नहीं किया। जब भी कभी मामला आया है तो उस पर आप सवाल करने का अवसर नहीं देते हैं। मैं चाहता हूं कि ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न पर जिसमें २५ लाख रुपये का मामला है, माननीय कृषि मंत्री जी से जवाब पाने का अवसर मिले।

श्री अध्यक्ष--

आप तक हम पहुंचे ही नहीं। समय खत्म हो जाने पर पूछा है।

श्री सुखपाल पांडेय--

आप एक एक सौ वालों पर तो छूट देते हैं। मैं लाखों में और २५ लाख की बात कर रहा हूं। २८ हजार किसान बेघर हो जायेंगे उनकी कुर्की हो जायेगी। इसलिये मैं आपसे कह रहा हूं कि नियम ४९ के अन्तर्गत चर्चा करने के लिये अनुमति दे दें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष—

आप लिखकर मुझे भेज दीजिये कि इतने गबन का मामला है.....

श्री सुख पाल पांडेय—

मैंने लिखकर दिया लेकिन वह अस्वीकृत हो गया। कुछ ही सवाल आपके यहां स्वीकृत हो पाते हैं। पिछली बार भी १५ लाख का मामला था। ५ लाख १२ हजार ७६५ रु० का कृषि मंत्री जी ने जवाब दिया था जबकि १५ लाख का गबन का मामला था। वह मैंने लिखकर दिया लेकिन आपके यहां से उत्तर नहीं दिया गया। मुझे शुबहा है कि चुंकि कृषि विभाग में वहां के सुपरिन्टेन्डेन्ट जो हैं वह बस्ती जिले के हैं और कृषि विभाग से उनका पालन-पोषण होता है इसलिये हमारे सवाल का जवाब वह चाहते हैं कि न आये। इसी तरह से एक १० लाख का दूसरा मामला था जो सदन तक नहीं आने पाया। ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को आप प्राथमिकता दें।

श्री अध्यक्ष—

आप मेरे कमरे में आ जायं। गबन के मामले को दबाया नहीं जा सकता।

दिल्ली में हुई सदस्यों की गिरफ्तारियों के सम्बन्ध में भेदभावपूर्ण नीति बरतने के सम्बन्ध में विचारार्थ समय की मांग तथा शेख मुजीबुर्रहमान की जीवन रक्षा से संबंधित पारित प्रस्ताव के संबंध में अग्रिम कार्यवाही की जानकारी

*श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

श्रीमन्, इनका लाखों का मसला है लेकिन मेरा तो अमूल्य मसला है। उसको रुपये से नहीं आंका जा सकता है। मैंने नियम ३०१ के अन्दर लिखकर दिया है। श्रीमन्, उस दिन पीठासीन नहीं थे। माननीय उपाध्यक्ष जी ने व्यवस्था दी कि दिल्ली के अन्दर जो गिरफ्तारी हुई, उसी क्षेत्र के अन्दर जिस क्षेत्र में ९ अगस्त को नयी कांग्रेस ने एक ड्रामा किया था उनको तो नारे लगाते हुए गिरफ्तार नहीं किया गया और हम लोग जो सत्याग्रह कर रहे थे, बंगला देश को मान्यता की आवाज उठा रहे थे, सारे देश के ५० करोड़ लोगों की आवाज को बुलन्द कर रहे थे, हम लोगों को पकड़ा गया। तो संविधान के आर्टिकिल १४ के अन्तर्गत एक भेदभाव-पूर्ण नीति बरती गयी। श्रीमन्, मुझे कल आज्ञा दी गयी थी कि लिखकर दे दें। वह मैंने दे दिया है। आपके सामने आ गया है। मैं चाहता हूं कि इसके ऊपर पूरा विचार हो और यह तय किया जाय कि जो कुछ हमारे साथ व्यवहार हुआ है वह अनुचित हुआ है और जो इन लोगों के साथ व्यवहार किया गया है वह पक्षपातपूर्ण किया गया है।

दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि एक प्रस्ताव आपकी अनुपस्थिति में यहां पर पास हुआ दो-तीन दिन पहले कि शेख मुजीबुर्रहमान साहब के जीवन की रक्षा होनी चाहिये। उस प्रस्ताव के बारे में जानना चाहता हूं कि कहीं बंगला देश के प्रस्ताव के साथ उसको भी तो यह सरकार तकिये के नीचे रखकर नहीं सो रही है ? उसे भेजा या नहीं? कब भेजा और उस पर क्या कार्यवाही की गयी?

श्री अध्यक्ष—

वह प्रस्ताव तो आपका भेज दिया गया, यह मुझे दफ्तर की तरफ से सूचना मिली है, लेकिन जहां तक नियम ३०१ वाले प्रश्न की बात है, इसमें निर्णय क्या डिप्टी स्पीकर साहब ने दिया है?

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री नित्यानन्द स्वामी--

आज सुबह दिया है ।

श्री अध्यक्ष--

तो मैं आज उसको देख लूंगा । लेकिन बजट खत्म हो जाने के बाद में उस पर कुछ घंटे दूंगा ।

श्री नित्यानन्द स्वामी--

३०-३१ तारीख में एक दिन दे दीजिये ।

श्री अध्यक्ष--

किसी दिन दो-ढाई घंटे डिस्कस कर लेंगे ।

प्रश्नों के सबंध में शिकायत (क्रमागत)

श्री राजित राम पांडेय (जिला इलाहाबाद)--

श्रीमन्, जाने-माने लोगों के सवाल ही ऊपर आते हैं । हमारा सवाल आता है कहीं ३९ पर, कहीं ४० पर । एक सड़क हमारे यहां आर० एम० पी० में दुर्गापुर से बन रही है जिसके बीच में बरना नदी पड़ती है, उस पर पुल बनाने की बात थी । लेकिन जब सवाल किया गया तो जवाब आता है कि नहीं बनेगा । सुचेता जी के जमाने में उसका शिलान्यास हुआ था लेकिन अब उत्तर आता है कि नहीं बनेगा । आपके यहां जो लोग काम करते हैं वह जाने-माने लोगों का सवाल ऊपर रख देते हैं और हम लोग जो छोटे-मोटे हैं उनका सवाल नहीं आ पाता है । इसकी आप व्यवस्था करने की कृपा करें ।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिल देहरादून)--

मान्यवर, पाण्डेय जी से कहें कि वे इधर आ जायें तब इनकी बात सुन ली जायेगी ।

श्री रजित राम पाण्डेय--

बर्ना नदी में बाढ़ आयी हुई है और पुल न होने के कारण बहुत से आदमियों की जानें प्रति वर्ष चली जाती हैं ।

श्री अध्यक्ष--

आपका कहना सही है ।

मुख्य मन्त्री की अस्वस्थता के सम्बन्ध में जानकारी

श्री राम गोपाल सण्ड (जिला इलाहाबाद)--

अख्बारों में छपा है कि मुख्य मंत्री जी बड़े अस्वस्थ हैं । वे सदन में भी नहीं आ रहे हैं । मान्यवर, उन्हें कौन सी बीमारी हो गयी है ? अखबारों में तरह-तरह की बातें छप रही हैं ।

श्री अध्यक्ष--

मुझे सूचना यह है कि उनकी तबियत ठीक नहीं है । वे ब्लड प्रेशर के कारण अस्वस्थ हैं ।

किसी प्रश्न पर छः से अधिक अनुपूरक प्रश्न न पूछने के निर्णय के अनुसार सदन में कार्यवाही न होने की सूचना

*श्री रामकरन सिंह (जिला गोरखपुर)—

हाउस का कार्य ठीक तरह से कैसे चल सके उसके लिये आपने एक मीटिंग की थी जिसमें सभी पार्टियों के लोग उपस्थित थे। उस मीटिंग में प्रश्नों के सम्बन्ध में विशेष तौर से बात की गयी थी और उस वक्त, मेरा खयाल यह है, यह निर्णय लिया गया था कि एक प्रश्न पर केवल ६ सप्लीमेंटरी सवाल करने का मौका मिलेगा, जिनमें से ३ प्रश्न तो वह व्यक्ति कर सकेगा जिसने कि प्रश्न किया है और ३ प्रश्न दूसरे लोग कर सकेंगे। ६ प्रश्नों की संख्या इसलिये निर्धारित की गयी थी ताकि एजेन्डे पर आये हुए प्रश्न ज्यादा से ज्यादा कवर हो जायेंगे। आज आप १ घंटे के अन्दर १ से ९ प्रश्न तक ही पहुंचे हैं। उस दिन जो व्यवस्था अपनायी गयी थी जिसमें आप स्वयं बैठे थे और सारी पार्टियों के नेता लोग भी बठे थे कि हाउस किस ढंग से चले, उसकी अवहेलना हुयी है। मैं आपकी व्यवस्था चाहूंगा कि जो निणय हो चुका है उसका इम्प्लीमेंटेशन कसे हो। अगर उस निर्णय का पालन हुआ होता तो आज सुख पाल पाण्डेय जी का सवाल निश्चित रूप से आ जाता।

श्री अध्यक्ष—

आपकी बात बिल्कुल सही है। इस तरह के फैसले ३–३ दफा हो चुके हैं कि ३ प्रश्न तो सवाल पूछने वाले सदस्य कर सकते हैं और ४ प्रश्न अन्य सदस्य कर सकते हैं, मगर होता यह है कि दस–दस, बीस-बीस माननीय सदस्य खड़े हो जाते हैं और सवाल पूछने के लिये इनसिस्ट करते हैं। ऐसी हालत में यह गड़बड़ी हो जाती है। मैं कोशिश करूंगा कि लोग धीरे-धीरे रास्ते पर आ जायें और जो बात तय हो चुकी है उसका पालन हो। अगर ७ सप्लीमेन्टरी प्रश्नों के बाद कोई विशिष्ट मांग होती है तो उस पर विचार हो सकता है जैसे कि एक प्रश्न आया जिसमें मन्त्री जी ने जवाब दिया कि यह काम समाप्त हो गया, तो जब कार्य समाप्ति का सर्टिफिकेट दे दिया गया तब उस पर दिलचस्पी होना साधारण सी बात है। मन्त्री जी का उत्तर ठीक तरह से आना भी जरूरी है। तो इस वजह से थोड़ी-बहुत गड़बड़ी हो जाती है। जो निर्णय हो चुका है उस पर अमल करने की मैं कोशिश करूंगा।

श्री रामकरन सिंह—

अध्यक्ष जी, उस दिन सरकारी पक्ष के लोग भी बैठे थे और मुख्य मन्त्री जी भी बैठे थे। यह साफ तौर से कहा गया था कि प्रश्नों के निश्चित उत्तर मिलने चाहिये। उत्तर निश्चित न होने के कारण बात उलझ जाती है। तो मेरा आपसे यह निवेदन है कि आप सरकारी पक्ष के लोगों को हिदायत करें कि वे सदन में निश्चित उत्तर दें ताकि सदन का समय नष्ट न हो।

श्री अध्यक्ष—

मुझे वह बात याद है कि प्रश्नों के निश्चित उत्तर आने चाहिये। यह मैं कह चुका हूं।

श्री सुखपाल पांडेय के प्रश्न संख्या ५ के सम्बन्ध में वक्तव्य की मांग

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

मैं सदन में अव्यवस्था के संबंध में निवेदन करना चाहता हूं। सुखपाल पाण्डेय जी का जो प्रश्न संख्या ५ है वह बड़ा ही महत्वपूर्ण है, और मंत्रीजी यदि चाहें तो कोई वक्तव्य दे सकते हैं किसी मामले पर, लोकहित के महत्व के प्रश्न पर। आप मंत्री जी से यह कहें कि इस प्रश्न से

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सम्बन्धित मामले पर वक्तव्य दे दें क्योंकि लाखों रुपये का नुक्सान हो रहा है और उस एरिया में तबाही फैल रही है। कोआपरेटिव के खर्चे पर किसानों पर मुसीबत आ रही है। कहा जाता है, जैसा कि श्री सुखपाल पांडे ने कहा है, कि एक केन्द्र के भूतपूर्व मन्त्री का इससे सम्बन्ध है। इस गलतफहमी को दूर करने के लिये आवश्यक है कि आप मन्त्री जी से कहें कि वह वक्तव्य दे दें।

श्री अध्यक्ष--

आप और सुखपाल पांडेय जी मुझे वक्तव्य के लिये लिखकर दे दें।

श्री कल्पनाथ सिंह--

अच्छी बात है मैं लिखकर भेज रहा हूं।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)--

मेरे जिले से यह मामला सम्बन्ध रखता है। इतना गम्भीर मामला है कि इसमें लाखों रुपये का घुटाला है। यह पी0ए0सी0 का भी विषय बन चुका है और अखबारों में भी इसकी आलोचना हुई है। ऐसा महत्वपूर्ण प्रश्न मैं समझता हूं इस हाउस में २, ४, १० दिन में नहीं आया है।

श्री अध्यक्ष--

मैं वक्तव्य दिलवा दूंगा।

प्रश्नों के संबंध में शिकायतें

श्री भगवती सिंह विशारद (जिला उन्नाव)--

प्रश्नों के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं कि जैसा कि आपने बतलाया नेताओं की बैठक में तय हो जाता है। तो क्या यह सही नहीं है कि जो लोग तय कर आते हैं वही लोग प्रश्न उठाते है जिससे दूसरे लोगों के समय का दुरुपयोग होता है। हम लोगों के अनेकों प्रश्न एक साथ २२, २०, और २५, २५, अस्वीकृत हो कर आये हैं तो क्या आप उन पर पुनर्विचार करेंगे ?

श्री अध्यक्ष--

इसकी जांच करवा लूंगा।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी-गढ़वाल)--

आपके सचिवालय से बिना किसी कारण के प्रश्न अस्वीकृत किये जा रहे हैं। जो लिपिक रक्खे गये हैं उनको कोई तजुर्बा नहीं है। पता नहीं कि कहां से भरती कर दिये हैं कि बिना किसी कारण के प्रश्नों को अस्वीकृत किये जा रहे हैं। तो मैं निवेदन करूंगा कि कृपया इसकी जांच करा लें।

कानपुर जिले में बिजली कर्मचारियों की हड़ताल के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट कराने हेतु वक्तव्य की मांग

श्री मोतीलाल देहलवी (जिला कानपुर)--

मान्यवर, कानपुर में बिजली के कर्मचारी काफी दिनों से हड़ताल पर हैं एक दिन इस मामले को मैंने इस सदन में उठाया था तो मंत्रीजी ने कह दिया था कि सुलझने पर है, कोई निश्चित उत्तर नहीं दिया था। कानपुर से दो दो मन्त्री यहां हैं तो लगता है कि ऐसा तो नहीं है कि उन्हीं के कहने पर चल रहे हों और यह मामला सुलझ नहीं रहा है। इसका कारखानों पर असर पड़ रहा है, मिल वाले मजदूरों पर असर पड़ रहा है। तो इस हड़ताल के बारे में क्या स्थिति चल रही है ? कृपया मन्त्रीजी से वक्तव्य दिलायें।

श्री अध्यक्ष--

आप इसके लिये वक्तव्य के लिये कहिये, लिखकर दीजिये।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)--

वहां गिरफ्तारियां की गई हैं। केसा का मामला हल नहीं हुआ है। तिवारीजी ने नेताओं की गिरफ्तारियां करवा दी हैं।

श्री गोविन्द सिंह नेगी--

इस सम्बन्ध में माननीय मंत्रीजी ने वक्तव्य दिया था।

श्री रामगोपाल संड (जिला इलाहाबाद)--

केसा पर दो घंटे का विवाद करवा दीजिये।

श्री अध्यक्ष--

एक वक्तव्य दिलवा दूंगा।

श्री गोविन्द सिंह नेगी--

मन्त्रीजी ने वादा किया था कि उस वक्तव्य को पिजन होल में रखा देंगे और उपाध्यक्ष जी ने कहा था कि तब वह उस मामले पर चर्चा करवा देंगे। अभी तक पिजन होल में नहीं रखा गया है। तो मेरा निवेदन है कि मन्त्री जी उस वक्तव्य की प्रति आज ही पिजन होल में रखवा दें और कल आप उस पर चर्चा करवा दें।

बाढ़ के सम्बन्ध में साप्ताहिक वक्तव्य के बारे में जानकारी

श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)--

मेरे जिले में बाढ़ आई हुई है, मन्त्रीजी प्रति सप्ताह बाढ़ के सम्बन्ध में वक्तव्य देंगे ऐसा कहा गया था, तो क्या मंत्रीजी इस सप्ताह वक्तव्य देंगे ?

श्री अध्यक्ष--

शुक्रवार को होगा।

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् का वार्षिक विवरण पत्र, १९७१-७२*

वित्त राज्य मन्त्री (श्री गोस्वामी राधाकृष्ण)--

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् का वार्षिक वित्तीय विवरण-पत्र १९७१-७२ को इलेक्ट्रिसिटी (सप्लाई) ऐक्ट, १९४८ की धारा ६१ की उपधारा (३) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) नियमावली, १९७१†

राजस्व उप-मंत्री (श्री जगन्नाथ प्रसाद)--

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से राजस्व विभाग की अधिसूचना संख्या १७४/१-क-३-१(१)-६९, दिनांक २१ जनवरी, १९७१ द्वारा प्रख्यापितउत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) नियमावली, १९७१ को उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, १९५० की धारा ३४४ की उपधारा (४) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

---

* छापा नहीं गया।

† छापी नहीं गयी।

उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था (संशोधन) नियमावली, १९७१†

राजस्व उप मंत्री (श्री जगन्नाथ प्रसाद)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से राजस्व (क) विभाग की अधिसूचना संख्या ६२/१–क–३–१(१)-७० दिनांक २५ मार्च, १९७१ द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) नियमावली १९७१ को उत्तर प्रदेश जमींनारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, १९५० की धारा ३४४ की उपधारा (४) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था (तृतीय संशोधन) नियमावली, १९७१†

राजस्व उप-मन्त्री (श्री जगन्नाथ प्रसाद)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से राजस्व विभाग की अधिसूचना संख्या १८८/१–क–११–४(११) ७०, दिनांक ५ अप्रैल, १९७१ ई० द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (तृतीय संशोधन) नियमावली, १९७१ को उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, १९५० की धारा ३४४ की उपधारा (४) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, १९७१†

राजस्व उप-मंत्री (श्री जगन्नाथ प्रसाद)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से राजस्व विभाग की अधिसूचना संख्या यू० ओ० ५९६/१–क–७१, दिनांक २० अप्रैल, १९७१ ई० द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, १९७१ को उत्तर प्रदेश जमींदार विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, १९५० की धारा ३४४ की उपधारा (४) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

कुमायूं तथा उत्तराखण्ड जमींदारी विनाश तथा भूमि-व्यवस्था (संशोधन) नियमावली, १९७१†

राजस्व उप-मंत्री (श्री जगन्नाथ प्रसाद)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से राजस्व विभाग की अधिसूचना संख्या यू० ओ० १८२६/१–क–१६१(४)-६७, दिनांक १९ जनवरी, १९७१ ई० द्वारा प्रख्यापित कुमायूं तथा उत्तराखंड जमींदारी विनाश तथा भूमि-व्यवस्था (संशोधन) नियमावली, १९७१ ई० को कुमायूं तथा उत्तराखंड जमींदारी विनाश तथा भूमि व्यवस्था अधिनियम, १९६० की धारा ५६ की उपधारा (६) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

कुमायूं तथा उत्तराखण्ड जमींदारी विनाश तथा भूमि व्यवस्था (द्वितीय संशोधन) नियमावली, १९७१†

राजस्व उप-मंत्री (श्री जगन्नाथ प्रसद)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से राजस्व विभाग की अधिसूचना संख्या १२९/१–क–१९–४(१)६७, दिनांक २७ फरवरी, १९७१ ई०द्वारा प्रख्यापित कुमायूं तथा उत्तराखंड जमींदारी विनाश तथा भूमि व्यवस्था (द्वितीय संशोधन) नियमावली, १९७१ को कुमायूं तथा उत्तराखंड जमींदारी विनाश तथा भूमि व्यवस्था अधिनियम, १९६० की धारा ५६ की उपधारा (६) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

---

†छापी नहीं गयी ।

उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण (संशोधन) नियमावली, १९७१†

राजस्व उप-मंत्री (श्री जगन्नाथ प्रसाद)--

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से राजस्व विभाग की अधिसूचना संख्या १७८/१-क-२-५(१)७०, दिनांक ९ नवम्बर, १९७० ई० द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीम आरोपण (संशोधन) नियमावली, १९७० को उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम, १९६० की धारा ४४ की उपधारा (३) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

पत्रादि विलम्ब से सदन के पटल पर रखने के संबंध में आपत्ति

श्री भगवतीशरण विशारद (जिला उन्नाव)--

यह जो नवीं अधिसूचना प्रख्यापित की जा रही है इस सम्बन्ध में एक आपत्ति करना चाहता हूं। इस सदन में जो भी कार्यवाही हो वह नियमित ढंग से होनी चाहिये। पहले जब सदन बैठा तब यह प्रख्यापित की जानी चाहिये थीं। इसलिये आप ऐसे आदेश निकालें कि जो भी कार्यवाही हो वह नियमित ढंग से हो।

श्री अध्यक्ष--

यही बात मैं अन्त में कहने वाला था। इस बात का खयाल रखा जाय कि सदन जब पहले बैठे तो उसमें यह आ जानी चाहिये। नम्बर 3 से लेकर सभी ऐसी हैं जो देर से आयी हैं।

मध्यम आय वर्ग गृह निर्माण योजना के अन्तर्गत ऋण वितरण (संशोधन) नियमावली, १९७०

स्वायत्त शासन मन्त्री (श्री धर्मदत्त वैद्य)--

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से निवास विभाग की अधिसूचना संख्या १२०८-ख ३७/७(४१)-एम० आई० जी० एच०-६७, दिनांक २१ अगस्त, १९७० ई० द्वारा प्रख्यापित मध्यम आय वर्ग गृह निर्माण योजना के अन्तर्गत ऋण वितरण (संशोधन) नियमावली, १९७० को उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, १९५९ की धारा ५४० की उपधारा(४) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) नियमावली, १९७१†

सामुदायिक विकास राज्य मंत्री (श्री गोपीनाथ दीक्षित)--

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से पंचायती राज विभाग की अधिसूचना संख्या ७०७७-बी/३३-१०५-६९, दिनांक १९ मार्च, १९७१ ई० द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) नियमावली, १९७१ को यू० पी० पंचायत राज ऐक्ट, १९६७ की धारा ११० की उपधारा (३) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियों की पंचम संशोधन) नियमावली, १९७१†

वित्त राज्य मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी)--

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से विधायिका विभाग की विज्ञप्ति संख्या ३०७०/सत्रह-२८६-६९, दिनांक २२ जुलाई, १९७१ द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश विधान मंडल (सदस्यों कीउपलब्धियों) की (पंचम संशोधन) नियमावली, १९७१ को उत्तर प्रदेश विधान मंडल (सदस्यों की उपलब्धियों का) अधिनियम, १९५२ की धारा ५ की उपधारा (३) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

---

*छापी नहीं गई।

वित्त (लेखा परीक्षा एवं बिक्री कर) विभाग की अधिसूचना

वित्त राज्य मन्त्री (श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी)--

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से वित्त (लेखा परीक्षा एवं बिक्री-कर) विभाग की अधिसूचना संख्या एस० टी० ११०१२/१०-९००(६)-७०, दिनांक २३ मार्च, १९७१ को उत्तर प्रदेश बिक्री-कर ऐक्ट, १९४८ की धारा ३-क के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

परिवहन मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष--

आज कोई गिरफ्तारी की सूचना नहीं आयी है। विशेषाधिकार के प्रश्न की भी कोई सूचना नहीं है।

श्री विश्वनाथ कपूर (जिला फैजाबाद)--

श्रीमन्, मैंने १२ तारीख को एक विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना दी थी परिवहन मंत्री के खिलाफ। उन्होंने सदन में एक स्टेटमेंट दिया था स्कूटर, वेस्पा, कार वगैरह के आबंटन के सिलसिले में। उस पर मैंने लिख कर आपत्ति की थी कि सदन में जान बूझ कर गलत बयानी की गयी और उन्होंने सदन को धोखा दिया है। उस पर अभी तक कोई निर्णय नहीं हुआ है। १२ तारीख को मैंने दिया था।

श्री अध्यक्ष--

मुझे अभी सूचना मिली है कि माननीय मंत्री जी जम्मू व काश्मीर गये हुये हैं। वहां से लौट कर आते ही वे अपना रिवाइज्ड स्टेटमेंट दे देंगे।

श्री विश्वनाथ कपूर--

मैंने तो विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न दिया है। अब उनके स्टेटमेंट देने की कोई बात तो नहीं है। श्रीमन्, आप प्राग्दर्शन को देख लें कि उन्होंने विशेषाधिकार को भंग किया है और इसलिये यह आवश्यक है कि इस प्रश्न को आप विशेषाधिकार समिति में भेज देने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष--

आशा है कि उनके स्टेटमेंट से आपका सेटिसफेक्शन हो जायेगा। आते ही वे सदन में अपना स्टेटमेंट देंगे। फिर भी अगर आप सेटिसफाई नहीं होंगे तो उस प्रश्न पर विचार किया जायेगा।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)--

श्रीमन्, यह स्टेटमेंट आप जल्दी ही करा दें क्योंकि खबर है कि पंडित जी रिशफल करने वाले हैं और उसमें उनका भी नाम है।

श्री अध्यक्ष--

उनके वापस आने पर जल्दी ही करा देंगे।

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)--

श्रीमन्, यह भी खबर है कि पंडित जी भी रिशफल किये जाने वाले हैं।

(हंसी)

---

*छापी नहीं गई।

माध्यमिक शिक्षा परिषद् उत्तर प्रदेश के लिए २ सदस्यों के निर्वाचन के सम्बंध में सूचना

श्री अध्यक्ष---

नियम ३१५ के खंड (१४ व १५) के अन्तर्गत---माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश के लिये दो सदस्यों के निर्वाचन के सम्बन्ध में नाम वापसी के लिये निर्धारित समय तक केवल श्री विक्रम सिंह (मेरठ) ने अपना नाम वापस लिया है। चूंकि उम्मीदवारों की संख्या निर्वाचित किये जाने वाले सदस्यों की संख्या से अधिक है, अतः अब मतदान पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार दिनांक २० अगस्त, १९७१ को विधान मंडल पुस्तकालय में दिन के १२ बजे से ४ बजे अपरान्ह तक होगा। उम्मीदवारों के नाम ये हैं :---

सर्वश्री

१---आशाराम इन्दु,
२---इन्द्रमणी बड़ोनी,
३---चन्द्रपाल आजाद,
४---डूंगर सिंह विष्ट,
५---त्रिवणी सहाय,
६---मैनेजर सिंह,
७---मोहन लाल कपूर,
८---राजेन्द्र प्रताप सिंह,
९---रामधारी शास्त्री,
१०---राम बिलास पांडेय।

य १० नाम हैं जिनमें से २ सदस्यों को चुनना है।

आयुर्वेदिक कालेजों के ३ हजार छात्रों को कालेज से निकाल दिये जाने पर छात्रों में व्याप्त असंतोष के संबंध में वक्तव्य

श्री अध्यक्ष---

अब प्रदेश के विभिन्न आयुर्वेदिक कालजों के ३ हजार छात्रों को कालेज से निकाल दिय जाने के फलस्वरूप छात्रों में व्याप्त असन्तोष के सम्बन्ध में चिकित्सा मंत्री का केवल वक्तव्य होगा।

स्वास्थ्य राज्य मंत्री (श्री प्रेम चन्द्र शर्मा)---

९ जुलाई, १९७१ को भारतीय चिकित्सा परिषद्, उत्तर प्रदेश की परीक्षायें प्रारम्भ हुई। यूनानी कालेजों की परीक्षार्थी परीक्षा में सम्मिलित हुए। किन्तु प्राप्त सूचना के अनुसार आयुर्वेदिक कलेजों के छात्र जिनकी संख्या २,००५ है, परीक्षा में सम्मिलित नहीं हुए। इसमें २६५ छात्र पंचम वर्ष के थे जो विश्वविद्यालय की डिग्री के लिये ही परीक्षा देना चाहते हैं। अन्य १७४० छात्रों को तो अभी कोई डिग्री मिलनी ही नहीं है। सामान्यतः नये शैक्षिक सत्र के प्रारम्भ होने पर जो छात्र परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं वे जुलाई में अगली कक्षा में प्रवेश लेत हैं तथा जो अनुत्तीर्ण होते हैं वे उसी कक्षा में पुनः प्रवेश पाते हैं। चूंकि आयुर्वेदिक कालेजों के छात्र परीक्षा में नहीं बैठे, अतः उन्हें विगत जुलाई, १९७१ में कालेज खुलने पर पूववत् उसी कक्षा में पढ़ाई जारी रखने के उद्देश्य से उपस्थित होना चाहिए। उक्त छात्रों को कालेज से निकालने के विषय में किसी प्रकार के निर्देश अभी तक शासन अथवा भारतीय चिकित्सा परिषद् या स्वयम् संस्था ने नहीं दिये हैं। अतः छात्रों को कालेज से निकालने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)---

जिस समय, मान्यवर, मैंने यह प्रस्ताव नियम ५१ में दिया था उस समय समाचार पत्र में छपा था कि ३ हजार विद्यार्थियों को निकाला गया है, तो मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या माननीय

स्वास्थ्य मन्त्री जी आश्वस्त हैं कि किसी को निकाला नहीं गया है ? निकाला मौखिक रूप से कह कर भी जा सकता है, और ऐसे कार्यों द्वारा भी निकाला जा सकता है कि वे आये ही नहीं, उसमें किसी आदेश की आवश्यकता नहीं होती। तो क्या वे आश्वस्त हैं कि निकाला कोई नहीं गया है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी)--

मैं इस बात से आश्वस्त हूं कि किसी भी विद्यालय से इन विद्यार्थियों को नहीं निकाला गया है और न ही किसी तरह का नोटिस आदि ही दिया गया है।

श्री सुखपाल पांडेय (जिला बस्ती)--

क्या यह सही है कि कुछ कालिजों में छात्रों के नाम काट दिये गये हैं ?

डाक्टर राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी--

जब जुलाई में सत्र आरम्भ होता है तो विद्यार्थियों को आना चाहिये। यह विद्यार्थियों पर है कि वे आते हैं या नहीं, लेकिन कालिज की तरफ से किसी का नाम नहीं काटा गया।

श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)--

यह बताया गया कि १,७४० विद्यार्थी विशेष परिस्थितियों के कारण परीक्षा नहीं दे पाये, तो क्या उन की पुनः परीक्षा कराने पर सरकार विचार करेगी ?

डाक्टर राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी--

चूंकि इन्होंने पहले परीक्षा नहीं दी है, इसलिये ऐसा विचार किया गया है कि इनकी फिर से परीक्षा करा दी जाय ताकि इनका एक वर्ष बच जाय। इस लिये बोर्ड से कहा जा रहा है कि वह इनकी परीक्षा पुनः कराने की व्यवस्था करे। उनको एक मौका और दिया जायगा।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)--

मेन कन्ट्रोवर्सी तो यही है कि भारतीय चिकित्सा परिषद् के माध्यम से उनकी परीक्षा न ली जाय, बल्कि कानपुर विश्वविद्यालय द्वारा ली जाय। आप स्वयं भी उस परिषद् को कन्डम कर चुकी हैं और यहां एक ऐक्ट भी पास हो चुका है। तो क्या आप कानपुर विश्वविद्यालय द्वारा इनकी परीक्षा करायेंगे ?

डाक्टर राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी--

कानपुर विश्वविद्यालय से इनके एफिलिएशन के सम्बन्ध में कार्यवाही चल रही है। लेकिन उसमें अभी समय लगेगा क्योंकि इसके लिये स्टेट्यूट्स आदि बनने हैं, पेनल बनेगा, तथा अन्य बहुत सी बातें होना है। अब उसमें विश्वविद्यालय कितना समय लेगा यह उसके ऊपर है। हमारी कोशिश यह है कि यह कम से कम समय में हो जाय। हो सकता है दिसम्बर तक हो जाय। जनवरी, फरवरी भी लग सकता है। जो पंचम वर्ष के विद्यार्थी हैं चूंकि उनका यह आखिरी वर्ष होगा, इसलिये उनका यह ६-७ महीना चला भी जाता है तो कोई हर्ज नहीं होगा, उनको जीवन भर के लिये एक डिग्री विश्वविद्यालय से मिल सकेगी। इसलिये वह तो इंतजार कर लें, सरकार भी उनके लिये यह सुविधा देने के लिये तैयार है, किन्तु जो अन्य कक्षाओं के विद्यार्थी हैं---पहले से चौथे तक के लिए, उनके लिये यह प्रश्न नहीं उठता है, क्योंकि इससे अकारण ही उनका एक वर्ष बेकार चला जाएगा। इसलिए यह सोचा जा रहा है कि एक बार उनको एक और मौका दिया जाए। हमारे पास गार्जियन्स की तरफ से भी यह चिन्ता व्यक्त की गई है, इसलिये हमने इस पर विचार किया।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी-गढ़वाल)--

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि आयुर्वेदिक कालेज के जो प्रथम और द्वितीय वर्ष के छात्र हैं, उनकी यह मांग है या नहीं कि जनवरी में जो विश्वविद्यालय की ओर से परीक्षा हो उस परीक्षा में उनको भी बैठने की इजाजत दी जाए न कि चिकित्सा परिषद् द्वारा आयोजित परीक्षा में उन्हें बैठने को विवश किया जाए ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेई--

केवल विद्यार्थियों की मांग से ही हम निर्णय नहीं लेते हैं, अन्य बहुत सी बातों और समस्याओं को देखकर हम कोई निर्णय लेते हैं। इस लिये तमाम बातों पर विचार करके हमने निर्णय लिया है कि अन्य कक्षाओं की परीक्षाएं तो हों और अन्तिम वर्ष वालों की विश्वविद्यालय से हो, तथा अन्य वर्षों के परीक्षार्थियों के बारे में--पहले वर्ष के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए बोर्ड को फिर से लिखा जाए कि वह एक बार फिर से परीक्षा दें और वह परीक्षा की तैयारी करें।

श्री भानुप्रताप सिंह (जिला बरेली)--

कल शाम को विद्यार्थियों, प्रिंसिपलों और मैनेजरों की एक मीटिंग उनके साथ हुई थी, तो क्या उसमें उन्होंने अपने निर्णय से सरकार को अवगत करा दिया है कि यदि समस्त छात्रों की परीक्षाएं--प्रथम वर्ष से लेकर पंचम वर्ष तक की, विश्वविद्यालय से नहीं कराई जाएंगी, तो छात्र परीक्षाओं का बहिष्कार करेंगे ? यदि हां, तो क्या इसको ध्यान में रख कर निकट भविष्य में सरकार ऐसा कोई विचार बना रही है, जिससे सदन को आश्वस्त करेगी कि उनकी परीक्षाएं वह विश्वविद्यालय से कराएगी ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी--

मैंने अभी कहा है, केवल पंचम वर्ष की परीक्षा विश्वविद्यालय से कराई जाएगी, बाकी अन्य कक्षाओं की परीक्षाएं फिर से बोर्ड ले इसकी व्यवस्था कराई जाए। कल जो बैठक हुई--प्रिंसिपल और प्रबन्धकों की यह राय थी कि वह परीक्षाओं के लिए फिर से लड़कों से कह सकते हैं और उनको तैयार भी कर सकते हैं। हमने भी विद्यार्थियों से भी काफी बातचीत की है। निर्णय लेना हमारा काम था और हमने निर्णय ले लिया है कि पहले चार वर्ष के जो विद्यार्थी हैं उनकी एक बार फिर से परीक्षा बोर्ड को लेनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष--

यह वह कहना चाहते हैं कि जो पहले साल की परीक्षा दें और वे पास हो जाएं तो उनकी दूसरे साल की यानी अगले साल की परीक्षा विश्वविद्यालय द्वारा ही हो।

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेई--

वह तो होगा ही, जिस दिन से विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षा शुरू होगी, सबकी होनी लगेंगी।

श्री भानुप्रताप सिंह--

मैं तो यह पूछ रहा था कि पहले चार वर्षों के जो छात्र हैं उन्होंने अपना विचार दिया है कि यदि विश्वविद्यालय से उनकी परीक्षाएं नहीं कराई जाएंगी तो हम परीक्षाओं का बहिष्कार करेंगे, तो मंत्री जी उसको ध्यान में रख कर इस बात का आश्वासन देंगे कि निकट भविष्य में सारी परीक्षाएं विश्वविद्यालय से कराई जाएं ?

श्री अध्यक्ष--

यह तो मैंने पूछ लिया, इस साल तो वह बैठ जाएं, लेकिन अगले साल विश्वविद्यालय से उनकी परीक्षाएं होंगी।

श्री नित्यानन्द स्वामी---

क्या मंत्री जी को इस बात का भी ध्यान है कि श्री धुलेकर जी झांसी से आए हुए हैं, उनको एक निश्चित आश्वासन कानपुर विश्वविद्यालय ने दे दिया कि ३ मास में वह सब कक्षाओं की परीक्षा ले सकता है ? तो फिर यह जिद्द क्यों है कि विद्यार्थी परीक्षा में इसी में बैठ जाएं। यदि वे बैठ भी जाएंगे तो रजिस्ट्रार वगैरह से उनको न्याय नहीं मिल पाएगा। कानपुर विश्वविद्यालय इस बात के लिये तैयार है और श्री धुलेकर जी की बात का अविश्वास नहीं किया जा सकता। क्या माननीय मंत्री जी इस अन्तिम स्थिति को ध्यान में रखते हुए कि कानपुर विश्वविद्यालय ने आश्वासन दे दिया है आप अपनी जिद को छोड़ देंगे और सबकी परीक्षाएं विश्वविद्यालय में होने देंगे भले ही तीन के बजाय चार महीने लग जायं, ऐसा आश्वासन दे दें।

श्री अध्यक्ष---

पहले आपने प्रश्न पूछा था उन्होंने बताया था कि ऐसी परिस्थिति आयेगी तो विचार करेंगे।

श्री नित्यानन्द स्वामी---

यह कहती तो सब कुछ हैं करती कम हैं।

श्री कृष्णानन्द राय---

इसमें केवल मान अपमान का प्रश्न आ गया है। प्रैक्टिकल डिफीकल्टी कुछ नहीं है। चूंकि भारतीय चिकित्सा परिषद् की परीक्षाओं का विश्वविद्यालय ने बहिष्कार कर दिया है भारतीय चिकित्सा परिषद् और विभाग ने इसको मान अपमान का प्रश्न बना लिया है। जब सरकार स्वीकार कर चुकी है कि कानपुर विश्वविद्यालय से सम्बन्धित परीक्षाएं होंगी तो आप माननीय मंत्री जी को समझा दें, यह बेकार के प्रश्न में उलझी हुई हैं। विद्यार्थी कभी भी भारतीय चिकित्सा परिषद् की परीक्षाओं में नहीं बैठेंगे। पुनः आप को उसके बारे में अरेंजमेंट करना पड़ेगा। इससे लाभ नहीं होगा।

श्री अध्यक्ष---

स्वास्थ्य मंत्री इसका कोई निपटारा सोचें।

डाक्टर राजेन्द्रकुमारी बाजपेई---

माननीय अध्यक्ष जी, मैंने अपनी बात स्पष्ट कर दी कि तीन महीने या चार महीने की जगह पांच महीने भी हो सकते हैं, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए यह विचार किया गया कि चार वर्ष के जो विद्यार्थी हैं उनकी परीक्षा ली जाय। जो माननीय सदस्य ने अभी कहा कि वह कभी परीक्षा नहीं देंगे, और यह मान अपमान की चीज है, शासन के सामने मान अपमान का सवाल नहीं है। हम केवल विद्यार्थियों और अविभावकों के हित में इस निर्णय को लेने के लिए बाध्य हुए हैं परन्तु फिर भी कोई भी परिस्थिति आती है, विद्यार्थी परीक्षा नहीं देते हैं, या कुछ है तो उस परिस्थिति में दूसरी चीजों पर विचार किया जा सकता है। लेकिन अभी हमारा निश्चय है कि परीक्षा देनी चाहिए विद्यार्थियों को। अगर एकदम नहीं देंगे तो क्या होगा, वह अलग सी चीज है।

श्री नित्यानन्द स्वामी---

माननीय मन्त्री जी कौन सी परिस्थिति के इन्तजार में हैं ? क्या वह चाहते हैं कि अनुशासनहीनता हो ? उनके विचार उनको मालूम हैं, सदन के विचार उनको मालूम हो गये। मैं निवेदन करता हूं कि वह इस पर पुनर्विचार करें। इस झंझट को निपटा दिया जाय।

श्री अध्यक्ष---

आपने धुलेकर जी की बात कही है। उनको ले आइये। बात कराइये।

श्री नित्यानन्द स्वामी---

पहले आप के पास आएंगे ।

श्री अध्यक्ष---

मेरे पास नहीं आये ।

श्री सुखपाल पांडेय---

मैंत्री जी ने खुद तस लीम किया है कि विश्वविद्यालय से परीक्षा हो तो प्रथम वर्ष से चतुर्थ वर्ष तक के छात्रों की परीक्षा लेने में क्या कठिनाई हो रही है ?

श्री अध्यक्ष---

ले लेंगे । उन्होंने तो कह दिया ।

१९७१-७२ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान---अनुदान संख्या १८---शिक्षा (क्रमागत)†

डाक्टर हरिप्रसाद शाही (जिला गोरखपुर)---

मान्यवर, मैं आपका बड़ा ही अनुगृहीत हूं कि आप ने यह अवसर दिया कि शिक्षा की मांग पर जो बहस चल रही है उसमें मैं भाग ले सकूं । मैं इस मांग का, जो करीब ५४ करोड़ रुपये की है, समर्थन करता हूं । समर्थन इसलिये करता हूं कि इस बजट में . . .

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)---

एक व्यवस्था का प्रश्न है । शिक्षा विभाग के महत्व को देखते हुए इस पर बहस दो दिन के लिये थी लेकिन बाद में डेढ़ दिन के लिये हो गयी । कल इस पर मुश्किल से आध घंटा बहस चली और आज के हिसाब से जितना समय हो चुका है मुश्किल से १ घंटा इस पर बहस चलेगी । तो डेढ़ दिन का मामला डेढ़ घंटे पर आ जाता है । इसलिये मेरा अनुरोध है कि इस अनुदान के महत्व को देखते हुए आज बहस को जल्दी खत्म न होने दें ।

श्री अध्यक्ष---

कल कोरम नहीं रहा । महत्व को समझते थे तो बैठे रहते लेकिन सब चल दिए ।

वित्त मंत्री (श्री नारायणदत्त तिवारी)---

कल दो घंटे का समय बढ़ा दिया गया था ।

श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)---

आज भी सदन का समय दो घंटे बढ़ा दिया जाय जिससे इस अनुदान पर माननीय सदस्यों को बोलने का अवसर मिल जाय ।

श्री नारायणदत्त तिवारी---

कल इस सम्बन्ध में जब सदन में चर्चा हुई तो विरोधी पक्ष के नेताओं के सुझाव पर दो घंटे का समय बढ़ा दिया गया था ।

श्री महीलाल---

मान्यवर, जो समय बढ़ाया गया था वह विधेयकों के कारण बढ़ाया गया था न कि अनुदान के लिये । प्रति वर्ष दो दिन शिक्षा के अनुदान पर मिलते रहे हैं लेकिन यह दुर्भाग्य है कि इस वर्ष डेढ़ दिन भी पूरा नहीं मिल पा रहा है । इसलिये मेरा अनुरोध है कि आज दो घंटे का समय इस शिक्षा के अनुदान के लिये बढ़ा दिया जाय ।

---

† १६ अगस्त, १९७१ की कार्यवाही से ।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

कोरम पूरा न होने की जो बात कही गयी इससे ऐसा मालूम होता है जैसे सारी गलती विरोधी पक्ष की है। इसकी कुछ जिम्मेदारी सरकारी पक्ष पर भी तो है। लिहाजा आप भी उतने ही दोषी हैं जितना विरोधी पक्ष है। इस बात को जानते हुए कि बजट पास कराना है उनकी जिम्मेदारी ज्यादा है। इसलिये इस बात को ध्यान में रखते हुए जिस प्रकार शिक्षा का अनुदान चला करता है उसके लिये काफी समय मिलना चाहिये।

श्री नारायणदत्त तिवारी—

हमारी जिम्मेदारी है और हम पूरा प्रयास भी करते हैं कि कोरम बना रहे और कल जब तक मैं बना रहा यानी सवा ६ बजे तक उस समय तक कोरम बना रहा और बहस चलती रही। उसके बाद मुझे मजदूरों की एक वार्ता में जाना था। कल इस सम्बन्ध में जब प्रश्न उठाया गया था तो सम्मानित शान्ति प्रपन्न शर्मा, जो मुख्य सचेतक हैं, ने प्रस्ताव किया कि दो घंटे का समय बढ़ा दिया जाय और उनके सुझाव को स्वीकार किया गया और उसके अनुसार दो घंटे का समय बढ़ा दिया गया और काफी समय तक विवाद चलता रहा।

श्री अध्यक्ष—

६.४० पर विवाद समाप्त हुआ था।

श्री मोहनलाल कपूर (जिला मेरठ)—

मेरा अनुरोध है कि कार्य मंत्रणा समिति में चाहे कुछ भी तय हुआ था, लेकिन आज दो घंटे का समय और बढ़ा दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—

कायदा यह है कि कोई बोल रहा हो तो बीच में अन्य सदस्य न टोकें। मैंने श्री हरि प्रसाद शाही को बुलाया था। वह अपना भाषण जारी रखें।

डाक्टर हरिप्रसाद शाही—

पिछले बजट वर्षों के मुकाबले शिक्षा के क्षेत्र में कुछ उपलब्धियां ऐसी हुई हैं जो उल्लेखनीय हैं और सराहनीय हैं। कम से कम इस बार यह कहा गया है कि ६ वर्ष से ११ वर्ष तक की आयु के जितने बालक हैं उनको शिक्षा दी जायगी। इसी प्रकार अध्यापकों के वेतन के सम्बन्ध में, उनकी महंगाई के सम्बन्ध में तथा माध्यमिक शिक्षक वर्ग को भी कुछ सुविधायें दी गयी हैं। इन उपब्धियों के कारण मैं कहता हूं कि इस अनुदान का जोरदार समर्थन होना चाहिये और इस सम्मानित सदन से यदि शिक्षा के लिये और अधिक धन की मांग की जाये तो उसे स्वीकार करना चाहिये।

यह बात सही है कि शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सी समस्यायें हैं,बहुत से प्रश्न हैं किन्तु ऐसे अवसर पर हम को विचार करना होगा कि कौन से प्रश्न और कौन सी समस्यायें ऐसी हैं जो कि गौण हैं और कौन से प्रश्न और कौन सी समस्याएं ऐसी हैं जो कि प्रधान ह। प्रधान समस्याएं इस माने में जो कि मौलिक रूप से हमारे सामने आती हैं। यदि मौलिक समस्याओं का जिन्हें कि हम प्रधान समस्यायें कहते हैं, हल निकाल दिया जाय तो सम्भवतः जो गौण समस्यायें हैं वे अपने आप हल होती जायेंगी।

इसलिये हमें समस्याओं को दो भागों में विभक्त करना होगा—गौण समस्यायें और प्रधान समस्यायें। प्रधान समस्याओं का, जो कि मौलिक हैं, सर्व प्रथम समाधान करना होगा जिससे कि गौण समस्यायें अपने आप हल हो जायं। यह बात अपने स्थान पर सही है कि शिक्षा के क्षेत्र में हमारे जो अध्यापक लोग हैं उनके वेतन और महंगाई भत्ते कम हैं। यह भी कहा जाता है

[डाक्टर हरि प्रसाद शाही]

कि वे लोग एक ब्लाक प्रमुख के अन्डर में काम करते हैं और ब्लाक प्रमुख इन अध्यापकों को अपने राजनीतिक हथकन्डे बना लेते हैं। यह भी प्रश्न आता रहता है कि प्रत्येक अध्यापक अपने घर के पास ही रहना चाहता है। ठीक काम नहीं करता उदाहरणस्वरूप एक प्राइमरी स्कूल के बारे में कहता हूं जिसमें कि केवल ३ अध्यापक हैं जो कि अपना कार्य ६ दिन के लिये आपस में बांट लेते हैं। एक अध्यापक २ दिन काम करता है फिर दूसरा अध्यापक दूसरे दो दिन तक और तीसरा अध्यापक आखिरी २ दिन तक काम करता है। इस प्रकार की अनेकानेक समस्यायें हैं, किन्तु मैं इन्हें महत्वपूर्ण समस्यायें नहीं समझता हूं।

प्रारम्भिक शिक्षा के अतिरिक्त अगर आप माध्यमिक शिक्षा के स्तर को देखें तो वहां पर भी इसी प्रकार के उदाहरण मिलेंगे। माध्यमिक शिक्षा को भी कुछ लोग निजी सम्पत्ति समझते हैं। इसी सन्दर्भ में मैं एक उदाहरण आप के सामने रखे देता हूं कि एक स्थान पर २ भाइयों में बंटवारा होने लगा। एक भाई ने कहा कि मैं तो भट्ठा लूंगा और दूसरे ने कहा कि मैं उस माध्यमिक स्कूल का मैनेजर बन जाऊंगा। इस प्रकार विद्यालय को निजी सम्पत्ति बना लिये हैं।

विश्वविद्यालय स्तर पर भी समस्यायें हैं। वहां पर अनुशासन सम्बन्धी समस्या है, अध्यापकों की समस्या है। वहां के लिये कहा जाता है कि अध्यापक कम से कम शिक्षण कार्य करता है। मुझे २० वर्ष तक विश्वविद्यालय स्तरीय क्षेत्र में रहने का अवसर प्राप्त हुआ है और उसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि एक अध्यापक को वहां पर एक साल में १८० घन्टे अध्यापन का कार्य करना होता है। मैं जब विश्वविद्यालय में था तो मैं भी १८० घंटे से कम ही एक साल में अध्यापन का कार्य किया करता था। विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों के अनुशासन, वित्तीय व संख्या सम्बन्धी अनेकानेक समस्यायें हैं। वहां पर परीक्षा के समय पर पर्सनल इक्वेशन भी बहुत काम करता है।

आज विश्वविद्यालय स्तर पर परीक्षायें दोषपूर्ण हो गई हैं। परीक्षाओं में व्यक्तिगत दृष्टिकोण भी काम करने लगा है और बहुत से विद्यार्थी प्राध्यापकों के कोपभाजन बन जाते हैं। उनमें निराशा की भावना उत्पन्न हो जाती है और इसी प्रकार से आगे चल कर वह अनुशासनहीनता का प्रश्न बन जाता है। प्रारम्भिक, माध्यमिक विश्वविद्यालय स्तर पर जिन समस्यायों की चर्चा की गई है मैं समझता हूं ये गौण समस्यायें हैं, ये गौण प्रश्न हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न तो दूसरे हैं। मैं महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर इस सम्मानित सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

आप देखें कि प्रदेश की ८८३ लाख की जनसंख्या है। १९७१ की जनगणना के अनुसार २१.६ फीसदी लोग साक्षर हैं। इसका मतलब यह है कि वह पढ़-लिख सकते हैं। केवल अपने दस्तखत कर सकते हैं उनकी संख्या लें तो ३ करोड़ के करीब होती है। १६.५ फीसदी हमारे बच्चे हैं। उनको निकाल दें और बुड्ढों को निकाल दें और केवल २० से ५० वर्ष के इस प्रदेश मे तीन, साढ़े तीन करोड़ लोग ऐसे हैं जो हस्ताक्षर नहीं कर सकते हैं।

मान्यवर, मैं इस सम्मानित सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि हम विश्वविद्यालय स्तरीय बातों को करेंगे, माध्यमिक शिक्षा की, प्रारंभिक शिक्षा की बात करेंगे लेकिन यह एक आश्चर्य है कि प्रदेश में ३ करोड़ से ऊपर लोग साक्षर नहीं हैं, दस्तखत नहीं कर सकते उनकी तरफ ध्यान नहीं देते। यह देख कर इस प्रदेश का सर नीचा हो जाता है। हमें सोचना पड़ेगा कि इस बजट में क्या इसका प्राविधान किया गया है, क्या हमारा उत्तरदायित्व है। क्या उत्तर प्रदेश सरकार का कर्त्तव्य नहीं है कि २० से ५० वर्ष आयु के लोग जो दस्तखत नहीं कर सकते हैं उनको साक्षर करें? मैं समझता हूं यह बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है। जैसे कि निजी क्षेत्र के मुकाबले में सार्वजनिक क्षेत्र का महत्व उत्तरोत्तर बढ़ता जा रहा है। उसी अंश में साक्षर करने का भी उत्तरदायित्व बढ़ता जा रहा है।

यह प्रश्न इसलिए उठता है कि आज से २४ वर्ष पहले तो गांवों में पटवारी काम करता था और सिपाही काम करता था। दोनों ही शोषण करने वाले थे जमींदार भी शोषण करता था लोगों की अज्ञानता का लेकिन आज तो प्रश्न दूसरा हो गया है। आज सार्वजनिक क्षेत्र उत्तरोत्तर बढ़ता जा रहा है। आज कई इकाई गांव में काम कर रही हैं। आपने विकास खंडों को कर दिया कृषि में, उद्योग में, शिक्षा में, उत्थान के कार्यक्रम हैं। एक जाल बिछाना चाहते हैं। सिंचाई विद्युत् विकास के लिये सरकारी कर्मचारी लगे हैं। जब हम समाजवादी समाज की कल्पना करते हैं तो निश्चय ही ग्रामीण क्षेत्र में एक सरकारी या सार्वजनिक क्षेत्र का हम जाल बिछाना चाहते हैं।.....

(लाल बत्ती होने पर)

कम से कम 20 मिनट का समय दें।

श्री अध्यक्ष––

ढाई बजे यह खत्म हो जायगा। ज्यादा समय नहीं है।

डाक्टर हरिप्रसाद शाही––

इसलिए यह आवश्यक है कि इस क्षेत्र पर ध्यान दिया जाय कि इसका उत्थान कैसे हो। गांव शोषण का केन्द्र बन गया है और शोषण होता है उन्हीं लोगों का जो हस्ताक्षर नहीं कर सकते हैं पढ़े लिखे नहीं हैं। इनको साक्षर बनाने की योजना बनानी होगी, तीन करोड़ आदमियों को कैसे साक्षर कर सकते हैं। हमारा सुझाव है कि हम को जनान्दोलनात्मक एक कार्यक्रम बनाना चाहिए। हम समझते हैं कि हमारे कुल शिक्षकों की ही संख्या सवा तीन लाख के है। २ लाख तो हमारे प्रारंम्भिक शिक्षा में कार्य कर रहे हैं। ३ हजार विश्वविद्यालय स्तरीय हैं। ६ हजार के करीब डिग्री कालेजेज में हैं और ७३ हजार ऐसे हैं जो माध्यमिक शिक्षा दे रहे हैं। इस सवा तीन लाख की फौज के अतिरिक्त विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को भी ले सकते हैं, ३ महीने का कार्यक्रम बना करके निरक्षरता का नाश कर सकते हैं और कम से कम इस शर्म को तो दूर कर सकते हैं। ऐसे स्थान हैं--बस्ती, बहराइच, बदायूं, जहां कि हमारी साक्षरता १५ प्रतिशत से भी कम है। यह बड़ी लज्जा की बात है।

दूसरी बात प्रारंभिक शिक्षा के संबंध में कहना चाहता हूं कि प्रारम्भिक शिक्षा में आप देखेंगे कि बहुत बड़ी धनराशि दी जा रही है। यह जिला परिषद् या निकायों के हाथ में है। जितना खर्चा हम देते हैं करीब-करीब सरकार दे रही है। इसलिये हम सोच सकते हैं कि प्रारम्भिक शिक्षा का राष्ट्रीयकरण करें। ऐसा अवश्य करना चाहिये क्योंकि एक करोड़ विद्यार्थी हैं और इनकी शिक्षा के लिये पैसा भी हम देते हैं इसलिये हमारा दृष्टिकोण ऐसा होना चाहिये कि राष्ट्रीयकरण करें।

दूसरे माध्यमिक शिक्षा के संबंध में हम कहना चाहते हैं कि यह उतनी बढ़ नहीं पाई जितनी कि इसको बढ़ना चाहिये था। इस क्षेत्र में २० लाख विद्यार्थी हैं। डेढ़ लाख विद्यार्थी विश्वविद्यालय के स्तर पर शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। क्या यह सन्तुलित है? एक करोड़ विद्यार्थी प्रारम्भिक शिक्षा में हैं, २० लाख विद्यार्थी माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में हैं और डेढ़ लाख विश्वविद्यालय की शिक्षा के स्तर पर शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। मैं समझता हूं यह संतुलन ठीक नहीं है। इसका संतुलन ठीक होना चाहिये। माध्यमिक शिक्षा के अध्यापकों के वेतन की जिम्मेदारी सरकार ने अपने ऊपर ली है। यह एक बड़ा बोझ है फिर भी आवश्यकता इस बात की है कि माध्यमिक शिक्षा में अभी निजी क्षेत्र को बढ़ावा दिया जाय।

मैं विश्वविद्यालय की शिक्षा के संबंध में दो चार बातें सदन के सामने रखना चाहता हूं और वे हमारे अनुभव के आधार पर हैं। हम कहना चाहते हैं कि सम्भवतः विश्वविद्यालय की शिक्षा में दृष्टिकोण दूसरे प्रकार का होना चाहिये। यह हमारे लिये सोचने की बात है। यहां पर माननीय शिक्षा मंत्री जी बठे हुये हैं, आप विद्वान हैं, सूझ-बूझ रखते हैं।

[डाक्टर हरिप्रसाद शाही]

अनुभवी हैं। अतः देखें किस प्रकार से कितनी छूट इस क्षेत्र में दे सकते हैं। कितना सरकार का अधिकार रख सकते हैं। यह संतुलन की बात है। दूसरे स्तरों की शिक्षा के मुकाबले में विश्वविद्यालय स्तर पर अधिक छूट देने की जरूरत है। जहां हम प्राइमरी स्कूलों का राष्ट्रीयकरण करना चाहते हैं, माध्यमिक शिक्षा में संतुलन लाना चाहते हैं वहां हम चाहेंगे कि इसमें अधिक से अधिक छूट देनी चाहिये।

कम से कम परीक्षा के संबंध में आमूल परिवर्तन करने की जरूरत है। माध्यमिक शिक्षा में बोर्ड आफ हाई स्कूल एण्ड इण्टरमीडिएट में बहुत बड़ी संख्या में लड़के परीक्षा में बैठते हैं। पिछले वर्ष एक कमेटी बठी थी। उसने नीति निर्धारित कर दी थी। मैं कहना चाहता हूं कि इसमें बहुत कठिनाई नहीं है। थोड़ा बहुत परिवर्तन करके इसको चार भागों में विभाजित कर सकते हैं कि कमेटी की सिफारिश थी। एक मेरठ में, दूसरा लखनऊ में, तीसरा इलाहाबाद में और चौथा गोरखपुर में इसकी ब्रांच हो जाय। यह आवश्यक है कि आप इसका विकेन्द्रीकरण कर दें। हम विश्वविद्यालय की शिक्षा के संबंध में बात कर रहे थे वहां भी परीक्षा में आमूल परिवर्तन करने की जरूरत है। कैसे हो, कठिन नहीं है केवल साहस की जरूरत है। साहस से काम करना पड़ेगा। आज की प्रणाली तो ब्रिटेन की लीगेसी है, वहां के शिक्षा पद्धति की शुद्ध नकल है। इसमें आमूल परिवर्तन करने की जरूरत है। इसलिये साहस के साथ वह हमें करना चाहिये।

जहां तक चयन समितियों का सवाल है, विश्वविद्यालय में ये समितियां ठीक काम नहीं कर रही हैं। आपने उनके बारे में जो नियम बनाये हैं वे ठीक नहीं हैं। उनमें परिवर्तन करने की जरूरत है। पहले प्राध्यापकों के तीन वर्ग लेक्चरार, रीडर और प्रोफेसर के होते थे उसको एक बार २ ग्रेड कर दिया गया। अब फिर तीन कर दिये गये हैं। विश्वविद्यालयों की यह उचित मांग है कि आप उसका एक ही वेतन ग्रेड रख दें। महाविद्यालयों में भी इसी प्रकार की बात सोचनी होगी। ऐसा कर देंगे तो एक बहुत बड़ी कठिनाई दूर हो जायगी।

पिछले वर्ष ७४ करोड़ रुपया शिक्षा पर व्यय किया गया था। और उसमें करीब ५३ करोड़ रुपये की धनराशि अनुदान रूप में थी। अनुदान देने की वर्तमान प्रणाली ठीक नहीं है उसमें भी आपको परिवर्तन करने की आवश्यकता है। इसको आपको ठोस बनाना होगा। कभी-कभी यह कहा जाता है कि २ हजार रुपये की ग्रान्ट मिल जायगी यदि २०० रुपया खर्च कर दिया जाय। मैं इसमें विश्वास नहीं करता। लेकिन यह एक चर्चा का विषय है। यह कहा जाता है तो इसके माने हैं, कहीं लीकेज है। ५३ करोड़ रुपये में यदि एक फीसदी का भी लीकेज होता है तो ५३ लाख रुपया हो जाता है। इतनी बड़ी रकम का लीकेज हो जाती है। इसलिये इस प्रणाली में आमूल परिवर्तन करने की आवश्यकता है।

जहां तक मान्यता का संबंध है, मान्यता महाविद्यालयों और माध्यमिक विद्यालय स्तर पर दी जाती है। मेरा विचार है कि इसको सरल बनाना चाहिए और बाबू लोगों के नोट पर नहीं छोड़ना चाहिए। इसमें आप को अपना दृष्टिकोण बदलना चाहिये। कुछ नये नार्म्स आपको बनाने चाहिये। और यदि लोग उस क्षेत्र में काम करना चाहते हैं तो उनको मौका दिया जाना चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं यह कहना चाहता हूं कि जहां एक ओर विश्वविद्यालय की शिक्षा में परिवर्तन करने की जरूरत है वहां मैं इस पर भी बल देना चाहता हूं कि हमारे जो ३ करोड़ आदमी निरक्षर हैं उनको भी साक्षर बनाने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। बजट का कुछ हिस्सा इस पर भी खर्च किया जाना चाहिये जिससे मानव संस्थान का सृजन हो और सत्यं शिवं सुन्दरम् के आदर्श को प्राप्त कर सकें।

श्री अध्यक्ष—

अब श्री अनन्तराम जायसवाल जी का नम्बर था लेकिन वे इस समय मौजूद नहीं हैं। श्री रामकुमार बोलेंगे।

श्री रामकुमार दीक्षित (जिला कानपुर)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, जो कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है, मैं उसका समर्थन करता हूं। जहां तक शिक्षा का संबंध है, शिक्षा किसी देश की संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक होती है। अगर शिक्षा को हम यह कहें कि शिक्षा किसी भी देश और समाज की मेरुदण्ड होती है, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। इस दृष्टिकोण से जब हम स्वाधीन भारत की उपलब्धि देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि इसकी ओर एक कदम भी हम आगे नहीं बढ़ पाये हैं। क्या कारण रहा और किन सरकारों के कारण ऐसा नहीं हो पाया, यह विवाद का विषय है। मैं उसमें नहीं जाना चाहता। लेकिन मैं मूल रूप से आपका ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूं कि जो शिक्षा की बुनियादी आवश्यकता है या जो उसका मौलिक महत्व है यदि उस मौलिक महत्व की उपलब्धि हम न करा सकें अपनी व्यवस्था से तो निःसन्देह हमें अन्तर्मुखी होकर सोचना पड़ेगा कि आखिर यह कमी कहां है जो हम उस लक्ष्य की उपलब्धि नहीं करा पाते हैं जिसके लिये करोड़ों रुपया खर्च हो रहा है।

जहां तक शिक्षा जगत की उपलब्धि की बात है स्वतंत्र भारत में आज अगर मैं यह कह दूं कि आपकी शिक्षा संस्थायें हुजूर और मजूर बनाने की एक एजेन्सी हैं तो कोई गलत बात नहीं होगी। एक ओर तो आप ऐसे लोग निकालते हैं जो हुजूर की श्रेणी में आते हैं और दूसरी ओर ऐसे लोग निकालते हैं जो मजूर की श्रेणी में आते हैं। आपने गांधी जी के उस पावन आदर्श को, जिसकी उन्होंने अनेकों बार चर्चा की है, उनका साहित्य है कि शिक्षा स्वावलम्बी होनी चाहिये, शिक्षा बुनियादी तौर पर आदमी को उसके चरित्र निर्माण की ओर ले जाने वाली होनी चाहिये, उसको भुला दिया और हमें खेद है कि हमने अभी तक कोई ऐसा व्यावहारिक दृष्टिकोण नहीं अपनाया जिससे हम शिक्षा को उस ओर से ले जा सकते जैसी कि गांधी जी की कल्पना थी।

उस पक्ष के लोग गांधी जी की बात बहुत करते हैं और उनकी दुहाई भी निरन्तर देते हैं, लेकिन उनके आदर्शों का हनन हो रहा है। यदि आप चाहते हैं कि उनके विचारों के अनुकूल यह देश बने तो आवश्यकता है कि उसके लिये जो बुनियादी परिवर्तन शिक्षा में लाने चाहिये थे वह आप लायें। आप स्वावलम्बी बेसिक शिक्षा को प्रधानता प्रदान करें। गांधी जी चाहते थे कि पढ़ने लिखने के बाद देश का नौजवान बेकार न फिरे। वह चाहते थे कि शिक्षा से मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक विकास पूरी तरह से हो। लेकिन न हमारा आध्यात्मिक विकास हुआ, न मानसिक विकास हुआ और न शारीरिक विकास हुआ।

आज चारों ओर अनुशासनहीनता है। शिक्षा क्षेत्र से जो लोग निकलते हैं उनका क्या दृष्टिकोण है? कहीं न कहीं कमी है उस पद्धति में जिसका अध्ययन करके लोग निकलते हैं। हम चाहते हैं कि माननीय मंत्री जी विचार करें। वह शिक्षा के शास्त्री हैं। शिक्षा के जगत में उनका काफी अनुभव है और गांधी जी के निकट होने की बात भी वह कहते रहते हैं। वह शिक्षा को उस ओर ले जायं। श्रद्धेय विनोबाजी ने इस बारे में काफी लिखा है कि कैसी शिक्षा पद्धति होनी चाहिये। यदि आप उस पर विचारें तो आप को काफी सामग्री मिल सकती है। यदि आप नहीं सोच पाते हैं तो इस देश के विचारक आप को बता रहे हैं। उस पर आपको चलने में सहायता मिलेगी।

एक बात परीक्षा के बारे में जरूर कहना चाहता हूं। अगर हम यह कहें कि परीक्षा की पद्धति दोषपूर्ण है तो केवल इतने से काम नहीं चलेगा। परीक्षा पद्धति तो बिल्कुल बेकार हो गयी है, ऐसा लगता है। कारण क्या है? किसी परीक्षा में बैठे हुये परीक्षार्थी को क्या आप कह सकते हैं कि जो उसकी योग्यता है, जिसके आधार पर वह प्रश्नों को हल करता है उससे उसको उस प्रकार के नम्बरों की उपलब्धि हो सकती है? नहीं हो सकती है। बेईमानी करने वाले लोग, छुरी और चाकू के जोर से नकल करने वाले विद्यार्थी अच्छे नम्बर पाते हैं। आये दिन इनविजिलेटर्स को मारा जाता है, उनको भयभीत किया जाता है।

[श्री राम कुमार दीक्षित]

उनकी यह हिम्मत नहीं है कि वह परीक्षा में बैठने वाले विद्यार्थी को नकल करने से रोक सकें। इतना ही नहीं, जहां कापियां जाती हैं वहां जाकर नम्बर बढ़वाते हैं और पास होने की चेष्टा करते हैं। इस तरह से वर्तमान परीक्षा पद्धति तो बिलकुल बेकार सिद्ध हो चुकी है। इसलिये आप इसमें आमूल परिवर्तन करिये। और कोई दूसरा तरीका सोचिये कि यह जो इम्तहान की आपकी पद्धति है इसके अतिरिक्त कोई दूसरी पद्धति अपनायें जिसके द्वारा कौन व्यक्ति उत्तीर्ण होगा और कौन उसका प्रमाण-पत्र देगा यह सब परिवर्तन के साथ नये रूप में सामने आयें।

आज जो डिग्री की परीक्षा है वह हो जाने के बाद जो पी एच० डी० करते हैं उनके लिये कोई परीक्षा नहीं होती है। वह अपनी एक थीसिस तैयार करता है, चाहे वह किसी प्रकार से नकल करके तैयार कर ले, चाहे किसी की राय लेकर तैयार कर ले लेकिन जब वह अपनी थेसिस तैयार करके दे देता है और वह थीसिस स्वीकार हो जाती है तो उसको वह डिगरी मिल जाती है। इस प्रकार से इसको एक दूसरे ढांचे में डाल रखा है कि जिसके लिये हम चाहते हैं कि माननीय मंत्री जी इस ओर अपना ध्यान दें और ऐसी व्यवस्था चालू करें जिसके द्वारा विद्यार्थियों का यह जो परीक्षा में बैठने का ढंग है वह समाप्त हो। ऐसी नवीन पद्धति को चालू करें जिसके द्वारा विद्यार्थियों की योग्यता, उनकी अनुशासनशीलता, उनकी दक्षता के आधार पर प्रमाण-पत्र मिलें। वह अपने अन्दर अनुभव करें कि उन्होंने अपना बौद्धिक विकास किया है। यदि उनको ऐसा प्रमाण-पत्र मिलेगा तो वह अपने जीवन में सफलता का अनुभव करेंगे अन्यथा आज विद्यार्थी जो डिग्री प्राप्त करने के लिये पढ़ते हैं वे ज्ञान उपार्जन के लिये नहीं पढ़ते हैं, वे बौद्धिक विकास के लिये नहीं पढ़ते हैं; वे केवल डिग्री प्राप्त करने के लिये ही पढ़ते हैं और केवल डिग्री ही प्राप्त करना चाहते हैं और उसको वह चाकू और छुरे के बल पर प्राप्त कर लेते हैं। उस डिग्री को प्राप्त कर लेने के बाद जब वे समाज में उतरते हैं तो उनका वही रूप हमको देखने को मिलता है। तो फिर आज आप उस समाज की रचना की कल्पना कैसे करते हैं जिस समाज के लिये इस प्रकार के युवक संस्थाओं से निकलते हैं जिनमें बुराई की भावना भरी रहती है। इसलिये मेरी मांग यह है कि इस परीक्षा पद्धति में आमूल परिवर्तन लाने की मंत्री जी घोषणा करें जिससे इस प्रदेश का ही नहीं बल्कि सारे देश के लिये एक मार्ग प्रदर्शन हो सके कि इस परीक्षा पद्धति में परिवर्तन करके एक नयी दिशा दी गई है।

आपके यहां मान्यता देने के विषय में भी एक बड़ा झंझट है। आज जो उच्चतर माध्यमिक स्कूल हैं उनके लिये मान्यता देने की जो पद्धति है, मैं समझता हूं मान्यता के मामले में उनके लिये काफी राजनैतिक दबाव पड़ता है। राजनतिक दबाव के कारण ही उन संस्थाओं को मान्यता मिलती है। जो संस्थायें उपयुक्त पात्र हैं उनको मान्यता नहीं मिलती है। इसलिये मेरा निवेदन है कि आप ऐसा फार्मूला बनायें जिससे जो उपयुक्त सस्थायें हों उनको बिना किसी भाग दौड़ के, बिना किसी अपरोच के और बिना किसी राजनैतिक दबाव के मान्यता मिल सके ताकि वह अपने संस्थाओं का विकास कर सकें।

जूनियर हाई स्कूलों की मान्यता के संबंध में यह निवेदन करना चाहता हूं कि आपने उनके लिये इतने सख्त नियम बना रखे हैं जिसके कारण उनको मान्यता मिलना बहुत कठिन हो जाता है। आपके नियम कहते हैं कि उनके पास २५ बाई ३० के कमरे होने चाहिये। इसके अलावा और भी बहुत सी शर्तें हैं जिनका पूरा करना उनके लिये बहुत कठिन हो जाता है तो मेरा यह निवेदन है कि जूनियर हाई स्कूल आज शिक्षा दे रहे हैं जिला परिषदों के अन्तर्गत। जिला परिषदों के पास उनका इन्तजाम है। जिला परिषदों के पास स्वयं भी ऐसे कमरे बड़े-बड़े नहीं होते हैं। जिन भवनों में जिला परिषद् अपने काम करते हैं वे भवन भी इतने लम्बे चौड़े नहीं होते हैं। इस कारण वे संस्थायें आपकी सारी शर्तें पूरा नहीं कर सकती हैं।

जब सरकार स्वयं ही जिम्मेदारी ले ले कि सारी शिक्षा हम ही देंगे तब तो बात दूसरी है लेकिन जब आपने प्राइवेट संस्थाओं को भी अवसर दिया है कि वह जनता की सेवा कर और अपना स्कूल चलायें। तो उनके लिये इस प्रकार की शर्तें होना चाहिये जिनको वह पूरा कर सकें। यदि प्राइवेट संस्थाओं को आप अपने पैरों पर खड़ा होने का अवसर नहीं देंगे तो वे किस प्रकार से जनता की सेवा कर सकेंगे। फिर यह भी देखने की बात है कि ये प्राइवेट संस्थायें आपकी सरकारी संस्थाओं से अच्छा काम करती हैं। इसलिये मैं माननीय मन्त्री जी से कहूंगा कि जूनियर हाई स्कूल तक मान्यता के लिये आपने जो सख्त नियम बना रखे हैं, उनको ढीला किया जाय। यदि आपका विभाग इस बात से आश्वस्त हो जाय कि निश्चय ही यह संस्था उस क्षेत्र के लिय उपयोगी है तो जो कमरों की या दूसरी आपने सख्त शर्तें लगा रखी हैं उनको ढीला किया जाय। यदि कुछ वर्ष पहले किसी स्कूल ने १२ बाइ २५ के कमरे बना लिये हैं तो क्या वह उनको गिरा कर नये कमरे बनाये। इस कारण आपको इन शर्तों में कुछ ढीलापन करना चाहिये।

एक बात मैं यह भी कहूंगा कि जिला परिषदों के प्राइमरी स्कूलों की जो स्थिति है उसकी तरफ भी मंत्री जी का ध्यान जाना चाहिये। आप ने स्कूल खोले और पंचवर्षीय योजना में काफी संख्या में स्कूल खोले गये, स्कूल भी खुले और उन में अध्यापक भी रखे गये लेकिन आप ने उन के लिये कुछ ऐसा नहीं किया कि इन स्कूलों के लिये जो आवश्यक साज-सज्जा और सामग्री है, बैठने के लिये टाटपट्टी और पढ़ाई के लिये बोर्ड आदि जो आवश्यक चीजें हैं वह उपलब्ध हो सकें। आप रिकरिंग और नान-रिकरिंग ग्रान्ट देते हैं आप कह सकते हैं कि हम उनको सहायता दे रहे हैं लेकिन किसी तरह से भी यह प्राइमरी स्कूल सक्षम न हो सकेंगे यदि यह प्रबन्ध उन के लिये नहीं किया जायगा। आप इस तरह की कोई व्यवस्था करें जिस से यह प्राइमरी विद्यालय सक्षम होकर शिक्षा दे सकें।

आप ने सब का वेतन बढ़ाया लेकिन शिक्षा विभाग के २ वर्ग इतने कमजोर हैं कि उन की तरफ किसी का ध्यान नहीं गया है। एक तो कन्या प्राइमरी स्कूलों की जो खादिमा हैं उन को आज की महंगाई के जमाने में भी १०-१५ रुपया वेतन दिया जाता है, वही वेतन उनको मिल रहा है जो अंग्रेजी जमाने में मिलता था, सब की बढ़ोत्तरी कुछ न कुछ हुई है, लेकिन यह खादिमा वही १०—१५ रुपया पाती है। वह इन कन्या पाठशालाओं में बच्चों को घर से बुलाकर उन की देख-रेख का कार्य करती है। उन की ओर ध्यान देकर उन को भी आप कुछ न कुछ वेतन वृद्धि अवश्य दें।

इसके अतिरिक्त आप मान्टेसरी स्कूलों को बहुत प्रोत्साहन देते हैं। एक ओर तो आप कहते हैं और आप का संविधान कहता है कि १४ वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा निशुल्क होनी चाहिये, लेकिन क्या आप संविधान की मनशा के विपरीत नहीं जा रहे है जब कि यहां मान्टेसरी स्कूल निरन्तर खुलते जा रहे हैं। नतीजा यह है कि गरीबों के लड़के तो इन मान्टेसरी स्कूलों के खर्च को बरदाश्त नहीं कर पाते और उन के मन में एक ईर्ष्या होती है और वह समझते हैं कि यह संस्थायें केवल बड़े लोगों के बच्चों के लिये ही हैं और उन्हीं के लड़के वहां पढ़ सकते हैं। इन स्कूलों को खुलवा कर आप जो समाजवाद की मूल विचारधारा है उससे उत्तरोत्तर हटते जाते हैं। मैं चाहता हूं कि आप इन मान्टेसरी स्कूलों को खुलने से रोकने की चष्टा करें।

इस के अतिरिक्त जो हमारे जूनियर हाई स्कूल हैं उन की भी दशा बहुत खराब है। वहां पर बोर्ड पर सवाल लिख दिये जाते हैं और परीक्षा नकल कर के हो जाती है। वहां १०० प्रतिशत बच्चे पास हो जाते हैं लेकिन अगर दोबारा उन की परीक्षा आप लेंगे तो नतीजा बहुत खराब मिलेगा। आप वहां की परीक्षा पद्धति में सुधार करें।

इस के अतिरिक्त एक बात और कहूंगा कि आप पेन्शन सबको अपने खजाने से दिलाते हैं लेकिन इन अध्यापकों को आप जिला परिषदों से दिलाते हैं इस से बड़ी परेशानी और दुर्व्यवस्था

[श्री राम कुमार दीक्षित]

है। वहां जिला परिषदों के अधिकारियों और बाबूओं की मर्जी पर है और चार-चार, ६-६ माह में पेन्शन लेने बुलाया जाता है। जब जी में आया दिया न दिया। इस के लिये आप प्रबन्ध करें और जिस तरह से सब को सरकारी खजाने से पेंशन पाने का प्रबन्ध है उसी तरह से इन अध्यापकों को भी पशन समय से दिलायें।

कानपुर में अध्यापकों पर सी० पी० टैक्स लगता है और वह अल्प वेतन भोगी अध्यापकों के वेतन से काट लिया जाता है। मैं चाहता हूं कि कोई ऐसी व्यवस्था की जाय कि यह लोग इस बोझ से बच जायं और इस तरह से वह अवश्य ही शिक्षा विभाग के प्रति अपना आभार प्रकट करेंगे। मैं अन्त में मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि जो बातें मैंने कही हैं उन पर विशेष ध्यान देने की कृपा करें। इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री जे० एन० सिन्हा (जिला सहारनपुर)--

अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे इस प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया उसके लिये मैं आप का आभार प्रकट करता हूं। और मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने इस वर्ष में ९१ करोड़ रुपया शिक्षा के लिये रखा है जिस में से ५ माह तो समाप्त हो चुके हैं और शेष ५४ करोड़ रुपया की मांग अब प्रस्तुत की गई है।

(इस समय १ बज कर २६ मिनट पर उपाध्यक्ष श्री वासुदेव पीठासीन हुये।)

पिछले साल यह मांग ७४ करोड़ रुपए की थी और इस साल जो यह ४५९ करोड़ का पूरा बजट है उस में उन्होंने जो शिक्षा की मांग रखी है वह १९.८४ प्रतिशत है जबकि यह शिक्षा का बजट सन् ६७ में १५ प्रतिशत ही था। यद्यपि अब २० प्रतिशत के करीब यह बजट पहुंच रहा है लेकिन अन्य देशों में शिक्षा पर बजट का बहुत बड़ा प्रतिशत व्यय किया जाता है। मैं यह तो बधाई देता हूं कि १९६७ से अब तक २० प्रतिशत पर ले आये लेकिन यदि यह रकम और बढ़ी होती तो शिक्षा क्षेत्र में एक बुन्यादी बात होती और आरम्भ में बच्चों की जो शिक्षा की बात होती जिससे प्रदेश के बनने और बिगड़ने की बात होती है, उसमें बच्चों को अधिक लाभ होता।

मैं उन्हें इसलिए भी बधाई देता हूं कि इस वर्ष उन्होंने कई ऐसे कार्य बजट में रखे हैं, जिनके लिए वे बधाई के पात्र हैं। उन्होंने किसान साक्षरता योजना के लिये ३ लाख रुपये की व्यवस्था की है। अभी डाक्टर साही साहब ने इंगित किया था कि इस प्रदेश में ३ करोड़ लोग ऐसे हैं जो दस्तखत भी करना नहीं जानते हैं। शायद उन्होंने इस बात पर अधिक जोर दिया कि हम अपना अधिकाधिक रुपया इस बात पर लगायें कि लोग साक्षर हो जायं। यह धनराशि किसानों के लिये रखी गयी है लेकिन जहां तक मजदूरों की बात है, मैं समझता हूं कि जब श्रम का बजट पेश हुआ था तो कल्याणकारी कार्यों में श्रम मंत्री ने इस ओर भी इशारा किया था पर यदि यह धनराशि ३ लाख रुपये से भी बढ़ायी गयी होती तो इससे अधिक लाभ हो सकता था।

बजट में यह भी बताया गया है कि व्यवसायीकरण की योजना माध्यमिक शिक्षा में लागू होगी। उसके बारे में सिर्फ ये लोग कहते हैं कि यह जौब ओरियन्टेड है, मैं उसके आंकड़ों की ओर जाने की बात नहीं करता लेकिन उनको कोई रास्ता नहीं है जिससे वे अपने को किसी अन्य व्यवसाय में डाल सकें, जिससे लोग अपने पैरों पर खड़े हो सकें। मैं चाहूंगा कि शिक्षा हमारी इस प्रकार की हो कि लोग अपने को केवल नौकरियों के ऊपर ही आश्रित न समझें और वे कोई और रोजगार कर सकें। तो यह जो व्यवसायीकरण की योजना आयी है इसके लिये भी मैं माननीय मंत्री जी को बधाई देता हूं।

बहुत दिनों से चर्चा चल रही है कि डिग्री कलेजेज में यू० जी० सी० के ग्रेड्स लागू नहीं होते हैं। इस वर्ष वहां भी यू० जी० सी० के ग्रेड्स लागू होंगे। इससे वहां के अध्यापकों को राहत मिलेगी।

जनरल बजट पर बहस के दौरान उर्दू के विकास की ओर भी इशारा किया गया था। मैं यह समझता हूं कि लोगों को इस ओर भी ध्यान देना चाहिये। इसके विकास के लिये हमारे मंत्री जी ने ३ लाख रुपया रखा है। दूसरे प्रदेश में प्राइमरी और जूनियर हाई स्कूल के प्रबन्ध करने के लिये इस वर्ष ६ लाख रुपया रखा गया है। यह इस बात का द्योतक है कि दूसरी जबानों के लिए जिसकी बहुत चर्चा होती थी अब की बार एक मुकम्मिल इन्तजाम किया गया है। इस बार १६४ जूनियर हाई स्कूल और २३० प्राइमरी स्कूल्स इस वर्ष खोले जायेंगे। यह संख्या भी ऐसी है कि जो बहुत संतोषजनक नहीं है। मैं समझता हूं कि प्रदेश में कोई भी गांव ऐसा नहीं रहना चाहिये, चाहे उसकी आबादी थोड़ी ही क्यों न हो, जिसमें प्राइमरी स्कूल न हों। मैं चाहूंगा कि इस ओर भी हमारे मंत्री जी अपना ध्यान दें और शिक्षा प्रसार के लिए जिस हद तक हो सके अधिक से अधिक प्राइमरी, जूनियर हाई स्कूल खोल सकें उतना ही अच्छा होगा।

अब मैं अपने कुछ सुझाव माननीय मंत्री जी को, आपके माध्यम से देना चाहूंगा। मैं पहले भी कई बार इस सम्मानित सदन का ध्यान इस ओर आकर्षित कर चुका हूं कि हमारे स्कूलों में चाहे वे प्राइमरी विद्यालय हों, चाहे जूनियर और चाहे वे माध्यमिक विद्यालय हों, खेल कूद की समाप्ति ही हो गयी है और उससे यह नहीं कि हम इस बात से सन्तोष कर लें कि खेल के लिए मैदान नहीं हैं, इसलिये खेल कूद नहीं हो सकते हैं लेकिन यह इतनी बड़ी समस्या है कि जिसे सारे प्रदेश का चरित्र निर्माण पर असर पड़ रहा है। मैं माननीय मंत्री जी से यही निवेदन करूंगा कि यदि वे इस ओर तुरन्त ध्यान नहीं देंगे तो उन्हें इस प्रदेश में या तो अस्पताल ज्यादा खोलने पड़ेंगे या कुछ जेलखाने बढ़ाने पड़ेंगे। क्योंकि नौजवानों के अन्दर जो स्फूर्ति, जो स्पन्दन रहता है उसके लिये कोई न कोई आउटलेट चाहिये। उनके लिये खेल कूद के मैदान नहीं हैं जिनसे उनकी स्फूर्ति का आउटलेट नहीं हो पाता। लिहाजा, उनकी सारी एक्टीवीटीज उन सारे कामों में लग जाती हैं जो राष्ट्र के और समाज के खिलाफ पड़ती हैं।

खेल के मैदान अवश्य होने चाहिये क्योंकि खेल के मैदानों से ही जनरल पैदा हुये हैं। खेल में टीम स्प्रिट, कोआपरेशन, होड़ काम्पीटीशन ये सब बातें वे वहां सीखते हैं और ये बड़े अंग हैं जो चरित्र का निर्माण करते हैं एक नागरिक का। मैंने जो बजट में देखा उसमें पिछले वर्ष खेल के ६ मैदानों को अनुदान देने का प्राविजन किया गया था इस साल १४ रख दिये हैं। ये नहीं के बराबर हैं। आपको जल्द से जल्द यह प्रबन्ध करना है कि प्रत्येक स्कूल में अगर बहुत बड़ा मैदान न हो सके तो कम से कम इतना तो उनको मैदान उपलब्ध हो कि वहां पर लड़कों को कुछ हिस्सा खेल कूद में भाग ले सके और धीरे धीरे उसे इस हद तक ले जांय कि उस विद्यालय का प्रत्येक छात्र और छात्रा उसमें भाग ले सके और वह अपना सर्वांगीण विकास खेल कूद के द्वारा कर सके। इसलिये मैं आपके माध्यम से विशेष रूप से मंत्री जी का ध्यान इस समस्या की ओर जो बड़ी जटिल है आकर्षित करना चाहता हूं।

प्राइमरी शिक्षा की बात मेरे अन्य साथियों ने भी कही। उसकी जो दुर्दशा है वह सबको पता है। बहुत जल्दी हम कोई ऐसा कदम नहीं उठा सकते जिससे हम ऐसी तब्दीली कर लें जिसकी चर्चा यहां हो रही है। लेकिन इतना तो हम तुरन्त ही कर सकते हैं कि प्रत्येक अध्यापक जो किसी प्राइमरी स्कूल में पढ़ाता है वह अपने घर से बीस मील की दूरी पर अवश्य रखा जायेगा पढ़ाने के लिये। आपको मालूम होगा और मंत्री जी को भी यह पूर्ण रूप से विदित होगा कि जो प्राइमरी स्कूल और जूनियर हाई स्कूल हैं उनमें आज अगर चार अध्यापक हैं तो कल दो या एक अध्यापक मिलेगा। बाकी की अर्जियां जेब में होती हैं। जब कभी जांय वे निकाल कर देंगे कि अमुक की यह अर्जी है।

आम तौर पर जो सुपरवाइजरी स्टाफ है वह सतर्क नहीं रहता। वहां महीनों निकल जाते हैं कि वे अध्यापक नहीं आते और जो बच्चे जाते हैं खेल कूद कर दिन भर अपना समय गंवाकर

[श्री जे० एन० सिन्हा]

लौट आते हैं। इसलिये जरुरी है कि बजाय हम यह कहें कि जिला परिषद् से प्राइमरी शिक्षा को निकाला जाय या कोई कारपोरेशन अलग से बनाया जाय यह भी अलग से सोचना पड़ेगा क्योंकि प्राइमरी शिक्षा ही बच्चों की बुनियाद होती है, उसी पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा। शुरू में ही अगर ऐसे कदम उठाये जिनसे सुधार हो सके। तो मेरा आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन है कि वे जरुरी आज्ञा प्रसारित करें क्योंकि आजकल जिला परिषद् भी उस रुप में नहीं हैं, वहां कलेक्टर काम कर रहे हैं डी० आई० एस० और एस० डी० आईज उनके मातहत हैं, कि बीस मील की दूरी से, कम से कम, अवश्य ही अध्यापक रहे जो वहां पढ़ायेगा।

मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि बड़ा काफी समय हम लोगों को स्वराज्य प्राप्त किये हुये हो गया है। अब क्वान्टिटी के बजाय क्वालिटी की ओर अधिक ध्यान दिखाया जाना चाहिये। योग्यता की ओर अधिक ध्यान होना चाहिये। क्योंकि अब संसार के दूसरे देशों की दौड़ में हमको भी औरों की तरह अपना सिर उतना ही ऊंचा करके चलन. है। आज अनुसन्धान की बातें हैं, विज्ञान की बातें हैं, टैक्नालाजी की बातें हैं इन सब बातों को देखते हुये अब यह बहुत जरूरी है प्रत्येक गांव में शिक्षा का प्रसार हो और हम क्वालिटी की ओर विशेष ध्यान दें। उसके लिये भी जरुरी है कि जो इम्तहान का तरीका है उसको बदल दें।

आज देखने में आता है कि इम्तहान हुआ, बाजारों में छोटे छोटे नोट्स बिकते हैं। चार घंटे में मेथमैटिक्स, एक दिन में ज्योग्राफी। इस तरह से बच्चों का यह ध्यान रहता है कि इम्तहान जब चार पांच दिन रह जायेंगे तो उस टाइम में नोट्स को पढ़ लेगें। और अगर उससे भी बश न चला तो नकल का हथियार तो है ही। जब परीक्षाफल निकलता है तो कभी ४० हजार कभी ५० हजार और कभी ३० हजार का रिजल्ट विदहेल्ड होता है। अध्यापक कहते हैं कि हम इनविजीलेशन में नहीं जायेंगे क्योंकि वहां गाली की, चाकू की और रिवाल्वर की बात होती है। तो इस प्रकार से सब तरफ से इस परीक्षा पद्धति के बारे में एक आवाज है। जैसा कि अभी उस पक्ष के एक भाई ने इशारा किया शिक्षा पद्धति में तब्दीली लाने के लिये। मैं मंत्री जी को और शिक्षा विभाग के अधिकारियों को एक सुझाव देना चाहता हूं कि प्रोजक्ट मैथड का जो एक तरीका है उसे अपनाया जाय। शुरू में कुछ ही स्कूलों में उसे लागू करके देखा जाय। आज से कुछ वर्ष पूर्व एक शिक्षा मंत्री जी ने उसे चलाया था। लेकिन फिर वह नहीं चला। इस प्रोजेक्ट मैथड को लेकर अगर चले तो मैं समझता हूं कि शिक्षा पद्धति में आमूल परिवर्तन करके नकल की, मारपीट की, न पढ़ने की बुराइयों से हम छुटकारा पा सकते हैं और न योग्यता की तरफ लोगों को ले जा सकते हैं।

अब माध्यमिक विद्यालय के अध्यापकों और कर्मचारियों की तनख्वाह को सरकार ने वहन करना शुरु कर दिया है। यह अलग बात है कि आय का ८० प्रतिशत ले लिया जायगा लेकिन मैं समझता हूं कि सारा वेतन का भार सरकार पर आ पड़ा है। अब अध्यापकों को यह कहने का मौका नहीं है कि इतने महीने से तनख्वाह नहीं मिली क्या करें। एक कहावत है—जैसा जिसका बार-फेर वैसी उसकी नाव-कूद। अब अध्यापक यह नहीं कह सकेंगे कि जैसी तनख्वाह मिलती है वैसा ही हम पढ़ाते हैं। तो अब हमें इस ओर ध्यान देना है कि उन विद्यालयों का स्तर ऊंचा उठे और उसका तरीका यही है कि हर विद्यालय इस ओर सोचे। यह न हो कि जिस तरह के भी लड़के हों, दाखिल करलें, पढाये चाहे न पढ़ायें, कुछ भी रिजल्ट रहे। अब तो तनख्वाह ठीक समय से मिलेगी। अब यह भी जरुरी है कि हम विद्यालयों में पढ़ाई-लिखाई की तरफ ध्यान दें और जो परीक्षाफल है जैसा कि सरकारी विद्यालयों के लिये होता है कि ८० प्रतिशत या ७५ प्रतिशत हो उसी तरह से इन विद्यालयों को भी कम से कम ५० प्रतिशत नतीजा दिखाना जरुरी हो और अध्यापक तथा प्रधानाचार्य पढ़ाई-लिखाई की तरफ विशेष ध्यान दें।

बोर्ड की बात अक्सर कही जाती है कि हमारा हाईस्कूल ऐण्ड इन्टरमीडिएट बोर्ड बड़ा अनबील्डी हो गया है हलांकि जो लोग उसे चला रहे हैं। उन अधिकारियों को मैं बधाई देता हूं कि अबकी अध्यापकों न हड़ताल कर दी थी और

काफी दिनों बाद परीक्षा हुई फिर भी उन्होंने अपनी योग्यता के मुताबिक बहुत कुछ किया और जितनी जल्दी से जल्दी नतीजा निकाल सकते थे, निकाला। नहीं तो मैं समझता हूं कि इतनी बड़ी परीक्षा का नतीजा बहुत देर म निकलता। परन्तु अब इस तरह से काम नहीं चलेगा कि इलाहाबाद में बोर्ड हो और लाखों लोग हाईस्कूल और इन्टरमीडिएट की परीक्षा में बैठे और अलग-अलग वर्ग में बैठे और सारा इन्तजाम एक जगह से हो। किसी-किसी सेन्टर में तो एक वर्ग में एक ही लड़का बैठता है। अब इसके कम से कम दो हिस्से कर दिये जाने चाहिये। आधा हिस्सा इलाहाबाद में ही रहे और आधा हिस्सा पश्चिम में रहे चाहे वह मेरठ में हो या किसी और जिले में हो। तब काम सुचारु रूप से चल सकेगा।

श्री उपाध्यक्ष---

आपका समय समाप्त।

श्री सर्वसुख सिंह (जिला इलाहाबाद)---

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने मुझे शिक्षा के अनुदान पर विचार व्यक्त करने का अवसर दिया। मान्यवर, मैं शिक्षा मन्त्री का हार्दिक सम्मान करता हूं। वे शिक्षा जगत से बहुत समय तक संबद्ध रहे ह और वे एक कठिन और सुयोग्य अध्यापक भी रहे ह। वे एक बहुत बड़े विद्वान ह। मान्यवर, मैं उनकी चापलूसी नहीं कर रहा हूं बल्कि मैं शिक्षा मन्त्री का सम्मान करता हूं, किन्तु जहां तक इस बजट का प्रश्न है मुझे बड़े खेद के साथ कहना पड़ता है कि प्रस्तुत शिक्षा का बजट केवल परम्परा निर्वाहक बजट है। ऐसा लगता है कि शिक्षा विभाग के बाबुओं और अधिकारियों ने शिक्षा के विभिन्न मदों के आंकड़ संकलित कर दिये और शिक्षा मन्त्री जी ने उस पर अपने हस्ताक्षर कर दिये। यह निष्प्राण बजट है और इसमें क्रान्ति की गन्ध नहीं है।

आज चारों ओर से हमारे शिक्षा के तरीके में और शिक्षा प्रणाली में आमूल परिवर्तन की मांग है। जनता के बीच में इस शिक्षा से घोर असन्तोष है। शिक्षा प्रणाली में बहुत से दोष व्याप्त हैं और इस कारण अनाचार फैला हुआ है। इन खराबियों को दूर करन के लिए इस बजट में कोई संकत होना चाहिय था। अतएव मेरा उनसे विनम्र निवेदन है कि उन्हें इस ओर ध्यान देना चाहिये क्योंकि इस बजट में क्रान्ति की भावना नहीं है। इसमें सारे समाज की आवश्यकताओं पर और शिक्षा के सभी अंगों पर समग्र और संतुलित विचार नहीं है। शिक्षा मन्त्री को पूरे शिक्षा जगत पर गम्भीर दृष्टि डालनी चाहिये थी और शिक्षा से संबंधित समस्याओं का मन्थन करना चाहिये था।

बजट तैयार करने के पहले उन्हें यह देखना चाहिये था कि कहां पर खराबियां हैं, क्या शिक्षा जगत की मांग है और जनता में कहां-कहां असंतोष है इन सब बातों पर शिक्षा मंत्री जी ने ध्यान नहीं दिया उन्होंने संस्थात्मक वृद्धि के आंकड़े प्रस्तुत किये ह। मान्यवर यह तो मैकेनिकल चीज हुई। यह तो निर्जीव वृद्धि रही हम रेलवे स्टेशन पर जाते हैं और अपनी तौल लेने के वास्ते १० पैसे मशीन में डाल देते हैं। पैसे डालने के पश्चात् झट से तौल निकल आती है। वह आटोमटिक मशीन है। आपने अनुदान बढ़ाया और कहा कि ४९३ स्कूल बढ़ हैं और इतने हायर सेकडरी या इन्टरमीडियट कालेजेज बढ़ा दिये। इस संख्यात्मक दृष्टि से इस देश और प्रदेश का कल्याण होने वाला नहीं है। शिक्षा के गिरते हुय स्तर क कारण घोर असन्तोष व्याप्त है। यह सब का अनुभव है।

आप एक हाई स्कूल पास या ग्रेजुएट को ही ले लीजिये और उससे कहिये कि अपनी आवश्यकता क लिए एक प्राथना-पत्र लिख दो, तो वह प्रार्थना-पत्र नहीं लिख सकते ह। किसी बी० ए० के विद्यार्थी से १० वाक्य लिखन या बोलने के लिए कहो तो न वह लिख सकते हैं और न बोल सकते हैं। योग्यता का स्तर यह है। शिक्षा की सड़ी गली और जर्जरित मशीनरी

[श्री सर्वसुख सिंह]

में आमूल परिवर्तन की आवश्यकता है। परम्परा का पालन करने मात्र से शिक्षा का उद्धार नहीं होता है। आप ९३ करोड़ रुपये खर्च करने के बजाय ९३ अरब रुपये भी खर्च कर दें, परन्तु इस से सिवाए संख्या बढ़ाने के गुणात्मक वृद्धि नहीं कर सकेंगे और न शिक्षा के स्तर का उन्नयन ही कर सकेंगे, यह मेरा विनम्र निवेदन है।

श्रीमन्, अब मैं शिक्षा प्रणाली क्या है आज की, उसकी ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं और आप के द्वारा मान्यवर, अपने विद्वान मन्त्री जी का हमारी गौरवशालिनी संस्कृति के क्या सिद्धान्त रहे हैं जिनको लेकर कवीन्द्र, रवीन्द्र ने विश्वभारती की स्थापना की, जिन सिद्धान्तों को लेकर मदन मोहन मालवीय जी ने काशी विश्वविद्यालय की स्थापना की, जिन सिद्धान्तों को लेकर स्वामी विवेकानन्द ने दण्ड कमन्डल लेकर सारे जगत में अपनी छाप रक्खी और स्वामी श्रद्धानन्द ने वनस्थली में विश्वविद्यालय की स्थापना की। मान्यवर, यह मूलभूत सिद्धान्त है हमारी शिक्षा का, जो कि गुरुकुलों में, मठों में, बिहारों में, तक्षशिला और नालन्दा जैसे महाविश्वविद्यालयों में जिसका पालन पोषण हुआ है। हजारों वर्षों में जिन के सिद्धान्तों का विकास हुआ है, जिन सिद्धान्तों पर हमारी मूलभूत संस्कृति खड़ी है। आज हमारी शिक्षा से यह सिद्धान्त सदैव के लिए विदा हो गये हैं।

आप विश्वविद्यालयों के भवनों पर दृष्टि डालें तो देखेंगे कि वह बड़े विशालकाय हैं, करोड़ों रुपया उन पर लगा है। मेरा निवेदन है कि मान्यवर अगर उनमें छुराबाज बैठेंगे, अगर उन में नकलची बैठेंगे और नक्सली लोग बैठेंगे तो इस बजट को रोकिये। यह भारतीय किसानों की बड़ी गाढ़ी कमाई का पैसा है। मान्यवर, आज २४ वर्ष भारत को स्वतन्त्र हुये हो गया है। इस २४ वर्ष में आप की शिक्षा की क्या प्रगति रही है। मैं इस को प्रगति नहीं मानता हूं कि ५००० प्राइमरी स्कूल थे वह अब ६००० हो गये हैं। कोई भी आदमी ऐसा कर सकता है। इस के लिए शिक्षा मन्त्री जैसे विद्वान की क्या आवश्यकता है। (व्यवधान)—तो मैं विनम्रतापूर्वक निवेदन करता हूं कि मान्यवर जो बजट शिक्षा मन्त्री ने रक्खा है उसमें उन के मस्तिष्क की छाप कहां है। श्रीमन्, मैं अब आपका ध्यान शिक्षा प्रणाली की ओर ले जाऊंगा। जैसा कि आप को विदित है हमारे प्रान्त में साक्षरता २१ प्रतिशत है। यह २४ वर्ष के अन्दर आयी है। २४ वर्ष में ११ प्रतिशत साक्षरता हुई है। श्रीमन, परीक्षा प्रणाली की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करता हूं।

(लाल बत्ती जलने पर)

श्रीमन् मुझे थोड़ा सा समय और दीजिये। मैं बहुत कम समय लेता हूं। मैं शिक्षक भी हूं। अभी तो मैं कुछ नहीं कह सका। आप अगर रोक देंगे तो मैं रूक जाऊंगा।

मान्यवर, परीक्षा प्रणाली की ओर आपका ध्यान आकृष्ट कर रहा था। हमारी परीक्षा प्रणाली कितनी निकम्मी है। हाई स्कूल इन्टरमीडिएट परीक्षा में प्रति वर्ष ८, १० हजार नकलची पकड़े जाते है। यह लोग नक्सलपन्थी का रूप धारण कर रहे हैं। वास्तविकता यह है कि जिनकी संख्या बहुत ज्यादा है। इनकी संख्या परीक्षा में बैठने वालों की दो तिहाई है। हमारे निरीक्षक इतने भयभीत रहते हैं अरक्षा के कारण कि अपने अधिकारों का उपयोग नहीं कर सकते ह। उसकी छान बीन नहीं करते हैं। मान्यवर, राज्य की ओर से उनकी सुरक्षा का प्रबन्ध किया उपाय। उन पर जो शारीरिक प्रहार होते हैं उसका कुछ उपाय किया जाय, तभी कुछ रोक थाम हो सकती है। मेरा एक सुझाव है कि बजाय वार्षिक परीक्षा के विद्यार्थियों का दैनिक कार्य देखा जाय और मन्थली टेस्ट लिया जाय और वर्ष के अन्त हो उन सब का योग कर के उन्हें कक्षोन्नति दी जाय। इसके साथ ही विश्वविद्यालय में प्रवेश करने से पहिले उनकी एक प्रवेशिका परीक्षा ली जाय।

श्रीमन्, मैं आपका ध्यान एक तथ्य की ओर और आकर्षित करना चाहता हूं।

जैसा कि मैंने पहले कहा हमारी संस्कृति के जो मूलभूत सिद्धान्त थे वे तो हमारी शिक्षा से सदैव के लिये लुप्त हो गये, किन्तु पाश्चात्य देश से आई हुई सभ्यता में भी जो गुण हैं बौद्धिकता है, वैज्ञानिकता है, वह भी हमारी शिक्षा ने नहीं अपनायी। पाश्चात्य सांस्कृति के जो गुण हैं अ र उसकी जो वैज्ञानिकता है वह भी हमारे अध्यापकों और विद्यार्थियों में नहीं है। अपनी संस्कृति को तो हम छोड़ ही चुके हैं। इसका एक उदाहरण मैं दूंगा। हमारी पाठशालाओं और कालेजों में पी० टी० यानी शारीरिक व्यायाम कराया जाता है। आप ने मान्यवर सुना होगा कि इंग्लैन्ड, अमेरिका, फ्रांस में जोगाभ्यास हो रहा है। आप तो स्वयं ही पूर्व और पाश्चात्य वाङमय के महाज्ञाता हैं। हमारे यहां पतंजलि का योगसूत्र है। यह एक अनुपम पुस्तक है और इस विषय पर इससे बढ़कर दूसरी पुस्तक नहीं है। आज उसका प्रचार पाश्चात्य देशों में हो रहा है। अगर हम उन चीजों को अपने यहां के स्कूल कालेजों में चलाएं तो क्या कठिनाई···। (लाल बत्ती पुनः होने पर) मैं केवल पांच मिनट और लूंगा।

श्री उपाध्यक्ष—

आप लिखकर दे दें।

श्री सर्वसुख सिंह—

बहुत आवश्यक बातें कहनी हैं। दो मिनट और दे दें। हमारे ग्रामीण विद्यालयों को बहुत कम अनुदान मिलता है। ग्रामीण अंचलों के विद्यायों में विज्ञान की शिक्षा नहीं है। इसी तरह ग्रामीण महिलाओं के लिए उच्च विद्यालय नहीं हैं। मैं आप के सामने आंकड़े पेश करना चाहूंगा। पूरे प्रदेश में महिलाओं के लिए हायर सेकेन्डरी स्कूल ५४७ हैं, लेकिन ग्रामीण अंचलों में केवल ६ हैं। यह शिक्षा मंत्री जी का सन्तुलित विचार है। और यह हमारी शिक्षा व्यवस्था है। आज शिक्षा में अपार भ्रष्टाचार व्याप्त है। जिसकी ओर मन्त्री जी ने उंगली तक नहीं उठायी है। हमारे यहां तीन प्रकार का भ्रष्टाचार शिक्षा जगत में फैला हुआ है। हजारों विद्यालय ऐसे हैं जिनकी प्रबन्ध समितियां विवादग्रस्त हैं, जहां लाखों रुपये का गबन है। वहां हमारे समाज के गज और गृह दबोचे हुए हैं, उत्तर प्रदेश की सरस्वती को दानव दबाये हैं। उसमें बेचारे अधिकारी क्या कर सकते हैं।

श्री मोहनलाल कपूर—

मान्यवर, शिक्षा का बड़ा ही महत्व है लेकिन इसके ऊपर बोलने के लिये आज बहुत थोड़ा समय दिया गया है। दो दिन का डेढ़ दिन कर दिया गया। अभी इस पर बहुत से माननीय सदस्य बोलने वाले हैं, इसलिये आपके द्वारा माननीय शिक्षा मंत्री जी से मेरी प्रार्थना है कि इसके लिये एक घंटा समय और बढ़ा दिया जाय। (व्यवधान) मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय इसके लिये एक घंटा बढ़ा दिया जाय।

श्री रामगोपाल संड (जिला इलाहाबाद)—

मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। शिक्षा पर आप करीब १०० करोड़ रुपये खर्च करने जा रहे हैं, इसलिये इस पर बोलने का मौका हम लोगों को मिलना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष—

ऐसा है कि आज शाम को एक उत्सव भी है, इसलिये समय बढ़ाना कठिन होगा।

श्री रामगोपाल संड—

कोई कठिनाई नहीं होगी, मान्यवर।

(व्यवधान)

श्री अनन्तराम जायसवाल---

माननीय, संसदीय कार्य मंत्री ने एक घंटा सदन का समय बढ़ाने के प्रस्ताव को मान लिया है ।

श्री मोहनलाल कपूर---

शिक्षा मंत्री जी भी कह रहे हैं ।

डाक्टर रामजी लाल सहायक (शिक्षा मंत्री)---

मान्यवर, शिक्षा एक अच्छा विषय है और माननीय सदस्य अपने अनुभवों की बात कहना चाहते हैं, तो मेरा निवेदन है कि सदस्यों की मांग को आप कृपा करके मान लें ।

श्री उपाध्यक्ष---

यह समझ लें कि फिर आगे वाले अनुदान में समय कम हो जायेगा । भूतपूर्व महामहिम राज्यपाल श्री विश्वनाथ दास आये हुये हैं । वहां साढ़े ५ बजे के लिये आप सब लोग भी आमन्त्रित हैं । इसलिये समय बढ़ाना मुश्किल होगा । लेकिन अगर इधर आप ज्यादा समय देते हैं तो सूचना निदेशालय सम्बन्धी अनुदान में कम समय हो जायेगा ।

श्री विश्वनाथ कपूर (जिला फैजाबाद)---

सूचना निदेशालय में बड़ी गड़बड़ी है इसलिये उसमें तो समय कम होना ही नहीं चाहिये ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष---

अगर एक तरफ समय बढ़ायेंगे तो दूसरी तरफ कम हो जायेगा ।

(व्यवधान)

अभी नहीं, देखेंगे अगर इसके अन्दर हो सका ।

*श्री इम्तियाज हुसैन (जिला लखनऊ)---

यह विषय जो इस वक्त चल रहा है इतना अहम और जरूरी है कि इस सिलसिले में बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनके मुताल्लिक में कुछ कहना चाहता था । लेकिन चूंकि वक्त कम है और उपाध्यक्ष महोदय, आपने म लोगों की गुजारिश पर एक घंटा समय और दे दिया है.....

श्री उपाध्यक्ष---

अभी नहीं दिया है, आप अपना भाषण जारी रखें ।

श्री इम्तियाज हुसैन---

बहरहाल, मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि मुझे आपने बोलने का मौका दिया । मैं कुछ ज्यादा न कहते हुये सिर्फ उर्दू के सिलसिले में चन्द बातें आपके जरिये शिक्षा मंत्री जी की खिदमत में पेश करना चाहता हूं । मैं हिन्दी को अपने मुल्क की नेशनल लैंग्वेज मानते हुये यह गुजारिश करता हूं कि उर्दू का भी एक दस्तूरी हक है और हैसियत है । उर्दू उन १४ जबानों में एक जबान है जिसको दस्तूरे हिन्द ने तसलीम किया है और एक तसलीमशुदा जबान इस मुल्क को करार दिया है । लेकिन अफसोस है और अजीब शक व शुबह की बात है जो दुख के साथ कहना पड़ती है । यही एक जबान ऐसी जबान है कि जिसको उसका हक, उसका दर्जा और दूसरी तमाम सहूलियतें नहीं मिल पातीं । मैं नहीं कह सकता कि क्या वजूहात है । जो कुछ वजूहात हों, वे आजकल इसके

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

अलावा और क्या हो सकते हैं कि एक जबान जो इस मुल्क की जबान है, जिसकी इस मुल्क में एक तवारीख है, जिसका इस मुल्क में एक लिटरेचर है, जिससे इस मुल्क के दफ्तर, कचहरियां और दूसरी तमाम जगहें भरी पड़ी हैं, नहीं मिल रही है। उस जबान की सिवाय गिरावट के तरक्की नहीं हुई। जिन १४ जबानों का हमारे कान्सटीट्यूशन में जिक्र किया गया है उनमें १३ जबानें ऐसी हैं जिनका अपना इलाका है, यानी जो किसी न किसी इलाके में बोली जाती हैं, किन्तु उर्दू जबान एक ऐसी जबान है जिसका अपना कोई इलाका नहीं है इस देश में। (व्यवधान) कृपया सुनिये, डिस्टर्ब न कीजिये। पाकिस्तान से उसका सम्बन्ध नहीं है। मैं यह अर्ज कर रहा था कि गुजराती गुराजत में बोली जाती है और उसका वहां इस्तेमाल होता है, मराठी का महाराष्ट्र में इस्तेमाल होती है, तेलगू का आन्ध्र में इस्तेमाल होता है, तामिल का मद्रास में इस्तेमाल होता है, बंगाली का बंगाल में इस्तेमाल होता है, उसी बुनियाद पर उर्दू का इस्तेमाल उत्तर प्रदेश में होना चाहिये निजी तौर पर भी और सरकारी तौर पर भी।

महात्मा गांधी ने बार-बार यह कहा था कि आजादी के बाद हिन्दुस्तान की जबान हिन्दुस्तानी हो जो देवनागरी और फारसी लिपि में लिखी जाय। पंडित जवाहर लाल नेहरू पूरी जिन्दगी भर इस बात की कोशिश करते रहे कि उर्दू को जायज मुकाम मिलना चाहिये। एक वजीरेआजम का यह कहना था। उनकी निगाह में उर्दू को जायज मुकाम नहीं मिला। माननीय पंडित कमलापति त्रिपाठी ने इसके बारे में जो इस किताब में जो अपना बयान शाया किया है उसकी कुछ लाइनें मैं पढ़ना चाहता हूं---वे फरमाते हैं-"उर्दू हमारी अपनी जबान है, इसकी बुलन्दियों पर हमें नाज है' इसकी खिदमत हमारा फर्ज है। उर्दू को आइने हिन्द में दूसरी जबानों की तरह एक कौमी जबान का दर्जा हासिल है। इस जबान की तरवीज व तरक्की उत्तर प्रदेश की एक खास जिम्मेदारी है जिसका मौजूदा हुकूमत को पूरा अहसास है। उर्दू की तरक्की और उर्दू बोलने वालों को सहूलियतें फराहम करने के लिये जो अकदामात किये गये हैं वह मुक्तसरन हस्ब जैल हैं--" उनको मैं नहीं पढ़ता हूं। आगे लिखा है---सरकारी कामों में सहूलियतें। "उर्दू दां हजरात फौजदारी, दीवानी, नीज माल की अदालतों में अपनी दरख्वास्तें या शिकायतें फारसी रस्मुलखत में, उर्दू में पेश कर सकते हैं। इसलिये इन अदालतों मे उर्दू की दरख्वास्तें ली जाती हैं और हिन्दी की दरख्वास्तों की तरह इन दरख्वास्तों पर भी कार्यवाही की जाती है।"

मैं गुजारिश यह करता हूं और पंडित जी को उनके इन खयाल पर मुबारकबाद पेश करता हूं कि उनके जेहन में यह चीज है। लेकिन इसके साथ-साथ यह भी गुन्जारिश करता हूं कि ऐसा वाकई में नहीं होता। न उर्दू में दरख्वास्तें पेश की जाती हैं, न उर्दू में दरख्वास्तें कबूल की जाती हैं। इसलिये कि ऐसा कोई हुक्म अदालतों के पास, दफ्तरों के हुक्मरानों के पास गवर्नमेंट का मौजूद नहीं है और यही वह जवाब देते हैं। इसलिये मैं आपके जरिये शिक्षा मंत्री से गुजारिश करता हूं कि वह इस सिलसिले में साफ-साफ एहकाम जारी करें, ताकि इस बात की खाना पूरी हो सके।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)---

मंत्री जी आपकी उर्दू की बात सुनना नहीं चाहते हैं, देखिये इसीसे वह यहां से उठकर चले गये हैं। अब राज्यमंत्री ही बैठे रह गये हैं।

श्री इम्तियाज हुसैन---

महात्मा गांधी जी की इस यकीनदेहानी, पंडित जवाहरलाल नेहरू तथा पंडित कमलापति त्रिपाठी के इस ऐलान और नजरिये के बाद, २४ वर्षों की मूल्क की आजादी के बाद, उर्दू का

[श्री इम्तियाज हुसैन]

मामला आज तक जेरेगौर है, यह बात कितने अफसोस की है। यह मसला हल नहीं हुआ जबकि इतने समय में हजारों दूसरे मसले हल हो गये हैं। जितनी सहूलियतें उर्दू को मिलनी चाहिये, मैं यह नहीं कहता कि अगर आपके लिये, हुकूमत के लिये यह मुनासिब नहीं है, तो हम उर्दू को दूसरी जबान होने की मांग नहीं करते, लेकिन जिन चीजों को आप देने की बात करते हैं, जिन सहूलियतों को मुहैया करने का ऐलान करते हैं, उनको अवश्य पूरा कीजिये उर्दू की तालीम हासिल करने का कोई हासिल नहीं रहा।

श्री उपाध्यक्ष---

श्री अनन्तराम जायसवाल, आप इस पर १५ मिनट लें।

*श्री अनन्तराम जायसवाल--

यह तो कम होगा। मान्यवर, मैं उम्मीद करता हूं कि शिक्षा मंत्री का ध्यान इस ओर गया होगा कि इस प्रदेश में जो हाईस्कूल और इंटरमीडिएट के इम्तहान में ८ लाख लड़के ऐपियर होते हैं, उसमें कम से कम ८७ प्रतिशत या तो फेल हो जाते हैं या उनको तृतीय श्रेणी मिलती है। १७ फीसदी ऐसे हैं जिनको आगे प्रवेश भी मिलता है और नौकरी भी मिलती है यानी उनका सदुयोग होता है, लेकिन बाकी ८७ प्रतिशत शिक्षार्थियों का दुरुपयोग होता है। उनकी तरफ आपका ध्यान जाता है या नहीं, यह कहा नहीं जा सकता। आजकल ऐसी हालत हो गई है कि उसमें शायद आपको समय भी न मिलता होगा, ट्रांसफर आदि के कामों से ही आपको फुरसत नहीं होगी तो फिर इन पर कैसे आपका ध्यान जायगा। इसलिये मैं चाहता हूं कि बेकार के कामों में थोड़ी सी फुरसत लेकर आप यह देखें कि ८७ प्रतिशत लोगों का जीवन जो अन्धकारमय बन रहा है उसके लिये कोई रास्ता निकाला जा सकता है या नहीं। इस पर यदि आप विचार करेंगे तो आप पाएंगे कि मौजूदा शिक्षा प्रणाली जिसे अंग्रेजों ने केवल नौकर प्राप्त करने के लिये चलायी थी, उसमें परिवर्तन करना पड़ेगा और मोटे तौर पर आपको यह करना पड़ेगा कि लोग शिक्षित हो जाएं, लोग हुनर सीख लें, जिससे वे अपनी जिन्दगी गुजार सकें। और जो बहुत ही अच्छे लोग हैं तो उनको ऊपर की भी तालीम मिल सके। यह हमारी शिक्षा का आधार मोटे तौर पर होना चाहिये, ताकि हम स्वावलम्बी और परिश्रमी नागरिकों को तैयार कर सकें। इस तरह के नहीं कि जिस तरह से आज बेकारों और काहिलों की फौज बढ़ रही है, वह बढ़ती जाए।

इस वक्त इत्तफाक से आपको एक ऐसे निदेशक मिल गये हैं, उनके बारे में किसी की दो राय नहीं हो सकतीं, शायद उनके जहन में कोई बात भी हो, कि कोई कला या हुनर चला कर जो बेकार बच्चे होते हैं, जो न समाज में पूछे जाते हैं और न घर में पूछे जाते हैं, न सरकारी नौकरी में और न स्कूल में प्रवेश पाते हैं, ऐसे लोगों को किसी हुनर की शिक्षा दी जा सके। चर्चा होते-होते हमारे तक बात आ जाती है लेकिन दुर्भाग्य यह है कि न आपको फुरसत है और आपका निदेशालय ऐसा आपसी झगड़े में लगा हुआ है कि सारा मामला चौपट हो रहा है वहां फिक्र यह है कि एक दूसरे को कैसे कोहनी मार कर अलग कर दिया जाय। किसको एडीशनल डायरेक्टर होना चाहिये और एडीशनल डाइरेक्टर से कौन निदेशक हो जाय, यही सारा झगड़ा पनप रहा है। जब हाई कोर्ट ने तय कर दिया, यहां की सेलेक्शन कमेटी ने तय कर दिया है जिसमें मुख्य सचिव रहते हैं, शिक्षा सचिव रहे होंगे, नियुक्ति सचिव रहे होंगे सब ने तय कर दिया कि कौन आदमी सीनियर है कौन जूनियर है सारा मामला तय हो गया कि किस को कहां पर रहना चाहिये। लेकिन आपने कुनबापरस्ती या बिरादरी वाद में पड़ कर झगड़ा पैदा कर दिया। जैसे यह तय हो गया कि एडीशनल डाइरेक्टर मेहरोत्रा को होना चाहिये, सबके द्वारा तय किया जा चुका लेकिन उनको स्थान नहीं मिला। स्थान दिया गया है हरिशंकर शर्मा जी को। उनके लिये अब

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कोशिश की जा रही है कि जो आपके मौजूदा निदेशक हैं उनको कोहनी मार कर निदेशक के पद से अलग किया जाय, चार छः महीने में जब रिटायर हों, श्रीनिवास जी को बिठा दिया जाय। सारी साजिश, तिकड़म इस डिपार्टमेन्ट में जिस पर बहस चल रही है चल रही है। अगर यही चलेगा तो किसका मन काम करने में लगेगा ?

एक तो सारा वक्त आपका ट्रांसफर में जाता है दूसरे साजिशें चल जांयगी, जिसका उचित हक है उसका हक मार कर किसी दूसरे आदमी को दे देंगे, आप सारे कागजात तलब करके देखें, यह मेहरोत्रा से १६–१७ जगह पीछे हैं। जब सेलेक्शन कमेटी ने और हाई कोर्ट ने मामला तय कर दिया तो क्यों कहा गया कि फिलहाल हरिशंकर को काम करने दिया जाय। फिलहाल मुस्तकिल हाल बन जाता है। उसका मतलब लगाया जाता है कि वह हमेशा चलता रहे। इस झगड़े को जितनी जल्द हो सके समाप्त करें। हर जगह दल बन्दी है, गुट बन्दी है, साजिश और तिकड़म है। सारा वक्त इसी में जाता है और जब आप किसी का हक भी मार कर दूसरे को मौका देते हैं तो जितनी शक्ति आपकी है सब इसी तरफ चली जाती है। इस तरफ ध्यान दीजिये अच्छी तरह से, इसके लिये मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा।

फिर इसी के साथ-साथ जरा आप गौर करें। मास्टरों के बारे में यह होता था कि सारी जिन्दगी गुजर जाती थी ट्रांसफर नहीं होता था। लेकिन आज यह है कि एक आदमी बैठा है। वक्त भी पूरा नहीं हो पाता है, उसको ट्रांसफर किया जाता है। हर आदमी में यह भावना घर कर गई है कि अपनी पसन्द की जगह पर रहेंगे। मान लिया कि कोई मास्टर लखनऊ आया। फिर भी लखनऊ आने के बाद अपने मन पसन्द कालेज में रहने की कोशिश करेगा। यह भावना हर विभाग के कर्मचारियों में है चाहे वह शिक्षक हो या गैर शिक्षक हो, भर गई है। इस पर कहीं रोक लगनी चाहिये।

आप अपने को इतना कमजोर बना लेते हैं कि हर प्रेशर में ईल्ड कर जाते हैं। जो चीज नहीं कहनी चाहिये वह भी कहने के लिये मजबूर हो रहा हूं। आपके विभाग में जो डोर खींचने वालों का काम करते हैं, जैसे कठपुतली होती है, उसके पीछे डोर खींचने वाले काम करते हैं, इलाहाबाद में दो सिस्टर्स मशहूर हो गई है। एक तो सर्मन सिस्टर्स और एक जौहरी सिस्टर्स। इस एलिगेशन का पता लगाइये। उनके माध्यम से बड़ी-बड़ी जगहों पर पहुचने में लोग कामयाब होते हैं और उनकी वजह से आपके विभाग काम खाली काम यह रह गया है कि इनको यहां रखों और उनको वहां रखो और शिक्षण के काम पर विभाग का कतई ध्यान नहीं जाता है।

श्री ए० सी० ग्राइस (नाम निर्देशित)––

माननीय सदस्य इल्जाम उन पर लगा रहे हैं जो यहां मौजूद नहीं है।

श्री अनन्तराम जायसवाल––

आप जवाब दे दीजियेगा। इसी प्रकार चार रिसर्च इन्स्टीट्यूट्स हैं एलिमेन्टरी एजूकेशन, साइन्स, सेन्ट्रल पेडागागिक्ल तथा साइकालोजी इन्स्टीट्यूट्स। ये जितनी इन्स्टीट्यूट्स हैं उन सबका काम एक सा है और वह ओवरलेपिंग हो रहा है। इनको तोड़ कर यकसां किया जा सकता है और एक कोआर्डिनेटेड इन्स्टीट्यूट बनाई जा सकती है। दूसरे जिनको आपने इसका प्रिन्सिपल बना दिया है देखना यह है क्या रिसर्च से कभी उनका संबंध रहा है ? लेकिन जिनको कोई एलिमेन्टरी जानकारी तक न हो तो काम खराब होने के अलावा संभल नहीं सकता। इसलिये आप देख लें क्या स्थिति है ? आप देखेंगे कि इसमें शिक्षा विभाग का कम से कम १०, १२ करोड़ रुपया खर्च होता होगा और इसमें क्लास बन तथा टू के कमसे कम २०० अधिकारी होंगे। तो जिनको केवल सजा देना होता है या जिनको प्रशासन की अच्छी जगह पर आप नहीं रखना चाहते उनको वहां डाल दिया जाता है और इसी के लिये यह

[श्री अनन्तराम जायसवाल]

इस्टीट्यूशंस बनाई गई है या आपका यह उद्देश्य है इसको बनाने का कि शिक्षा में कुछ उन्नति हो। इस तरफ आपका ध्यान तुरन्त जाना चाहिये।

इस प्रकार चुने हुए आदमी की दिलचस्पी जो मंत्री पद पर है केवल ट्रांन्सफर्स में या व्यक्ति विशेष में जरूरत से ज्यादा निहित हो जाती है तो फिर विभाग में सिवा अनुशासनहीनता के और कुछ नहीं हो सकता। मैं अदब से कहूंगा कि अनुशासनहीनता बराबर बढ़ती चली जा रही है और आज जो आदेश आपके ट्रांन्सफर्स के होते भी हैं उन पर अमल नहीं हो पाता है। मिसाल के लिये मैंने सुना है और आर०आई०जी०एस० बरेली, लखनऊ और लखनऊ आगरा का लिंक बना हुआ है लेकिन कोई चार्ज लेने वाला देने वाला नहीं मिलता है। यह विभाग की हालत हो रही है और इसी तरह से एक महिला ट्रेनिंग कालेज, इलाहाबाद में है। वह है क्लास वन की जगह लेकिन वहां क्लास टु की महिला बैठी हुई है। उनसे चार्ज लेने के लिये लोग जाते हैं लेकिन चार्ज कोई ले नहीं पाता है।

सरकारी आदेशों का उल्लंघन अगर इस प्रकार से होत रहा तो सरकार का विकार बराबर गिरता जायगा और उसका कारण यह है कि मंत्रीगण केवल ट्रांन्सफर्स के चक्कर में पड़ गये हैं और प्रयास जब यह किया जाता है कि हर आदमी को खुश करना है तो उसका नतीजा यह हो रहा है कि कोई भी खुश नहीं हो पा रहा है। और यह विधान भवन की इमारत बनी है उसमें आपको याद होगा कि शुरू-शुरू में कभी इस तरह की भीड़ यहां पर नहीं दिखाई देती थी जितनी कि आज दिखाई दे रही है..... (व्यवधान)।

श्री त्रिवेणी राय (जिला आजमगढ़)—

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। मैं आपके माध्यम से माननीय जायसवाल जी से यह पूछना चाहता हूं कि जब वे शिक्षा विभाग में थे तो आपने उसमें कितना सुधार किया ?

श्री उपाध्यक्ष—

आप तो सूचना मांग रहे हैं। आपका प्रश्न खुद ही अव्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

मान्यवर, उनके लिये सब माफ है क्योंकि ये अपनी समझ से बात नहीं करते हैं। तो मैं निवेदन कर रहा था कि जिस तरह से भीड़ यहां पर आज होती है उस तरह से भीड़ विधान भवन में कभी नहीं होती थी। कुछ लोग कहते हैं कि यह सरकार बड़ी पापुलर है क्यों कि यहां पर इतने आदमी इक्ट्ठे होते हैं। कहते हैं कि कचहरी में इतनी भीड़ होती है तो उसको पापुलर कहा जाता है। भले ही आप उसे पापुलर कह दें किन्तु वास्तव में ऐसी बात नहीं होती। आज भी लोग कहते हैं बगैर पैसे के फाइल एक टेबुल से दूसरी टेबुल में मूव नहीं होती है।

यही हालत प्राइमरी एजूकेशन की भी है। इसके सम्बन्ध में जो नीति चल रही है, यदि वही चलती रही तो प्राइमरी एजूकेशन चौपट हो जायेगा। वहां पर पढ़ाई लिखाई का नाम नहीं रह गया है और जबरदस्त धोखा दिया जा रहा है। वहां पर शासन से आदेश जाते हैं कि प्राइमरी शिक्षा पाने वाले बच्चों की संख्या इतनी-इतनी बढ़ा दी किन्तु वास्तव में वहां पर होता यह है कि ३० से ५० प्रतिशत तक हर साल बच्चों की संख्या बिलकुल फरजी दिखाई जाती है और सचमुच उतने विद्यार्थी पढ़ने आते नहीं हैं। तो यह आपको कम धोखा दिया जा रहा है ? इस रास्ते को बन्द किया जाना चाहिए। जो आपका निगरानी करने वाला स्टाफ एस० डी० आई० वगैरह हैं उनको तो बड़े अफसरों की चाकरी करने से ही छुट्टी नहीं मिलती। तो इस प्रकार से इन बच्चों की पढ़ाई-लिखाई का कार्य चौपट हो जाता है। मान्यवर, ये इतना ही कर दें कि जिला परिषदों में जिस प्रकार पहले शिक्षा के लिये अलग से एक हेड होता था वह इन स्कूलों में ही खर्च होता था किन्तु आपने एक जिला निधि खोल दी है जिसमें कि पैसे का दुरुपयोग हो रहा है। तो इस तरह से काम चलने वाला नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष––

अब आप समाप्त करें।

श्री अनन्तराम जायसवाल––

अभी-अभी एक मिनट में समाप्त कर रहा हूं, मान्यवर। यूनिवर्सिटी के बारे में कुछ लोगों ने शिकायत की है। पहले यूनिवर्सिटी में ३ ग्रेड––लेक्चरर, रीडर और प्रोफेसर के थे। बीच में सम्पूर्णानन्द जी ने दो ग्रेड–प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के कर दिये। किन्तु अब फिर 3 ग्रेड कर दिये गये हैं। इसी सिलसिले में मैं यूनिवर्सिटी के टीचर्स ने जो मांग की है उसका एक उद्धरण आपके सामने रख रहा हूं––

That when the evils attendant upon the three-tier system became notoriously dominant and unabating, University teachers throughout the State, felt compelled to meet in a convention with Lucknow University playing the host, they discussed the question thread-bare and reached the decision that unless and integrated running scale of Rs.400–1,600 to begin with, with periodical efficiency bar was introduced, no measures, however, well-intentioned and palliative, could restore the confidence of the teachers. A pin-pointed reference was made to Chairman, University Grants Commission, who had addressed the convention.

तो इसकी तरफ आप ध्यान दें। मान्यवर, एक मिनट और लूंगा। एक राम प्रसाद सिंह इंटर कालेज कानपुर में है। इसमें १९६९ का तीन महीने, जिसमें जून-जुलाई और एक और महीना है, का वेतन अभी तक अध्यापकों को नहीं दिया गया है। १९७० में २ महीने का और १९७१ में तीन महीने का वेतन नहीं दिया गया है। इससे ७१ अध्यापक इफेक्टेड हैं और १,१२,६४२.३२ पैसे बाकी रह गया है। तो अगर आप इसको ध्यान देकर उनको दिलायें तो उनको बड़ी राहत मिल जायगी। फिर इस कालिज के बारे में आडिट भी हुआ है, उसमें कुछ अनियमितताएं पायी गयी हैं, उनकी तरफ अगर ध्यान जाय तो मेहरबानी होगी। अन्त में मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे मौका दिया।

श्री नारायणदत्त तिवारी––

प्रातःकाल जो विरोधी दल के नेताओं ने और सम्मानित सोशलिस्ट पार्टी के नेता ने शिक्षा विभाग के अनुदान में एक घंटा समय बढ़ाने की बात कही थी। समय बढ़ाने की बात यह है कि एक शाम का कोई कार्यक्रम है जिसमें कई माननीय सदस्यों को जाना है पौने छः बजे। इसलिए मैं प्रस्ताव करता हूं कि ४५ मिनट शिक्षा के अनुदान में और ४५ मिनट सूचना विभाग के लिए बढ़ा दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष––

प्रश्न यह है कि शिक्षा विभाग के अनुदान में ४५ मिनट और सूचना निदेशालय की मांग की बहस में ४५ मिनट का समय बढ़ा दिया जाय।

(व्यवधान)

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री कृष्णानन्द राय––

उन्होंने कह दिया और स्वीकार भी हो गया लेकिन मान्यवर, इसमें मैथेमेटिकल गलती हो गयी है। ४५ और ४५ मिनट आपने बढ़ाया तो ९० मिनट हो गया। ५ बजे तक हाउस का समय है तो ९० मिनट के माने डेढ़ घंटा, इस तरह से तो हाउस साढ़े छः बजे तक चलेगा फिर पौने ६ बजे कैसे जायंगे? यह तो मैथेमेटिक्स की गलती हो गयी।

श्री नारायणदत्त तिवारी--

गलती नहीं हुई। सचिव, विधान सभा ने हिसाब लगा कर बताया है। ४५ मिनट उस समय से लगाये जायंगे जिस समय इस पर वोटिंग होनी थी। तो इस तरह से सवा पांच बजे समाप्त हो जायगा।

श्री श्रीशचन्द्र (जिला हरदोई)--

उपाध्यक्ष महोदय, मान्यवर, मैं जो शिक्षा मंत्री जी ने अनुदान प्रस्तुत किया है उसके अनुमोदन में खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, शिक्षा को कई श्रेणियों में विभाजन करने की बात है। पहले तो प्राथमिक शिक्षा की बात है। संविधान में यह प्राविधान है कि १४ वर्ष की आयु के बालक बलिकाओं को अनिवार्य रूप से शिक्षा देकर पढ़ा-लिखा बनाया जायगा। आज अगर प्राथमिक शिक्षा की ओर देखें तो उस जगत में इतना वेस्टेज आप देखेंगे कि अगर कक्षा एक और कक्षा पांच के विद्यार्थियों को देखें तो आप पायेंगे कि जो विद्यार्थी कक्षा १ में पढ़ते थे औरजो कक्षा ५ में पढ़ते हैं उसमें २०-२५ परसेंट ऐसे निकलेंगे जो कक्षा १ में भरती होकर कक्षा ५ तक पहुंच गये हों। वास्तविकता यह है कि पांचवें दर्जे में कितने बालक पास हुए इसके आंकड़े आप देखें तो २४-२५ साल आजादी के होने के बाद भी हम कहते हैं कि ३ करोड़ प्रदेश के लोग ऐसे हैं जो कि साक्षर नहीं हैं, निरक्षर हैं।

आवश्यकता इस बात की है कि एक ओर तो हम प्राथमिक शिक्षा की ओर बल देते हैं, रोज प्राथमिक स्कूल खोलते हैं, जोर देते हैं कि बालिकाओं के स्कूल, विद्यालय खोले जायं, अध्यापकों की संख्या बढ़ाते हैं पर पढ़ने वाले बालक-बालिकाओं की संख्या घटती जा रही है। मैं नहीं समझता कि यह तरीका कब तक चलता रहेगा। आवश्यकता इस बात की है कि प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य कर दिया जाय जिससे नीचे के जो लोग हैं वह भी साक्षर हो जायं। कोई कठिनाई की बात नहीं है। दो तरीके होते हैं। या तो मोबिलाइजेशन करें जिससे हम ऐसी भावना लोगों में बना दें, ऐसा वातावरण उत्पन्न कर दें कि लोग अपने आप स्कूल में पढ़ने जायं। दूसरे कानून के जरिये से पढ़ावें। जहां तक कि डिमाक्रेसी की बात है, शिक्षा जगत में ही आप देखें कि लोगों में कोई भावना और चेतना नहीं रह गयी है, जनमत भी किसी तरीके से प्रदेश के रहने वालों में वह चेतना नहीं प्रदान कर पा रहा है कि सभी बालक बालिका स्वयं पढ़ने आवें। इसलिए अगर हम चाहते हैं कि संविधान की व्यवस्था की पूर्ति हो तो सभी बालकों के लिए प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य कर दें, लड़के-लड़कियां सब साक्षर हो जायं।

दूसरी बात यह है कि एक ओर तो हम कहते हैं कि हम समाजवाद की ओर जा रहे हैं, फिर भी शिक्षा जगत में कई तरह की शिक्षा पद्धति है। कहीं नरसरी हो रही है, कहीं मांटेसरी हो रही है, कहीं अंग्रेजी कानवेन्ट स्कूल खोले हुए हैं जिनमें बालकों को शिक्षा दी जा रही है। आवश्यकता यह है कि जब हम समाजवाद की ओर जा रहे हैं तो यह जो स्पेशल एजूकेशन है, पैसे वालों की जो एजूकेशन है वह बन्द हो जानी चाहिए। हर एक आदमी के लिये एक ही प्रकार की शिक्षा मिलनी चाहिये।

दूसरी बात मैं यह कहता हूं कि संविद सरकार के जमाने में कुछ हरिजनों के स्कूल थे वे बन्द कर दिये गये हैं। इस सरकार के आने के बाद मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी का इधर ध्यान दिलाऊंगा जितने ऐसे हरिजनों के स्कूल हैं जो बन्द कर दिये गये हैं जिनमें हरिजन बालक पढ़ते थे उनको खोलना चाहिए। इनकी संख्या ४०० के करीब होगी उनको मान्यता दी जाय जिससे हरिजन बालक शिक्षा पा सकें। वहां पर बालिका विद्यालय खोलने से काम नहीं चलेगा। आवश्यकता इस बात की है कि इधर ध्यान दिया जाय।

मैं पूर्व माध्यमिक शिक्षा की ओर ध्यान दिलाऊंगा। अगर प्राथमिक शिक्षा और पूर्व माध्यमिक शिक्षा इन दोनों का संतुलन करें तो इनमें बड़ा अन्तर है। हमारे पव माध्यमिक शिक्षा के विद्यालय काफी नहीं हैं। जब हम कहते हैं शत प्रतिशत शिक्षा हो तो आवश्यकता इस बात की है कि पूर्व माध्यमिक शिक्षा के विद्यालय खोले जायं।

माध्यमिक विद्यालय और पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में जो शिक्षा का संतुलन है उसमें बड़ा अन्तर है। कुछ जिले ऐसे हैं जो आगे बढ़े हैं उनमें आबादी के लिहाज से संतुलन किया जाय। अगर हम किसी को शिक्षित कहते हैं और वह हाई स्कूल तक पढ़ा नहीं है तो वह शिक्षित नहीं कहा जा सकता है क्योंकि न तो उसकी प्रतिभा का विकास होता है और न उसको ज्ञान में विकसित कहा जा सकता है। हाई स्कूल तक की जो शिक्षा है उसमें संतुलन होना चाहिये। यह अत्यन्त आवश्यक है। लखनऊ मंडल में ताल्लुकेदारों के जिले रहे हैं। यह पिछड़े हैं। आप आंकड़े देखें तो आपको मालूम होगा कि इन जिलों में २२/२४ स्कूल हैं जिनमें माध्यमिक उच्चतर शिक्षा दी जाती है। आवश्यकता इस बात की है कि इनमें संतुलन किया जाय। इसलिये आबादी के लिहाज से स्कूल खोले जायं जिससे वहां के लोग उतनी शिक्षा प्राप्त कर सकें जितनी आवश्यकता है। मैं मेरठ की बात कहूंगा। यहां पर करीब १८९ कालेज हैं आबादी के लिहाज से। इसलिये नई मान्यता देने के प्रश्न पर विचार करते समय इस बात का भी ध्यान रखा जाय कि जहां कम स्कूल हैं वहां पर मान्यता दी जाय। मास्टरों का वेतन सरकार के देने की जिम्मेदारी है। सरकारी खजाने से जब सरकार पैसा दे रही है तो आवश्यकता इस बात की है उसका संतुलन होना चाहिये। अगर कोई क्षेत्र पिछड़ गया है तो उसकी प्रगति की आवश्यकता है।

जहां तक यूनिवर्सिटी एजूकेशन की बात है। आज के युग में लड़के बी०ए०, एम०ए० कर लेते हैं लेकिन बेकार घूमते हैं। मैं बेकारी की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं। आज बेकारी बढ़ती जाती है, बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है, गरीबी बढ़ती जा रही है, आदमी की पर कैपिटा इनकम घटती चली जा रही है। आज शिक्षा की नीति में आमूल परिवर्तन की आवश्यकता है जिससे बेरोजगारी और बेकारी समाप्त हो। मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया।

*श्री रामगोपाल संड––

मान्यवर, इस प्रदेश को पिछड़ा कहा जाता है। मैं इसको मानता नहीं हूं। लेकिन इन २४ सालों में प्रदेश की शिक्षा ऐसी रही है कि यह प्रदेश, जो राम और कृष्ण, टंडन और मालवीय रहीम और तुलसी और सूरदास का है वह पिछड़ गया है। आंकड़े बतलाते हैं कि केरल में ६०.१६ प्रतिशत, महाराष्ट्र में ३९.६९ प्रतिशत, मैसूर में ३१.४७ प्रतिशत, तामिलनाड में ३९.३१ प्रतिशत और हमारे टंडन और मालवीय जी के प्रदेश में केवल २१.६४ प्रतिशत लोग साक्षर हैं। इसके लिये उधर के लोग जिम्मेदार हैं, हम नहीं हैं। ३१.३७ प्रतिशत बालक पढ़ते हैं और स्त्रियां १०.२ प्रतिशत पढ़ती हैं। ऐसा क्यों है? यह इसलिये है कि जब कि अमेरिका में, रूस में अपने बजट का ३७.३८ प्रतिशत शिक्षा पर खर्च किया जाता है, यहां प्र श में २१.६४ प्रतिशत ही खर्च किया जाता है और केन्द्रीय सरकार तो केवल २ प्रतिशत ही खर्च करती है। मैं प्रदेशीय सरकार को इसलिये बधाई दूंगा कि उसने ९१ करोड़ रुपया इस वर्ष रखा है, लेकिन यह भी पर्याप्त नहीं है। इससे दुगना होना चाहिये। २०० करोड़ होना चाहिये। जब यह होगा तभी गाजीपुर, बलिया, जौनपुर इलाहाबाद और सुल्तानपुर आदि पिछड़े इलाकों के गांव-गांव में शिक्षा हो जायगी। उद्योग की शिक्षा भी होगी, कृषि की भी शिक्षा होगी।

मान्यवर, हमारे यहां पुलिस राज्य है। अपने यहां आई० जी० को २,५०० से ३,००० रुपया तक वेतन देते हैं लेकिन उधर बैठे हुए अपने शिक्षा निदेशक–डाइरेक्टर को आप २ हजार से २२५० रुपया वेतन देते हैं और उप शिक्षा निदेशक––श्री हरिशंकर शर्मा को इसमें किसी खास व्यक्ति की कोई बात नहीं है, यह पद की बात है १६०० से १८०० रुपया वेतन देते हैं और दूसरी ओर आप समाजवाद की बातें करते हैं। जब रूस के अन्दर क्रान्ति हुई तो

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रामगोपाल संड]

प्रारम्भिक शिक्षा के अध्यापक को वहां इतना वेतन मिलता था जो आपके यहां पी० सी० एस० और आई० सी० एस० को नहीं मिलता है। इसलिये वहां की शिक्षा की प्रगति हुई।

मैं शिक्षा को एक उत्पादक तत्व मानता हूं, रूस आदि राष्ट्रों में भी इसको उत्पादक तत्व समझा जाता है। लेकिन हमारे यहां संविधान में शिक्षा को उत्पादक तत्व नहीं माना गया है। माध्यमिक शिक्षक संघ ने और विश्वविद्यालय कर्मचारी संघ ने इस,बात की मांग की है कि शिक्षा को प्राडक्टिव माना जाय और उनके साथ-साथ फार्म और छोटे-छोटे कारखाने लगाये जायं। जिनमें पढ़ कर विद्यार्थी अपने हाथ में हथौड़ा और कुदाल लेकर काम करना सीखें और एक कुशल किसान, कारीगर और इंजीनियर बन कर निकलें। लेकिन आप तो उस पर भी आयोग बैठा देंगे। लेकिन उसकी राय भी बाद में मानेंगे नहीं। आचार्य नरेन्द्र देव की अध्यक्षता में जो आयोग बैठा और कोठारी आयोग बैठा, मैं पूछना चाहता हूं, इन आयोगों की आपने कितनी सिफारिशों को माना। आप प्रारम्भिक शिक्षा के अध्यापक को ८० रुपया वेतन देते हैं जब कि उन्होंने १५० रुपया लिखा है और फिर आप कहते हैं कि हाई स्कूल और इन्टर मीडिएट के विद्यार्थी नकल करते हैं।

आपने हाई स्कूल और इन्टरमीडियेट बोर्ड को एक व्यापार का धन्धा बना रखा है। पिछले वर्ष मैंने एक सवाल पूछा था उसके उत्तर में माननीय शिक्षा मंत्री जी ने मुझे बताया था कि बोर्ड के रूप में यह सरकार कितनी कमाई करती है और हम अध्यापकों को १२ आना कापी और ८ आना कापी दिया जाता है जो अंग्रेजों के जमाने में मिलता था। ६७–६८ में उत्तर प्रदेश शिक्षा परिषद् से ११,६३,००० रुपये का लाभ हुआ। ६८–६९ में ३६,८४,००० रुपये का लाभ हुआ। ६९–७० में ५१,०१,००० रुपया का लाभ हुआ और ७०–७१ में, जब कि एक लाख परीक्षार्थी रोके गये हैं ७० लाख रुपये का लाभ हुआ। इस प्रकार से २ करोड़ रुपये का लाभ किया गया है यह अध्यापकों और विद्यार्थियों से, जिनसे आप ३१–३२ रुपया फीस का लेते हैं। इसका रामजीलाल सहायक के पास क्या उत्तर है? क्या यह उत्तर प्रदेश हाई स्कूल और इन्टरमीडिएट बोर्ड शोषण करने के लिये बनाया गया है।

अध्यापकों को क्या आप ८ आना से १२ आना और १२ आना से १ रुपया कापी नहीं दे सकते। पहले २ लाख विद्यार्थियों पर ४–५ सौ लिपिक रखे गये थे लेकिन आज ८–९ लाख विद्यार्थी हो गये हैं तो भी ४–५ सौ लिपिक हैं। इसको लेकर बार-बार आन्दोलन भी होता है। इधर और उधर के सदस्य भी इस बात को कहते हैं। मैं भी वहां से संबद्ध हूं। वहां के कर्मचारियों ने हड़ताल की और कहा कि हमें लोक सेवा आयोग के समान वेतन दिया जाय। तो कह दिया गया कि हमारे पास पैसा नहीं है। कहां गया २ करोड़ रुपया। और ७० लाख तो आपने इसी वर्ष कमाया है।

मान्यवर, उत्तर प्रदेश के अन्दर सन् ४७ में एक बहुत बड़ा काम हुआ था। उत्तर प्रदेश की राष्ट्र भाषा हिन्दी, उत्तर प्रदेश की राजभाषा हिन्दी घोषित हुई थी और इसी चेयर से राजर्षि टंडन जी के नेतृत्व में, पंत जी के नेतृत्व में यह विवाद हमेशा के लिये तय हो गया था कि उर्दू गयी पाकिस्तान, उर्दू यहां पढ़ सकते हैं जिन्हें पढ़ना हो मगर उर्दू का विषय तीसरे दर्जे से आठवें दर्जे तक नहीं जायगा। आज जिस बंगला देश में मुजीब ने उर्दू पर पाबन्दी लगायी और वहां का मुसलमान उर्दू नहीं पढ़ता उसको आप यहां करने जा रहे हैं। क्या मुसलमान धर्म का उर्दू से संबंध है? अगर ऐसा है तो क्या बंगला देश के साढ़े सात करोड़ मुसलमान मुसलमान नहीं कहलायेंगे क्योंकि वे उर्दू नहीं पढ़ते? क्या इन्डोनेशिया के १० करोड़ मुसलमान मुसलमान नहीं कहलायेंगे क्योंकि वे उर्दू नहीं पढ़ते?

अभी हमारे एक साथी ने एक पत्र पढ़ा कमलापति त्रिपाठी जी का। माननीय कमलापति जी नागरी प्रचारिणी सभा के अध्यक्ष हैं, हिन्दी साहित्य सम्मेलन के कर्मठ कार्यकर्ता हैं। उन्होंने अपने पत्र में लिखा : देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली एक शैली है उर्दू और उर्दू प्रेमियों को चाहिये कि वे देवनागरी लिपि को अपना लें तो कोई विवाद नहीं रह जायगा। उर्दू की व्याकरण हिन्दी की व्याकरण है। यह केवल वोट पाने के लिये किया जा रहा है। उर्दू के बारे में श्रद्धेय टंडन जी ने, पन्त जी ने, लाल बहादुर शास्त्री जी ने सदैव के लिये झगड़ा समाप्त कर दिया था। आप हिन्दी के बड़े समर्थक हैं। विद्यार्थियों का चरित्र अच्छा कैसे बनेगा? विद्यार्थी क्या करे? यह सरकार धर्मनिरपेक्षता की आड़ में आज नैतिकता की कोई शिक्षा नहीं देती। इसलिये मैं इस बजट की आलोचना करते हुये यह मांग करता हूं कि पुलिस से ज्यादा शिक्षा निदेशक को मान्यता दीजिये और बोर्ड के अन्दर जो धांधली है उसको आप दूर करिये। प्रारम्भिक कक्षाओं के अध्यापकों के लिये आप कहीं से रुपया लाइये, आप उनका वेतन कम से कम कोठारी आयोग के अनुसार १५० रुपये जरूर करिये।

प्रयाग विश्वविद्यालय का पिछले तीन वर्ष से कोई अनुदान नहीं बढ़ाया गया। लखनऊ विश्वविद्यालय का भी नहीं बढ़ाया गया। प्रति वर्ष लड़के बढ़ते जाते हैं, कक्षायें खुलती जाती हैं लेकिन अनुदान उतने का उतना है। सन् ४१ में जब मैं प्रयाग विश्वविद्यालय में पढ़ता था तो वहां की छात्र संख्या १८०० थी। आज वह ९ हजार है। विद्यार्थियों की फौज दुगनी हो गयी और आप अनुदान देते नहीं। इस वर्ष २२ जुलाई को अनुदान बंटा है। प्रयाग विश्वविद्यालय है, जिसने स्वतंत्रता संग्राम के लिये अनेक सेनानी दिये, आज उस विश्वविद्यालय की यह दुर्दशा। लखनऊ विश्वविद्यालय की यह दुर्दशा। इसके लिये कौन जिम्मेदार है? जिम्मेदार सरकार है चाहे वह किसी भी दल की सरकार हो। हमारी मान्यतायें नहीं बदली हैं। चाहिये यह था कि इस देश की संस्कृत को अपनाते हुये शिक्षा में परिवर्तन किया जाता ताकि हमारे बालक, किसान और मजदूर के बालक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अच्छे किसान और मजदूर बनते, नकल से दूर रहते।

इन शब्दों के साथ मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने मुझे समय दिया और मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि परीक्षा प्रणाली में आमूल परिवर्तन करें। उर्दू को ज्यादा प्रोत्साहन न दें। जो उर्दू पढ़ना चाहें वे पढ़ें, उर्दू से मेरा कोई विरोध नहीं है, मगर यदि उसे क्षेत्रीय भाषा बनाने की जुर्रत की तो केवल जनसंघ ही नहीं सारा प्रदेश उसका विरोध करेगा।

*श्री मोहनलाल कपूर——

श्रीमन्, आज के इस विवाद में जिन सदस्यों ने भाग लिया मैं उनके प्रति आभार प्रकट करता हूं और जो सुझाव उन्होंने दिये आशा करता हूं कि मंत्री जी उन पर गम्भीरता से विचार करेंगे। मंत्री जी ने जो पहले भाषण दिया उसमें केवल यही कहा है कि विचार कर रहे हैं परन्तु कोई स्पष्ट घोषणा नहीं की कि हमने यह काम कर दिया है। मैं चाहूंगा कि जितने भी सुझाव आये हैं उन पर यह स्पष्ट घोषणा करें प्रमुख रूप से कोठारी कमीशन के बारे में यह घोषणा करें कि कब तक वह इसको लागू करेंगे।

संविधान की धारा ४५ में जो अनिवार्य शिक्षा के लिये कहा गया है उसके लिये मंत्री जी यहां पर घोषणा करें तभी वह अपने प्रदेश में साक्षरता लाने का प्रयास करेंगे। इसी प्रकार से मैं चाहता हूं कि १ जनवरी, ६९ से माध्यमिक संस्थाओं के शिक्षकों को महंगाई भत्ता में

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री मोहनलाल कपूर]

बढ़ोत्तरी दी है, उसी प्रकार से विश्वविद्यालय के अध्यापकों को भी दी जाय। वे अभी तक इससे लाभान्वित नहीं हैं। मैं चाहता हूं कि उस सम्बन्ध में भी घोषणा की जाय कि वह विश्वविद्यालयों के लोगों को भी राज्य कर्मचारियों की भांति १ जनवरी से दिये हुये महंगाई भत्ते को देने के लिये तत्पर हैं। इसी प्रकार से राज्य कर्मचारियों के लिये आपने यह घोषणा की है कि उनके बालक बालिकाओं को अर्थ शुल्क से मुक्त किया जायगा तो वह अध्यापकों के बच्चों के लिये भी घोषणा की जाय। मैं चाहता हूं यदि आपने राज्य कर्मचारियों के लिये यह सुविधा दी है कि उनके बच्चों को अर्ध शुल्क से मुक्त किया जायगा तो वह कौन सा न्याय है कि आप अध्यापकों के बच्चों को भी उसी प्रकार की सुविधा नहीं देते। जो शिक्षा में लगे हुये हैं और अल्प वेतन भोगी कर्मचारी हैं उनकी तरफ भी आपका ध्यान जाना चाहिए। उनके बच्चों को भी यह सुविधा प्रदान करने की कृपा करें। अभी तक केवल २०० रुपये पाने वाले अध्यापकों को यह फीस माफी की सुविधा प्राप्त थी। मैं चाहता हूं कि जिस प्रकार से राज्य कर्मचारियों को आपने सुविधा दी है उसी प्रकार से इन अध्यापकों को भी दी जाय।

विश्वविद्यालय को जो अनुदान दिया जाता है उसके विषय में मैंने कल बताया था कि उसमें किसी प्रकार का तारतम्य नहीं है। मैं चाहता हूं विश्वविद्यालय स्तर पर एक ग्रान्ट कमेटी हो जो जगह-जगह जाय और देखे कि किस आधार पर अनुदान मिलना चाहिये। एक ही आधार पर उनको अनुदान नहीं मिलता है। आप पंचवर्षीय योजना तैयार करें जो यह देखे कि किन विश्वविद्यालय में कितने विद्यार्थी बढ़ाये जायं, कितने अध्यापक बढ़ाये जायं और किस प्रकार से पाठशालाओं की जरूरत होगी। अन्यथा किसी प्रकार से भी हमारे प्रदेश का विकास सम्भव नहीं है। मैं चाहता हूं आप इस प्रकार से इसमें भी करें। हमारे माध्यमिक शिक्षकों के लिये जो विधेयक लाये हैं उसमें एक बहुत बड़ी कमी है। मैं चाहता हूं जिस ढंग से आपने नार्म्स को मान्यता दी है वह उस तरह से नार्म्स के आधार पर नहीं होना चाहिये। विधेयक के अन्दर जो अध्यापक की परिभाषा दी है उसके आधार पर आपको चलना चाहिये। मैं चाहता हूं आप इस पर कुछ प्रकाश डालने की कृपा करें। माध्यमिक शिक्षकों के लिये जो विधेयक है उसके अनुसार हम चाहते हैं कि नियंत्रण हो। मेरा सुझाव है कि विश्वविद्यालयों से संबंधित जो महाविद्यालय हैं उनके प्रबन्ध बहुत अच्छे हैं लेकिन यदि कहीं पर कुप्रबन्ध है और ऐसी कुप्रबन्धक समिति है तो उसके लिये आपने क्या किया है? क्या उनको सरकार अपने हाथ में ले रही है या विश्वविद्यालयों को अपने हाथ में लेगी? मेरा यह सुझाव है कि महाविद्यालय में अगर कहीं पर कुप्रबन्ध है तो उसको समाप्त करने का प्रयास किया जाय।

इसी प्रकार से मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारा यह जो बजट है उसमें अधिक से अधिक यह कोशिश होती है कि हम पैसे को कैसे बचायें। पिछले साल ३५ करोड़ रुपया की बचत हुई और उस ३५ करोड़ रुपये को रिजर्व फंड में डाल दिया गया और बाद को डेफिसिट में दिखाया। शिक्षा विभाग की यह बुराई है कि वह यह देखता है कि पैसे को बचाया जाय और पैसे को कैसे काटा जाय। यह बात समझ में नहीं आती कि ऐसा क्यों होता है। इसी कारण हमारे प्रदेश में शिक्षा का विकास अधिक नहीं होता है। इस सचिवालय में भी हमने देखा कि यहां से भी अनुदान काट दिया जाता है। देवनागरी डिग्री कालेज, मेरठ को ८० हजार रुपया भवन निर्माण के लिये मिलना था लेकिन वह ग्रान्ट यहां सचिवालय से रोक दिया गया। मैं यह निवेदन करूंगा कि इस प्रकार से अनुदान रोका जाता है तो अनुचित है। आप समाजवाद की बात करते हैं लेकिन क्या इस

प्रकार से समाजवाद का निर्माण होगा ? इसी प्रकार से आपने चौथी श्रेणी के कर्मचारियों के लिये क्या किया ? मैं चाहता हूं कि चौथी श्रेणी के कर्मचारियों के लिये नियमावली बनाई जाय या नियम बनाये जांय। उनके लिये कोई नियम नहीं हैं। मैं चाहूंगा कि उनके सम्बन्ध में आप भी कुछ विचार रखें।

एक बात मुझे यह भी निवेदन करना है कि यह शिक्षा विभाग अब बहुत बड़ा हो गया है। इधर हमारे यहां स्कूल और कालेज काफी खुले हैं लेकिन ३ सालसे मैं जो देख रहा हूं और मेरा भी अनुभव है कि सचिवालय की अजीब हालत अब हो गई है। पहले पांडे जी यहां शिक्षा सचिव थे उन को पता ही नहीं था कि जे०टी०सी० और बी०टी०सी० अध्यापक कौन होते हैं और उनके बाद परिवहन विभाग से सेठ जी को ले आया गया और अब जौहरी साहब या कौन हैं वह आ गये हैं और मैं नहीं जानता कि उनको कितना अनुभव शिक्षा का है। जब कि कुठारी कमीशन की सिफारिश में साफ लिखा गया था एजूकेशन सेक्रेटेरियट के बारे में कि :"

"Secretary is generally an I. A. S. officer except in West Bengal where he belongs to the education service. We are of the opinion that the education secretary also, like the educational adviser to the Government of India should be an educationist rather than administrative officer."

यह आई०ए०एस० आफिसर या जो अधिकारी हैं वह अच्छे प्रशासक हो सकते हैं लेकिन वे शिक्षा जगत का अच्छा अनुभव रखते होंगे या एजूकेशनिस्ट होंगे ऐसी बात नहीं है। सरकार इस पर विचार करे किस प्रकार से अपने सचिवालय के जो शिक्षा सचिव हैं जो प्रमुख व्यक्ति होते हैं वह शिक्षा जगत से ही लिये जाया करें न कि आई० ए० एस० ही वहां रखे जांय। इसी तरह से निदेशालय का भी काम बहुत बढ़ गया है वहां के काम का भी विकेन्द्रीकिरण किया जाय और जो उपनिदेशक आदि हैं उनको वह अधिकार दिये जांय तो मैं समझता हूं काफी समस्या हल हो सकती है। आज सेक्रेटेरियट और निदेशालय सब जगह हावी हैं और काम ठीक नहीं हो रहा है। इस स्थिति में भी सुधार लाने की आवश्यकता है।

एक बात मैं अन्त में विश्वविद्यालयों के सम्बन्ध में और कहना चाहता हूं कि वह यह है कि हमारे यहां कहीं पर तो सेमिस्टर सिस्टम चल रहा है और कहीं दूसरी पद्धति चल रही है और सब जगह एक पद्धति चल रही है। अगर कोई पहले सेमिस्टर में फेल होता है तो उसके लिये यह अनुमति है कि वह तीसरे सेमिस्टर में बैठ जाय और दूसरे में फेल हो जाय तो चौथे में बैठने की अनुमति है लेकिन तीसरे और चौथे सेमिस्टर में बैठने की कोई सुविधा नहीं है और उन विद्यार्थियों का एक साल बेकार हो जाता है, उनके अंक नहीं जुड़ते और प्रमाणपत्र नहीं मिलता।

इस तरह से प्रदेश के विभिन्न विश्वविद्यालयों में एक अजीब स्थिति है। इस वास्ते इस सम्बन्ध में एक हाई पावर कमेटी बनाई जाय जो नये और पुरानें विश्वविद्यालयों के काम को देखे और इन चीजों में एकरूपता लाने के लिये परीक्षा पद्धति आदि बनाई जाय। इस तरह की एकरूपता न होने से अध्यापकों और विद्यार्थियों को सभी को कठिनाई होती है। अगर मेरठ से किसी का ट्रान्सफर बनारस को कर दिया जाता है तो वह यही लिखता है कि मेरे बच्चे यहांसेमिस्टर सिस्टम में पढ़ रहे हैं और बनारस विश्वविद्यालय में वह सिस्टम नहीं है इसलिये मेरा ट्रान्सफर रोक दिया जाय और वह रोकना पड़ता है और गवर्नमेंट को भी परेशानी होती है। हम चाहते हैं कि मंत्री जी स्पष्ट वक्तव्य दें और घोषणा करें ताकि हम समझें कि मंत्री जी ने गौर से हमारी बातों को सुना है और उन पर विचार किया है और सदन की भावनाओं को मंत्री जी ने ध्यान से सुना है।

डाक्टर रामजी लाल सहायक––

मान्यवर, कल ४ बजे के बाद और आज इस समय तक शिक्षा बजट पर विवाद चला है। मैं माफी चाहता हूं इस बात की कि कल भी और आज भी मैं माननीय सदस्यों के बहुत से सुझावों

[डाक्टर रामजी लाल सहायक]

को नहीं सुन सका क्योंकि दूसरे सदन में मुझे कल भी और आज भी जाना पड़ा। जो कुछ मैं सुन पाया हूं उसका उत्तर देने की मैं चेष्टा करूंगा। मैं माननीय सदस्यों का बहुत अनुग्रहीत हूं कि जिन्होंने इस अनुदान पर अपने विचार व्यक्त किये और अच्छे सुझाव भी दिये।

कुछ माननीय सदस्यों ने यह मांग की कि पर्वतीय क्षेत्र में शिक्षा विकास के विषय में बहुत कम किया गया है। मैं उनकी जानकारी के लिये निवेदन करूंगा कि पर्वतीय क्षेत्र में और मैदानी क्षेत्रों में मान्यता देने के जो नियम हैं, जो मान्यता वहां दी जाती है उसमें २ वर्ष पहले ही छूट दे दी है। अगर मैदान में किसी हाई स्कूल से १० कमरे की अपेक्षा करते हैं तो पर्वतीय क्षेत्र में यदि उनके पास ७ ही कमरे हैं तो उस पर मान्यता देने की बात निश्चित हो गयी है। मान्यवर, मैंने कल भी निवेदन किया था कि पर्वतीय क्षेत्र में हम एक विश्वविद्यालय की स्थापना कर रहे हैं और लगभग सभी जिलों में १-१ डिग्री कालेज देने का हमारा विचार है और उधर कई जिलों में....

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी-गढ़वाल)--

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि पर्वतीय क्षेत्र में वह कौन से जिले में विश्वविद्यालय खोलेंगे ?

डाक्टर रामजीलाल सहायक--

यह कहां खुलेगा, यह तो आगे की बात है लेकिन पर्वतीय क्षेत्र में खुलेगा।

एक प्रश्न यहां पर उठाया गया प्राइमरी शिक्षा के बारे में। इसमें दो रायें नहीं हैं कि प्राइमरी शिक्षा जैसी होनी चाहिये, वैसी नहीं है। स्कूलों के भवन नहीं हैं, अध्यापकों की दशा भी अच्छी नहीं है। और इसमें कोई शक नहीं है कि यह जो हमारी शिक्षा की बुनियाद है, खराब है। मान्यवर, मैंने कल निवेदन किया था और फिर कहता हूं कि बजट में सैकड़ों भवन बनाने का प्राविधान है, उनकी मरम्मत भी कराने के लिये हमने एक समिति गठित की थी जिसकी एक मीटिंग भी हो चुकी है, उसको बाहर भी जाना है अन्य प्रदेशों में, उसके उपरान्त वह संस्तुति करेगी कि प्राइमरी शिक्षा में हम किस प्रकार से उत्थान और सुधार कर सकते हैं। हमारा विचार यह है कि यदि वित्तीय साधनों ने इजाजत दी तो सम्भव है कि हम प्राइमरी शिक्षा को अपने हाथ में ले लें या उसका राष्ट्रीयकरण कर दें।

मान्यवर, माध्यमिक शिक्षा परिषद् के विषय में भी माननीय सदस्यों ने मांग की और अभी-अभी भाई कपूर साहब ने भी यह कहा था कि काम बहुत ज्यादा बढ़ गया है। इसमें कोई शक नहीं है कि जहां पर साढ़े ८ लाख विद्यार्थी परीक्षा में बैठ रहे हों और जहां पर ३३ हजार विद्यार्थी अनफेयर मीन्स एडोप्ट करने में पकड़े जाते हों, उनका रिजल्ट घोषित नहीं किया जाता है, यह विचारणीय प्रश्न है। यह प्रश्न सरकार के विचाराधीन है कि हम प्रदेश के हाई स्कूल और इन्टरमीडिएट बोर्ड का विकेन्द्रीयकरण करें, उसको कई हिस्सों में बांट दें ताकि जो वहां पर गड़बड़ है, वह समाप्त हो सके।

श्री लक्ष्मण स्वरूप (जिला मेरठ)--

श्रीमन्, मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। आज से २ वर्ष ११ दिन पूर्व माननीय शिक्षा मंत्री जी ने यहीं पर आश्वासन दिया था कि उत्तर प्रदेश के माध्यमिक बोर्ड को ४ भागों में विभक्त कर दिया जायगा तो अब तक क्या योजना बन कर तैयार हुयी है, उस पर माननीय मंत्री जी अपने विचार व्यक्त करें।

डाक्टर रामजी लाल सहायक—

उस समय भी मैंने ही कहा था और आज भी मैं ही कह रहा हूं, बीच में किसी ने नहीं कहा। मैंने आरम्भ में भी कहा था और आज भी कह रहा हूं कि इसका विकेन्द्रीयकरण करना है, करेंगे, बिना इसके काम भी नहीं चलेगा, यह तो आवश्यक कार्य है।

मैंने विभाग से कहा है कि कुछ इस प्रकार के परीक्षा प्रश्न बनावें और इनका प्रयोग करके देखें कि हम परीक्षा पद्धति में कुछ परिवर्तन कर सकते हैं, उसमें ८० प्रतिशत सफलता रही है। वे और प्रयोग कर रहे हैं, उनकी रिपोर्ट मिलने पर ही आगे कार्यवाही हो सकेगी। हम परीक्षा पद्धति में परिवर्तन करना चाहते हैं।

मान्यन्ता के सम्बन्ध में भी कई माननीय सदस्यों ने आशंकायें व्यक्त की हैं लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि माध्यमिक शिक्षा परिषद् की मान्यता समिति होती है। मान्यता देने के नियम बने हुये हैं। प्राभूति चाहिये, सुरक्षित कोष चाहिये, भवन चाहिये, पुस्तकालय चाहिये, ट्रेन्ड अध्यापक चाहियें, उचित प्रशासन योजना चाहिये। इस प्रकार से आठ-दस नियम बने हुये हैं। उन नियमों के आधार पर वह समिति बैठती है और जो पैमाने पर ठीक उतरते हैं उनको मान्यता देते हैं।

इसी प्रकार से नियम जूनियर हाई स्कूल के लिये भी हैं। अन्तर केवल इतना है कि जूनियर हाई स्कूल की मान्यता जिले के स्तर पर जिला विद्यालय निरीक्षक दे देते हैं और हाई स्कूल और इन्टरमीडिएट की जो हमारी मान्यता समिति होती है वह देती है। अब इसमें कुछ शिकायत हुई कि मान्यता देने में किसी प्रकार का कोई पक्षपात बरता जाता है। मैं भी उसका सदस्य कई वर्ष तक रह चुका हूं। मैंने कार्य प्रणाली जानी भी है। आज भी देख रहा हूं। नियमों के विपरीत कोई ऐसा निर्णय नहीं ले सकते। वे नियमों के अन्तर्गत लेते हैं।

अब हमारा यह प्रयास है कि उसमें भी जो पर्वतीय क्षेत्र हैं कुछ हमारे ऐसे क्षेत्र भी हैं प्रदेश के जो पिछड़े हुये हैं शिक्षा की दृष्टि से, मान्यता के नियमों में उनमें हम पर्वतीय क्षेत्रों में छूट दे चुके हैं। बुन्देलखंड की तरफ से भी मांग हुई है। उन पर भी हम विचार कर रहे हैं और मैं विश्वास दिला सकता हूं कि उनमें भी छूट देंगे। मैदानों में भी, जो मैदान के नियम हैं, उनके नियमों में भी हम ढील कर देंगे। मान्यवर, निःशुल्क शिक्षा की दुहाई दी गई। यह बहुत बड़ा प्रदेश है और इस देश की कठिनाई यह है कि यह आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है। अन्य प्रदेशों के भी यहां उदाहरण दिये गये। मैं मानता हूं इस बात को कि हम उनसे पिछड़े हुये हैं लेकिन जो आर्थिक संकट हमारे सामने है और अपनी स्थिति को देखते हुये जो कमजोर हैं, उस पर भी हमने दसवीं कक्षा तक निःशुल्क शिक्षा बालिकाओं की कर दी है और छठवीं कक्षा तक बालकों को भी निःशुल्क शिक्षा कर दी गई है। उसका जितना भार है वह सरकार वहन करती है। जब तक वित्तीय साधन हमको इजाजत नहीं देते और आगे के लिये हम कहें कि हम निःशुल्क कर देंगे यह हमारी मजबूरी है यह हम नहीं कह सकते।

कुछ साथियों ने अनुसूचित जातियों के संरक्षण के बारे में प्रश्न उठाये। १८ फीसदी को पूरा करने के लिये सरकार ने निर्णय लिया है कि ४५ प्रतिशत उसकी व्यवस्था कर दें जिससे वह संरक्षण पूरा हो जाय। सरकारी आदेश हैं और सरकार के निर्णय हैं लेकिन हम सब जानते हैं कि मैदान में जो हमारे साथ काम करने वाले लोग हैं वे इन बातों की अवहेलना कर देते हैं। यह दिक्कत है व्यवस्था की। फिर भी मान्यवर, मैं विश्वास दिलाता हूं कि हमारा प्रयास और चेष्टा रहेगी कि हम इस १८ फीसदी को पूरा करायें। दाखिले की बात भी चाहते हैं। कुछ विद्यालय जो हमारे अधिकार में नहीं है जो प्राइवेट मैनेजमेन्ट द्वारा चलाये जाते हैं उनको भी मान्यवर लिखा गया और उनसे कहा कि आप अपने यहां स्टाफ पर भी और दाखिले पर भी ध्यान रखें।

[डाक्टर रामजी लाल सहायक]

अनुसूचित जातियों के पदोंके दाखिले में अध्यापकों को रखें। मेरी जानकारी में यह है कि यदा कदा कहीं जहां अच्छा मनेजमेंट लिया है उन्हें बाकी नहीं कर पाये हम उनके लिये भी कोशिश करेंगे कि वह भी हमारी इस बात को मानें और कुछ करें ।

मान्यवर, एक प्रश्न हमारे सामने शिक्षा का मूल आधार और मूल उद्देश्य शिक्षार्थी के बौद्धिक, शारीरिक और आत्मिक विकास का है । कोई भी शिक्षा अगर इन बातों को पूरा नहीं करती तो फिर उसको शिक्षा कहने में भी हिचक होगी । मैं मानता हूं कि हमारा यह आधार और यह उद्देश्य है और उसी के लिये स्कूलों का संचालन होता है । लेकिन फिर भी उसे पूरा करने में अभी उतने योग्य हो पाए हैं जिनना कि होना चाहिये ।

श्रीमन्, एक सबसे बड़ी दिक्कत हमारे सामने पढ़े-लिखे नौजवानों में बेकारी की है । मेरे सामने रोजाना बहुत सी अर्जियां जाती हैं । न केवल नौजवानों की बल्कि लड़कियों की भी जो एम० ए०, एल० टी०, एम० एड०, बी० एड० हैं और जिनको स्थान नहीं मिल रहा है । तो मान्यवर, मैंने एक कमेटी बनायी है, शिक्षा उन्नयन समिति, और उससे कहा है कि वह जल्दी अपनी बैठक करके हमें बताए कि प्राइमरी स्तर से लेकर.....

श्री दीप नारायण मणि त्रिपाठी (जिला--देवरिया)--

प्राइमरी शिक्षा का राष्ट्रीयकरण करने में क्या कठिनाई है ?

डाक्टर रामजीलाल [सहायक--

मान्यवर, बड़ी मुसीबत है । अब तक यह बाहर थे, अब आए हैं, उसक बारे में मैं कह चुका हूं । तो मैं कह रहा था कि हमारा विचार है कि प्रायमरी स्तर पर जिस अवस्था के विद्यार्थी रहते हैं उनके लिये भी कुछ इस तरह के धन्धे करें जिन्हें उस अवस्था के बालक कर सकें क्योंकि आज बड़ी भारी मुसीबत मनोवृत्ति की है । आज का पढ़ा-लिखा नौजवान हाथ से काम करना नहीं चाहता । बी० एस० सी०, ए० जी० है, घर में २५० बीघा जमीन है, २ ट्यूबवेल है, लेकिन खेती नहीं करना चाहता, सवा सौ, डेढ़ सौ की मास्टरी पसन्द करता है । ऐसे भी उदाहरण है कि आठवां दर्जा पास है, उसके बाद कहा गया कि घर में कुछ काम करो, उसके सामने झाड़ू लगायी, लेकिन वह नहीं लगा सका छोड़कर चला गया । शारीरिक श्रम का महत्व नहीं समझते । तो मैंने उस समिति से कहा कि इस स्टेज पर ही बच्चे को काम करने की आदत पड़े, इस तरह के उद्योग हो । जूनियर से इन्टरमीडिएट तक का जो स्टेज है उसमें जो बच्चे हैं उनके लिये कुछ खेती का, कुछ मशीन का काम हो सकता है, जिससे हर विद्यालय में कर्मशाला कायम करके उनसे काम ले सकें ।

इसी प्रकार से उच्च स्तरीय शिक्षा में कुछ ऊंचे किस्म की टेक्नालाजीकल चीजों को रखा जा सकता है । तो यह मैंने उस समिति से कहा है और वह ऐसी योजना बना रही है और यदि हमारे माननीय सदस्य इस कार्य में हमें सहयोग देंगे तो एक दिन जल्दी ही ऐसा आएगा कि हमारे सामने जो भयावह स्थिति आज बेरोजगारी की है, पढ़े लिखे नौजवानों की, वह समाप्त हो जाएगी ।

मान्यवर, अभी एक माननीय सदस्य ने, सम्भवतः जायसवाल जी ने उच्च शिक्षा के बारे में विचार जाहिर किये । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उच्च स्तरीय शिक्षा के उत्थान और उसके अच्छे संचालन के लिये एक आयोग गठित किया जा रहा है--उच्च शिक्षा आयोग--और उसके सामने यही काम करेगा कि वह संस्तुति करे इस बात की कि हम उच्च स्तरीय शिक्षा को किस तरह से अच्छा बना सकते हैं और किस तरह से उसका अच्छा संचालन कर सकते हैं ।

मान्यवर, अभी हमने अध्यापकों के वेतन वितरण के बारे में एक विधेयक आज उस सदन मे पारित किया है, यहां वह पारित हो चुका है । उस विधेयक के पारित हो जाने पर, अध्यापकों

को जो शिकायत थी कई-कई महीने वेतन न मिलने की वह शिकायत मिटेगी, लेकिन इससे हमारे लिए कुछ दिक्कत पैदा हो गयी है। जब कहीं कोई मैनेजमेन्ट गड़बड़ करते थे और किसी संस्था में अनियमितताएं मिलती थीं तो हम उस संस्था का अनुदान बन्द कर देते थे। आज हम अनुदान बन्द नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमें ही को तनख्वाह देनी है। तो अब इस तरह की एक स्थिति पैदा हो गयी है। हम ने शिक्षा के दायित्व को और वेतन वितरण के दायित्व को लिया है। एक बड़ी भारी मांग है कि राष्ट्रीयकरण कर दीजिये। शिक्षा का राष्ट्रीयकरण करना इतना आसान काम नहीं है। हमारा पहला कदम यह है कि वेतन का वितरण किया जाये और दूसरा हमारा विचार यह है प्रिंसिपलों के पद का प्रान्तीयकरण कर दिया जाय। इसके लिये मैंने एक कमेटी बना दी है। ज्यों ही वह अपनी संस्तुति देगी त्यों ही हम उस विषय में निर्णय लेंगे। यह भी राष्ट्रीयकरण की ओर एक कदम होगा।

तीसरी बात मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे देश में बहुत सी संस्थाओं का सृजन हुआ है। विद्यापीठ हैं और बहुत बड़ी-बड़ी संस्थायें हैं जिन्होंने हमारे देश के बड़े-बड़े नेताओं का निर्माण किया है। यदि आज हम शिक्षा का राष्ट्रीयकरण कर भी दें तो पब्लिक इनिशियेटिव तथा सार्वजनिक उत्साह है, वह मारा जायेगा और फिर इससे नुक्सान होगा। हम तो सब से अपील करते हैं और मदद मांगते हैं इस बात की कि आइये–मदद कीजिये इस प्रदेश को अच्छा बनाने में और ऊंचा करने में। कुछ थोड़ी–बहुत खराबियां हैं, जो कुछ दिन में, यदि आपका सहयोग रहेगा तो, दूर हो जायेंगी। यह मौका है कि हम और आप–दोनों मिल कर, कार्य करें और फिर कहें कि शिक्षा का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया है।

मान्यवर, हमारे माननीय सदस्यों ने कुछ शिकायतों का जिक्र किया। मैं उन्हें देखूंगा मगर उनसे यह चाहूंगा कि वे यदा कदा कृपा करके शिकायतों को लिख दिया करें ताकि हम उनकी जांच करवा सकें और उनके सम्बन्ध में कुछ व्यवस्था कर सकें और करते रहें। शिक्षा का एक बड़ा विभाग है उसमें कई प्रकार की ट्रेनिंग जैसे बी० टी० सी०, जे० टी० सी०, सी० टी०, एल० टी०, बी० एड०, एम० एड० इत्यादि, दी जाती हैं। अब यह निर्णय लिया जा रहा है कि केवल २ प्रकार की ही ट्रेनिंग रखी जायें––एक तो इन्टरमीडिएट के स्तर तक के लिये और दूसरी बी० ए० व एम० ए० के लिये। ये दोनों ट्रेनिंग दो–दो साल की रहेंगी।

अभी हमारे भाई कपूर साहब ने निदेशालय की तरफ ध्यान दिलाया कि काम बढ़ा है। सही बात है। परेशानी इस बात की है कि एक तरफ तो वे खर्च बढाने की बात करते हैं और दूसरी तरफ अनुदान को घटाने के चक्कर में हैं। मेरा निवेदन यह है कि ये दोनों बातें कैसे चलेंगीं मैं मानता हूं कि आपने कटौती का प्रस्ताव वैसे ही रख दिया है और कटौती करने का मंशा आपके हृदय में नहीं है।

श्री दीप नारायण मणि त्रिपाठी––

यह बड़ा भ्रम है।

डाक्टर रामजी लाल सहायक––

मैंने कल भी कहा था और आज भी यह बात हमारे सामने है कि हम प्राइमरी स्तर की शिक्षा के लिये एक निदेशालय अलग से कायम करें। माध्यमिक शिक्षा के लिये निदेशालय हमारे पास है और उच्च स्तर के लिये एक निदेशालय अलग से बनाने का विचार हमारे विचाराधीन है और इस पर सम्भवतः जल्दी ही कोई निर्णय लेंगे।

श्री उपाध्यक्ष––

अब आप समाप्त करें, समय नहीं है।

डाक्टर रामजी लाल सहायक--

इन शब्दों के साथ मैं अपने उन साथियों को बधाई देता हूं कि जिन्होंने हमें अपने सुझाव दिये हैं और मैं सदन से प्रार्थना करता हूं कि इस अनुदान को शीघ्र ही पारित करने की कृपा करे ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान संख्या १८ के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि ३१ मार्च, १९७२ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या १८-शिक्षा के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त ५३,५९,४३,५०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

१९७१-७२ के आय व्ययक पर अनुदानों के लिए मागों पर मतदान
अनुदान संख्या २८-सूचना निदेशालय

*(सूचना राज्य मंत्री) श्री पुरुषोत्तम दास टन्डन--

मैं आपकी आज्ञा से और राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि ३१ मार्च, १९७२ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या २८ सूचना निदेशालय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त २२,२३,९०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

मान्यवर, सूचना विभाग जनता और सरकार के बीच में एक बहुत मजबूत कड़ी है । सूचना विभाग हमेशा इस बात की कोशिश करता रहा है कि सरकार के किये हुए कामों को जनता को बता सके । सूचना विभाग हर प्रकार से तरक्की करने की कोशिश कर रहा है तरह-तरह की योजनायें विभाग के विचाराधीन हैं । मान्यवर, सूचना विभाग ने हिन्दी भवन बनवाया है और करीब-करीब तैयार है । वह राजर्षि पुरुषोत्तम दास डन्डन के नाम से बना है । इसमें एक शोरूम की योजना है जहां लोग देखेंगे कि हिन्दी के प्रचार के लिये क्या क्या किया जा रहा है और कैसी कैसी पुस्तकें लिखी गई हैं । हिन्दी समिति को पुर्नगठित करने का भी इरादा है और यह मामला सरकार के विचाराधीन है । मान्यवर, कुछ दिन हुए डिस्ट्रिक्ट इन्फारमेशन आफिसर की जगह हटा दी गई थी । सरकार ने इस मामले पर फिर से विचार किया है और एक स्कीम बनाई है । वह स्कीम वित्त विभाग के पास है और जल्दी आवेगी और उसके अनुसार जो कुछ कार्यवाही आवश्यक होगी अवश्य की जावेगी ।

मान्यवर, जनता से सम्पर्क करने के लिये सरकार सूचना विभाग के द्वारा पेम्फलेट, किताबें, बटवाती है और विभाग का स्टाल मेलों और नुमायश में जाता है । मान्यवर, इस वर्ष सरकार का इरादा है कि तीन डाक्युमेन्ट्रीज बनाई जांय और वह जगह जगह दिखलाई जांय । मान्यवर, इस वर्ष पानी के कारण जनता को बड़ी क्षति पहुंची है । सरकार ने हर तरह से जनता की मदद करने की कोशिश की है और जो कुछ भी जनता के लिये किया गया है उसकी एक किताब बटवाई गई है । सरकार ने स्वतंत्रता संग्राम में जिन लोगों ने हिस्सा लिया है उनकी जीवनी तैयार की है । बहुत से जिलों की स्वतंत्रता सेनानियों की लिस्ट तैयार हो गई है । कुछ के बारे में किताबें तैयार

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

हो रही हैं। सरकार हर तरह से छोटे छोटे पत्रों को मदद देती है कि वह चलें और लोगों को उनका सहयोग मिल सके। उनके द्वारा सरकार की बातें जनता तक पहुंच सकें। आने वाले दिनों में सूचना विभाग की बहुत बड़ी जिम्मदारी होगी और हम लोग उसके लिये सतर्क हैं। हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि सदस्यगण पूरी तरह से मुतमईन हो सके और सलाह दें। अब मेरी प्रार्थना है कि माननीय सदस्य अपने सुझाव दें।

श्री विश्वनाथ कपूर (जिला फैजाबाद)—

मंत्रीजी भाषण कर रहे थे या पढ़ रहे थे ?

*श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—

मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है।

माननीय उपाध्यक्ष जी, सूचना मंत्रीजी को सूचना निदेशालय से कागज मिला था और उसको पढ़कर वह सुना रहे थे कि सूचना विभाग द्वारा क्या-क्या काम किये जा रहे हैं। मैं चाहूंगा कि श्री राजबिहारी सिंह उनके पास बैठे हैं। वह डाक्टर सम्पूर्णानन्द के समय में सूचना विभाग का काम देखते थे। मुख्य मंत्री जी के निकट के सहयोगी हैं। सूचना विभाग क्या करता है उसके बारे में श्री राज बिहारी सिंह से पूछ लें।

सन् १९७०–७१ में जब ग्रान्ट पेश हुई थी उस समय श्री राजबिहारी सिंह ने यह कहा था, लेकिन आज क्या है। सूचना विभाग में कुछ डिप्टी डायरेक्टर हैं और एक डायरेक्टर है। कुछ पत्रकार हैं। क्या काम होता है भगवान जाने। दो एक काम जरूर होते हैं जैसे कि अखबार वालों को बुलाकर डांट दिया जाय कि तुम यह सूचना मत छापो। श्रीमन्, यह सही है कि सूचना विभाग हमारे प्रदेश में पहले एक बड़ा विस्तृत विभाग था और प्रत्येक जनपद में फील्ड पब्लिसिटी आफिसर्स रहा करते थे, इंफार्मेशन आफिसर्स रहा करते थे। एक सेल होती थी जिसमें प्रचार और रेडियो का सामान रहता था। हम खुश थे और फेयर कंम्पटीशन चलता था और इन्फारमेशन डिपार्टमेंट के माध्यम से लखनऊ से लेकर प्रत्येक जनपद और प्रत्येक गांव तक सरकार की नीति का प्रचार होता था और हमारे देश और प्रदेश के जो समाचार पत्र थे उनको इस बात की छूट रहती थी कि वे पीपुल्स वायस बनकर जनता की आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करें।

लेकिन श्रीमन्, आज सूचना विभाग का कलेवर कट गया। डिस्ट्रिक्ट में इनके पास कोई मशीनरी नहीं रह गयी और प्रदेश में कोई मशीनरी नहीं रह गयी जो कि सरकार की नीतियों का प्रचार कर सके। अब उन्होंने क्या काम आरम्भ किया है कि सूचना विभाग के पास केवल एक काम है और वह यह कि हिन्दुस्तान और प्रदेश के जो समाचार पत्र पीपुल्स वायस थे उसको पीपुल्स वायस से गवर्नमेंन्ट वायस में बदल दें। माननीय कपूर साहब कह रहे थे कि गवर्नमेंन्ट वायस में नहीं बल्कि पार्टी वायस में। ठीक है पार्टी वायस के लिये बना देंगे लेकिन श्रीमन्, जब इस मशीनरी का संस्कार खराब हो जायगा तो जो भी सरकार होगी वह उस काम को भी करना प्रारम्भ कर देगी।

श्रीमन्, मैं कह रहा था कि अब एक काम है कि किस प्रकार से देश और प्रदेश के प्रशासन को अपनी पार्टी और सरकार के प्रचार की लाइन में लगा दें। श्रीमन्, अगर आज कोई व्यक्ति देश और प्रदेश की सरकारों का इतिहास लिखने बैठे, सरकार को छोड़ दें, अगर देश और प्रदेश

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री कृष्णानन्द राय]

का इतिहास लिखने बैठे तो या तो इतिहास लेखक ने कोई एडवान्स न ले लिया हो या इतिहास लेखक से यह वायदा न कर लिया हो कि हिन्दी समिति से छपवा देंगे, ऐसा कुछ न हो और अगर वह इंडिपेंडेंट लिखने बैठे तो एक वाक्य वह जरूर लिखेगा कि दो संकल्प थे---समाजवाद की स्थापना करना और लोकतन्त्र को परिचालित करना। श्रीमन्, समाजवाद की स्थापना से तो वे उतनी ही दूर हैं जितना कि चांद पर पहुंचने की प्रक्रिया से दूर हैं। रह गयी लोकतंत्र के परिचालन की बात तो उसकी प्रणाली को, श्रीमन्, आप भी समझते हैं।

आज लोकतन्त्र का कितनी तेजी से हमारे देश में ह्रास हो रहा है उसकी कल्पना भी हम नहीं कर सकते। हमारी मशीनरी ब्युरोक्रेसी है। यह, श्रीमन् आप जानते हैं कि बड़ी कलाकार रही है। अंग्रजों के जमाने में अंग्रेज भी इससे खुश थे और समझते थे कि बड़ा अच्छा काम कर रही है। कांग्रेस के जमाने में कांग्रेस भी बड़ी खुश रही। श्रीमन्, ब्युरोक्रेसी का दबदबा इतना है कि सूचना विभाग जो कि समाचारपत्रों से सम्बन्धित है, जितना इंफारमेशन देने से सम्बन्धित है, साहित्यिकों से और पत्र पत्रिकाओं से संबंधित है, वहां भी आई०सी०एस० महोदय डायरेक्टर बनकर बैठे हैं। श्रीमन्, एक न्याय पालिका थी जहां कुछ इंडिपेन्डेन्स चलती थी लेकिन आज उसकी भी ऐसी दुर्दशा हो गयी है कि हिन्दुस्तान में एक व्यक्ति भी आंसू बहाने वाला नहीं है कि न्यायपालिका की भी आजादी खत्म हो गयी। उसके खत्म होने का दोष माननीय मंत्री जी की सरकार या उनके दल को नहीं देना चाहता। बल्कि जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ने गोलकनाथ केस में फाइंडिंग दे दी, पार्लियामेंट को अधिकार दे दिया कि वह प्रापर्टीराइट, फंडामेंटल राइट पर आक्रमण नहीं कर सकता है उसी दिन मालूम हो गया था कि हिन्दुस्तान में इंडिपेंडेंट जुडिशियरी खत्म हो जायेगी। और धीरे-धीरे जुडिशियरी कमिटेड होती जायेगी। ब्यूरोक्रेसी कमिटेड तो है ही।

सबसे बड़ा दुर्भाग्य होगा डेमोक्रैसी का जिस दिन हमारे हिन्दुस्तान के प्रेस कमिटेड हो जायेंगे, जिस दिन हिन्दुस्तान की सारी इनफारमेशन एजेंसीज कमिटेड हो जायेंगी, हमारी लोक सभा में इनफारमेशन के ग्रांट पर डिबेट हो रही थी तो टंडन जी की प्रोटोटाइप जो श्रीमती नंदिनी सतपथी जी हैं जो वहां इनफारमेशन और ब्राडकास्टिंग की मिनिस्टर है उनसे स्पष्ट रूप से यह मांग की गयी थी कि रडियो को या तो कारपोरशन बना कर उसके जिम्मे दे दिया जाय या किसी पार्लियामेन्टरी कमेटी के तहत में ही रेडियो को दे दिया जाय।

दूसरी मांग यह थी कि प्रेस को इंडिपेंडेंट रहने दिया जाय लेकिन उन्होंने दो फारमूला दिया कि---नो कारपोरेशन फार रेगुलेशन आफ रेडियोज एंड देयर इज नो ला फार दि रेगुलेशन आफ दि प्रेस। जहां तक रेडियो का ताल्लुक है ऐसी कोई मांग नहीं की गयी थी कि उसे पब्लिक की चीज बना दी जाय। केवल यह मांग की गयी थी कि इसे पार्लियामेंटरी कमेटी या किसी कारपोरेशन के जिम्मे दे दिया जाय। यह कितनी बड़ी बात है अगर रेडियो और ब्राडकास्टिंग की असीम शक्ति सरकार के पास हो और साथ में प्रेस भी हो जाय।

१९६० में २५-२६ लाख रेडियो के लाइसेंस हमारे हिन्दुस्तान में थे जब कि सन् ७१ में एक करोड़ ४७ लाख लाइसेंस रेडियोज के हैं। अगर एक परिवार में ५-६ आदमी को भी मान लिया जाय कि वे रेडियो सुनते होंगे तो इस तरह से गरीब ५ करोड़ आदमी रोज हिन्दुस्तान के अन्दर रेडियो सुनते हैं। इसी तरह से ३० लाख के करीब पीरियडिकल्स और डेली मेगजीन हैं और तमाम छोटे-छोटे समाचार पत्र हैं। अगर ३० लाख आदमियों के हाथों में अखबार जाते हैं और ऐसा मान लिया जाय कि ३-४ आदमी भी एक अखबार को पढ़ते हैं तो हिन्दुस्तान के एक करोड़ से अधिक आदमी आज अखबार पढ़ने वाले हो गये हैं और ५ करोड़ आदमी हमारे हिन्दुस्तान में रेडियो के सुनने वाले हो गये ह।

सारा रेडियो इनके कब्जे में हैं। रेडियो पर तीन प्रोग्राम आते हैं। एक तिहाई तो गाने होते हैं। पता नहीं आप सुनते हैं या नहीं। सीलोन रेडियो से बहुत अच्छे-अच्छे गाने आते हैं। एक तिहाई कमर्शियल चीजों—चावल, गेहूं आदि चीजों के दाम बतलाने व ऐडवरटिजमेंट आदि में चला जाता है। और एक तिहाई में हमारी प्रधान मंत्री, हमारे नारायण दत्त तिवारी जी और टंडन जी आदि के खाली भाषण होते हैं और सरकार की नीति सम्बन्धी बातें होती हैं। ५ करोड़ आदमी उसको रोज सुनते हैं। भला बतलावें कि क्या हिन्दुस्तान में डेमोक्रैसी रहेगी, क्या इस हिन्दुस्तान की जनता की आवाज रहेगी ? कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। आप उठा कर देख लीजिये, १५ अगस्त को सब मेगजिन वालों ने इंडिपेंडेन्ट मेगजिन निकाली है। उत्तर प्रदेश के आखबारों को मैंने देखाने की कोशिश की है। हर पेज पर आप देख लीजिये कि इंडिपेंडेंट डे मेगजिन में कहीं माननीय रामलखन जी सिंचाई मंत्री का दो पन्ने में आर्टिकिल है और उसी में इर्रीगेशन डिपार्टमेंट का ऐडवरटिजमेंट भी है।

माननीय नारायणदत्त तिवारी का बिजली के ऊपर आर्टिकिल छपा था और साथ ही दूसरी एडवरटाइजमेंट था, यानी उसमें किसी न किसी मिनिस्टर का उसके विभाग के सम्बन्ध में आर्टिकिन और एडवरटाइजमेंट छपा था। (व्यवधान) तो अखवारों की आज यह हालत है। मान्यवर, जिस जमाने में चुनाव हुआ था, गाजीपुर में, मेरे कमरे में ४ पन्ने का एक अखवार आया, मैं उसका नाम नहीं ले रहा हूं क्योंकि मैं सभी समाचार पत्रों की इज्जत करता हूं, मैं ने उसको ऊपर से नीचे तक, शुरू से आखिर तक, पूरा अखबार देखा और उस मे केवल प्रधान मंत्री का भाषण छपा था। उसके अतिरिक्त उसमें कोई चीज नहीं देखने को मिली। हमने सोचा कि हिन्दुस्तान में कोई और काम नहीं हो रहा है। उसमें केवल भाषण और कुछ एडवरटाइजमेंट थे। कोई एल० आइ० सी० का था, कोई किसी विभाग का था।

मैं तो टन्डन जी से प्रार्थना करूंगा कि वे केन्द्र को यह सुझाव दें कि सारे प्रेस उनके माध्यम से रेगुलेट किये जांय। आज आप देखें तो पता चलेगा कि प्रेस के ऊपर कई प्रकार के इनके पास अधिकार हैं। न्यूज प्रिन्ट का लाइसेन्स देना इनके अधिकार में है। अखबारों की मशीनरी के पुर्जो आदि का जो फारेन से मंगाये जाते हैं उनका लाइसेंश देना इनके अधिकार में है, एडवरटिजमेंट आदि देना इनके अधिकार में है, हिन्दुस्तान की सबसे बड़ी एडवरटाइजिंग संस्था को एडवरटाइजमेंट के लिये जितना रुपया सरकार देती है उतना कोई दूसरी कमर्शियल संस्था नहीं देती, इसलिये वह भी इनके इशारे पर काम करती है। इसके अलावा प्रेस मान्यता समिति भी इनके हाथ में है और इनके इशारे पर काम करती है। इस प्रकार इतनी चाबुक टंडन जी के हाथ में है कि आज समाचार पत्र पार्टी और गवर्नमेंट वायस बन गये है।

मान्यवर, समाचार पत्रों का हमारे हिन्दुस्तान में एक बहुत ही गोरवपूर्ण इतिहास रहा है। हर व्यक्ति इस बात को स्वीकार करेगा कि हिन्दुस्तान की आजादी की लड़ाई में, राष्ट्रीय आन्दोलन के इतिहास में जो भूमिका हमारे समाचार पत्रों ने निभाई है वह कितनी सराहनीय है। हिन्दुस्तान के अखबार उस समय सत्ता के हाथ में नहीं रहे, वे सत्ता की आवाज नहीं बने, बल्कि जनता की आवाज रहे।

लेकिन आज श्रीमन्, क्या हो रहा है? आज हिन्दुस्तान के अखबार जनता की आवाज न रहकर वे सत्ता की आवाज में परिवर्तित होते जा रहे हैं। रेडियो आलरेडी इनके पास हैं। जिस दिन अखबार भी सत्ता के साथ में आ जाएंगे, उस दिन जनतत्त्र का क्या होगा ? यह मैंने प्रेस मान्यता समिति के बारे में एक जिक्र किया। कोई भी इस बात में विश्वास नहीं करता कि जो प्रदेश में जनलिस्ट हैं, उनमें आपस में फूट हो, भेद हो और वे कई प्रकार की संस्थाओं में बटे हों।

[श्री कृष्णानन्द राय]

उस दिन मंत्री जी ने इस बात का जिक्र किया था कि प्रेस के लोगों में एकता कायम हो इससे प्रेस के लोगों को अपने अधिकारों के बारें में लड़ने में कठिनाई पैदा होती है। आज की दुनिया की पेचीदगी से हम भाग नहीं सकते। जब फैक्टरी के मजदूर आपस में बंट जाते हैं, कई यूनियन में विभक्त हो जाते हैं, तो मालिको को मौका मिलता है कि वह उनका शोषण करें, और उससे मजदूरों के अधिकारों की रक्षा नहीं हो पाती, फिर भी मानव स्वभाव है कि संस्थाएं बनती है। हम लोगों में ही देख लिया जाए--आज श्री नारायण दत्त जी उधर बैठे हुए हैं, हम इधर बैठे है।

हम लोग पहले एक ही कांग्रेस के अंग थे। उसी तरह से आज की सभी मौजूदा पार्टियां एक समय कांग्रेस में ही रही हैं और उससे ही निकली हैं। क्या टंडन जी इस बात को कहेंगे कि लोगों की सालिडरिटी के लिये केवल एक पोलिटिकल पार्टी रहे और जितनी पोलेटिकल पार्टियां बन गई है उनको मैं मान्यता देने के लिए तैयार नहीं हूं और उनको हम बैन्ड करने जा रहे है। हिन्दुस्तान की जनता में, पार्टियों में देश की सोलिडैरिटी के लिए कम से कम मतभेद रहें, यह तो ठीक है, लेकिन जो राजनैतिक स्थिति है उससे आप इंकार नहीं कर सकते। उत्तर प्रदेश में यह दुर्भाग्य की स्थिति है, इसको मैं अच्छी चीज नहीं मानता हूं। उत्तर प्रदेश के जनलिस्ट दो भागों बंट गये हैं, एक यूनियन है और एक एसोसिएशन है।

पहले कमलापति जी इन्फार्मेशन मिनिस्टर थे, उनकी गवर्नमेंट थी, उस समय भी यह प्रयास किया गया कि जर्नलिस्ट के हितों की रक्षा हो, लेकिन नहीं हो पायी। उन परिस्थितियों में जो प्रेस मान्यता समिति थी, उसमें दोनों संस्थाओं को प्रतिनिधित्व दे दिया गया। सरकारों को कभी भी इस तरह से, चाहे श्रमिकों की ही संस्थाएं हों, मानव कमजोरियों के साथ खेल नहीं खेलना चाहिए। यह नहीं होना चाहिये कि जब कि दो या तीन संस्थाएं हो गई है, तो एक की पीठ ठोंक दी जाए और दूसरे को मात देने की कोशिश की जाए--यह कोई स्वस्थ परम्परा नहीं है माननीय मुख्य मंत्री जी आज यहां पर मौजद नहीं है, लेकिन उन्होंने आश्वासन दिया था और उस बात का मुझे दुःख है, उन्होंने यह आश्वासन दिया था कि--"हम इस प्रश्न पर पुनर्विचार करेंगे और ऐसा प्रयास करेंगे जिससे कि हमारे प्रदेश, के जो वर्किंग जर्नलिस्ट्स है उनमें जो कान्ट्रोवर्सी पैदा हो गई है, उसका अच्छा से अच्छा सामाधान हो सके। अगर वे दोनों एक हो गई, नहीं तो आश्वकयता पड़ेगी तो दोनों को ही रेप्रेजेन्टेशन दे देंगे।"

हमने तो यह भी सुना था कि जो एडीटर्स के प्रतिनिधि हैं उन्होंने भी प्रेस मान्यता समिति में शामिल होने से इंकार कर दिया है। क्योंकि आपने दोनों को प्रेस मान्यता समिति में लेना स्वीकार नहीं किया। हो सकता है कि यह मेरी सूचना गलत हो, लेकिन यह मेरी सूचना है। मुझे दुःख है कि श्री टंडन जी ने उस दिन कहा था कि --"केन्द्रीय सरकार के पैटर्न पर हमने उत्तर प्रदेश प्रेस मान्यता समिति को आर्गनाइज कर दिया है। जहां तक मुझे जानकारी है, उससे अधिक आपको होगी कि यह श्रीमन्, प्रेस इनफारमेशन ब्युरो, गवर्नमेंट आफ इंडिया का प्रेस नोट है--

Central Press accredation committee reconstituted. The Government of India has reconstituted the Central Press accredation committee with effect from January, 1, 1971. Members of the new committe are:

Nominees of all-India News Paper Editors Conference;
Nominee of the Indian Federation of Working Journalists;
Nomineese of the Press Association, New Delhi;
Nomineese of the Cameramen's Association, New Delhi.

आपने सदन को सूचना दे दी कि प्रेस मान्यता समिति को जो यहां पर रिकांस्टीट्यूट किया है और पहली को भंग कर दिया है वह आल इंडिया पैटर्न पर आपने किया है। हालांकि सेंटर में भी वहां पर वर्किंग जरनलिस्ट्स की दो तीन ऐसोसिएशन्स हैं, एक लोकल है, एक आल इंडिया है और एक कैमरामैन की है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने ठीक किया कि न्युजपेपर एडिटर्स को भी रिप्रे-

जेंटेशन दे दिया। लेकिन आपने सूचना दे दी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पैटर्न पर किया। पता नहीं आपको कहां से सूचना प्राप्त हुई। मैं टंडन जी से अपील करना चाहूंगा, आपने कह दिया कि चौधरी चरण सिंह भी इस विचार के थे। दूसरे दिन आकर इनकार करना पड़ा, उन्होंने कहा कि मैं इस विचार का कदापि नहीं था। माननीय चन्द्रभानु गुप्त, एक श्रीमन् कोई फाइल रखी है, किस किस से बातें करके वह इस नतीजे पर पहुंचे कि प्रेस मान्यता समिति में दोनों का रिप्रेजेन्टेशन होना चाहिये, आपने माननीय चन्द्रभानु गुप्त के विषय को दबा दिया, चेलापति राव, एडिटर की बात ले आये। उन्होंने कहा है कि हम से इस प्रकार की बातचीत नहीं हुई, इंफरेंस निकाला कि मुख्य मंत्री जी का नोट गलत था। यह सब शैली, स्वस्थ शैली नहीं है। मिनिस्टरों की परम्परा होती हैं। आप प्रदेश के शासक वर्ग में बैठे हुये हैं, मंत्रिमंडल में बैठे हुये हैं। आपको चाहिये कि महज इसलिये कि आपकी इच्छायें या विचार किसी तरफ आकर्षित हैं, या किसी तरफ आपका झुकाव है, यह मानव स्वभाव है, आकर्षण हो सकता है, इसमें गलती भी नहीं है, तो आप को फक्टस को तोड़ मरोड़ करके उस केस को बनाने का प्रयास नहीं करना चाहिये। इससे गलत परम्परा स्थापित होगी।

मैं आपके माध्यम से अपील करूंगा कि उत्तर प्रदेश के वर्किंग जरनलिस्ट्स में एकता हो, अगर यहां पर दो एसोसियेशन्स हैं तो सरकार को पैटर्नल ऐटीट्यूट अपनाकर दोनों को मान्यता देने की कोशिश करनी चाहिये। मैं आपके माध्यम से वर्किंग जरनलिस्ट्स से भी अपील करूंगा कि आपकी इस लड़ाई में आपके हितों का नुकसान कितना हो रहा है, आप इसकी कल्पना करने की कोशिश कीजिये। यही लखनऊ में एक अखबार है, नैशनल हेराल्ड जिससे माननीय टंडन जी का निकट का सम्बन्ध रहा है। नैशनल हेराल्ड से हम लोगों का भी नजदीक का सम्बन्ध रहा है क्योंकि राष्ट्रीय आन्दोलन में वह उत्तर प्रदेश का अग्रदूत अखबार रहा है और इस अखबार के जनक रहे हैं पंडित जवाहर लाल नेहरू आज भी अखबार में छपता है एज फाउन्डर आफ दि न्यूजपेपर। उस नैशनल हेराल्ड के २५ वर्ष से एक न्यूज एडिटर जिनका मिस्टर बैप्टिस्टा नाम है को एक स्ट्रोक आफ पेन में निकाल दिया, जिसके एडिटर चेलापति राव हैं जिसकी टंडन जी इतनी प्रतिष्ठा करते हैं कि मुख्य मंत्री को फाइंडिंग के विरुद्ध विटेनेस बाक्स में कोट करते हैं, एक ऐसा समाचारपत्र जिसका उत्तर प्रदेश की समाचारों के इतिहास में एक बड़ा स्थान है।

उस समाचार पत्र में २५ वर्ष काम करने वाले एक एडिटर साहब को एक स्ट्रोक आफ पेन से निकाल दिया गया। कोई चार्ज शीट नहीं लगाई गयी। मैं टंडन जी से जानना चाहता हूं क्या इंफार्मेशन मिनिस्टर की हैसियत से उनका यह कर्तव्य नहीं हो जाता है कि इस लड़ाई को वह अपनी लड़ाई मानते और नेशनल हेराल्ड से पूछते कि ऐसा उसने क्यों किया? हिन्दुस्तान के अखबारों के इतिहास में इतना बड़ा कुठाराघात कभी नहीं किया गया होगा कि एक आदमी जिसनें २५ वर्ष से अपने रक्त से जिस अखबार को सींचा हो उसको एक दम से निकाल दिया जाय। मुझे तो यहां तक सूचना मिली है, हो सकती है वह सूचना गलत हो—कि टंडन जी से इस मामले में विचार विमर्श किया गया था और वह भी इस मामले में नेशनल हेराल्ड के मैनेजिंग बोर्ड की राय से सहमत थे।

पार साल की बात है, लीडर और भारत अखबार की कुछ कंट्रोवर्सी इलाहाबाद में चली और लेबर कमिश्नर ने वहां पर बिरला कंसर्न के साथ साइड किया। वहां हड़ताल हुई एक आध कर्मचारी को निकालने के सवाल को लेकर। इस सवाल को इस हाउस में उठाया गया और राजेन्द्र कुमारी वाजपेयी भी यहां मौजूद थीं। उन्होंने इस प्रश्न को उठाया कि लेबर कमिश्नर ओपिनली बिरला कंसर्न के साथ साइड कर रहे हैं और भारत तथा लीडर में जो हड़ताल चल रही है वह जायज है। जब हो हल्ला मचा तो असिस्टेंट लेबर कमिश्नर को मिर्जापुर ट्रान्सफर कर दिया गया लेकिन ६ महीने के बाद फिर वह इलाहाबाद आ गये। टंडन जी से पूछूंगा क्या यह सच नहीं है कि बिरला जी का बहुत बड़ा प्रभाव उन पर और उनकी सरकार पर नहीं है और इसलिये उस लेबर कमिश्नर को इलाहाबाद में फिर ला कर बिठा दिया गया।

[श्री कृष्णा नन्द राय]

मेरा नम्र निवेदन है कि जिस प्रकार नेशनल हेराल्ड से २५ वर्ष की सेवा के बाद न्यूज एडीटर को एक स्ट्रोक आफ पेन से निकाल दिया गया उसी तरह से हमारे वर्किंग जर्नलिस्ट्स एक-एक करके सर्विसेज से निकाले जा सकते है, उनके पास कोई सीक्योरिटी नहीं है भले ही यूनियन बना कर वह लड़ते रहें। एक आदमी उनको सरकार में नहीं मिलेगा जो उनके लिये आंसू बहा सके।

मैं यह निवेदन कर रहा था कि प्रेस मान्यता समिति का जो संगठन है उसको सरकार को एक हथियार की तरह प्रयोग में नहीं लाना चाहिये कि वर्किंग जर्नस्ट्स में मतभेद स्थापित करने के लिये एक वर्किंग जर्नलिस्ट के ग्रुप को शह दी और दूसरे को दबाओ। यह एक फ्री बाडी होनी चाहिये और उसकी रचना सारे जर्नलिस्ट्स तथा अन्य साथी कर लें और वही अपने मामलों में फैसला करें।

मैं बतलाऊं कि यह विभाग बिलकुल आटोनामस है और बहुत छोटा विभाग रह गया है। एक डाइरेक्टर साहब हैं। मुझे उनके विरुद्ध कुछ नहीं कहना है वह एक अच्छे आदमी होंगे किन्तु इतना अवश्य है कि इन्फार्मेशन डिपार्टमेंट का डाइरेक्टर एक जर्नलिस्ट होना चाहिए। यदि इन्फार्मेशन डाइरेक्टोरेट जर्नलिस्ट के मातहत रहेगा तो स्वाभाविक है कि वह जर्नलिस्टों के हितों और उनकी सहूलियतों को देख सकेगा....

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)---

अगर माननीय राजस्व मंत्री जी जैसे जर्नलिस्टों के अध्यक्ष हो गये तब क्या होगा ?

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)---

तब तो डिपार्टमेंट डूब जायेगा।

श्री कृष्णानन्द राय---

माननीय उपाध्यक्ष जी, अभी माननीय जायसवाल जी कुछ कह रहे थे। उनको भी बोलने का मौका मिलेगा। हम तो बड़ी कठिनाई में हैं कि माननीय टंडन जी एक सक्षम अधिकार लेकर बैठे हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी बीमार हैं। अगर वे बीमार न होते तो माननीय टंडन जी को खरी-खोटी सुनाकर अपनी बात उनके सामने पेश करता और अगर वे नाराज होते तो अपीलेट कोर्ट में इसको देकर कुछ राहत दे देते। किन्तु इस समय तो टंडन जी को ही मैं सुप्रीम कोर्ट समझ रहा हूं। लिहाजा मैं उन्हीं के अन्तःकरण से अपील करना चाहता हूं ताकि वे इन चीजों के विषय में ज्यादा अच्छी तरह से कह सकें।

मैं कह रहा था कि इन्फार्मेशन डिपार्टमेंट में ३०/३२ जर्नलिस्ट भी काम करते हैं। माननीय इन्फार्मेशन मिनिस्टर साहब, इन लोगों का पे-स्केल २५० रुपये से लेकर ५५०-५५५ रुपये तक है। यह पे-स्केल २०-२५ साल पहले फिक्स हुआ था और वह अभी तक चलता चला आ रहा है। अन्य विभागों में भी प्रचार के लिये जर्नलिस्टों की सेवायें रखी जाती हैं। आप देखेंगे कि सहकारिता विभाग में प्रचार तथा शिक्षा अधिकारी का पे-स्केल ६०० रु० से १,२०० रुपये तक है, कृषि विभाग में जन सम्पर्क अधिकारी का पे-स्केल ३०० रु० से ९०० रुपये तक, पर्यटन विभाग में २५० रु० से ७५० रुपये तक है, उद्योग विभाग में २५० रु० से ७५० रुपये तक है, लघु उद्योग विभाग में २५० रु० से ७५० रुपये तक है और सूचना विभाग में २५० से ५५० रुपये तक ही है। ये सभी एक ही तरह का समान कार्य करने वाले लोग हैं यह लोग मिनिस्टरी से अटैच हैं इसलिये उनका पे स्केल ज्यादे हैं और सूचना विभाग वाले का कम है। यह अच्छी चीज नहीं है।

मान्यवर, मैं इस विषय पर ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि इस डिपार्टमेंट के लिये कम समय दिया गया है और भी माननीय सदस्य बोलेंगे। अतः मैं माननीय मंत्री जी से अपील क

चाहता हूं कि इन्फार्मेशन डिपार्टमेंट को अपने उद्देश्यों में परिवर्तन लाना चाहिये। उनका उद्देश्य केवल सरकारी प्रचार करने तक ही सीमित रखना चहिए परन्तु उन्हें उन चीजों को भी अपने प्रचार में शामिल करना चाहिए जिससे प्रेस इन्डिपेन्डेन्ट रह सकें और प्रेस में काम करने वाले वर्किंग जर्नलिस्टों को सुरक्षा मिल सके। मैं उनकी कुछ मागें सदन में रखना चाहता हूं। वैसे तो उनकी मांगें पहिले भी सदन में रखी गई थी किन्तु फिर भी उनकी एक मांग है कि उनको सिक्यूरिटी रहनी चाहिए और श्रीमन्, टंडन जी से कह रहा हूं कि आपके चार्ज लेते हुये ही प्रेस के लोगों की सिक्योरिटी पर मि० बैपटिस्टा पर बहुत बड़ा हमला हुआ उनको निकाल कर . . .

डाक्टर श्याम किशोर (जिला सीतापुर)--

मैं जानना चाहता हूं कि श्री बैपटिस्टा का जो निश्कासन हुआ है या उनको हटाया गया है, तो किन्हीं सिद्धान्तों या रीतियों-नीतियों के कारण हटाया गया है या कोई पार्टी-बाजी, पक्षपात के कारण हटाया गया है ?

श्री कृष्णानन्द राय--

माननीय उपाध्यक्ष जी, वह चीज तो टंडन जी बतायेंगे कि कैसे निष्कासन हुआ। मेरी जानकारी है कि "नेशनल हेराल्ड" को बिल्ड करने में श्री बैपटिस्टा का बहुत बड़ा हाथ रहा है और २५ साल से वह वहां काम करते रहे। पं० नेहरू उनको बम्बई से निकाल कर लाये थे और सर्विस दी थी और २५ वर्ष के बाद भी उस व्यक्ति को बेरहमी और क्रूरता के साथ इस प्रकार से निकाल दिया जाय यह अपराध हरगिज क्षम्य नहीं है। अगर कोई परिस्थिति हो तो माननीय टंडन जी बतायेंगे।

डाक्टर श्याम किशोर--

एक और निवेदन कर सकता हूं ? अगर रीति-नीति डिफरेंसेज थे तो क्या बैपटिस्टा महोदय का स्वयं कर्त्तव्य नहीं था कि वह स्वयं अपने स्थान को छोड़ देते ?

श्री कृष्णानन्द राय--

घबराइये मत। आपके जो बच्चे हैं उनके विचारों में और आपके विचारों में तो फर्क होगा ही, आपको भी इन सिद्धान्तों के बीच में जंगल में जाना पड़ेगा।

तो मैं यह निवेदन कर रहा था कि सूचना विभाग को वर्किंग जर्नलिस्ट्स का जो हित है उसमें स्वयं ऐसा बनाना चाहिए, ऐसे सरकम्स्टैंसेज क्रियेट करने चाहिए जिससे प्रदेश में इंडिपेंडेंस आफ प्रेस हो सके। तो वर्किंग जनरलिस्ट्स के सम्बन्ध में मैं पहले नौकरी की सिक्योरिटी फर्स्ट होनी चाहिए इनफार्मेशन डिपार्टमेंट में। इसके अतिरिक्त और दूसरी सुविधाएं भी हैं। जहां तक उनकी बात है, राजस्थान की गवर्नमेंट ने सारे जर्नलिस्ट्स को बस की सर्विस फ्री करने की बात कही है। हमारा उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा प्रदेश है, एक देश ही है। यहां वर्किंग जर्नलिस्ट्स को ऐसी सुविधायें मिलनी चाहिए जैसे मेडिकल फैसिलिटीज के बारे में तो मांगें हुई हैं जर्नलिस्ट्स की तरफ से, वह जरूरी होनी चाहिए। आवास वगैरह के भी प्रश्न हैं।

तो इन शब्दों के साथ यह कटौती का प्रस्ताव मैंने मूव किया था महज नीतियों के सम्बन्ध में सुझाव देने के लिये और टंडन जी को कम से कम इतना क्रेडिट जरूर देना चाहिए कि मैंने कोई भी बात किसी के व्यक्तित्व के खिलाफ नहीं कही, बल्कि बहुत ही गम्भीरता से जिस बात को मैं महसूस करता था इस विभाग के हित में उसी को मैंने कहा है।

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय जगदीश गांधी। (श्री उदित नारायण के खड़े होने पर) आप को बाद में समय मिलेगा। माननीय उदित नारायण।

राजस्व मंत्री (श्री उदित नारायण शर्मा)---

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस समय केवल इतना निवेदन करने के लिए खड़ा हुआ हूं कि अभी माननीय कृष्णानन्द राय ने प्रेस मान्यता समिति की बात कही और मैं समझता हूं कि इस बहस के दौरान में सभी माननीय सदस्यों की तरफ से उनके बारे में कुछ न कुछ कहा जायगा। यह भी सही है कि पहले यहां पर माननीय मुख्य मंत्री जी ने एक समय चर्चा जब हो रही थी तो कहा वह आज अस्वस्थ होने के कारण यहां नहीं हैं। इस विषय पर मेरी उनसे बात भी हुई है और जहां तक मैं उसे जान सका हूं इस बारे में वह यह है कि उनका इरादा ऐसा नहीं है कि किसी के साथ पक्षपात करें और जो मान्यता समिति गठित होगी उसमें सभी का प्रतिनिधित्व जहां तक संभव होगा वह होगा। उनके पास सभी खबर भी आ गई हैं कि दूसरी स्टेट्स में किस तरह से मान्यता समिति का गठन है। जो केन्द्रीय संस्था की बात कही जा रही है, वह भी उनके पास आ गयी है और यह हम उम्मीद करते हैं किन....

(इस समय ४ बजे अधिष्ठाता, श्री हरिनाथ तिवारी पीठासीन हुए।)

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)---

अधिष्ठाता महोदय, क्या हम उम्मीद करें कि स्पष्ट तौर से उनको प्रतिनिधित्व मिलेगा ?

श्री उदित नारायण शर्मा---

मेरी बात सुन लें। जो पैटर्न सेंटर में फालो किया जाता है उसको भी फालो करने की कोशिश की जायगी जो आप चाहते हैं। जब मुख्य मंत्री जी आयेंगे तो आप को सुनने को मिलेगा।

श्री अधिष्ठाता---

श्री वीरेन्द्र वर्मा।

श्री जगदीश गांधी (जिला अलीगढ़)---

मुझे बोलने का समय मिल चुका है मान्यवर।

श्री अधिष्ठाता---

इसके बाद मिलेगा।

श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)---

माननीय अधिष्ठाता महोदय, लोकतंत्र में सूचना, प्रचार और प्रसार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। जितनी निष्पक्षता और दृढ़ता के साथ यह विभाग कार्य करेगा, और शासन के बीच एक कड़ी के अपने उत्तरदायित्व को निभाने में सफल हो सकेगा। मान्यवर, समय बहुत कम है इसलिये मैं थोड़े में ही कुछ बातें आपकी आज्ञा से कहना चाहूंगा। जैसा मैंने कहा कि इसका बहुत महत्व है हमारे लोकतंत्र में इसलिये आवश्यक है निष्पक्षता की और निष्पक्षता तभी निभायी जा सकती है। जब सूचना विभाग के मंत्री महोदय और मुख्य मन्त्री जी निष्पक्षता को निभाने के लिये उस पर बल दें और यह भी देखें कि यह विभाग निष्पक्षता से प्रदेश की सेवा में लगा है अथवा नहीं।

आज प्रदेश में बहुत से पत्र चाहे वीकली हों या दैनिक हों उनको मान्यता मिल जाती है। लेकिनउनका प्रकाशन किस तरह से सही जांचते हैं, मुझे मालूम नहीं कि उन्होंने इसके लिये क्या रूपरेखा बनाई है। मैं जानता हूं कि बहुत से पत्रकार ऐसे हैं जो सप्ताह के अन्त में अपने पत्र की कुछ प्रतियां छापते हैं और अधिकारियों तथा सूचना विभाग को भेज देते हैं और सूचना विभाग से विज्ञापन प्राप्त कर लेते हैं। जो कागज का कोटा वे प्राप्त करते हैं उससे अपना धंधा चलाये हुये हैं। मैं आप के माध्यम से सूचना मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि सारे प्रदेश में प्रकाशन

का, पब्लीकेशन का जो जांच करने का तरीका है उसमें आमूल चूल परिवर्तन करने की कृपा करें और जो रेगुलर अखबार निकलते हैं उनके पब्लीकेशन को देखें।

दूसरे मेरा सुझाव यह होगा कि हमारा प्रदेश गरीब प्रदेश है। उनमें जिस तरह से छोटे उद्योगों को प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है उसी तरह से छोटे पत्रों को प्रोत्साहन देने की इस विभाग के जरिये, सरकार के जरिये कोशिश की जानी चाहिये। जितना जिला स्तर के अखबारों को प्रोत्साहित किया जायेगा उतना ही ज्यादा लाभ जिले के लोग उठा सकेंगे। जहां तक विज्ञापन की बात है मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि वह सिफारिश के आधार पर दिये जाते हैं, प्रकाशन के आधार पर नहीं दिये जाते हैं। क्या अर्थ है इस बात का कि सरकार का खर्चा हो, जनता की कमाई का पैसा जो सरकार पर आता है उसका सिफारिश के आधार पर लोगों को अनुचित फायदा पहुंचाया जाय, कहां तक उचित है।

मैं आप के द्वारा मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि पत्रों के सही प्रकाशन की तरफ उनका ध्यान जाना चाहिये। वह विज्ञापन के तरीके को देखें कि जो तरीका विभाग ने अपना रखा है वह क्या प्रकाशन आधार पर है या अन्य किन्हीं नियमों के आधार पर सही उतरता है अथवा नहीं। जो पहुंच कर लेता है उसको विज्ञापन मिल जाते हैं।

मुझे पता चला है कि इसी वर्ष मई के महीने में मंसूरी में एक श्रमजीवी, पत्रकार संघ का सम्मेलन हुआ था। उसमें सहायक निदेशक के अलावा १८ कर्मचारी वहां पहुंचे और तीन गाड़ियां भी गई।

सूचना मंत्री यह देखें कि जितने अधिकारी और कर्मचारी वहां गये, जितनी गाड़ियां वहां गयीं क्या उतनी की आवश्यकता थी। जितना बड़ा खर्चा श्रमजीवी पत्रकार सम्मेलन के सिलसिले में हुआ, उसको कृपया देखें कि वह कहां तक उचित था और कहां अनुचित। इसके अलावा इसी वर्ष कुंभ के मेले में, जो इलाहाबाद में हुआ था, मुझे बताया गया है कि उसमें भी हमारे अधिकारी और कर्मचारी जो वहां गये थे अपने परिवारों के साथ उन्होंने सरकारी गाड़ियों का भरपूर प्रयोग किया था। सरकारी गाड़ियों का दुरुपयोग रोकने के लिये माननीय सूचना मंत्री जी विशेष रूप से ध्यान दें और यह भी देखेंगे कि उसका कहां तक सही इस्तेमाल हो रहा है और कहां तक गलत हो रहा है।

सूचना विभाग में बहुत बड़ी मात्रा में कागज का खर्चा होता है। जो किताबें, पत्रिकायें वहां छपती हैं उसके बाद जो कतरन बचती है, उसका क्या होता है, यह बात भी देखने की है। जो कागज आता है वह किस क्वालिटी का आता है, किस रेट से आता है। कितना उसमें से अमल में आता है और कितना बचता है। सरकार को उसमें प्रति वर्ष कितने की हानि या लाभ होता है। क्या इस बात की कभी उन्होंने जांच की है। पी० ए० सी० द्वारा इस संबंध में बार-बार आलोचना की गयी है कि जो कागज मंगाया जाता है उसका ठीक से इस्तेमाल नहीं होता। लेकिन पी० ए० सी० की टिप्पणी के बावजूद भी ऐसा प्रतीत होता है कि विभाग द्वारा अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी है।

अलावा इसके मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि माननीय राजस्वमंत्री जी ने प्रदेश के पत्रकार एसोशियेशन्स व यूनियन के दोनों यूनिटस का प्रेस मान्यता समिति पर प्रतिनिधित्व के औचित्य को स्वीकार कर लिया है। इसी माननीय सदन में इसके पूर्व भी इस बारे में चर्चा चली थी। उस दिन, मुझे खेद है कि हमारे सूचना मंत्री जी ने इसी हाउस में यह कहा था कि दो भूतपूर्व मुख्य मंत्रियों—माननीय सी० बी० गुप्ता तथा माननीय चरण सिंह भी एसोसियेशन के प्रतिनिधियों को मान्यता देने से सहमत नहीं थे। दोनों मुख्य मंत्रियों ने इस बारे में स्पष्टीकरण दिया। उन्होंने बताया कि जो बात माननीय सूचना मंत्री जी ने कही है वह सत्य से दूर ही नहीं बल्कि गलत है।

[श्री वीरेन्द्र वर्मा]

मेरी समझ में नहीं आता है कि जिस बात को दो मुख्य मन्त्रियों न माना, उसको भी इन्होंने स्वीकार नहीं किया । यह भी समझ में नहीं आया कि आज के मुख्य मन्त्री जी, जो सन् १९६९ में उपमुख्य मंत्री जी थे, उन्होंने उस औचित्य को स्वीकार किया था और उनको प्रतिनिधित्व दिया था । फिर आज कौन सी ऐसी नयी बात पैदा हो गयी कि २७ जौलाई में सूचना मन्त्री जी बड़े क्रोध और आवेश में आकर उत्तर दे रहे थे । केन्द्र की तरफ से सम्पादक समिति के प्रतिनिधि भी नहीं भेजे गये और कह दिया कि समिति का गठन पूर्ण हो गया । इसलिये जो सूचना टंडन जी ने उस दिन दी थी वह सत्य से दूर थी, ऐसा मालूम होता है । इस लिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उनके द्वारा इस ओर पुनः ध्यान दिया जायेगा ।

जहां तक सूचना विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों का प्रश्न है उससे ऐसा मालूम होता-है, वैसे तो इस सरकार के हर विभाग में न जाने कितने कर्मचारी अस्थायी पड़े हुए हैं, लेकिन इस विभाग में ९–१० पत्रकार ऐसे हैं जो १५–१५ साल से इस विभाग की सेवा कर रहे हैं लेकिन अभी तक उनका पद स्थायी नहीं किया गया है । जो पद स्थायी हैं, उन पर भी उन्हें स्थायी नहीं किया गया है । इस पर भी माननीय सूचना मंत्री प्रकाश डालें । विभाग के पत्रकारों के लिये आगे पदोन्नति के कोई चान्सेज नहीं मालूम होते । उनकी ऊंची शैक्षिक योग्यता तथा उनके अनुभव का भी कोई ध्यान नहीं रक्खा जाता । प्रदेश के हर विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों के वेतन मान में काफी अन्तर हुआ है । उसमें बढ़ोत्तरी हुई है ।

सन् १९५७ में जब हमारे वर्तमान मुख्य मन्त्री सूचना मंत्री थे तो उन्होंने कुछ मामूली सी वेतन वृद्धि सूचना विभाग के पत्रकारों की की थी । तब से अभी तक वह ज्यों का त्यों पड़ा है । उनकी पदोन्नति का भी कोई रास्ता नजर नहीं आता । लोक प्रशासन में कहीं पर भी कर्मचारियों की पदोन्नति का रास्ता यदि बन्द हो जाता है तो दक्षता के साथ वे कार्य नहीं कर सकेंगे ? और क्या यह न्यायसंगत है कि सब विभागों में तो लोग उन्नति करते चले जायं लेकिन सूचना विभाग में ज्यों का त्यों पड़े रहें ? सूचना विभाग में पत्रकारों का जो वेतनमान है वह इसी प्रकार के सरकार के कृषि विभाग, सहकारिता विभाग, उद्योग विभाग, श्रम विभाग, पर्यटन विभाग, आदि को सूचना अफसरों के वेतनमानों से कम है । इसलिये मैं आप के द्वारा यह भी निवेदन करूंगा कि सूचना मंत्री अपने विभाग के सभी कर्मचारियों के वेतन मान को दूसरे विभागों के समान करें और उनको भी पदोन्नति का समान अवसर प्रदान करें । धन्यवाद ।

श्री जगदीश गांधी—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आप ने मुझे बोलने का अवसर दिया । मान्यवर, किसी भी देश के जनतंत्र को कायम रखने के लिये और उस की सफलता के लिये विभाग को सुगठित करना, उसे शक्तिशाली बनाना बहुत आवश्यक है । मैं यहां पर अपने माननीय राज्य सूचना मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं ? और यह कह देना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की सरकर और सूचना विभाग ने इस ओर कदम उठाया है और सूचना विभाग निरन्तर इस बात पर विचार कर रहा है कि प्रदेश में जनतंत्र की शक्तिशाली, बल और मजबूत बनाने के लिये सूचना विभाग को अत्यन्त सुन्दर और सुगठित किया जाय । जैसा कि अभी राज्य सूचना मंत्री जी ने बताया, सूचना विभाग कई नये-नये काम करने पर विचार कह रहा है लेकिन फिर भी मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं ।

सूचना विभाग का काम बड़ा टेक्निकल है और यह नान-टैक्निकल लोगों के द्वारा नहीं किया जा सकता । जनतंत्र में जनता को शिक्षित करना, सरकार जनता के लिये क्या क्या कार्य कर रही है इसे जनता तक उसी की भाषा में, उसकी जितनी छोटी बुद्धि और समझदारी है उसी के अनुसार समझा देना और सरकार द्वारा जनता के लिये किये जाने वाले कार्यों में जनता का सहयोग प्राप्त करना यही उसका उद्देश्य होता है । पिछले २२–२४ वर्षों में उत्तर

प्रदेश के सूचना विभाग ने इस कर्त्तव्य की पूर्ति के लिये कोई मत्वपूर्ण कार्य नहीं किया और इस माने में सूचना विभाग पूर्णतया असफल रहा है। इसका एक कारण यह भी रहा है कि सूचना विभाग में जिन व्यक्तियों की नियुक्ति की गयी, विशेषकर बड़े पदों पर वह वे नहीं थे जिन्हें टेक्निकल बातों की जानकारी थी।

श्री विश्वनाथ कपूर---

यूथ फेस्टीवल में जो अभी फिल्म बनी है यह किस की तरफ से बनी है और जो यह हम लोगों को दिखायी जाती है यह विभाग दिखाता है या किसी स्कूल की है, माननीय मंत्री जी जरा यह बता दें ?

श्री जगदीश गांधी---

मैं माननीय सदस्य को जानकारी स्वयं करा दूं। यह मेरा एक स्कूल है, सिटी मान्टेसरी स्कूल। उसकी ओर से प्रति वर्ष एक समारोह होता है जिसमें सारे देश के छात्र-छात्राएं आती हैं। पिछले वर्ष २० प्रदेशों के छात्र आये थे। शिक्षा विभाग ने इसका एक वृत्त चित्र बनाया है और उसे भारत सरकार ने खरीद लिया है। उसकी रायलटी से इस सरकार को कम से कम ५०-६० हजार रुपये की आमदनी होगी।

सारे प्रदेश के सभी सिनेमा घरों में अनिवार्य रूप से वह चित्र दिखाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने केवल २५०० रु० की सहायता दी है। वह समारोह यहां पर भी किया गया था। उस समारोह के बल पर उत्तर प्रदेशीय सरकार को ५०, ६० हजार रुपये का लाभ होने जा रहा है। उस फिल्म को भारत सरकार की फिल्म डिवीजन ने रिलीज कर दी है। जहां तक फिल्म को दारुलशफा में दिखाने का सवाल है आपके मित्र होने के नाते मेरे स्कूल की ओर से वह फिल्म निःशुल्क दिखाई गई है और अब फिर उसको वहां पर दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। अच्छा हुआ आपने यह प्रश्न किया जिससे मुझे इस पर प्रकाश डालने का अवसर मिल गया।

श्रीमन्, मैं यह कह रहा था कि सूचना विभाग ने अपने कर्त्तव्य को वहन नहीं किया है जो किसी भी जनतंत्र की सफलता के लिये किसी सूचना विभाग को करना चाहिये था। उसका कारण यही रहा जैसा कि मैंने निवेदन किया कि नान टैक्निकल लोगों की नियुक्ति खासतौर पर ऊंचे पदों पर की गई। नीचे से जिनको प्रमोट किया गया उन को नहीं किया गया जो जानकार थे, जो एक्सपर्ट थे। उन जगहों पर किसी और जगह से लाकर दूसरे लोगों को रख दिया गया। अब मैं सूचना मन्त्री जी को कुछ अपने सुझाव देना चाहता हूं। सूचना विभाग में ऐसे टेक्निकल लोगों को जिन को पब्लिसिटी की जानकारी हो, जो वास्तव में वैज्ञानिक ढंग से अशिक्षित जनता को सरकार क्या कर रही है इसकी जानकारी करा सकें ऐसे ऊंचे पदों पर रखना चाहिये।

जिला सूचना अधिकारी की नियुक्ति इस सम्बन्ध में न केवल आवश्यक है बल्कि जिला सूचना अधिकारी का जो पद है उस पर ऐसे लोगों की नियुक्ति होनी चाहिये जो अशिक्षित जनता तक पहुंच सकें, इस जनतंत्र को कैसे सफल बनाया जाय इस बात को बता सकें और गांव-गांव तथा जिले-जिले में जाकर जनता का सहयोग शासनको प्राप्त करा सकें। मान्यवर, इस सूचना विभाग में एक प्रकाशन विभाग भी है। इस प्रकाशन विभाग ने अपने यहां से ३, ४ वर्ष पूर्व २, २ हजार रुपया पुस्तक लिखने के लिये लोगों को दिया था लेकिन वे पुस्तक आज तक लिखी नहीं गई हैं। वह एडवान्स उनके पास अभी तक पड़ा हुआ है। इसी प्रकार से विज्ञापन देने में भी बड़ी असावधानी बरती जाती है। उसको आप देखें कि जहां तक इस बात का प्रकाशन है इस का सब से बड़ा काम है कि पत्र पत्रिकाओं में जो हमारी सूचनायें छपती हैं, जो लेख छपते हैं उनका भी कार्य चलाने वाले जर्नलिस्ट लोग हैं उनकी सुख सुविधा का भी ध्यान रखा जाय। सरकार को चाहिये कि पत्रकारों के लिये निःशुल्क चिकित्सा और जिस तरह से राजस्थान सरकार ने किया है कि राजस्थान के अन्दर पत्रकार फ्री ट्रान्सपोर्ट फेसिलिटी पाते हैं जिससे पत्रकार जाकर सारे प्रदेश से

[श्री जगदीश गांधी]

समाचार एकत्रित कर सकें वह सुविधा यहां उत्तर प्रदेश की सरकार को भी देना चाहिये। हमारा प्रदेश बहुत बड़ा प्रदेश है। इस प्रदेश में यदि पत्रकारों को घूमने की सुविधा मिल सके तो वह स्वस्थ समाचार एकत्र कर सकेंगे और स्वस्थ समाचार अखबारों में प्रकाशन के लिये दे सकेंगे। उनके लिय हाउसिंग कालोनी बनाई जाय जहां पर पत्रकारों को रहने की सुविधा मिल सके। उनको स्वस्थ वातावरण में यदि मकान मिल सके तो मैं समझूंगा कि यह सरकार जनतन्त्र को मजबूत करने के लिये एक अच्छा कदम उठा रही है।

जहां तक प्रेस की मान्यता समिति का प्रश्न है मैं समझता हूं कि प्रेस को फ़्री और स्ट्रांग होना चाहिये और साथ ही यूनाइटेड भी होना चाहिये। जब तक किसी भी देश का प्रेस यूनाइटेड फ़्री और स्ट्रांग नहीं होगा संगठित नहीं होगा तब तक वह देश मजबूत नहीं हो सकता है। प्रेस का डिवीजन हो तो उसकी बात कौन मानेगा ? इसलिये मैं समझता हूं कि प्रेस कभी भी जनतन्त्र की सफलता में उतना सहयोग प्रदान नहीं कर सकता है और वह यूनाइटेड, फ़्री और स्ट्रांग नहीं है।

जहां तक मान्यता का सवाल है, प्रेस मान्यता समिति में ४ प्रतिनिधि यू० पी० जर्नलिस्ट यूनियन के और श्रम जीवी पत्रकार संघ के रखने का सवाल है। उस दिन यहां मुख्य मंत्री जी ने कहा था कि इस प्रकार की कुछ चीज बनेगी जिस से आपस का मनोमालिन्य समाप्त हो। हमारी यह लोकप्रिय समाजवादी सरकार मैं समझता हूं कि स्वयं इस पर विचार करेगी कि एक संस्थान में एक ही यूनियन रहे और जहां पर दो होंगी वहां पर झगड़ा अवश्य होगा। अभी माननीय कृष्णानन्द राय जी कह रहे थे कि राजनैतिक दल यदि देश में कई हों तो क्या सभी को मान्यता दे दी जाय ? राजनीतिक पार्टियों की जहां तक बात है.....

श्री अधिष्ठाता—

आप का समय समाप्त हो गया।

श्री जगदीश गांधी—

प्रश्न यह है कि किसी संस्थान में यदि दो दल हैं तो उनकी ताकत और शांति नष्ट हो जायगी। यूनियन एक ही हो और उसमें प्रतिनिधि किस के और कितने हों वह सवाल अलग है। मैं राज्य सूचना मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वह मेहरबानी कर के इस प्रकार की कोई प्रेस मान्यता समिति बनायेंगे जिस से सब सन्तुष्ट हो सकें और किसी को कोई बात कहने का मौका न हो तो सरकार का बड़ा उपकार प्रेस की एकता पर होगा।

श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य (जिला बदायूं)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, सूचना विभाग या सूचना निदेशालय का मतलब यह समझा जाता है कि वह प्रदेश की सरकार के कार्यों और उस की नीतियों का प्रचार करे, प्रेस विज्ञप्तियों और रिलीज के द्वारा सरकार के कार्यों की सूचना जनता तक पहुंचायें। मैं समझता हूं इस में संशोधन होना चाहिये। जहां सूचना विभाग और निदेशालय का कार्य सरकार की नीतियों और उसके कार्यों का प्रचार करना है वहीं उसके साथ साथ जनता की भावनाओं का भी सरकार को ज्ञान हो सके, यह कार्य भी सूचना विभाग का होना चाहिये।

इंगलैंड में जब सब से पहले सूचना देशालय बना तो उस समय लार्ड एटली ने कहा था कि सूचना विभाग का काम केवल सरकारी पक्ष की नीतियों के प्रचार का ही न होगा वरन् मान्यता प्राप्त विरोधी दलों की नीतियों का, उनके कार्यक्रमों और घोषणापत्रों का भी वह प्रचार करेगा। हमारे लोगतन्त्र में प्रेस का एक महत्वपूर्ण स्थान है और हमारे सूचना विभाग और निदेशालय का काम केवल व्यक्तियों का प्रचार नहीं बल्कि सब दलों और सरकार की नीतियों का प्रचार होना चाहिये। हमारे विधान मंडल और संसद के जो देश के मान्यता प्राप्त दल हैं, जो विरोधी दल हैं,

उनके नेताओं को भी सरकार के मंत्रियों की तरह प्रेस विज्ञप्तियां सूचना विभाग के द्वारा निकलवाने का अधिकार हो।

(इस समय ४ बजकर २५ मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।).

इस से यह होगा कि सभी दलों के कार्यकलाप और उनकी नीतियां सूचना विभाग के माध्यम से जनता तक पहुंच सकेगी। आज सूचना विभाग केवल सरकारी पक्ष की नीतियों का ही प्रचार करता है जब कि अन्य देशों में सूचना निदेशालय विरोधी दलों की नीतियों का भी प्रचार करता है। आज तो हमारा सूचना विभाग केवल नीतियों के प्रचार तक ही सीमित नहीं है बल्कि वह व्यक्तियों के प्रचार तक सीमित है, व्यक्तियों के फो छापना और प्रचार करना ही उस का एक स्वाभाविक कार्यहो गया है।

मुझे यह कहने में बहुत दुख है कि जब से हमारे सूचना मन्त्री जी से यहां का यह सूचना विभाग सम्भाला है उन्होंने उसमें ३ महत्वपूर्ण काम किया है। पहला काम तो उन्होंने यह किया है कि हजरतगंज के सूचना विभाग में अपना फोटो लगवा दिया है और दूसरा काम यह किया है कि प्रदेश की जो राज्य भाषा और देश की राष्ट्रीय भाषा जो हिन्दी है और जो शासन की भी भाषा है उस हिन्दी से उन को कुछ द्वेष भी है और मन्त्रिपद ग्रहण करने के बाद सूचना विभाग के अधिकारियों को जो उन्होंने सम्बोधित किया वह अंग्रेजी भाषा में किया।

मैंने सुना है कि हिन्दी में जो नोटिंग आती है, या विभाग से जो पत्रावलियां आती हैं, उन पर आदेश करना ज्यादा पसन्द नहीं करते हैं। तीसरा काम उत्तर प्रदेश के पत्रकारों की राजनीति में पड़ कर उनके डिफरेंसेस और तफर्का पैदा करने की कोशिश की है। उत्तर प्रदेश हिन्दी प्रदेश है और भारत का सबसे बड़ा प्रदेश है और उसका सूचना मंत्री इतने क्षुद्र विचारों से काम करे कि जो पत्रकार हैं, जो लोकतन्त्र के प्रहरी समझे जाते हैं उन्हें विदाउट फियर आर फेवर (बिना किसी डर के और बिना किसी पक्षपात के) जनता के समाचारों की सरकार के समाचारों की आलोचना के साथ लिखे। उनमें उन्होंने २ पक्ष पैदा करने की कोशिश की है।

आज सूचना विभाग भी प्रदेश के अन्य विभागों की तरह से भ्रष्टाचार से ग्रसित है, यह भी अछूता नहीं है। हमारे प्रदेश में पंचायतीराज पत्रिका निकलती है। उसके सम्पादक का ग्रेड २००—५०० से ३००—९०० कर दिया गया है। मैंने यह भी सुना है कि वित्त विभाग के वित्त सचिव ने इस पदोन्नति पर आपत्ति भी की थी लेकिन फिर भी ये आदेश कर दिये गये। प्रदेश में और भी अन्य समाचार पत्र हैं लेकिन उनके किसी सम्पादक की पदोन्नति नहीं की गई है और इस प्रकार जो और भी समाचार पत्र हैं, उनमें इस विभाग द्वारा नियुक्तियां, भाई चारे और राजनीतिक आधार पर की जा रही हैं।

इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि पूरे सूचना विभाग का पुनर्गठन किया जाय और उसके निदेशक को कोई पत्रकार होना चाहिए, कोई प्रमुख पत्रकार होना चाहिए। आई० सी० एस० या आई० ए० एस० हर विभाग का कार्य सम्भाल सकता है ऐसी बात नहीं है लेकिन सूचना विभाग का असिस्टेंट डायरेक्टर या डिप्टी डायरेक्टर भी पत्रकार ही होना चाहिए इसका परिणाम यह होगा कि सूचना विभाग के अन्दर जो न्यूज आफिसर हैं, उन्हें भी अपने विवेक और स्वतन्त्र रूप से कार्य करने का अवसर मिलेगा।

इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि चाहे वह सूचना अधिकारी हो या न्यूज आफिसर हो सरकार के व्यक्ति हैं परन्तु उन्होंने जर्नलिज्म का पवित्र काम स्वीकार किया है। पत्रकार को अपने काम में सरकार के भय की चिन्ता नहीं करना चाहिए, हमारी सरकार हमारे मन्त्री खुश होंगे या नाराज होंगे उसकी चिन्ता किये बगैर उन्हें निष्पक्ष रूप से लिखना चाहिए,

[श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य]

पर वहां के डायरेक्टर या असिस्टेंट डायरेक्टर पत्रकारों को स्वतन्त्र रूप से कार्य नहीं करने देते हैं। न्यूज आफिसर और वहां पत्रकारों को स्वतन्त्र रूप से और विवेक से सेवा करने का अवसर नहीं मिलता है। पिछले दिनों एक अधिकारी ने इंफार्मेशन विभाग के बारे में कहा था कि the Information Department is a circus where door keys are riding on the man of merits. वहां पर काम करने का मूल्य नहीं है। जो मौजूदा सरकार के उनके मन्त्रियों का व्यक्तिगत प्रचार करते ह।

हमारा जो सरकारी प्रेस है, उसमें हम काफी छपाई करते हैं। अगर देखा जाय तो हम पायेंगे कि स्वीकृति कुछ और होती है और कागज किसी और रेट और क्वालिटी का खरीदा जाता है जिसके कारण १५—२० लाख रुपये का गबन है, भ्रष्टाचार है। मैं चाहूंगा कि सरकार एक उच्च स्तरीय आयोग नियुक्त करे जो उन सारे कार्यों की जांच करे। अभी भाई वर्मा जी ने बताया था कि पी० ए० सी० में भी महालेखाकार ने इसी प्रकार की आपत्ति की थी कि सूचना विभाग में जिस क्वालिटी और ग्रेड का कागज खरीदा जाता है, वह नहीं खरीदा जाता है जिस क्वालिटी का स्वीकार होता है। घटिया मूल्य का खरीदा जाता है, जिसके कारण इस सूचना विभाग में लाखों रुपये का घाटा होता है।

मैं माननीय मन्त्री महोदय से मांग करूंगा कि एक उच्च स्तरीय क टी बनायें जो इस सारे स्टोर की और पर्चेज की जांच करे। हिन्दी समिति की बात टंडन जी ने कही। इस देश की भाषा हिन्दी है। हिन्दी समिति ने जो काम किया है उससे कहीं आगे बढ़ कर उसको काम करना चाहिए, था। उसमें मौलिक पुस्तकें लिखी जाती और अप्राप्य पुस्तकों का अनुवाद होता है। मुझे जानकारी मिली है कि जब माननीय सम्पूर्णानन्द जी मुख्य मन्त्री थे और वर्तमान मुख्य मन्त्री सूचना मन्त्री थे, उस समय जो पुस्तकें माननीय त्रिपाठी जी ने स्वीकृत कराई और खरीदी गई, वर्तमान सूचना मन्त्री ने उन पुस्तकों को रद्दी करार दे दिया। उनको रद्दी घोषित कर दिया और हिन्दी समिति में जो सैकड़ों पुस्तकें हैं उनको कीड़े और जंग लग गया है। उन पुस्तकों को बेचने और बाजार तक ले जाने में और जनता तक ले जाने का कोई माध्यम एजेंसी सरकार ने नहीं बनाया।

आज हिन्दी समिति को हिन्दी प्रचार को बहुत सशक्त साधन होना चाहिए था। इस प्रदेश में हिन्दी के प्रचार और प्रसार सूचना विभाग के माध्यम से जितना होना चाहिए है। टंडन जी ने कहा कि आज इससे पहले प्रत्येक जिले में एक सूचना कार्यालय होता था। पिछली सरकार ने वह खत्म कर दिया। लखनऊ कानपुर और बड़े शहरों में तो बड़े-बड़ पत्र हैं वहां समाचारों की प्रधानता मिल जाती है परन्तु छोटे-छोटे जिलों में, उत्तर प्रदेश ५४ जिलों में फैला हुआ है, वहां के समाचार, वहां के गांवों के प्रधानों ने जो सार्वजनिक कार्य किये हैं, श्रमदान किया है उन कामों को भी प्रसिद्धि मिले इसके लिए आवश्यकता है कि प्रत्येक जिले में सूचना कार्यालय की स्थापना की जाय और वह जनताओं की सेवाओं का कैसे सक्षम माध्यम हो सकते हैं यह विचार करने की बात है। वह जनता और सरकार के बीच कड़ी हो। सरकार की ही भावनाओं को जनता तक न पहुंचाये। जनता के कष्ट और कठिनाइयां को प्रदेश की समस्याओं को भी सरकार के कानों तक पहुंचा सके। इसलिए आवश्यकता है कि प्रदेश में पुनः सूचना कार्यालयों की स्थापना की जाय।

अन्त में मैं एक बात और कहूंगा। अभी राजस्व मन्त्री ने घोषणा की कि अच्छा होता यदि स्पष्ट घोषणा की जाती है कि उत्तर प्रदेश की जो मान्यता समिति है उसमें जो उसमें जो पत्रकार संघ ह पत्रकार यूनियन और असोसिएशन उन दोनों का प्रतिनिधित्व इसमें सम्मिलित किया जायगा। जितने भी वक्ता बोले हैं सबने एक बात कही है कि सब पत्रकारों का सहयोग लेकर एक मान्यता समिति गठित करनी चाहिए जिससे पत्रकार क्षेत्र के अधिकारों का हनन न हो। उधर से बोलने वाले श्री जगदीश गांधी ने भी यह ही कहा है

चाहे हल्के शब्दों में ही सही, लेकिन इस बात को समर्थन दिया है। आज आवश्यकता इस बात की है कि प्रदेश के अन्दर जितने पत्रकार हैं जो एसोसिएशन है उसमें उत्तर प्रदेश के ५४ जिलों के जो मुफस्सिल जिले हैं उनके पत्र कार भी सदस्य हैं, उनके हितों को भी संरक्षण हो सके।

दिल्ली के अन्दर केन्द्रीय मान्यता समिति बनी है। उस दिन सूचना मन्त्री ने कहा था उसके पैट्रन को स्वीकार किया है। उसमें पत्र का संघ सम्पादक सम्मेलन के अतरिक्त प्रेस एसोसियेशन और केमरा मैन एसोसियेशन है। मैं चाहूंगा—माननीय मुख्य मन्त्री इस समय नहीं हैं कि वे घोषणा करते—मान्यता समिति की बैठक टलती आ रही हैं। मान्यता समिति की की बैठक नहीं हुई है। सूचना विभाग के अधिकारी उन बैठकों में अड़चनें लगाते रहे हैं और सारे प्रदेश के अन्दर पत्रकारों के रेकगनिशन कोर्ड रोके हुए हैं। शीघ्रातिशीघ्र इस बात की घोषणा करें—कि जर्नलिस्ट एसोसिएशन वर्किंग जर्नलिस्ट एसोशिएशन के दोनों प्रतिनिधियों की मान्यता समिति को गठित करेंगे सम्पादक सम्मेलन ने भी एसोसियेशन के प्रतिनिधियों के न लेने के विरोध में अपने नाम नहीं भेजे हैं। अच्छा होता कि एक संगठन होता पत्रकारों का। यदि उनके दो संगठन हैं, दोनों संगठनों में समान प्रतिभाशाली, प्रसिद्धि प्राप्त, अच्छे-अच्छे पत्रों के पत्रकार, समान अनुभव के हैं इसलिए मान्यता समिति में दोनों को स्थान मिलना चाहिए। जिसमे सबका विश्वास हो और यह काम शीघ्रता से होना चाहिए।

इसके साथ मैं यह भी कहना चाहूंगा कि जिला सूचना कार्यालय की पुनः स्थापना करें। पत्रकारों के हितों का देखभाल करे। ये प्रजातन्त्र के प्रहरी हैं। यदि प्रेस कमिटेड हो गया, यदि प्रेस किसी दल की चेरी हो गया तो जनता के सामने निर्भीकता से और निष्पक्षता से बातों नहीं आ सकेंगी। इसलिए पत्रकारों के हितों को संरक्षण होना चाहिए। हम अपने पत्रकारों को सुविधाएं भी देना चाहिए। राजस्थान की तरह हम भी अपने पत्रकारों को बस सेवा की सुविधा, मेकीडीकल हेल्प दें। सूचना विभाग का मुख्य अधिकारी पत्रकार होना चाहिए, असिस्टेंट डायरेक्टर पत्रकार होना चाहिए। न्यूज आफिसर्स में यह भेद न किया जाय कि पिछली सरकार का काम तुमने अच्छी तरह से किया था इसलिए तुम्हें मुख्य काम नहीं दिया जायगा, यह दुराव की बात समाप्त होना चाहिए।

श्री मुस्तफा कामिल किदवई (जिला बाराबंकी)—

उपाध्यक्ष महोदय, जो स्पीचेज हुई हैं उनको मैंने बड़े गौर से सुना और खास तौर से कृष्णा नन्द राय जी की स्पीच को। मैं उनसे बिल्कुल इत्तफाक करता हूं कि जब एक जर्नलिस्ट मिनिस्टर है और जिसका जर्नलिस्म से ताल्लुक रहा है तो उसका रोल ऐसा होना चाहिए कि जर्नलिस्ट्स में आपस में कोई तिफाक न पैदा हो बल्कि इत्तफाक पैदा हो। एक कमेटी का तस्किरा होता है जिसम रिशप्रेजटेशन का सवाल है। मैं समझता हूं कि टंडन साहब और त्रिपाठी जी दोनों ही जर्नलिज्म से ताल्लुक रखते हैं दोनों मिलकर कोई ऐसी सूरत निकालगे कि जिससे जो आपस में निफाज पैदा हो रहा है वह रफा हो जायगा और एसोसिएशन और यूनियन दोनों को पूरा सैटिसफैक्शन हो जायगा।

दूसरी बात जो कृष्णानन्द जी ने कही वह तनख्वाहों के बारे में है। मैंने खुद इस पर गौर किया है। सूचना विभाग के आदमियों को २५० रु० से लेकर ५५० रु० तक मिलता है। इनके फरायज क्या हैं? पूरी गवर्नमेंट की पब्लिसिटी करते हैं, मिनिस्टरों के साथ जाते हैं, गवर्नर के साथ जाते हैं। पूरी गवर्नमेंट की पालिसीज और प्रोग्राम की पब्लीसिटी करते हैं। उस वक्त उनकी तनख्वाह यह है। मगर उसी के साथ आप देखिए दूसरी तरफ अगर डिपार्टमेंट के पब्लीसिटी आफिसर होते हैं, तो उनको ३०० रु० से लेकर

[श्री मुस्तफा कामिल किदवई]

७५० रु० तक तनख्वाह मिलती है। गवर्नमेंट आफ इंडिया में असिस्टेंट इनफार्मेशन आफिसर होते हैं तो उनको ३०० रु० से लेकर ७५० रु० तक तनख्वाह मिलती है। अगर किसी मिनिस्टर के पी० ए० होते हैं या प्राइवेट सेक्रेटरी होते हैं तो उनको ३०० रु० से लेकर ८०० रु० तक तनख्वाह मिलती है। मैं नहीं समझता कि इन अफसरान के साथ यह इन्साफ है कि इनको २५० से लेकर ५५० पर डाल रखा गया है।

मैं टण्डन साहब से दरख्वास्त करूंगा कि इस नाइन्साफी को वे रफा करें और इनकी तनख्वाहों में जल्द से जल्द इजाफा करके इन्हें उनके स्टेट्स और पोजीशन के मुताबिक मुकर्रर करें। जिस तरह से कि मिनिस्टर्स के प्राइवेट सेक्रेटरी और पर्सनल एसिस्टेंट्स होते हैं। मुमकिन है यह कहा जाय टण्डन साहब की तरफ से या टण्डन साहब खुद फर्मायें कि पे कमीशन के सामने तमाम ये मामलात दरपेश हैं, लिहाजा पे कमीशन को यह मामला चला जायगा और वहां से जवाब मिल जायगा कि इनकी तनख्वाहें कम क्या होना चाहिएं? जवाब यह ठीक है, मगर सेक्रेटेरिएट के आफिसर्स के वास्ते सरकार पे कमीशन के फैसले का इन्तजार नहीं किया, फिर आप इनफार्मेशन आफिसर्स के वास्ते डिसीजन क्यों नहीं लेते हैं। यह प्रिंसिपल आपके इनफार्मेशन डिपार्टमेंट में तय हो चुका है कि इनकी तनख्वाह कम है। लिहाजा मैं टण्डन साहब से कहूंगा कि वे इस पर गौर करें। गवर्नमेंट इस मामले को जल्द से जल्द, बिला पे कमीशन की रिपोर्ट के इन्तजार किये हुए या पे कमिशन को किसी किस्म के रेफ्रेंस के, खुद तय करे और उनकी तनख्वाहों में इजाफा करे।

दूसरी चीज मैं टण्डन साहब से पब्लिसिटी के बारे में कहूंगा। पब्लिसिटी चाहे डिपार्टमेंट की हो या गवर्नमेंट की तरफ से हो, वह एक काम है और कोई वजह नहीं है कि इसमें हर डिपार्टमेंट के पब्लिसिटी आफिसर्स अलग-अलग हों। क्या यह मुमकिन नहीं है कि एक सेन्ट्रेलाइज्ड सर्विस हो इनफार्मेशन आफिसर्स की और उनको किसी डिपार्टमेंट से अटैच कर दिया जाय या मिनिस्टर्स के साथ अटैच करदिया जाय। वह एक सर्विस हो जो पूरे प्रोविन्स में वर्क करे। सेन्ट्रेलाइज्ड सर्विस होने के कारण यह एक बेटर सर्विस होगी और आपके इनफार्मेशन आफिसर्स को मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स का तजुर्बा भी रहेगा। वक्त जरूरत वे ज्यादा फायदेमन्द साबित होंगे।

तीसरी चीज मैं टण्डन साहब से पब्लिकेशन्स के बारे में अर्ज करूंगा। आप जर्नलिस्ट भी रहे हैं और सेक्रेटेरिएट में बराबर आते रहे हैं। अब आप मिनिस्टर हो गये हैं।

श्री अनन्तराम जायसवाल--

ये मुफस्सिल के जर्नलिस्ट रहे हैं, यहां नहीं आते थे।

श्री मुस्तफा कामिल किदवई--

मैं जब से यहां असेम्बली में आया हूं तब से उन्हें यहां देखता हूं। खैर, यह उनका खुद का तजुर्बा होगा।

अक्सर होता यह है कि आपके जो पब्लिकेशन्स हैं वे सब गवर्नमेंट प्रेस में नहीं जाते हैं। आपके कुछ पब्लिकेशन्स तो गवर्नमेंट प्रेस में छपते हैं और कुछ प्राइवेट एजेन्सीज के जरिए से छपवाये जाते हैं। प्राइवेट एजेंसीज में प्राइवेट प्रिंटिंग प्रेसेज भी हैं जो कि आपके खास फेवरेट्स हैं। मैं समझता हूं कि इसमें गवर्नमेंट का बहुत पैसा वेस्ट होता है और इस तरीके में शक करने की भी बड़ी गुंजायश होती है। शक जब किया जाता है तो सब गलत नहीं होता है। अगर आप तहकीकात करेंगे तो आपको मालूम होगा कि बहुत कुछ शक बेजा नहीं है। (लाल बत्ती होने पर)। एक मिनट और लूंगा।

मैं टण्डन जी से यह कहूंगा कि वे इस बारे में तहकीकात करें कि ये पब्लिकेशन्स गवर्नमेंट प्रेस के बजाय प्राइवेट प्रेस में क्यों जाते हैं और वे कौन-कौन से प्रेस हैं जहां वे जाते हैं, उनको जो रेट्स दिये जाते हैं वे ठीक हैं या कम हैं। पब्लिसिटी इफेक्टिव होने के वास्ते यह जरूरी है कि वह उसी लैंगवेज में हो जिसको कि दूसरे समझ सकें। बदकिस्मती से या खुशकिस्मती से इस इलाके को हिन्दी स्पीकिंग एरिया कहा गया है, मुझे इसमें कोई एतराज नहीं है। मगर सेक्रेटेरिएट में जो हिन्दी लिखी जाती है उसको सैक्रेटेरिएट के बाहर समझने वाला आपको मुश्किल से मिलेगा। मैंने अक्सर यहां के पब्लीकेशन्स को लोगों से पढ़ाकर समझना चाहा लेकिन उन्होंने कहा कि यह हिन्दी हमको नहीं मालूम है। मेरा मतलब है कि आप अपने पब्लीकेशन्स को ऐसी लैंगवेज में छपवायें जिसको लोग समझ सकें। यहां की जबान वही हो सकती है जिसको हम और आप इस्तेमाल करते हैं। यह हिन्दुस्तानी जबान हो सकती है। मैं टण्डन जी से कहूंगा कि आपका जो पब्लिसिटी मेटीरियल हो वह आसान हिन्दी में, उर्दू में या मुख्तलिफ जबानों में जो यहां बोली जाती हैं शाया होना चाहिए और ऐसी लैंगवेज उसकी होनी चाहिए कि जिसको हर एक आदमी, गांव वाला भी, समझ सके। जै हिन्द।

*श्री विश्वनाथ प्रसाद कपूर---

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय कृष्णानन्द राय के कटौती के प्रस्ताव के समर्थन में खड़ा हुआ हूं। मुझे दुःख है कि हमारे मुख्य मन्त्री जी आज यहां नहीं हैं। मुख्य मन्त्री जी होते तो शायद कुछ घोषणा करते। अब वह नहीं हैं तो मैं आपके माध्यम से टण्डन जी से निवेदन करूंगा कि जब यह जवाब दें तो गवर्नमेंट पालिसी का स्पष्टीकरण कर दें। २७ जुलाई, को यहां प्रेस मान्यता समिति के बारे में चर्चा हुई थी और उसमें प्रेस मान्यता समिति के सम्बन्ध में टण्डन जी ने कहा था, कि आल इंडिया पैटर्न के अनुसार ही उसको बनाया है और उसमें गुप्ता जी और चौधरी चरण सिंह की बातें आई थीं। गुप्ता जी ने प्रतिवाद किया था कि जहां तक मुझे याद पड़ता है ऐसा नहीं है। गुप्ता जी को यह मन में भ्रान्ति रही और यह कार्यवाही से एक्सपंज हुआ।

श्री उपाध्यक्ष---

वह कार्यवाही का अंश नहीं है।

श्री विश्व नाथ कपूर---

उसके बाद मुख्य मन्त्री जी ने खेद प्रकट किया और कहा कि १० दिन में इस मामले को सुलझा देंगे। आज १७ जुलाई है लेकिन कोई निर्णय नहीं हो सका है। मैं टण्डन जी को आल इंडिया पैटर्न को बतलाना चाहता था। वहां ४ संस्थाओं के प्रतिनिधि हैं। मैं उनके नाम टण्डन जी के समक्ष रखना चाहता हूं। इसमें (१) पत्रकार संघ है, (२) सम्पादक संघ है, (३) प्रेस एसोसिएशन है, जिसमें श्री बी० पी० रामचन्दान, यु० एन० आई० और श्री पी० के० नरेश, नव प्रभात के हैं। (४) कैमरा मैन एसोसिएशन के टी० मथरा हैं। इस प्रकार चार एसोसियेशन्स को मान्यता दी है। टन्डन जी को दो संस्थाओं को मान्यता देने में कठिनाई हो रही है। टन्डन जी ने उसकी मान्यता भंग क्यों कर दी? तात्पर्य क्या है, क्या गवर्नमेन्ट का काम रुक गया था या नई गठित से ज्यादा अच्छा काम चलने वाला है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि सूचना विभाग का काम प्रदेश में सिर्फ शहर में ही है, देहात में नही है, वहां उनका कोई काम नहीं है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री विश्वनाथ कपूर]

मैं सरकार को बतलाना चाहता हूं कि प्रेस क्लब में निदेशालय के कुछ अधिकारी शराब पिया करते हैं और पार्टी पोलिटिक्स लड़ाते हैं। तो मैं टन्डन जी से कहूंगा कि अगर यह सही है तो उनके विरुद्ध कार्यवाही करें। जहां तक दूसरी बातों का सम्बन्ध है हिन्दी समिति की लाखों रुपये की पुस्तकें कीड़े मकोड़े खा रहे हैं, उनके बेचने का कोई प्रबन्ध नहीं है। पत्रकार सम्मेलन मसूरी में हुआ था। उसमें ८,००० रुपया व्यय हुआ था। एक पत्रकार सम्मेलन में इतना रुपया व्यय होना ठीक नहीं है। टण्डन जी ने कहा कि सूचना निदेशालय का काम सरकार और जनता के बीच में सूचना प्रसार करना है। लेकिन माननीय टंडन जी ने कोई ऐसी योजना या कार्यक्रम नहीं बताया जिससे निदेशालय का जो कार्य ठप्प पड़ा हुआ है वह चल सकता। आज तो कोशिश यह की जा रही है कि सूचना निदेशालय एक व्यक्ति विशेष की पाकेट बन जाय कि आज इंडिया रेडियो को आल इंडिया रेडियो कहते, इन्दिरा रेडियो कहते हैं। उसी कार्य में टंडन जी भी लगे हुए हैं। माननीय अंचल जी ने भी कहा कि वह तो इन्दिरा रेडियो है।

श्री राममूर्ति अंचल (जिला शाहजहांपुर)--

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से स्पष्टीकरण चाहता हूं कि हमारे मित्र ने मेरा नाम पुकारा। मैंने तो सम्भवतः ऐसी बात नहीं कही होगी जैसा कि माननीय सदस्य कह रहे हैं।

श्री विश्वनाथ कपूर--

आपतो सम्भवतः कह रहे हैं, मैं तो निश्चित रूप से कह रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष--

आप उनसे स्पष्टीकरण मांग रहे हैं। स्पष्टीकरण आपको देना चाहिये।

श्री विश्वनाथ कपूर--

१७१ सदस्य हैं। कुछ सदस्य जिला लेबुल के हैं। वे भी एसोशिएटेड सदस्य हैं। उनको वोटिंग राइट नहीं है। गवर्नमेन्ट ने उन्हें स्वयं मान्यता दी है। इसका कोई कारण नहीं है कि वे इसमें नहीं हैं। एक चीज यह कि टंडन जी कोई ऐसी योजना बनाते जिससे यह भ्रान्ति जो फैल रही है कि इन्दिरा रेडियो हो गया दूर हो तो और निदेशालय से जनहित का कोई लाभ होता। उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से एक बात और कहना चाहता हूं कि हर जिले में सूचना निदेशालय खोल दिया जाय और वहां वे लोग रखें जायं जिन्हें पत्रकारिता का अनुभव है। उनकी वहां एक कमेटी भी बना दें तो बड़ा लाभ हो सकता है। इससे कुछ बेकारी की समस्या भी हल हो जायगी। इसके अतिरिक्त एक बात और कहना चाहता हूं कि यह हिन्दी प्रदेश है और हिन्दी राष्ट्रभाषा है। टंडन जी का स्वरूप देख लें। उनका स्वरूप, उनका रहन सहन अहिन्दी है। बुशशर्ट और पैंट पहने हैं। उनकी अहिन्दी ड्रेस है। मेरी यह भी सूचना है कि टंडन जी स्वयं हिन्दी नहीं जानते। उन्होंने पहले पहले जब पत्रकार सम्मेलन को सम्बोधित किया था तो वह अंग्रेजी में था और फाइल पर भी आदेश देते थे तो अंग्रेजी में देते थे।

श्री राममूर्ति अंचल--

एक सूचना देना चाहता हूं। टंडन जी शाहजहांपुर के निवासी हैं और १२ पुस्तकें हिन्दी में लिख चुके हैं। धर्म युग आप पढ़ते होंगे उसमें इनके अनेक महानात्माओं पर लेख आते रहते हैं। आप पढ़े-लिखे होकर भी यह भूल जाते हैं।

श्री विश्वनाथ कपूर—

क्या माननीय अंचल जी ने मंत्री जी का वकालतनामा लगा दिया है । श्रीमन्, मेरी सूचना है कि निदेशालय में यह परम्परा रही है कि वहां वर्तमान मुख्य मंत्री की फोटो रहा करती है । लेकिन टंडन जी ने आदेश दिया है कि इनकी फोटो लगा दी जाय और मुख्य मंत्री की फोटो हटा दी जाय । क्या निदेशालय का यही कार्य रह गया है कि फोटो हटाये और लगाये ।

दूसरी सूचना यह है कि सूचना निदेशालय बड़े बड़े मिनिस्टरों की फोटो खिचवाता है, उनके घर वालों की फोटोज खिचवाता है । अगर सूचना निदेशालय का केवल यही काम रह गया है और सरकारी मशीनरी केवल इसी काम को चलाने के लिये रह गयी है तो माननीय टंडन जी इस चीज को बतला देते तो हम लोगों को सन्तोष हो जाता । तो टंडन जी इस बात को भी जरा देख लें और अगर वाकई में सही बात हो तो उस पर अवश्य कार्यवाही करने की कृपा करें ।

एक सूचना मैं और टंडन जी को देना चाहता हूं । आपके विभाग में ऐसे भी अधिकारी हैं जो थर्ड क्लास में चलते हैं और फर्स्ट क्लास का टी० ए० चार्ज करते हैं । आप सोच लें, जिस बिभाग के अधिकारी ऐसे होंगे वह किस रह से सुचारु रूप से काम कर सकेगा । मेरी सूचना के ऊपर माननीय टंडन जी इसकी जांच करा लें और अगर वह सही है तो उस पर समुचित कार्य-वाही करें । जहां तक प्रेस मान्यता समिति में कुछ लोगों के लेने की बात है, जब परिस्थितियां बदल गयीं तो प्रेस मान्यता समिति में अगर २–३ या ४ आदमी को ले लिया जाय तो उससे प्रदेश का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है और न इस सरकार का ही कुछ बिगड़ने वाला है । इन शब्दों के साथ में माननीय कृष्णानन्द राय जी के कटौती प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

*श्री शिवानन्द नौटियाल (जिला गढ़वाल)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सूचना मंत्री द्वारा प्रस्तुत अनुदान का समर्थन कर रहा हूं और साथ ही अपने उन सभी माननीय सदस्यों का आभार भी मानता हूं जिन्होंने इस अनुदान पर अपने विचार प्रस्तुत किये । मान्यवर, मैं बड़ी आशा और विश्वास से यहां बैठकर यह सोचता था और सुनने का प्रयास कर रहा था कि माननीय सदस्यगण सूचना विभाग के बारे में कोई अपने मौलिक विचार रखेंगे । परन्तु, मान्यवर, यहां पर जिन माननीय सदस्यों ने अपने विचार रखे उन्होंने विशेष कर इसके सिर्फ एक विषय पर ही अपने विचार प्रस्तुत किये, जिससे प्रतीत होता है कि अनुदान की राशि पर तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है बल्कि उन विषयों पर आपत्ति है ।

पहले मैं आपके माध्यम से उन विषयों पर प्रकाश डाल देना उचित समझता हूं । सबसे पहले माननीय कृष्णानन्द राय जी ने प्रचार और प्रसार के विषय में बहुत अच्छे शब्दों में कहा कि यह सूचना विभाग मंत्रियों का भौंपू रहा है । मैं उनके इन शब्दों का हृदय से स्वागत करता हूं । ठीक कहा है उन्होंने । और आपके माध्यम से उसको मैं बतला देना चाहता हूं कि इसका श्रीगणेश शायद उसी समय हुआ जब कि वे मन्त्री थे । इस सलिसिले में बतला दूं कि आप हिन्दुस्तान टाइम्स ३० जनवरी, ७१, १६ फरवरी, ७१, २२ फरवरी, ७१ का देख लें । १३ मार्च का ब्लिट्ज देख लें । आर्गनाइजर का रिपब्लिक स्पेशल ईश्यू २० फरवरी ७१ व आर्गनाइजर ६ फरवरी ७१ का देख लें । मान्यवर, हमारे सूचना विभाग ने यहां के मंत्रियों व अधिकारियों के बारे में जो कुछ भी लिखा है इन अखबारों ने इन मंत्रियों के करनामों को शब्दशः लिखा है और उसी तरह से उसको छापा है । इसलिये इसके स्पष्टीकरण की कतई कोई आवश्यकता नहीं रह जाती ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री शिवानन्द नौटियाल]

दूसरा प्रश्न है प्रेस मान्यता समिति के सिलसिले में। जितने माननीय सदस्य बोल हैं सबने यही कहा कि सूचना विभाग ने ऐसा कर दिया, वसा कर दिया। मान्यवर, इस प्रदेश और राष्ट्र में जसी न्यायपालिका की महत्ता है, ठीक उसी प्रकार से प्रेस की भी महत्ता है। प्रेस पर ही सरकार का अस्तित्व रहता है। प्रेस मान्यता समिति का जो उद्देश्य है वह यह कि, पत्रकारिता के स्तर को किस प्रकार से ऊंचा उठाया जाय। इसी उद्देश्य को लेकर प्रेस मान्यता समिति बनी थी। इस स्तर के द्वारा अगर हम देखें कि पत्रकारिता के स्तर को कौन बढ़ा सकता है जो उसी कार्य के लिये प्रातःकाल से लेकर सायंकाल तक अपना सारा जीवन पत्रकारिता के लिये खपा दिया हो, बिता दिया हो और मर गया हो। न कि जो वह लोग जो सेल्समेनशिप का काम करते हैं और दूसरे ग्रुप में आकर अपने को जर्नलिस्ट कहते हैं।

एक सेल्समैन जो यू० पी० जर्नलिस्ट असोशियेशन का मेम्बर है वह पत्रकारिता का किस तरह दुरुपयोग करता है वह मैं बताना चाहता हूं। उसने अपने लिये एक स्कूटर खरीदा और उसको बाद में ब्लैक में बेच दिया और वह पकड़ा गया। यू० पी० जर्नलिस्ट एसोशियेशन से सम्बन्धित जो व्यक्ति इसका सब सर्वा रहा है वह इतना तक नहीं जानता कि बिना नीचे प्रिंट लाइन दिये हुए वह कोई चीज नहीं छाप सकता। उसने पिछले चुनाव में साम्प्रदायिक भावना को भड़काने के लिए तमाम पोस्टर छापे, किन्तु जो नीचे प्रिंट लाइन छापी जाती है वह नहीं छापी जिसके अपराध में उसको पकड़ा गया, उस पर मुकदमा चल रहा है। वह व्यक्ति पत्रकारिता के नियमों तक को नहीं जानता था। वह व्यक्ति अभी उस मुकदमें से छूटा नहीं है।

मान्यवर, यह संस्था ऐसी है जो देश और प्रदेश में अपना स्थान उज्जवल बनाने के लिए और हमारा मार्ग दर्शन करने के लिए है। उससे यह आशा की जाती है कि जहां कहीं हमारे पैर लड़खड़ायें, यह संस्था हमारा मार्गदर्शन करे, हमारी कमियों को बताये और वह मार्ग बताये जिससे कि इस प्रदेश को आगे ले जाया जा सकता है। यह तभी हो सकता है जब कि प्रेस की मान्यताओं को ध्यान में रखा जाय, वह पूर्णतया स्वतन्त्र हो और प्रेस मान्यता समिति में ऐसे लोगों को रखा जाय जो किसी भी प्रकार से दूसरे व्यक्तियों द्वारा प्रभावित न हों सकें और हर तरह से योग्य हों। मुझे यह कहने में दुख होता है कि हमारे यू० पी० जर्नलिस्ट एसोशिएशन का सम्बन्ध सी० आई० ए० से रहा है और विदेशों से काफी धन इस प्रदेश में आया है जिसके कारण पत्रकारिता के अन्दर एक गन्दा वातावरण तैयार किया गया है। मैं इस प्रदेश की जनता और बुद्धिजीवी वर्ग से यह प्रार्थना करना चाहता हूं कि यह मान्यता का जो प्रश्न है इस पर हमें किसी भावनाओं में न जाकर, गम्भीरता से उस पर विचार करना है किन लोगों को मान्यता दी जाय किनको नहीं। जो उसके सच्चे अधिकारी हैं उन्हों को मान्यता दी जाय।

(व्यवधान)

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)--

पोस्टर छापने के विरोध में प्रेस के विरुद्ध मुकदमा चलाया जाता है या पत्रकार के विरुद्ध चलाया जाता है, यह स्पष्टीकरण माननीय सदस्य से चाहता हूं। अगर कोई प्रेस कोई पोस्टर छापता है तो वह उसके लिए जिम्मेदार होता है।

(व्यवधान)

श्री सिवानन्द नौटियाल--

इसमें दोनों बातें सम्मिलित हैं। वह तो मुकदमा चल रहा है। (लाल बत्ती होने पर) मुझे दो मिनट और दिये जायं।

हमारे सूचना मन्त्री महोदय ने कहा कि हम बहुत सी नई चीजें ला रहे हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं, एक माननीय सदस्य ने कहा कि हिन्दी समिमि इस प्रदेश में बहुत अच्छा

काम कर रही है यह ठीक है, मगर उसके कमरे में तमाम किताबों का ढेर लगा हुआ है, स्थान की उसके पास बहुत कमी है। इस ओर मन्त्री जी कृपया ध्यान दें। इस समिति ने जिलेवार स्वतन्त्रता संग्राम के सेनानियों का जो विवरण छापा है वह भी प्रशंसनीय है।

एक बात विज्ञापन देने की जो नीति सरकार की है उसके विषय में कहूंगा। यह तय किया है कि इस विभाग ने कि जिस अखबार में सबसे ज्यादा पृष्ठ होंगे उनको ज्यादा विज्ञापन देंगे। चाहे वह एक ही बार छापें, लेकिन उनके सर्कुलेशन पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। मैं मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि १९६९ में जो स्थायी सूचना समिति थी, उसका मैं भी एक सदस्य था और वर्तमान सूचना मन्त्री जी भी उस समय उसके सदस्य थे।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से बता देना चाहता हूं कि उस सूचना समिति में जो भी निर्णय हुए, उन पर कोई भी कदम नहीं उठाया गया। और अब वह उस कुर्सी पर बैठ गये हैं, इसलिए मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वह तद्नुसार कदम उठाएं जिससे उत्तर प्रदेश को सचमुच दिशामिले। जहां जनता और सरकार के बीच की कड़ी का सम्बन्ध, मान्यवर, यह काम भी यह विभाग नहीं कर रहा है, बल्कि जनता को कोई भी सूचना नहीं मिल रही है। उत्तर प्रदेश के जो फल हैं, हिमांचल प्रदेश से प्रथम, द्वितीय और तृतीय नम्बर पर आये हैं, लेकिन हमको यह भी पता नहीं है कि जो उत्तर प्रदेश के फल हैं, उनकी पेटियों पर हिमांचल प्रदेश और काश्मीर लिखकर बाजारों में बेचा जाता है, उस पर हिमांचल प्रदेश और काश्मीर का नाम लिखा होता है। यह है हमारे सूचना विभाग की कार्यक्षमता और तत्परता। यह जब स्वयं अपना सम्मान नहीं कर सकता, उसका प्रचार नहीं कर सकता तो हमारे प्रदेश में काम कैसे आगे बढ़ सकता है।

जहां तक डाकूमेन्ट्री फिल्मों की बात है, उस समय जो इस बारे में निर्णय हुए थे, उस पर कोई कदम नहीं उठाया गया, बल्कि कुछ ही लोग मुहलगे लोग आज भी डाकूमेंटरी फिल्में बनाते हैं। मैं सूचना मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि इस विषय में पूरी तत्परता से ध्यान दें, ताकि सूचना विभाग का कार्य अच्छी तरह से आगे बढ़ सके।

श्री नित्यानन्द स्वामी——

उपाध्यक्ष महोदय, अभी इस विषय पर जो चर्चा हुई, तब माननीय उदित नारायण जी ने कुछ शब्दों में यह कहने की चेष्टा की कि जो मांग इस सदन में काफी दिनों से की जा रही है कि जो यहां के पत्रकार हैं, उनको प्रेस मान्यता समिति दोनों संस्थाओं——यूनियन और एसोशिएशन में प्रतिनिधित्व मिल सके——इसकी घोषणा अस्पष्ट रूप से की। मैंने उनसे यह निवेदन भी किया था और अब भी कहना चाहता हूं कि सूचना मन्त्री जी से कि जो भी काम होने वाला है, उसको उसको आप रोक नहीं सकते, क्योंकि अब तथ्यों के आधार पर स्पष्ट हो गये हैं, जब आप ने गलत बयानी २७ जुलाई को की। उसके एक एक अक्षर का खंडन हो चुका है, इसलिए अच्छा होगा कि आज यह विवाद हमेशा के लिए समाप्त हो जाए और दोनों को प्रतिनिधित्व मिल जाए।

एक बात यहां पर आज यह कही गई, उसको भी मैं कहना चाहता हूं, आज हमारे यहां जो पत्रकारिता है, समाचार पत्र हैं उनको यह प्रदेश की सरकार या दिल्ली की केन्द्रीय सरकार खरीदने की कोशिश कर रही है। जब मैं 'खरीद' शब्दों का इस्तेमाल करता हूं तो पूरी जिम्मेदारी से करता हूं। मुझे मालूम है कि कुछ अखबारों को सैकड़ों-हजारों रुपये के विज्ञापन दिए और विरोधी अखबारों को जो दूसरे पक्ष का भी समर्थन करते हैं, यानी जो निष्पक्ष बात कहते हैं, उनको १००.५० रुपये के विज्ञापन दिए गए।

मैंने एक असेम्बली प्रश्न पूछा था उसमें जो विवरण मिला है, उससे स्पष्ट है कि यह सरकार विज्ञापन के माध्यमसे सरकारी रुपये के बल से अखबारों को खरीदने का पूरा-पूरा प्रयत्न कर रही

[श्री नित्यानन्द स्वामी]

है। इस बार इस सरकार ने मई दिवस के अवसर पर अखबारों को विज्ञापन दिए और मैंने एक-प्रश्न भी विधान सभा में किया था कि क्या मई दिवस को राष्ट्रीय श्रम दिवस मान लिया गया है मैं पूरे विश्वास के साथ कहना चाहताहूं कि यदि इस भारत देशमें यदि वह हो सकता है तो 'विश्व-कर्मा दिवस' ही राष्ट्रीय श्रम दिवस हो सकता है। लेकिन इस सरकार ने मई दिवस पर सैकड़ों हजारों रुपये के विज्ञापन दिये हैं। मैं उसका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि उधार मांगी हुई संस्कृति से, चाहे वह अमेरिका या इंगलैंड की हो अथवा रूस या चीन की हो, हम उन्नति नहीं कर सकतेयदि आप अपने देश की संस्कृति को नहीं पनपाएंगे तो, श्रीमन्, आप अपने पैरों पर नहीं खड़े हो पायेंगे।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार अपनी इस नीति के अन्दर परिवर्तन करे। यहां पर कहा गया कि इस विभाग के अन्दर भ्रष्टाचार की अगर कोई सूची मांगा जाय, तो टंडन जी का विभाग टाप पर होगा। और उसके सूची के अन्दर एक से लेकर आखिरी व्यक्ति गिना जाय तो शायद कोई व्यक्ति बचा होगा। मुझे मालूम है कि सहायक निदेशक, कई ऐसे लोग हैं जो पब्लिक सर्विस कमीशन से ऐप्रूव्ड नहीं हैं। सालों से लोग काम कर रहे हैं अफसर हैं। छुट्टियों पर बैठे हैं और वहां से मोटी-मोटी तनख्वाहें मिलती हैं। मसूरी के दौरे हो रहे हैं, शराब के दौर चल रहे हैं। मैं नहीं जानता, इस लखनऊ के अन्दर जो हमारा एक विभाग है, इसने फिर पुरानी नवाबी ऐश व अय्याशी के दिनों की याद ताजा कर दीं है।

सूचना विभाग का यह कर्त्तव्य होता था कि अपने प्रदेश के समाचारों को, सरकार के कार्यों को जनता तक पहुंचाये और जनता के विचारों को सरकार को अवगत कराये। जितने समाचार-पत्र हैं कोई मापदंड नहीं है, एक एक पन्ने का अखबार निकलता है। कभी निकलता है कभी नहीं निकलता है लेकिन मंत्री जी की कृपा से उसमें विज्ञापन मिलता है। मैंने ऐसा अखबार देखा कि विज्ञान के अलावा और उस अखबार के नाम के अलावा और कोई चीज नहीं है। वह निकलता तभी है जब उस को विज्ञापन मिल जाता है।

मैं माननीय मंत्री जी की व्यक्तिगत आलोचना नहीं करना चाहता। अगर कोई व्यक्ति किसी मामले के अन्दर सीधा संबंधित हो तो उस व्यक्ति को उस मामले में निर्णय नहीं लेना चाहिये। अगर आप का सीधा सम्बन्ध एक यूनियन के साथ था तो आप उस मान्यता समिति के निर्णय को अपने हाथ में न लेते। जो २७ जुलाई को सदन में बहस हुई थी, मैंने एक विशेषाधिकार का प्रश्न दिया था कि चार विषयों में गलतबयानी हुई, दो विषयों का खंडन हो गया, रेकार्ड में नहीं लाया गया, बाकी दो विषयों का माननीय मन्त्री खंडन करते। मैंने दो विषय दिये थे कि केन्द्रीय मान्यता समिति के अन्दर अन्य ऐसे लोगों का प्रतिनिधित्व है, इस बात को स्वीकार किया जा सकता है लेकिन आज तक स्वीकार नहीं किया गया।

अभी कृष्णानन्द राय जी ने पढ़ कर सुनाया कि केन्द्रीय मान्यता समिति में दूसरी एशोशिएशन्स का भी प्रतिनिधित्व है। आज आप उसको स्वीकार करते हैं, पहले नहीं किया दूसरी बात मैंने यह कही थी कि मान्यता समिति का निर्णय नहीं हुआ। यहां पर आपने यह। दिया कि निर्माण हो गया, नयी मान्यता समिति का। उसका निर्माण तब तक नहीं होगा जब तक सम्पादक सम्मेलन का प्रतिनिधित्व नहीं करें। और उन्होंने लिख कर भेज दिया है कि जब तक एसोशिएशन के लोगों को नहीं लेंगे हम शामिल नहीं होंगे।

एक दुखद घटना है कि हमारी वर्तमान सरकार ने पत्रकारों को बांटने की कोशिश की है। अब भी इसमें देरी नहीं हुई है। इस वक्त मौका है इसको अपने हाथ से न जाने दें। पत्रकारों का संयुक्त प्रतिनिधित्व कीजिये और इस प्रदेश में ऐसा वातावरण बनाएं जिससे विरोधी पक्ष सरकार के अच्छे कामों का समर्थन कर सके और सरकार हमारी आलोचनाओं को उसी

रूप में स्वीकार करे, कि हम आप के हितैषी हैं। अभी हमारे पंडित शिवानन्द जी ने—वह कई बार जोर से नहीं बोलते, आज बड़े जोर से बोले, मालूम होता है कि ब्रीफ किए गए थे। उन्होंने कहा कि कोई सम्प्रदायिक पोस्टर छपा है। इस देश के अन्दर अगर कोई सम्प्रदायिक संस्था है तो नयी कांग्रेस है जो मुस्लिम लीग के साथ गठबन्धन किये है उसका पोस्टर अगर छपा ? क्यों नहीं पकड़ा आज तक, उनके खिलाफ कार्यवाही क्यों नहीं हुई ? इन शब्दों के साथ मैं धन्यवाद करता हूं कि आप ने मुझे समय दिया।

(श्री कृष्णानन्द राय का नाम पुकारे जाने पर)

श्री अनन्तराम जायसवाल—

श्रीमन्, अगर हमें बोलने का अवसर न दिया जाय तो स्पष्टीकरण का मौका अवश्य दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

इसमें अब आधा घंटा शेष है। मंत्री जी को भी उत्तर देना है। कृष्णानन्द राय जी से मैं जानना चाहूंगा कि कितना समय वह लेंगे ?

श्री कृष्णानन्द राय—

मुझे तीन चार मिनट चाहिये। आप जायसवाल जी को बोलने दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष—

जायसवाल जी ५ मिनट बोल सकते हैं।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

पिछले साल जब यह बजट यहां आया था तो मैं ने निवेदन किया था कि हमारी विधान सभा की कार्यवाही यहीं पर बन्द होती जा रही है। इसके बरखिलाफ जब सन् १९४७ में आजादी मिली थी नई-नई तो यहां की कार्यवाही को सुनाने के लिये विधान भवन के बाहर लाउड स्पीकर भोंपू के साथ लगाये गये थे जिससे बाहर जनता सुन सके। आज वैसी चीज नहीं है। लिहाजा इस पर भी विचार कर लिया जाय। अगर यहां की कार्यवाही बाहर सुनाई जायगी तो यहां पर बोलने का जो स्टेन्डर्ड है, जो व्यवस्था की बात है वह संभल जाय और बाहर लोग सुन सकेंगे यहां कैसे कार्यवाही होती है। तो इस चीज को फिर से कर दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

यह चीज सूचना निदेशालय से सम्बन्धित नहीं है। यह हमारे अधिकारों के अन्तर्गत है।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य (जिला मथुरा)—

मेरे मित्र सुझाव अच्छा दे रहे हैं।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

आपके कमरे में जो व्यवस्था है उसका सूचना विभाग से कोई सम्बन्ध नहीं है, यह ठीक है। दूसरी चीज मैं यह कहना चाहता हूं कि अपने देश में जनतंत्र अवसान की हालत में है। यहां पर जबरदस्त साजिश चल रही है। गांधी जी के वक्त से लेकर जिस वक्त तक यह बालिक मताधिकार मिला उस अवधि में देश में दबे व पिछड़े लोगों में थोड़ी जान आई थी लेकिन उस चीज को यहां जो कट्टरपंथी हैं उन्होंने हजम नहीं किया, उनके गले के नीचे वह चीज नहीं उतरी।

[श्री अनन्तराम जायसवाल]

उनकी यह कोशिश रही कि दबे व पिछड़े जो लोग हैं जिनमें कुछ जान आई है वह जान उनमें न रह जाय और देश में जो मुर्दनी छाई थी पहले वह फिर से स्थापित कर दी जाय ।

हमारे देश में आज नारा तो समाजवाद का है लेकिन वास्तव में जो जाति की कट्टरता है, साम्प्रदायिकता की कट्टरता है उसको बढ़ावा दिया जा रहा है, उसको पाला जा रहा है । जिस तरह से देश का जो गरीब, पिछड़ा व दबा हुआ आदमी है उसका कोई उत्पीड़क है उसको बिना किसी कसूर पीट दिया जाय तो उसको खुशी होती है । जैसे एक सिपाही है रोज निर्दोष लोगों को पीटता है एक दिन बिना किसी कसूर के वह पिट जाय तो लोग उससे हमदर्दी नहीं करते, वरन् खुश होते हैं ।

उसी तरह टाटा और बिरला ने शोषण किया लोगों के तन पर कपड़ा नहीं रह गया, खाने को नहीं रह गया लेकिन खाली यह कह दिया कि उनकी सम्पत्ति ले ली जायगी तो लोग खुश हो गये और यह कह कर संविधान के उस चेप्टर में जो बुनियादी हुकूक का चेप्टर है तब्दीली कर दी गयी । किसी की सम्पत्ति नहीं छीनी जा रही है बल्कि जो बुनियादी हुकूक का चेप्टर है उसमें तब्दीली कर दी जिससे फ्रीडम आफ स्पीच तक को खत्म किया जा सकता है ।

सूचना विभाग के अब जो राज्य मन्त्री जी आज हैं वह भी उसी मशीन के एक कल पुर्जे हैं । वह मुफस्सिल के जर्नलिस्ट हैं और सरकार की कृपा उन पर ऐसी है कि वह सरकार की ओर से कौंसिल में नामजद कर दिये गये । यहां पर न जाने कितने एक से एक योग्य प्रतिनिधि जनता के आते हैं, बड़े-बड़े लोग मुसीबत सह कर चुनाव में मुकाबला करके यहां आये । उनको मंत्रि-परिषद् में जगह नहीं मिलती लेकिन राज्य मन्त्री को वहां पर जगह मिल गई है । अगर पुराने जमाने होते तो शायद ऐसे आदमी राय बहादुर कहलाते । तो जब आप उस जगह पर बैठ गये तो आपने सबसे पहला काम यही किया कि प्रेस वालों की लड़ाई खड़ी कर दी । बाद में जब यही मामला विधान सभा में उठाया गया तो आपने गलत बयानी की है । केन्द्र के पैटर्न पर यहां पर भी मान्यता समिति बनाई गई । इसी तरह से आज भी कहीं आप गलत बयानी न कर दें माननीय शर्मा जी ने हस्तक्षेप करके मामले को सम्हाल लिया ।

आपके बारे में शिकायत मिलती है कि आपको हिन्दी का बड़ा शौक है और इतना शौक है है कि आप हिन्दी बोलते ही नहीं है । अंग्रेजी बहुत पसन्द करते हैं । यहां पर लोगों की शिकायत है कि जब आपने विभागीय लोगों को संबोधित किया तो वहां पर भी आपने अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया । आपको यह नहीं मालूम कि हमारे उत्तर प्रदेश की भाषा हिन्दी है ? आप इस ओहदे पर रहने लायक नहीं हैं यदि आप राष्ट्रभाषा का अनादर करते हैं । यहां पर बहुत बड़ी तारीफ की गई जैसा कि माननीय कृष्णा नन्द जी ने कहा है उसको दोहराने की जरूरत नहीं है ।

सदन में प्रेस क्लब में शराब पीने, व सूचना विभाग की सेवाओं का दुरुपयोग करने से लेकर लेखा समिति में कागज से सम्बन्धित ए० जी० के एतराज आदि तक की सारी बातें आ गयी हैं । यह सारी चीजें आप के सामने हैं । तो जब आप बोलें तब इन बातों पर प्रकाश डालें । अब तो ये चीजें ए० जी० के नोटिस में आ गई हैं । उनके सम्बन्ध में आप निश्चित रूप से बतायें कि क्या कार्यवाही उन पर करने जा रहे हैं । जिस विभाग में पक्षपात चलता हो और जिसके संपादक के बारे में ऐसे प्रश्न रेज कर दिये जायं तो इस तरह से विभाग में गुटबंदी बढ़ाने और एक दूसरे की धांगामुश्ती करने के सिवाय और कोई भलाई का काम यहां पर हो नहीं सकेगा । माननीय राजबिहारी सिंह जी मेरी ओर बार-बार देख रहे हैं । लगता है शायद मैं उनके मन की बात कह रहा हूं । तो मैं कह रहा हूं कि इनकी तरफ आपका ध्यान जाना चाहिए और तभी लोगों की आपके बारे में इज्जत बढ़ जायगी .....

(व्यवधान)

और तभी विभाग चल सकेगा ।

*श्री कृष्णानन्द राय--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात की खुशी है...

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)--

मान्यवर, दो मिनट मुझे दे दें।

श्री उपाध्यक्ष--

बहुत देर से आपने कहा.....।

श्री मैनेजर सिंह--

मान्यवर, केवल डेढ़ मिनट का समय तो दे दें। माननीय उपाध्यक्ष जी, यह हमारे प्रदेश का दुर्भाग्य है कि सूचना विभाग एक ऐसे मंत्री को दिया गया है जिन्हें हमारी भाषा और वेष-भूषा से नफरत है। वह व्यक्ति उस सदन के सदस्य हैं जिसके बारे में इस सदन ने बरखास्तगी का निर्णय पहले ही ले लिया है। मान्यवर, ऐसे मंत्री के कारण आज पत्रकारिता जगत में भी हलचल पैदा हो गई है और उनके कार्यों के कारण आज पत्रकारों में दलबन्दी चरम सीमा पर पहुंच गई है। उन्होंने इस सदन में गलत बयानी की है। जैसा कि माननीय जायसवाल जी ने कहा आप देखें कि उन्होंने स्वयं अपने वक्तव्य में कहा था कि केन्द्र के पैटर्न पर यहां भी एक मान्यता समिति बनाई गई है जब कि केन्द्र में एकाधिकार एक संघ को माना नहीं गया है। तो इस प्रकार उन्होंने यहां पर गलत बयानी की है और सदन को गुमराह किया है। ऐसे मंत्री को तो बरखास्त कर देना चाहिये इस आदरणीय सदन द्वारा। यह इसके पात्र नहीं है कि इनको रखा जाय। इनके दांत जो नकली हैं वह भी बाधक होते हैं बोलने में, बात समझ में आती नहीं है। खबर है कि हजरतगंज में सूचना केन्द्र में उन्होंने मुख्यमन्त्री की तस्वीर हटवा करके अपनी तस्वीर लगवा दी है। ऐसे मंत्री को बरखास्त कर देना चाहिये।

श्री कृष्णानन्द राय--

माननीय उपाध्यक्ष जी, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि इस सूचना विभाग की अनुदान के संबंध में जो मैंने कटौती का प्रस्ताव रखा था और जो दो एक बातों की तरफ मैंने ध्यान दिलाने की कोशिश की थी उसका इस सदन के इस भाग और जो सरकारी पक्ष हैं दोनों ने समर्थन किया है।

जहां तक प्रेस मान्यता समिति के कम्पोजीशन का सवाल है, उदित नारायण शर्मा जी ने कुछ बातें कही हैं। उनकी बातों से पता लगा कि सरकार की नीति इस मामले में यह है कि जो एक कंट्रोवर्सी चल गयी है एक वास्तविक ढंग से उसका निपटारा करना चाहते हैं। मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी, शर्मा जी और टंडन जी में कोई फर्क नहीं मानता। मैं समझता हूं कि एक सरकार के हैं और सभी की विचारधारा एक प्रकार की होगी।

जहां तक कि प्रेस के ऊपर सरकार का जो एक भय होता चला जा रहा है, उसका एक उदाहरण पेश करना चाहता हूं। अभी इस महीने या पिछले महीने में रिजर्व बैंक आफ इंडिया ने एक नोट निकाला था जिसमें ऐबसाल्यूट पावर्टी किस सीमा तक देश में पहुंच गयी है उसका रफ स्कैच यह दिया था कि ३ करोड़ ऐसे आदमी हैं जिनकी आमदनी ३६ पैसे प्रति दिन से कम है। इसका मतलब यह है कि ३ करोड़ आदमी भुखमरी के शिकार हैं। रिजर्व बैंक आफ इंडिया ने अपने नोट में यह भी कहा था कि १ करोड़ आदमी ऐसे हैं जिनके पास कोई झोपड़ी नहीं है, कोई छत नहीं है और ढाई करोड़ आदमी बेकार हैं। लेकिन आश्चर्य हुआ कि रिजर्व बैंक की इस

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री कृष्णानन्द राय]

स्टडी को हिन्दुतान के किसी समाचार-पत्र में नहीं छापा गया, हालांकि रिजर्व बैंक आफ इंडिया एक प्रोमोटेड बैंक है, गवर्नमेंट का है। उसकी तारीफें तो की गयीं लेकिन अगर पीपुल्स वाइस की तरफ छोड़ दिया गया होता तो इस प्रकार की चीजें जो हिन्दुस्तान की जनता से संबंध रखती हैं वह चीजें बाहर आतीं और जो कि बड़ा भारी प्रचार किया जाता है जिससे कि जनता को लाभ नहीं है वह चीज कम आती।

मैं माननीय शिवानन्द नौटियाल को अभी नौजवान मानता हूं। उनकी एक चीज से दुःख हुआ। उन्होंने बताया कि प्रेस असोसिएशन में ऐसे भी लोग हैं जिनके चरित्र में और बातों में उनको सन्देह है। उन्होंने स्कूटर वगैरह की बात कही। जहां तक मेरी जानकारी है, प्रेस एसोशिएशन में भी पढ़े-लिखे लोग हैं, शिक्षित हैं, ईमानदार हैं, वर्किंग जर्नलिस्ट पेशेवर लोग हैं और उसमें किसी में कोई शिकायत नहीं है और न यूनियन के सदस्यों में है हमारी जानकारी में। और हम लोग तो इसकी छान-बीन करने के लिए बैठे भी नहीं हैं और न हमें शोभा देता है कि हम किसी यूनियन या एसोसिएशन के किसी व्यक्ति के बारे में यहां कुछ कह दें। हम लोगों का तो कर्तव्य था कि यह देखें कि जो दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि एक दो असोसिएशन हैं उसमें सरकार को और क्या करना चाहिए। सरकार को पैटरनल ऐटीट्यूड में काम करना चाहिये था।

और मुझे ज्यादा नहीं कहना है। मुझे आशा है कि टंडन जी जो कि सूचना मन्त्री हैं वह ऐसी कोई चीज नहीं अपनायेंगे जो कंट्रोवर्श्यल हो और जिस चीज के खिलाफ विवाद हुआ है उस को मेंटेन रखेंगे।

*श्री पुरुषोत्तम दास टंडन—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सब सदस्यों का बड़ा आभारी हूं कि उन्होंने सुझाव भी दिये, आलोचना भी की और कुछ बातें कहीं जिनको मुझे सुनने का मौका मिला। समय तो बहुत कम है, लेकिन फिर भी मैं कुछ बातों का जवाब देना चाहूंगा।

मैं सभी माननीय सदस्यों का आभारी हूं कि उन्होंने अपने- अपने सुझाव इस आदरणीय सदन के सामन रखे और कुछ हमारी त्रुटियों की ओर भी इशारा किया। हम अपनी गल्तियों से सीखना चाहते हैं और हर सरकार जो आगे बढ़ना चाहती है और सही काम करना चाहती है, उसे उसकी गल्तियों की तरफ जब इशारा किया जाय तो बुरा नहीं मानना चाहिए। मैंने माननीय सदस्यों की बातों को बड़े ध्यान से सुना है और उनका बड़ा आभारी हूं और मैं माननीय कृष्णानन्द राय जी का भी बड़ा आभारी हूं कि उन्होंने एक छोटी सी चीज की तुलना बहुत बड़ी चीज से की। मैं यह कहना चाहता हूं कि उन्होंने नन्दिनी सत्पथी के साथ बड़ा भारी अन्याय किया है। महिलाओं के साथ ऐसा अन्याय नहीं करना चाहिये। हम लोगों के साथ अगर वे अन्याय करें तो कोई बात नहीं है।

यह कहा गया कि ए० आई० एन० इ० सी० का जवाब आ गया है कि वे ज्वाइन नहीं करेंगे। मैं उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा बताना चाहता हूं कि ऐसा कोई जवाब नहीं आया है। उनसे पत्र व्यवहार हो रहा है। उन्होंने कहा है कि एक मीटिंग हो रही है। उसके बाद वे जवाब देंगे।

यह भी कहा गया कि कोई प्रचार की व्यवस्था हमारे जिलों में नहीं है। यह बात सही है और हम अब व्यवस्था करने जा रहे हैं। लेकिन मेरे माननीय मित्र मुझे क्षमा करेंगे यदि मैं कहूं कि वह व्यवस्था जो हटाई गई है उसमें सरकार दोषी नहीं है। दूसरे की गल्ती

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

को यह सरकार सही करने जा रही है। जिला सूचना अधिकारयों की नियुक्ति का सवाल हमारे सामने पेश है और हम उस पर विचार कर रहे हैं। उस पर जल्दी ही कार्यवाही की जायगी।

इस माननीय सदन में यह भी कहा गया कि मैं हिन्दी नहीं जानता हूं। मैं कोई अपनी सफाई देना नहीं चाहता हूं। जो लोग यहां बैठे हैं उनके भी कान हैं। उनको यह मालूम होगा कि मैंने हिन्दी में कितनी पुस्तकें लिखी हैं। मेरी एक दर्जन पुस्तकें हिन्दी में छपी हैं। यही नहीं देश के पत्र पत्रिकाओं में तथा ऐसा कोई समाचार पत्र नहीं है जिनमें मेरे लेख न छपे हों। फिर भी ऐसी बात का कहा जाना कहां तक ठीक है।

श्री नित्यानन्द स्वामी---

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक स्पष्टीकरण करना चाहता हूं कि माननीय मन्त्री जी ने पहली बार जब अपने विभाग के अधिकारियों को सम्बोधित किया तो वह अंग्रेजी में किया।

श्री पुरुषोत्तम दास टंडन---

मुझे बड़ी खुशी है कि माननीय सदस्य ने इस बात को दुहराया। यह वाक्या है कि मैंने हिन्दी में एड्रेस किया, अंग्रेजी में नहीं किया। इसका सबूत समाचार-पत्र दे सकते हैं। ऐसी बात कह कर हाउस को गुमराह करना ठीक नहीं है। आप कहते हैं कि मैंने गलत बात कही। लेकिन मैं कहता हूं कि मैंने कोई गलत बात नहीं कही। जो बात कही है वह रिकार्ड में है। सही बात कही है।

मान्यवर, यहां पर यह भी कहा गया कि सूचना अधिकारियों का पे स्केल बहुत कम है। उनके पे स्केल के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि

(श्री मैनेजर सिंह द्वारा के कुछ कहने पर)

आपने मुझे बोलने की आज्ञा दी है जब तक मैं बैठता नहीं हूं वे नहीं बोल सकते हैं। सूचना अधिकारियों की ओर मैं सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं।

(श्री मैनेजर सिंह द्वारा पुनः कुछ कहने पर)

श्री उपाध्यक्ष---

अगर ऐसी बात है तो आप लिख कर दें।

श्री अनन्तराम जायसवाल---

उपाध्यक्ष महोदय, (व्यवधान)

श्री मैनेजर सिंह---

मेरा सवाल यह है...।

श्री उपाध्यक्ष---

आपको जो भी कहना हो आप उसको लिख कर दे दीजिये। इस प्रकार से आप न कहें।

श्री मैनेजर सिंह---

मेरा निवेदन है कि २७ तारीख को इसी सदन में माननीय मन्त्री जी ने कहा था कि यहां पर जो मान्यता समिति बनाई गई है वह केन्द्रीय मान्यता समिति के आधार पर बनाई गई है। लेकिन यह बिलकुल गलत है। वहां ऐसा नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष---

अगर उन्होंने कुछ गलत कहा है तो आप लिखकर दे दें।

श्री अनन्तराम जायसवाल---

मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि जब टंडन जी बोलते हैं तो उनको यह सदन सुनना नहीं चाहता।

(व्यवधान)

श्री पुरुषोत्तम दास टंडन---

मान्यवर, यह भी कहा गया कि सूचना विभाग के अधिकारी गलत तरीके से ट्रेबिल करते हैं और गलत भत्ता लेते हैं। मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि एक अधिकारी ने ऐसा गलत काम किया। उसके खिलाफ कार्यवाही की गई है। उसके तीन इंक्रीमेंट बन्द कर दिये गये हैं। वह बहुत अच्छा काम करने वाला अधिकारी था इसलिए ३ इंक्रीमेंट बन्द करके, उसको आजाद कर दिया गया है। इसके अलावा विभाग में और कोई घटना नहीं हुई, जो मेरे ज्ञान में हो। इन शब्दों के साथ जो अनुदान मैंने पेश किया है, मैं प्रार्थना करता हूं उसको पास किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान संख्या २८ के अधीन मांग की राशि घटा कर १ रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि ३१ मार्च, १९७२ को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या २८—सूचना निदेशालय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त २२,२३,९०० रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

कार्य-स्थगन प्रस्ताव तथा नियम ५१ के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष---

कुछ सूचनायें हैं। माननीय नित्यानन्द स्वामी, श्री राजेंद्र कुमार और श्री सियाराम का एक प्रश्न पुलिस की लापरवाही के कारण मुजफ्फरनगर में ३ व्यक्तियों का बन्दी बनाया जाना"। इसको केवल वक्तव्य के लिए स्वीकार किया गया है।

बाढ़ के सम्बन्ध में श्री त्रिवेणी सहाय, श्री राम बचन यादव, श्री कृष्णस्वरूप, वैश्य, श्री राम निहोर राय तथा श्री बल श्रृंगार यादव व हरिवंश सिंह के हैं। इनको बाढ़ के वक्तव्य में सम्मिलित कर लिया गया है।

अब हम उठते हैं। कल ११ बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन ५ बजकर ४० मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिए स्थगित हो गया।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ:
१७ अगस्त, १९७१।

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या ७ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३२१ पर।)

उत्तराखन्ड के तीन जिलों में से पिथौरागढ़ जिला कुमायूं डिवीजन में और चमोली व उत्तरकाशी जिले गढ़वाल डिवीजन में सम्मिलित हैं। इस प्रकार उत्तराखन्ड के तीनों जिले वर्तमान कुमायूं और गढ़वाल डिवीजन में सम्मिलित हैं। नैनीताल जिले का मैदानी भाग छोड़कर उक्त दोनों डिवीजनों में कृषकों द्वारा सिंचाई हेतु लगाये गये पम्पिंग सेटों पर शासन द्वारा उपलब्ध ऋण की निर्धारित अधिकतम सीमा या पम्पिंग सेट के वास्तविक व्यय, जो भी कम हो, के २५ प्रतिशत के हिसाब से छूट (अनुदान) दी जाती है।

उत्तराखन्ड के तीन जिलों (पिथौरागढ़ चमोली और उत्तरकाशी) और नैनीताल जिले के मैदानी भाग को छोड़कर कुमायूं और गढ़वाल डिवीजन के सब जिलों में निम्नांकित छूट की व्यवस्था है :—

(१) कृषकों द्वारा निर्मित गूल और टैंकों पर प्राप्त ऋण अथवा कार्य के वास्तविक व्यय जो भी कम हो, के ५० प्रतिशत के हिसाब से छूट (अनुदान) दी जाती है।

(२) गांव समाजों द्वारा निर्मित गूल और टैंकों पर उन्हें कार्य के वास्तविक व्यय का ५० प्रतिशत अनुदान दिया जाता है।

नैनीताल जिले के मैदानी भाग को छोड़कर दोनों डिवीजनों में लघु सिंचाई कार्यों के लिए दिये जाने वाले ऋण पर ब्याज की दर साढ़े ५ प्रतिशत सालाना है।

प्रदेश के अन्य मैदानी क्षेत्रों की तरह कुमायूं डिवीजन के नैनीताल जिले के मैदानी क्षेत्र में निम्नांकित छूट (अनुदान) की व्यवस्था है और ऋण पर ब्याज की दर सवा ८ प्रतिशत है :—

(१) गैर सरकारी एजेंसियों द्वारा कुओं की बोरिंग पर २ रु० प्रति फुट बोरिंग के हिसाब से छूट, केवल उन काश्तकारों के लिए उपलब्ध है जिनके पास ५ एकड़ भूमि हो।

(२) गांव समाओं द्वारा निर्मित डाम, रेगूलेटर, नलकूप, जलाशय, पक्की सिंचाई नालियां और आर्टीजन वेल पर अधिकतम प्राप्य ऋण अथवा वास्तविक व्यय जो भी कम हो, पर २५ प्रतिशत छूट उपलब्ध है।

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० १३४ एल० ए०—१९७२—८४५।